एकादश माला, खंड 3, अंक 10

मंगलवार, 23 जुलाई, 1996
1 श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 19.3.97

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

दिनांक 23 जुलाई, 1996 के लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

कालम सं.	पंक्ति सं.	के स्थान पर	पढ़िए
32	14	श्री महेश कुमार ए. कनोड्यिा	श्री महेश कुमार एम. कनोडि
70	3	परूलिया	पुरूलिया
70	7	श्री सोहन वीर सिंह	श्री सोहन बीर
149	प्रश्न सं.1576	संसद सदस्य का नाम श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन पढ़िए	
150	प्रश्न सं. 1577	श्री सुशील चन्द्र वर्मा	श्री सुशील चन्द्र
175	नीचे से 4	श्री प्रदीय भट्टाचार्य	श्री प्रदीप भट्टाचार्य
187	23	"इफको और कृभको)	"इफको और कृभको"
188	15	कठिनाइयों	कठिनाइयों
260	अन्तिम	1918(शक) तक के लिए स्थगित हुई	1918(शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 10, मंगलवार, 23 जुलाई, 1996/1 श्रावण, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	181 से 183	1—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	184 से 200	29—45
अतारांकित प्रश्न संख्या	1437 से 1588	45—161
सभा पटल पर रखे गए पत्र		163—165
राज्य सभा से संदेश		165—166
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए		166
(एक) माध्यस्थम और सुलह विधेयक, 1996 (राज्य सभा द्वारा यथा पारित)—**सभा पटल पर रखा गया**		166
(दो) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1996 (राज्य सभा द्वारा यथा पारित)—**सभा पटल पर रखा गया**		166
समिति के लिए निर्वाचन		185
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद		185
विधेयक—पुरःस्थापित		
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1996		186
नियम 377 के अधीन मामले		186—190
(एक) बिहार के पलामू और गढ़वा जिलों में मोहम्मद गंज तथा मझिगांव में सोन नदी के तट के साथ-साथ पत्थर बिछाए जाने की आवश्यकता		
श्री ब्रजमोहन राम		186—187
(दो) दिल्ली की गंदी बस्तियों के विकास के लिए एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता		
श्री जयप्रकाश अग्रवाल		187
(तीन) बिहार के औरंगाबाद में "इफ्को" और "कृभको" के फुटकर बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता		
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह		187
(चार) कलकत्ता-अगरतला और अमरतला-दिल्ली के बीच इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता		
श्री बादल चौधरी		187—188
(पांच) देश में प्रतिबंधित कीटनाशकों के आयात को रोके जाने की आवश्यकता		
श्री बृज भूषण तिवारी		188
(छह) बारामती-लोनद रेल लाइन को बरास्ता फाल्टन जोड़े जाने हेतु धन आबंटन की आवश्यकता		
श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर		188—189

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(सात) अहमदाबाद विमान पत्तन की हवाई पट्टी के विस्तार कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता	
श्री हरिन पाठक	189
(आठ) केरल के कोल्लम जिले में कोट्टाराक्कारा में एक वी.एच.एफ.एल.पी.टी. लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश कोडीकुनील	189—190
मंत्री द्वारा वक्तव्य	190—192
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हड़ताल वापस लिया जाना	
श्री सलीम इकबाल शेरवानी	190—192
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	215—216
जम्मू और कश्मीर में विकास कार्य	
श्री एच.डी. देवेगौड़ा	215—216
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में **सांविधिक संकल्प**;	
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार **विधेयक**;	
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में **सांविधिक संकल्प**;	
और	
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर **विधेयक**	192—215, 217—260
श्री एस.एस.पलानीमनिक्कम	192—196
श्री हन्नान मोल्लाह	196—201
श्री ए.सी.जोस	201—208
श्री के.वी. सुरेन्द्रनाथ	208—212
श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल	212—213
श्री चित्त बसु	213—215
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	217—220
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी	220—222
श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता	222—225
डा. बी.एन. रेड्डी	225—226
श्री जार्ज फर्नान्डीज	226—240
श्री मधुकर सर्पोतदार	240—252
श्री रमेश चेन्नित्तला	252—255
सदस्य की गिरफ्तारी	217

लोक सभा

मंगलवार, 23 जुलाई, 1996/1, श्रावण, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

+

***181. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों पर राजसहायता देने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न उर्वरकों पर राजसहायता की संशोधित दरों की घोषणा कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों पर राज्यवार कुल कितनी राजसहायता उपलब्ध करायी गई;

(ङ) क्या सरकार उक्त योजना को जारी रखने पर सहमत है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर राजसहायता सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन दी जाती है तथा यूरिया ही एक ऐसा उर्वरक है जो इस समय सांविधिक मूल्य नियंत्रणाधीन है।

(ख) और (ग). राजसहायता के अतिरिक्त भारत सरकार किसानों को फास्फेटयुक्त तथा पोटाश युक्त अनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर रियायत भी दे रही है। 6 जुलाई, 1996 से बिक्री के लिये रियायत की दर निम्नानुसार संशोधित कर दी गई है :—

(रुपये प्रति मीटरी टन)

— स्वदेशी डाइ-अमोनिया फास्फेट	3000/-
— आयातित डाई-अमोनियम फास्फेट	1500/-
— म्यूरिएट ऑफ पोटाश	1500/-
— सिंगल सुपर फास्फेट	500/-
— स्वदेशी योग (कम्पलैक्सेस)	1304-2633/-

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री के लिये दी गई रियायत की कुल धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च). जी, हां। वर्ष 1996-97 के दौरान रियायत की योजना पहली अप्रैल, 1996 से 5 जुलाई, 1996 तक रियायत को पिछली दरों पर तथा 6 जुलाई, 1996 से संशोधित दरों पर जारी रखी जा रही हैं। राज्यों को इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कृषि और सहकारिता विभाग राज्यों द्वारा बिक्री के सत्यापन के आधार पर निर्माताओं/सप्लायरों को प्रतिपूर्ति देना जारी रखेगा।

विवरण

(लाख रुपये)

राज्य	1993-94 की बिक्री के लिए जारी धनराशि	1994-95 के दौरान किया गया भुगतान					1994-95 के दौरान किया गया भुगतान				कुल धन-राशि
		डी.ए.पी.	एम.ओ. पी.	एस.एस. पी.	योग	कुल धन-राशि	डी.ए.पी.	एम.ओ.पी.	एस.एस. पी.	योग पी.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	7697.80	2911.37	610.21	569.48	3323.95	7415.01	2262.05	794.20	539.49	3662.11	7257.85
कर्नाटक	5125.77	1365.66	775.09	132.39	2167.49	4440.63	1028.57	494.40	117.73	1822.60	3863.30
केरल	1521.58	12.53	508.02	0.82	416.74	938.11	7.96	302.77	5.16	190.88	506.77
तमिलनाडु	6306.50	1231.38	1938.43	200.27	1910.09	5280.17	819.95	1851.80	205.60	1651.34	4528.69
पांडिचेरी	120.94	25.30	39.38	4.05	24.60	93.33	19.15	52.78	5.19	45.55	122.67
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	4020.33	1520.87	490.62	208.79	554.19	2274.47	2605.77	479.97	180.77	525.04	3791.55
मध्य प्रदेश	3192.50	1385.62	203.75	441.85	610.62	2641.84	1050.21	339.70	1177.73	612.23	3179.57
महाराष्ट्र	6620.02	1381.91	864.13	1140.64	2743.56	6130.24	1597.17	1002.43	1239.15	3252.84	7091.5
राजस्थान	1974.40	988.42	30.20	194.69	409.92	1632.23	969.85	25.63	348.45	257.84	1601.7
गोवा	18.66	3.17	3.89	-	24.67	31.73	1.02	3.70	0.00	31.64	36.36
दमन और द्वीव	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हरियाणा	1058.28	2153.75	19.07	15.74	18.17	2206.73	767.59	14.53	68.79	14.58	865.49
पंजाब	2515.25	2546.94	158.45	481.17	249.90	3436.46	1324.62	123.42	62.81	140.25	2191.10
उत्तर प्रदेश	4943.83	4669.81	871.14	1101.47	1393.86	8036.28	4146.11	562.16	1241.49	1445.82	7335.58
हिमाचल प्रदेश	60.80	-	15.00	14.39	15.31	44.70	0.00	3.50	1.82	70.96	76.28
जम्मू और कश्मीर	276.95	26.54	7.20	-	-	33.74	40.90	0.00	0.00	0.00	40.90
चंडीगढ़	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
दिल्ली	-	-	-	-	-	-	6.58	0.00	0.00	0.00	6.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बिहार	1166.00	1004.63	488.43	409.29	152.58	2054.93	656.58	415.20	269.94	91.33	1433.05
उड़ीसा	761.72	87.37	92.17	8.14	211.23	398.91	213.16	465.57	85.83	486.87	1251.43
पश्चिम बंगाल	5469.48	1323.09	1046.00	339.91	901.77	3610.77	1046.25	1202.60	1007.90	1151.39	4408.14
असम	144.90	36.37	100.89	14.23	–	151.49	44.43	218.11	32.39	0.00	294.93
त्रिपुरा	45.70	–	36.38	12.23	–	48.71	0.00	15.62	5.27	0.00	20.89
मेघालय	17.96	3.00	1.00	4.76	–	8.76	3.50	2.00	8.50	0.00	14.00
सिक्किम	7.20	1.32	–	–	–	1.32	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07
मणिपुर	48.54	–	–	–	–	–	7.70	3.71	5.66	0.00	17.07
मिजोरम	5.88	–	–	–	–	–	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
अरुणाचल प्रदेश	1.03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
नागालैंड	2.70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	53126.75	22679.05	8299.45	5294.41	15128.65	51401.56	18623.53	8773.80	7149.37	15453.27	49999.97

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम भारी मात्रा में उर्वरकों का आयात कर रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि कृषि उत्पादन में उर्वरक का बहुत अधिक महत्व है। वास्तव में यद्यपि हाल के वर्षों में हमने खाद्य उत्पादन में काफी वृद्धि की है, तथापि अभी भी खाद्यान्न का अभाव है। इसमें वृद्धि करने के लिये हमें उर्वरक की आवश्यकता है। आयातित उर्वरक पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि भविष्य में उर्वरकों के आयात को रोकने के लिये वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं। उदाहारणार्थ हमारी बिजली आदि सम्बन्धी स्थिर और दीर्घावधि नीति है। निर्माताओं का यह मानना है कि प्रति वर्ष नीति में परिवर्तन होता रहता है। अतः समस्या उत्पन्न होती है। अतः हमें उर्वरकों के आयात को नियंत्रित करना पड़ता है। ऐसा दिन अवश्य आयेगा जब हम इसके उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। आप निर्माताओं के लिये दीर्घावधि नीति इस प्रकार अवश्य बनाये कि उत्पादन में वृद्धि हो और एक दिन ऐसा अवश्य आये जब उर्वरक आयात बन्द हो जाये। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका ऐसी कोई उर्वरक सम्बन्धी दीर्घावधि स्थिर नीति बनाने का प्रस्ताव है। उन्हें नीति इस प्रकार बनानी चाहिये कि उर्वरकों का उत्पादन बढ़े, और एक दिन ऐसा अवश्य आये जब उर्वरकों का आयात बन्द हो जाये।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं, माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश उर्वरक का मामला मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है। यह मामला रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। अतः मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं। तथापि मैं उनके विचारों से सहमत हूं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, विषय उर्वरकों से सम्बन्धित है। शायद प्रशासन की गलती से यह मामला अन्य मंत्रालय को भेजने के बजाय कृषि मंत्रालय को भेज दिया गया है।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं कृषि मंत्री हूं, जैसाकि आपको विदित है। उर्वरक का विषय अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। अतः मैं मामले में क्या कर सकता हूं? मैं सदस्य की सहायता करना चाहता हूं, लेकिन कर नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सम्बद्ध मंत्रालय को प्रश्न भेज सकते हैं।

डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी : कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार राजसहायता देती थी और समस्त भारत में इससे सम्बन्धित मामलों पर ध्यान देती थी।

मैं समझता हूं उस समय यह बिल्कुल उचित था और उत्पादकताओं के माध्यम से लाभ किसानों को प्रभावकारी ढंग से प्राप्त हो रहे थे। लेकिन अब पिछले दो वर्ष से प्रणाली में परिवर्तन आ गया है। अब प्रत्येक राज्य सरकार की मूल्य निर्धारित करने की विभिन्न नीति है इसके कारण इस मामले में बहुत अधिक समय लग रहा है तथा लालफीताशाही इस प्रकार चल रही है कि उत्पादक इस स्थिति में नहीं हैं कि वह किसानों को उचित समय पर उर्वरकों की सप्लाई कर सकें। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे लिये आज यह सम्भव है कि हम केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता के बारे में वही पुरानी प्रणाली अपनाये जिसके अन्तर्गत केवल केन्द्रीय सरकार ही राजसहायता वितरण के मामले में समस्त देश में निगरानी रखेगी।

श्री चतुरानन मिश्र : जहां तक राजसहायता का प्रश्न है, वह केवल यूरिया के लिये दी जाती है, अन्य मदों के लिये नहीं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं यह बात जानता हूं...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं दिन कि यूरिया का विषय मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं है। लेकिन प्रश्न मेरे मंत्रालय को सम्बोधित किया गया है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। अन्यथा इसका सम्बन्ध अन्य मंत्रालय से है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यूरिया से बच गये।

श्री चतुरानन मिश्र : यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें आंकड़े दे सकता हूं। लेकिन यह विषय मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है।

डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार दो वर्ष पहले वाली वितरण प्रणाली को पुनः अपनायेगी।

श्री चतुरानन मिश्र : ऐसा इसलिये हुआ कि आपकी सरकार ने मेरी सहमति के बिना उदारवादी नीति अपनाई।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : जब इनको इस बारे में पता नहीं तो यह क्यों खड़े हो गये हैं?...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : पहले आप हमारी दोनों बातों को सुन लीजिये। यूरिया हमारे अंडर नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको प्राइस वगैरह सब दे सकते हैं।...**(व्यवधान)**

श्री छत्रपाल सिंह : जब आप यूरिया के बारे में नहीं बता सकते तो आप क्यों खड़े हो गये?...**(व्यवधान)** महोदय, कनसरनिंग मिनिस्टर को खड़ा होना चाहिये था।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं मूल्यों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न केन्द्रीय सरकार की उर्वरकों पर राजसहायता को समस्त देश में वितरण की दो वर्ष पूर्व एक नीति थी सम्बन्धित सम्बन्द्ध मंत्री को खड़ा होकर मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न उर्वरकों पर राजसहायता से सम्बन्धित है।

डा.टी. सुब्बारामी रेड्डी : मैं उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता के बारे में पूछ रही हूं। केन्द्रीय सरकार ने दो वर्ष पूर्व

भिन्न नीति अपनाई थी वह समस्त देश में राजसहायता के वितरण पर निगरानी रखती थी।

श्री चतुरानन मिश्र : अब ऐसा करना सम्भव नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि राजसहायता केवल यूरिया के लिये ही है। जहां तक डी.ए.पी. का सम्बन्ध है, इसका विनियंत्रण कर दिया गया है। हम कुछ रियायतें दे रहे हैं। हमने हाल ही में यह घोषणा की है कि रियायत डी.ए.पी. और अन्य मदों पर दी जाती है। यह राजसहायता नहीं है। सामान्यता इसे राजसहायता कहा जाता है। आंकड़े दिये गये हैं। मुझे उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना अनुपूरक प्रश्न पहले ही पूछ चुके हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : मान्य मंत्री अलग ही बात कह रहे हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह प्रश्न कृषि विभाग से सम्बन्धित नहीं है...**(व्यवधान)** यह जिस विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है उनको इसका उतर देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न इससे सबंधित है लेकिन यह जो पूछ रहे हैं वह इससे संबंधित नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश में हरित क्रांति लाने के लिए उर्वरकों का बहुत भारी योगदान रहा है। सरकार उन उर्वरकों को राज सहायता प्रदान करती है, चाहे डीएपी, एमओपी या एसएसपी आदि हो। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं सरकार की अब तक की पालिसी रही है कि जो यूरिया उत्पादन करने वाले हैं उन उत्पादकों को ही या जो सहकारी समितियां हैं उनको ही राज सहायता प्रदान की जाती है अथवा जो सहकारी समितियों के माध्यम से बेचे जाने वाले उर्वरक हैं उनको वह राज सहायता प्रदान करती है? क्या इस राज सहायता का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए वह खुले बाजार में निजी व्यावसायियों से जाकर खरीदते हैं, क्या किसानों को वह लाभ मिल सकेगा जो निजी व्यावसायियों से डीएपी या दूसरे उर्वरक वगैरह खरीदते हैं।

वे इस लाभ से लाभान्वित होंगे, अन्यथा जितनी भी राज सहायता प्रदान की जाती है उसका लाभ या तो बड़े किसान उठा लेते हैं अथवा यूरिया उत्पादक, मैन्यूफैक्चर्रस प्राइस उनको प्राप्त हो जाता है। सहकारी समितियों के ऊपर बड़े-बड़े कुलक किसानों का कब्जा है, इस स्थिति में सीमांत किसान, लघु जोत वाले किसान जिनको पता नहीं होता कि यूरिया कहां मिलेगा, वे खुले बाजार से खाद खरीदना चाहते हैं तो क्या आप निजी व्यावसायियों को भी राज सहायता का लाभ देंगे जिससे किसानों को उसका लाभ पहुंच सके और किसान लाभान्वित हो सके।

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक हम केवल राज्य सरकारों और कोओपरेटिव्ज को ही सीधे देते हैं। निजी व्यवसायियों को हम नहीं देते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकारों को इन्होंने लिखा है, राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आपका उद्देश्य तो किसानों को लाभ पहुंचाना है ताकि आम किसान को खाद सरलता से पहुंचे और वह खरीद सकें। सहकारी समितियों के माध्यम से वह लेता है, तो क्या यह राज्य सरकार की नीति है। लेकिन अगर वह निजी व्यवसायियों से लेता है तो इसके बारे में केन्द्र सरकार कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश दें।

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने स्पष्ट बताया है कि हमारा अभी तक का जो सिस्टम है वह यह है कि हम केवल राज्य सरकारों और कोओपरेटिव्ज को ही देते हैं, निजी लोगों को केन्द्र से देना संभव नहीं है। इसलिए राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है। हम जब राज्य सरकारों को दे देते हैं तो वह अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह का कॉस्ट, दूसरे खर्चे जोड़कर देती है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो हमारे पास जो लेटैस्ट आंकड़े हैं हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन पढ़ने में समय लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में दीजिएगा।

प्रो. रासा सिंह रावत : केन्द्र सरकार निर्देश तो दे सकती है।

श्री चतुरानन मिश्र : निर्देश हम किसको दें?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावतः राज्य सरकारों को, किसानों को लाभ देने के लिए।

श्री चतुरानन मिश्र : हमारी नीति यह नहीं है कि कोओपरेटिव्ज की उपेक्षा करके निजी लोगों को दें। यह हम नहीं कर सकते हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत : लेकिन मान्यवर, उर्वरक समय पर पहुंचता ही नहीं है। जब किसान को आवश्यकता होती है तब मिलता ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, बस कीजिए, आपका प्रश्न हो गया।

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं मिलता है तो आप हमारे ध्यान में लाइयेगा, हम राज्य सरकार को कह सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : कुछ एस.एस.पी. इकाइयां हैं जिन्हें राजसहायता उपलब्ध न होने के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक शारदा उर्वरक नामक इकाई मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है जो तीन करोड़ रुपये की राजसहायता न मिलने के कारण बन्द हो गई है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह देश में सभी एस.एस.पी. इकाइयों, विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित शारदा

उर्वरक एकक, की बकाया राजसहायता के भुगतान के लिये कार्यवाही करेंगे। इस इकाई के बन्द हो जाने के कारण किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें उर्वरक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे अथवा एस.एस.पी. एककों की बकाया राजसहायता का भुगतान करने का आदेश देंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : इस विशेष फैक्टरी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि इस बारे में मुझे जानकारी दी जाती है तो निश्चित रूप से इस समस्या के समाधान के लिये माननीय सदस्य की सहायता कर सकता हूं। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि मैं भुगतान करा पाऊंगा। यदि बकाया राशि उचित है, मैं उसका भुगतान करवाऊंगा। अन्यथा मैं इसका भुगतान नहीं करा पाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या आप इस मामले में एफ.आई.सी.सी. से बातचीत करेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र : यह मेरा विषय नहीं है। आप सम्बद्ध मंत्री को लिख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : किसानों को कठिनाई हो रही है। यह आपकी जिम्मेदवारी है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,...**(व्यवधान)** मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 वर्षों से यूरिया की भारी कमी है जिसके कारण किसानों को यूरिया नहीं मिला है। दूसरी बात यह है कि दोहरी पॉलिसी यूरिया के मामले में है। एक तो सहकारी समितियां किसानों को अलग रेट पर यूरिया देती हैं और प्राइवेट डीलर से अगर वह खरीदता है तो उसे ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। इसलिए उसने प्राइवेट डीलर से खरीदना बंद कर दिया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भयंकर यूरिया संकट पैदा हो गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी दूर करने के लिए वे क्या उठाने जा रहे हैं। दूसरा, जो उर्वरकों पर राज सहायता दी जाती है उसमें मध्यप्रदेश को काफी कम दी गयी है। राज्य सरकारों को यह सहायता देने का क्या आधार है, मंत्री जी कृपया बताएं।

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, हम किसी राज्य को कम या ज्यादा करके मदद नहीं देते हैं। जिस राज्य की खेती जितनी उन्नत होती है, वह उतनी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए उस राज्य को उतनी ज्यादा यूरिया मिल जाती है। चूंकि पंजाब और मध्य प्रदेश में खेती उन्नत है और वे इसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं।

श्री शिवराज सिंह : मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी क्यों रहती है।

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सही कहा कि यूरिया का उत्पादन जो भारत में होता है और विदेश से जो यूरिया मंगाते हैं, उसके मुकाबले में भारतीय यूरिया 3624 रुपये प्रति-टन सस्ती होती है लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहां इसका उत्पादन उतना नहीं है कि हम पूरी मांग की पूर्ति कर सकें। यह बात सही है कि यहां कुछ यूरिया के कारखाने बीमार पड़े हुए हैं। इसकी जो कमी रह जाती है, उसको विदेश से मंगाकर पूरा करते हैं। मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि यह मेरे मंत्रालय का विषय नहीं है।

मध्य प्रदेश का जहां तक सम्बन्ध है, मेरी सूचना के मुताबिक वहां यूरिया की कमी नहीं है। अगर माननीय सदस्य किसी खास एरिया के बारे में बताएंगे तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : महोदय, मध्य प्रदेश में डी.ए.पी. खाद बिल्कुल नहीं मिल रही है। सरकार ने किसानों की डिमांड्स नोट कर ली लेकिन पिछले वर्ष भी देने से इन्कार कर दिया। किसानों ने पैसा भी जमा कराया लेकिन उन्हें फिर भी खाद नहीं मिल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में आप मंत्री जी को अलग से लिख दीजिए।

[अनुवाद]

श्री चतुरानन मिश्र : आप मुझे लिखित में दें। मैं कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उपाध्यक्ष महोदय, खाद के लिए मिनिस्ट्री अलग है, लेकिन खाद इस्तेमाल करने वाली मिनिस्ट्री तो इनके पास है। मैं ऐसा समझता हूं कि उसकी सारी जानकारी इनको होनी भी चाहिए। अभी यूरिया का मौसम है क्यों कि धान की फसल बो दी गई है और कई जगह बोई जा रही है। इसलिए यूरिया की जरूरत है। 133 करोड़ रुपया इसके लिए गया लेकिन यूरिया नहीं पहुंचा। आपने कहा कि पंजाब में यूरिया की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमारे यहां दो कारखाने हैं- एक नंगल में और एक भटिंडा में। दोनों कारखाने बंद होने के किनारे पर हैं। वहां के एम्पलाइज हम से मिले थे। दोनों फैक्ट्रियों के सात हजार के करीब कर्मचारी हैं। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही है। उनको कैपिटल नहीं मिल रहा है। मैंने इसके बारे में पता भी किया था। जब से 133 करोड़ रुपयों का घोटला हुआ है उन्हें अब पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए वे कारखाने बंद हो जाएंगे। पंजाब में यूरिया के न बनने से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए थोड़ा उस तरफ ध्यान देना चाहिए एन.एफ.एल. की नंगल में फैक्ट्री और भटिंडा फैक्ट्री जो बंद होने के किनारे पर है, उसको बंद होने से रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यूरिया के कई कारखाने सिक पड़े हुए हैं। इनको यथाशीघ्र मॉडर्नाइज करना चाहिए। मैंने इसके लिए योजना आयोग को लिखा था कि जब हम प्रति वर्ष विदेशों को दो हजार करोड़ से ज्यादा का दाम देते हैं, वैसी स्थिति में हम उस रुपए को बीमार कारखाने पर लगाकर और माडर्नाइज कर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। यह सुझाव

योजना आयोग के समक्ष हमने रख दिया है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह भी इसके लिए कोशिश करें।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : माननीय सदस्य को शायद ध्यान नहीं है कि पंजाब में ये दो कारखाने बीमार कारखाने नहीं हैं। ये बढ़िया काम करने वाले दो कारखाने हैं। इसलिये मैं विनती कर रहा था कि ऐसा न हो कि ये दो बढ़िया कारखाने जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडयूस कर रहे हैं और इनको एवार्ड भी मिले हुए हैं, ये कहीं बंद न हो जाएं। इनके बंद हो जाने से देश को बहुत नुकसान होगा।

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है और मैंने सहमति भी प्रकट की है। हमने इसे भेज दिया है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह सैंटर में खड़े हैं, लैफ्ट या राइट में नहीं खड़े हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये इस तरह की बात कहने का फायदा नहीं है। प्रश्न सैंटर से पूछा गया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त : उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने जो बयान सदन के सामने दिया है उसमें देश के अंदर जो केन्द्र शासित इलाका है, जो यूनियन टैरीटरीज हैं, उनके साथ काफी ज्यादती हुई है, क्योंकि जो आंकड़े आपने यहां दिये हैं उसमें 1993-94 में 1.24 की फिगर है जो आपने अंडमान निकोबार के लिए रिलीज किया है। उसके बाद सारी जगह खाली है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अंडमान निकोबार के किसान हैं उनको फर्टीलाइजर में सब्सिडी मिलने का हक नहीं है या ऐसा होगा कि जो दूर-दराज के इलाके हैं, केन्द्र शासित प्रदेश हैं, वे देश के हिस्से में हैं या नहीं यह मंत्री जी को पता नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो खाद में सब्सिडी देने की बात है उसके लिए जो केन्द्र शासित इलाका है, दूर-दराज का इलाका है जैसे अंडमान-निकोबार द्वीप है उसके लिए विशेष व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। ताकि जो उधर के किसान हैं उनको भी यह सुविधा मिल सके।

श्री चतुरानन मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, वह जो सामने डॉट-डॉट लिखा हुआ है इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। वहां से सूचना नहीं आई है।

श्री मनोरंजन भक्त : यह सूचना कौन लायेगा। आप लायेंगे या हम लायेंगे?

श्री चतुरानन मिश्र : दोनों को ही देनी है। आपको लेनी है और हमको देनी है। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर वहां कुछ नहीं पहुंच रहा है तो इसके लिए हम यथाशीघ्र कोशिश करेंगे...**(व्यवधान)**

श्री लालमुनी चौबे : अभी इस पर बात पूरी नहीं हुई है। यह फर्टिलाइजर का मामला है और इसकी किसानों को जरूरत है।... **(व्यवधान)** यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या मंत्री महोदय... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी इस पर इंटरेस्टिड हैं। किसानों से संबंधित है यदि इस पर आधा घंटे की चर्चा हो जाए तो ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

श्री लालमुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब चाहिए। इनको पूरा बताना चाहिए कि हमने यह व्यवस्था विभिन्न राज्यों के लिए की है। सरकार चाहती है इसलिए इन राज्यों में बंटवारा कैसे हो और किसान को कहां से फर्टिलाइजर मिले, यह व्यवस्था सरकार को करनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब जानकारी आधा घंटे की चर्चा में हो जाएगी। टाइम आधा घंटे से भी ज्यादा लग जाता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिये इस प्रश्न को 25 मिनट हो गये हैं। आप सुनेंगे कि नहीं, कृपया बैठ जाइये।

[अनुवाद]

क्या इसका कोई अन्त है? मैं पहले ही अगला प्रश्न ले चुका हूं।

[हिन्दी]

इस प्रश्न को 25 मिनट हो चुके हैं, कोई मोशन ले आइये, आधा घंटे को डिसकशन ले आइये। क्या एक ही प्रश्न एक घंटे तक डिसकस होगा? ...**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : जिन जिन इलाकों में नहीं मिल रहा है, अगर आप हमें लिखित रूप में देंगे तो हम उसकी जांच करवा लेंगे. ..**(व्यवधान)** आप इलाकों के नाम हमें बताईए, जहां नहीं मिल रहा है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो प्रश्न प्रछना चाहे, पूछने दीजिए, आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

मैंने दूसरे प्रश्न को ले लिया है।

[अनुवाद]

कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र

+

*182. श्री पंकज चौधरी :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की जोनवार संख्या कितनी हैं;

(ख) सरकार द्वारा 1996-97 के दौरान किन-किन स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन स्टेशनों पर नये कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों को खोलने पर कितनी लागत आने का अनुमान है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 275 (1996-97 की वार्षिक योजना के 2 केन्द्रों सहित)। क्षेत्रवार सूचना नीचे दी गई है :—

उत्तर रेलवे	52
दक्षिण रेलवे	44
दक्षिण मध्य रेलवे	42
मध्य रेलवे	34
पूर्व रेलवे	33
पश्चिम रेलवे	30
दक्षिण पूर्व रेलवे	16
पूर्वोत्तर रेलवे	15
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	9

(ख) वे स्थान (अर्थात् स्टेशन और सेटेलाइट स्थान), जहां 1996-97 की वार्षिक योजना में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया है, इस प्रकार हैं :—

स्टेशन

बीना	कुड्डापा
अहमदनगर	एलेप्पी
सागर	मैट्टुपालयम
वर्धा	नागरकोइल
बर्द्धमान	कन्याकुमारी
लाल कुआं	शेनकोट्टा
दरभंगा	मऊ
इज्जतनगर	वेरावल
नैनीताल	वलसाड
सोनपुर	सोनपुर
हाजीपुर	नवसारी
मोदीनगर	नाडियाड
पानीपत	

सैटेलाइट स्थान

अजनी (नागपुर का सैटेलाइट स्थान)

इतवारी (नागपुर का सैटेलाइट स्थान)

वाराणसी सिटी (वाराणसी का सैटेलाइट स्थान)

इलाहाबाद सिटी (इलाहाबाद का सैटेलाइट स्थान)

लखनऊ सिटी स्टेशन (लखनऊ का सैटेलाइट स्थान)

चारबाग (आलमबाद का सैटेलाइट स्थान)

शकूरबस्ती (नई दिल्ली का सैटेलाइट स्थान)

गुड़गांव (नई दिल्ली का सैटेलाइट स्थान)

लाजपत नगर (नई दिल्ली का सैटेलाइट स्थान)

सराय रोहिल्ला (नई दिल्ली का सैटेलाइट स्थान)

टूरिस्ट ब्यूरो जोधपुर (जोधपुर का सैटेलाइट स्थान)

महामंदिर जोधपुर (जोधपुर का सैटेलाइट स्थान)

एम.वी.पी. कालोनी (विशाखापत्तनम का सैटेलाइट स्थान)

गजुवाका (विशाखापत्तनम का सैटेलाइट स्थान)

बोकारो स्टील सिटी (सिटी बुकिंग कार्यालय)

सेंट थामस माउंट (मद्रास का सैटेलाइट स्थान)

लज कार्नर (मद्रास का सैटेलाइट स्थान)

चिंतादरीपेट एम आर टी एस (मद्रास का सैटेलाइट स्थान)

कोयम्बतूर सिटी (कोयम्बतूर का सैटेलाइट स्थान)

मदुरै सिटी (कोयम्बतूर का सैटेलाइट स्थान)

बांद्रा (मुंबई का सैटेलाइट स्थान)

व सई रोड (मुंबई का सैटेलाइट स्थान)

विरार (मुंबई का सैटेलाइट स्थान)

घाटकोपर (मुंबई का सैटेलाइट स्थान)

पटना सहिब (पटना का सैटेलाइट स्थान)

राजेन्द्र नगर (पटना का सैटेलाइट स्थान)

(राज्यों की ऐसी राजधानियों जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ी हैं)

अगरतल्ला

कोहिमा

(ग) 1996-97 की वार्षिक योजना में शामिल किए गए स्थानों के लिए 7.94 करोड़ रुपए।

[हिन्दी]

श्री पंकज चौधरी : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आरक्षण केन्द्रों पर भीड़ को समाप्त करने के लिये तथा देश के किसी भी भाग से, किसी भी ट्रेन में या किसी भी जगह से आरक्षण कराने की कोई व्यवस्था की है? यदि कोई व्यवस्था की गई है तो कौन-कौन से प्रमुख स्टेशन उसमें सम्मिलित किए गए हैं?

श्री सतपाल महाराज : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने आरक्षण के कार्य को कम्प्यूटर से कराने की व्यवस्था की है और कम्प्यूटर के जरिए पूरे देश को जोड़ा है। इसके माध्यम से सुविधाएं सामान्य यात्रियों को दी गई है।

श्री पंकज चौधरी : मैंने पूछा था कि कम्प्यूटर से सभी स्टेशनों को जोड़ा तो गया है लेकिन किसी भी स्टेशन से, देश के किसी भी भाग के लिये, किसी भी ट्रेन में आरक्षण की व्यवस्था बहुत सी जगहों पर उपलब्ध नहीं है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न हैं कि मंत्री महोदय ने कितने मुख्यालयों को कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र के जरिए जोड़ने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर स्थित नौतलवा और सिद्धार्थनगर जिलों में, जहां हजारों की संख्या में विदेशी बौद्ध पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, क्या आरक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था की गई है?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, जिन-जिन रेलवे स्टेशनों, ओर जो रेलवे स्टेशन भी नहीं हैं लेकिन जहां कम्प्यूटर से आरक्षण का काम चल रहा है, उसकी जानकारी प्रश्न के उत्तर में दी गई है। इसके अलावा 1996-97 में 53 नई जगहों पर, जिनमें 25 स्टेशन हैं, 26 सैटेलाइट स्थान है और 2 नॉन-रेलवे हैडक्वार्टर्स भी हैं, कम्प्यूटर लगाने की हमारी योजना है। अभी रिजर्वेशन का काम कम्प्यूटर के द्वारा 92 प्रतिशत कवर कर लिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य ने नैटवर्क बिछाने से संबंधित सवाल किया है जिससे किसी एक ही स्थान से हम पूरे देश के किसी भी एक अन्य स्थान के लिये रिजर्वेशन करा सकते हैं और यदि रद्द करना हो तो आरक्षण को रद्द भी करा सकते हैं, इस संबंध में अभी हम प्रगति कर रहे हैं।

जहां तक पी.आर.एस. यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए पूरे देश को जोड़ने की हमारी योजना है, वह बाद में ली जाएगी लेकिन अभी तक लोकल आधार पर 92 परसेंट तक रिजर्वेशन का कार्य हमने कवर कर लिया है।

श्री पंकज चौधरी : मैंने पूछा था कि नौतलवा स्टेशन, जो नेपाल की सीमा पर स्थित है, जहां बड़ी लाईन करने की मांग सालों से चली आ रही है, अभी तक बड़ी लाईन तो नहीं हुई, क्या रेल मंत्री जी बतायेंगे कि वहां कम्प्यूटर के जरिए आरक्षण की व्यवस्था करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम विलास पासवान : कम्प्यूटर के जरिए जहां आरक्षण करने की व्यवस्था की जाती है, उसके लिये कुछ नौर्म्स हैं और वे नौर्म्स यह हैं कि वहां कुल मिलाकर 300 रिजर्वेशन या कैन्सिलेशन होना आवश्यक है। यदि 300 के दायरे के अंतर्गत कोई स्टेशन आता है तो वहां निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करा दी जाती है।

श्री पंकज चौधरी : नौतलवा में यह व्यवस्था है या नहीं है?

श्री राम विलास पासवान : यह 300 के नौर्म को वह पूरा करता है तो वहां व्यवस्था करा दी जाएगी। जिस जगह की जानकारी आप चाहते हैं, वह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन हमने जो क्राइटेरिया बनाया है, यदि 300 रिजर्वेशन या कैंसिलेशन के क्राइटेरिया को वह स्टेशन कवर करता है तो वहां कम्प्यूटर से आरक्षण की व्यवस्था करा दी जाएगी। यदि उस क्राइटेरिया में वह आ गया होगा तो वहां व्यवस्था करा दी गई होगी।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप उत्तर को देखें तो आपको पता लगेगा कि उत्तर सीमान्त रेलवे के मामले में उपेक्षा की गई है।

यहां तक की कम्प्यूटीकरण के मामले में भी नौ की संख्या दी गई है। उत्तर सीमान्त रेलवे का न भूत था न वर्तमान है और न ही भविष्य हैं। माननीय मंत्री ने अभी सदन को बताया है कि कम्प्यूटीकरण के लिये कम से कम 300 टिकटों का रिजर्वेशन अथवा रद्द किये जाने का मानदण्ड है। न्यू जलपाईगुडी उत्तर सीमान्त रेलवे जोन का सबसे भीड़-भाड़ वाला स्टेशन है। लेकिन इस रेलवे स्टेशन की क्या स्थिति है? हमने न्यू जलापाईगुडी के लिये कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र का अनुरोध किया है। यह कहा गया हैं कि इसकी स्थापना 'सैटेलाइट टाऊन' में की जायेगी। इसकी स्थापना सिलीगुड़ी में की गई, जो 'सैटेलाइट टाऊन' है और न्यूजलपाईगुड़ी से दस किलोमीटर दूर है। वास्तव में आप उस समय रेल मंत्री नहीं थे। लेकिन जब हमने कूच बिहार में, जो सैटेलाइट टाऊन है, कम्प्यूटीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने का अनुरोध किया तो इसकी स्थापना न्यू कूच बिहार में की गई। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से स्पष्ट मानदण्ड और कसौटी जानना चाहूंगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में कोई दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो क्या ऐसा करना केवल रेलवे प्राधिकरण की इच्छा पर निर्भर करता है। मैं यह जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, जहां रेलवे मिनिस्ट्री ने एक नोर्म्स बनाया है वही नौर्थ-ईस्ट में हमने ढिलाई देने का काम किया है। जैसा कि माननीय सदस्य का मालूम होगा कि शिलोंग, पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर, पणजी में कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा गंगटोक, ईटानगर, आइजोल, इम्फाल में हम वह सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपने जो न्यू-कोच बिहार के संबंध में कहा...**(व्यवधान)** फिर भी जो कूचबिहार के संबंध में आपने कहा...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने न्यू जलपाईगुड़ी के लिये कम्प्यूटीकृत आरक्षण केन्द्र की स्थापना

सिलीगड़ी में कब की गई। उन्होंने कूच बिहार के लिये कम्प्यूटीकृत आरक्षण केन्द्र की स्थापना के लिये कब अनुरोध किया और कब इसकी स्थापना न्यू कूच बिहार में की गई। इस सम्बन्ध में भेदभाव के क्या कारण हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : आपका पहले भी प्रश्न आया था, उस संबंध में मैंने जांच की है और मैंने पता भी लगाने का काम किया है। असल में दोनों में दूरी अधिक नहीं है। एक जगह पर शायद 69 रिजर्वेशन होते हैं और दूसरी जगह जहां अधिक आरक्षण हो रहे थे वहां आलरेडी कर दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कूचबिहार, कूचबिहार इनकी डिस्टेंस एक ही है।

श्री रामविलास पासवान : वही तो हमने कहा है। हमने कहा है कि न्यू कूचबिहार ओर कूचबिहार दोनों अगल-बगल में है ...**(व्यवधान)** मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह नियम है लेकिन नियम कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यह यात्रियों की सुविधा के लिए है। अगर इसमें संशोधन करने की आवश्यकता हुई तो करेंगे तथा अधिक से अधिक जगहों पर लगाऐंगे।

डा. सत्यनारायण जटिया : उपाध्यक्ष जी, इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि कंप्यूटर से आरक्षण के माध्यम से हम लोगों को अधिक से अधिक सुविधाजनक सेवा देना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की सेवाओं से रेलों में यात्रा करने वाले लोगों को काफी सुविधा मिली है। लेकिन इस आरक्षण के कारण रोड-साइड कोटा है उसको समाप्त करके जहां कंप्यूटर पर आरक्षण करने की सुविधा है वहां पर कंप्यूटर से आरक्षण दिए जाने के कारण बाकी के रास्तों से यात्रा करने वाले लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी हालत में जब तक ऐसे कंप्यूटर सेंटर हैं उनसे सब टर्मिनल जुड़ नहीं जाते तब तक के लिए कृपा करके बाकी के जो रोड-साइड स्टेशन कोटा है उसको यथावत आरक्षण की सुविधा जारी रहनी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह पूछना चाहता हूं कि उज्जैन में इस प्रकार की सुविधा आपने दी है लेकिन उसको केवल मुम्बई टर्मिनल से जोड़ा है। उसको अभी दिल्ली से नहीं जोड़ा है। कृपा करके आप उज्जैन को यह सुविधा दिलाएं। साथ ही नीमच और मंदसौर, जो प्रमुख स्टेशन है उनको भी यह सुविधा दिलाने का प्रयास करे। जैसा आपने बताया है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है तथा आप सुविधा देने की ओर ध्यान रखते हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है, हम यह जानना चाहते हैं।

श्री रामविलास पासवान : पहला सुझाव है उसको हम देखेंगे। दूसरा आपने जो कहा है, मांग रखी है उस पर भी हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस. बंगरप्पा : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1996-97 के लिये प्रस्तावित योजना आबंटन 7,94,00,000 रुपये का है। अतः वर्ष 1996-97 के लिये लगभग 8 करोड़ का आबंटन किया गया है। मेरे विचार से यह बहुत कम राशि है और सब रेलवे जोनो अर्थात दक्षिण जोन, सेन्ट्रल जोन, पूर्वोत्तर जोन आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वह हमें बतायें कि क्या वर्ष 1996-97 की योजना के लिये आबंटित राशि को आठ करोड़ से कुछ और अधिक करोड़ रुपये बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, जिससे देश की सभी रेलवे जोनों की मांगों को पूरा किया जा सके।

दूसरा प्रश्न यह है। मैं कर्नाटक से चुनकर आया हूं। यहां अनेक और ऐसे सदस्य उपस्थित हैं जो दक्षिण रेलवे के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों से आये हैं। क्या उक्त जोनल रेलवे में, जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र शिमोगा भी शामिल है, कुछ और कम्प्यूटीरीकृत आरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये और अधिक राशि स्वीकृत करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, मैंने कहा जहां अभी रिजर्वेशन का सवाल है, 92 प्रतिशत रिजर्वेशन को हम कम्प्यूटर सिस्टम से कवर कर रहे हैं। जहां तक रिसोर्सेस का सवाल है, आप जानते हैं कि रेलवे के पास रिसोर्सेस का हमेशा से अभाव रहा है जिसके कारण चाहे नई रेलवे लाइन बिछाने का सवाल है, चाहे गेज परिवर्तन का, रिसोर्सेस की कमी के कारण बहुत सोचना पड़ता है। इस पर पहले बहुत कास्ट आ रही थी, लेकिन अब कम कास्ट आ रही है। हमारी योजना है कि हम हर जगह को नैटवर्क से जोड़ने का काम करे और इस पर हमारी कोशिश चल रही है।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : दक्षिण मध्य रेलवे ने अनेक बार इस बात की घोषणा की कि वह विजयवाड़ा सिटी के बीचोंबीच बेंज में एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की स्थापना करेगा। यहां तक कि जब मैं जनरल मैनेजर से मिला तो उन्होंने बताया कि वहां एक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है और वे भवन की खोज कर रहे हैं। लेकिन मंत्री महोदय के वक्तव्य में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या यह चूक है अथवा क्या इस विषय पर पुनः विचार किया जा रहा है अथवा क्या दक्षिण मध्य रेलवे ने इस मामले में रेलवे बोर्ड से आगे कार्यवाही न कर, घोषणाएं कर पुनः गैर जिम्मेदारी का कार्य किया है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने मेरे पास स्लिप भेजी है, उसके बारे में मैंने जांच करवाई है, उसके मुताबिक तो कहीं भी, उसका नाम नहीं है, लेकिन हम इसकी और जांच करवायेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : इस बारे में एक से अधिक बार घोषणा की जा चुकी है। मेरे पास प्रेस कतरने हैं। मैं जनरल मैनेजर से निजी रूप से

मिला था। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और समाचार पत्रों में भी इस बारे में समाचार प्रकाशित हुए हैं। यदि जनरल मैनेजर इस बात की घोषणा बिना किसी अधिकार के की है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये...**(व्यवधान)** महोदय, माननीय मंत्री इस बात का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं...**(व्यवधान)** वे मैंने जो कहा है उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या माननीय मंत्री इस जनरल मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे जिसने गैर-जिम्मेवार वक्तव्य दिया है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी कहा, अखबार में क्या घोषणा की गई है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक रिकार्ड का सवाल है, रिकार्ड में इस तरह की कोई चीज नहीं है। फिर भी जो माननीय सदस्य ने कहा है, मैं स्वयं उसको देखूंगा और यदि वहां जरूरत है, तो हम इसको वहां लगवाने का काम भी करेंगे।

श्री हरिन पाठक : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात प्रदेश पूरा का पूरा पश्चिम रेलवे के अंदर आता है और पूरा प्रान्त औद्योगिक प्रान्त है। यह पूरे देश के व्यापार और उद्योग जगत से जुड़ा हुआ है जिसके कारण पूरे देश से लोगों का आना-जाना बना रहता है। माननीय मंत्री महोदय ने अपने प्रत्युत्तर में अभी बताया है कि पश्चिम रेलवे में सिर्फ 30 सेंटर ही हैं जो कम्प्यूटरराइज रिजर्वेशन सेंटर हैं। अभी भी वहां पर 12-13 और कम्प्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर्स की मांग की गई है। आपने 1996-97 में खोले जाने वाले केन्द्रों की संख्या 52 बताई है। उसमें से गुजरात में एक भी सेंटर नहीं खोला जाना है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि साबरमती और उत्तर गुजरात के जिन केन्द्रों की मांग आ रही है, क्या वहां पर कम्प्यूटराइज रिजर्वेशन सेंटर्स खोलने के लिए प्राथमिकता देंगे?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, जो कम्प्यूटरीकरण द्वारा आरक्षण का मामला है उसमें हम किसी के प्रति फेवर नहीं करते हैं। पैसेंजर पैसा देता है और टिकट लेता है और हमारी स्वयं की यह मान्यता और राय है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। हम तो यह भी कहते हैं कि मैट्रोपोलिटन सिटी एरिया में भी हम कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण की सुविधा देने के लिए तैयार हैं।

माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके बारे में मैंने कहा है कि मिनिस्ट्री का जो क्राईटेरिया ले डाउन किया है, उसके अंतर्गत जो जगह आयी है, उनके नाम दिये गये है। इसके अलावा हम मानते हैं कि उसमें थोड़ा बहुत करने की जरूरत होगी और माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से यदि अत्यावश्यक है तो हम उस पर विचार कर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : मेरे सहयोगी श्री अमर राय प्रधान ने पूर्वोत्तर रेलवे का मामला उचित ही उठाया है। माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में उल्लेख किया है कि पंजिम, श्रीनगर और अन्य स्थानों पर उन्होंने कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों की व्यवस्था कर दी है।

इस समय कश्मीर में स्थानीय समस्या होने के कारण सबसे अधिक पर्यटक दार्जिलिंग जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक कनचनचंगा पहाड़ियों से हिमालय की चोटी को देखने यहां आत हैं। श्री सुभाष रिशिंग गत अनेक वर्षों से लगातार दार्जिलिंग में कम के कम कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की सुविधा प्रदान आरक्षण केन्द्र की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध करते रहे हैं जिससे पर्यटकों को सुविधा हो सके। लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रति वफादारी का परिचय दिया है और वे शान्त रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री इस साधारण मांग पर विचार करेंगे और पर्यटकों की सुविधा के लिये दार्जिलिंग में एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र की व्यवस्था करेंगे। अन्यथा समस्या यह है कि पर्यटकों को नीचे आना पड़ेगा और खिलौना गाड़ी (टॉय ट्रेन) का उपयोग किये बिना भारी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। वे आरक्षण के लिये सिलीगुड़ी और न्यूजलपाईगुड़ी जाते हैं जहां अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है।

इस समय दार्जिलिंग भारत का महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र है। आप इस मामले पर प्राथमिकता के आधार पर विचार क्यों नहीं करते? आपका विभाग इसकी उपेक्षा क्यों कर रहा है और इस पर पर्यटक केन्द्र के रूप में विचार नहीं कर रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : अतः, मैं रेलवे मंत्री से जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पसवान : हम इस पर विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने इस पर कन्सीडर करने के लिये कहा है तो हम उसे निश्चित रूप से कन्सीडर करेंगे। एक जवाब देख रहा था। माननीय सदस्य ने गुजरात के सम्बन्ध में कहा है।

श्री हरिन पाठक : यह साउथ गुजरात के बारे में हैं।

श्री रामविलास पासवान : ठीक है।

[अनुवाद]

श्री तिरूची शिवा : महोदय, मुझे यह जानकर दुख होता है कि अभी तक जिला मुख्यालयों में भी अग्रिम कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका एक उदाहरण मेरा निर्वाचन क्षेत्र पुड्क्कोट्टई है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या कम से कम जिला मुख्यालयों में समुचित समय में अग्रिम कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था आरम्भ करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, रेलवे का जो मामला है। वह न तो डिस्ट्रिक्ट को देखता है, न प्रांत को देखता है, वह स्टेशन को देखता है और स्टेशन की उपयोगिता के आधार पर हम सर्वेक्षण करते हैं। यदि उसमें आता है तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री रमेश चेन्नित्तला : उपाध्यक्ष जी, मदर कम्प्यूटर से पूरे देश के स्टेशनों को कनेक्ट कर सकते हैं। इससे कम पैसे में कम्प्यूटरीकरण हो सकता है। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि यदि आपके डिपार्टमेंट के जरिये मदर कम्प्यूटर को हर स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं तो आप उसके लिए प्रयास क्यों नहीं करते? दूसरा, कहीं भी कम्प्यूटरीकरण है वहां यदि कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसे ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। जो आरक्षण की सुविधा मिल रही है, उसमें बहुत कठिनाई आती है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या आप इसको ठीक कराने के लिए कुछ सोच विचार करेंगे तथा मदर कम्प्यूटर से पूरे देश के स्टेशनों को नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : आप उस सुझाव को दे दें। हम निश्चित रूप से उस पर जांच करायेंगे। यदि वह हमारे लिए लाभदायक होगा तो हम उस पर विचार भी करेंगे।

श्री ताराचन्द साहू : उपाध्यक्ष महोदय, भिलाई स्टील प्लांट हिन्दुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। हिन्दुस्तान के सारे कोनों के लोग भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं। वहां से प्रतिदिन उनका घर आना जाना होता रहता है। इतना ही नहीं भिलाई स्टील प्लांट हिन्दुस्तान की सरकार को करोड़ों रुपये की लागत का राजस्व भी अदा करता है। रेलवे का सबसे ज्यादा सप्लायर भी यही स्टील प्लांट है लेकिन वहां स्टेशन के नाम पर एक छोटा सा कमरा है, जो कि टूटा-फूटा व जीर्ण-शीर्ण की अवस्था में है। वहां आपकी कोई एक्सप्रेस गाड़ी भी नहीं रुकती है। इतना इम्पोर्टेंट स्थान होने के बावजूद वह बहुत उपेक्षित है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण स्थान का ध्यान रखते हुए क्या आप उस स्टेशन को डेवलप करने का विचार रखते हैं।

श्री राम विलास पासवान : यह कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण करने का सवाल है रेलवे के डैवलपमैंट और ब्यूटीफिकेशन का नहीं है। भिलाई बहुत ही इम्पौर्टेंट स्टेशन है, इसलिए यदि आप लिखकर दे दें तो मैं देख सकता हूं कि क्या करना है।...**(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर राय : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'क' भाग में रेलवे की जोन वाइज सूची दी गई है। गोरखपुर से लेकर पूरे उत्तर बिहार का इलका नेपाल से जुड़ा है जो पूर्वोत्तर रेलवे में पड़ता है। वह पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए वहां सबसे कम 15 का लक्ष्य रखा गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस पर पुनर्विचार करेंगे और पूर्वोत्तर रेलवे में वहां के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कम्प्यूटरीकरण के 15 के लक्ष्य को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे?

कम्प्यूटरीकरण में पारदर्शिता का अभाव है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे मुख्य स्टेशनों पर ट्रेनों के आने-जाने का समय कम्प्यूटर पर दिखाया जाता है, क्या उसी प्रकार आरक्षण के बारे में पारदर्शिता प्रदर्शित करने वाला कम्प्यूटर लगाने का प्रयास करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : पिछड़े हुए इलाके में विशेष सुविधा देने की सरकार की नीति है। जब हम रेलवे लाइन में सुविधा दे रहे हैं तो कम्प्यूटर बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके आरक्षण पर भी हम विशेष सुविधा देने पर विचार करेंगे। जहां तक कम्प्यूटर द्वारा आरक्षण. ..**(व्यवधान)** उस पर भी गंभीरतापूर्वक देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। कम्प्यूटर के आरक्षण में भी कुछ शिकायतें आती हैं। मैं जब रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से कुछ कहता हूं तो इसका मतलब है कि कुछ है। इसलिए उस शिकायत को भी हम दूर करने का प्रयास करते रहते हैं।..**(व्यवधान)**

श्री विजय गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली जैसे महानगर क्षेत्र में भी अभी तक सारे स्टेशनों पर कम्प्यूटराइज्ड सर्विस नहीं है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चमन लाल गुप्त को बुलाया है।

श्री चमन लाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जम्मू ऐसा स्टेशन है जहां सारे देश से चालीस लाख से ज्यादा यात्री प्रतिवर्ष आते हैं। वहां आर्मी का बहुत बड़ा सैन्टर हैं वहां पर आज तक जो व्यवस्था है, इसके अनुसार कम्प्यूटर के जरिए एक तरफा रिजर्वेशन कर सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां से रिटर्न जर्नी की रिजर्वेशन की व्यवस्था तुरन्त करवाने का प्रबंध करेंगे क्योंकि वहां पर जितने भी यात्री आते हैं, रिटर्न जर्नी का रिजर्वेशन संभव न होने के कारण उनको बहुत परेशानी होती है। इसलिए क्या आप इसकी तुरन्त व्यवस्था करने का प्रबंध करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : मैं देखूंगा कि क्या कर सकते हैं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक : उनके बजट भाषण से यह स्पष्ट होता है कि वे देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये चिन्तित हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे सम्बलपुर, जो उड़ीसा का बहुत बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, जिसका रेलवे डिवीजन भी है, पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार करेंगे?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उस पर मैं अभी एफरमेटिव रिप्लाई नहीं दे सकता...**(व्यवधान)** ऐश्योरेंस तो नहीं दे सकता लेकिन उस पर विचार करेंगे।

रेलवे द्वारा निजीकरण

***183. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कितने विभागों और कितने नगरों में निजीकरण शुरू किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या रेल मंत्रालय द्वारा झांसी मंडल को विभक्त कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नए मंडलों की परिचालन सीमाएं क्या हैं?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय रेलों ने अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी विभाग का निजीकरण नहीं किया है। बहरहाल, रेलों ने खान-पान, स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, बिस्तरों की सप्लाई, अमानती समान घरों का परिचालन, आदि अपने कुछ ऑफ-लाइन कार्य, जिनका सीधा संबंध गाड़ी परिचालन से नहीं है, निजी पार्टियों को दिए हैं। "मालडिब्बे के मालिक बनिए" योजना, चिन्हित सर्किटों पर पर्यटक गाड़ियां चलाना, "बिल्ड-ओन-लीज-ट्रांसफर" (बोल्ट) योजना के अंतर्गत रेल अवसंरचना की स्थापना करना कुछ अन्य योजनाएं हैं जो निजी क्षेत्र को दी गई है।

(ख) और (ग). झांसी मंडल सहित निकटवर्ती मंडलों में समायोजन करके, आगरा में एक नया मंडल बनाने की योजना है। इन मंडलों की नई परिचालनिक सीमाएं अभी तय की जानी हैं।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री महोदय ने जो उत्तर के भाग 'ख' और 'ग' में बताया है कि झांसी मंडल के निकटवर्ती मंडलों में समायोजन करके आगरा में नया मंडल बनाने की योजना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि झांसी मंडल के नये केन्द्र विभाजन की योजना है, तो क्या क्षेत्र के विकास को देखते हुए मंडल के विभाजन को रोका नहीं जा सकता? बिलासपुर मंडल के साथ इस प्रकार का व्यवहार हाल ही में किया गया है।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, यह जो मंडल बनाए जाते हैं, यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से और काम के दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं और यह समय-समय पर बनते रहते हैं। इसमें ये मत नहीं है कि झांसी हमारा सबसे पुराना और महत्वपूर्ण डिवीजन है। यह भी सही है कि झांसी में जो कार्य-कलाप है, वह बहुत ही अच्छे, लेकिन उसके बावजूद भी भौगोलिक दृष्टिकोण से और काम के दृष्टिकोण से उसका हमेशा री-आर्गेनाइजेशन होता रहा है और इस दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से और काम के दृष्टिकोण से इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस समय पर पिछली सरकार ने झांसी मंडल के डिवीजन की बातचीत की थी और इस प्रश्न को लेकर बिलासपुर और झांसी में लगातार दो महीने भयंकर आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था। माननीय मंत्री जी ने स्वयं पत्र लिखा हुआ है, क्योंकि, जो दल आज इनकी सरकार में सम्मिलित था। मेरा विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री, जो उस समय जनता दल के नेता थे, माननीय मंत्री जी ने पिछली सरकार के रेल मंत्री को पत्र लिखा था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या यहां पर खून-खराबा पुनः उपस्थित होने की बात सोची जा रही है? प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वह बुंदेलखंड के चार सांसदों को बुलाकर उनसे बातचीत करें। जिस प्रकार से बिलासपुर मंडल के विभाजन को स्थगित करने का निर्णय लिया है, क्या उसी प्रकार से माननीय मंत्री महोदय झांसी मंडल के विभाजन को भी स्थगित करने की कृपा करेंगे?

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, 1987 में भोपाल मंडल बनाया गया था और जनवरी, 1996 में आगरा डिवीजन बनाने का फैसला लिया गया था। जो सप्लीमेंटरी बजट है, उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। अब माननीय सदस्य सांसदों को बुलाकर बातचीत करने को कहते हैं तो मैं तो समझता हूं कि हमेशा हर स्टेट के सांसदों को बुलाने में...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : तब तक स्थगित करेंगे या नहीं करेंगे? जब तक अपने निर्णय को...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : इस सम्बन्ध में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं माननीय मंत्री जी से सदन में इसका विरोध कर रहा हूं, क्योंकि, जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई थीं, माननीय मंत्री जी उस समय उन परिस्थितियों सी सहमत थे। सभी दलों की जो सरकार बनी हुई है, सभी ने उस आन्दोलन में हिस्सा लिया है, तोड़-फोड़ से उसको बचाया गया है, फिर क्या कारण है कि बिलासपुर को इन्होंने बंद कर दिया? स्वयं प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि इस प्रकार से जहां आन्दोलन हो रहे हैं, वहां पर नये मंडल नहीं बनाए जाएंगे, उस समय के प्रधान मंत्री की यह घोषणा थी। माननीय मंत्री महोदय ने भी उस वक्त पत्र लिखा हुआ था कि नया मंडल न बनाया जाए। आज अगर माननीय मंत्री जी इस पर विचार करने को तैयार नहीं हैं तो इसके माने यह हैं कि फिर से माननीय मंत्री जी वहां की परिस्थितियों के हिसाब से एक खिलवाड़ करना चाहते हैं।

माननीय मंत्री से मैं पूरी आशा रखता हूं कि आप उसका समाधान करें, नहीं तो वहां प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो सकती है। जब तक सासंदों से बात नहीं करते, तब तक मंडल की बात स्थगित रखें और आगरा मंडल न बनाया जाए।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हो गया, अब बैठ जाएं, उनको जवाब देने दें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : आपकी घोषणाओं ने इस तरह की परिस्थिति पैदा कर दी है कि वहां गोलियां चल गई...**(व्यवधान)** लोग मारे जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप जवाब नहीं सुनना चाहते, उनको पहले जवाब देने दें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : इस तरह के विवादास्पद निर्णय लेकर राज्यों में हिंसा न भड़काएं।...**(व्यवधान)** जैसे प्रतिकूल परिस्थिति रेल पुल के सवाल पर सोनपुर और हाजीपुर के बीच में आई है, ऐसी नहीं आनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, यह कहना गलत है कि झांसी डिवीजन को डिवाइड किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : तोड़ा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप जवाब तो सुन लें।

श्री राम विलास पासवान : तोड़ा भी नहीं जा रहा है। एक अलग डिवीजन बनाने की बात हो रही है। आगरा का अपना अलग महत्व है और झांसी का अपना अलग महत्व है, उसके महत्व को मैंने स्वीकार किया है। लेकिन आगरा के महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए। इसमें झांसी को डिवाइड कर आगरा में मिलाने की योजना नहीं है। यदि आगरा में नया डिवीजन बनाएंगे तो कुछ हिस्सा इलाहाबाद का आएगा, कुछ हिस्सा कोटा और जयपुर का भी आएगा और कुछ हिस्सा झांसी का भी आएगा। जब भी कोई नया रिआर्गेनाजेशन होता है तो थोड़ा-थोड़ा हिस्सा दूसरों से लिया जाता है। आगरा का कोई महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है।

जहां तक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा और आरोप लगाया, मैं उनकी इज्जत करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि आपने इस प्रश्न को पहले भी शून्य काल में उठाने का काम किया था। मैं जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन यही कहना चाहता हूं कि इस तरह से राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहां पर जार्ज साहब बैठे हुए हैं। मैंने अपने रेल बजट भाषण में भी कहा था। हमारे माननीय सदस्य यह समझते हैं कि पटना में गंगा पर पुल नहीं बनना चाहिए। मैंने अपने बजट भाषण में इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है कि पटना में गंगा पुल बनना चाहिए, सरकार ने निर्णय लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा है। जहां तक दीग्घा का सवाल है, माननीय सदस्य उसे लेकर आंदोलन चला रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसको सामने रखकर सर्वेक्षण का काम हो रहा है। लेकिन यह मालूम होने पर कि भारत सरकार ने दीग्घा में पुल बनाने का निर्णय लिया है, अब उसे लेकर आंदोलन किया जाए और गोलियां चलवाकर लोगों को मारने का काम किया जाए, तो यह अच्छी बात नहीं हैं।...**(व्यवधान)**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है, इस पर आधे घंटे की चर्चा कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ चुके हैं इसलिये बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : हम इसको मानने के लिये तैयार नहीं है। पूर्व प्रधान मंत्री ने यहां आश्वासन भी दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। रेल बजट पर बहस के समय अपनी बात रख सकते हैं।

[अनुवाद]

प्रो.पी.जे. कुरियन : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे 'बोल्ट योजना' चला रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि...**(व्यवधान)** उपाध्यक्ष ने मेरा नाम पुकारा है। कृपया बैठ जायें...**(व्यवधान)** महोदय रेलवे में 'बोल्ट योजना' चल रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि 'बोल्ट योजना' के अन्तर्गत कितनी लाइनों का निर्माण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : इनके प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं आया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आपको बैठना होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिये मैं वाकआउट करता हूं।

पूर्वाह्न 11.59 बजे

तत्पश्चात् श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री सभा भवन से बाहर चले गये

[अनुवाद]

प्रो. पी.जे. कुरियन : उपाध्यक्ष महोदय, 'बोल्ट योजना' रेलवे में प्रचलित है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत कितनी लाइनें निर्माणाधीन हैं और यह योजना कितनी सफल और प्रभावकारी रही हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि रेलवे के पास इस योजना में सुधार करने के लिये क्या सुझाव हैं और आगामी वर्ष इस योजना में किन लाइनों को शामिल किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, इसको मैं सभा के पटल पर रख दूंगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज का जो

प्रश्न था, यह दो भागों में था और मैं समझता हूं कि प्रश्न का पहला पार्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण था। लेकिन पता नहीं क्यों दोनों को क्लब कर दिया गया। एक भाग रेलवे के निजीकरण के संबंध में था और दूसरा भाग रेलवे जोन के संबंध में था। मैं समझता हूं कि ये दोनों मुद्दों...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : वे मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अब हो गया...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

विषैले अपशिष्ट पदार्थ

***184. श्री संदीपान थोरात :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय औद्योगिक और व्यापार घरानों द्वारा पश्चिमी देशों से विषैले अपशिष्ट पदार्थों जैसे लीड एश, स्क्रेप बेटरीज और प्लास्टिक का आयात किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर खतरे पैदा हो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आयातकों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में इन मदों का आयात किया गया;

(ग) इन अपशिष्ट पदार्थों के कारण पैदा होने वाले पर्यावरण संबंधी खतरों से निपटने के लिए कौन सी कार्य योजना चलाई जा रही है और इस योजना के अंतर्गत क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अग्रेतर कार्यवाही किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 1989 के नियम 11 के तहत विनियमित किया जाता है। इन नियमों (नियम 11) के अनुसार भारत में किसी देश से परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की अनुमति ढेर लगाने और निपटान के लिए नहीं होती है। तथापि, ऐसे अपशिष्टों के आयात की अनुमति प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर जांच करने के पश्चात् कच्चे माल के तौर पर प्रसंकरण अथवा पुनः प्रयोग के लिए दी जाती है। परिसंकटमय अपशिष्टों के किसी भी आयात को इन नियमों की परिधि में रखा जाएगा। भारत सरकार परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापारीय संचलन और उनके निपटान संबंधी बेसल कन्वेंशन का एक पक्षकार है तथा इस कन्वेंशन की बाध्यताओं के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्टों के आयातों की जांच भी की जाती है।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा अनुमत अपशिष्ट आयातों संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विषाक्त अपशिष्ट के ढेरों से उत्पन्न प्रदूषण के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974; वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981; तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन तथा हथालन) नियम, 1989 में इनके आवश्यक नियंत्रण की व्यवस्था है। भारत सरकार परिसंकटमय अपशिष्टों के निपटान के सुरक्षित गड्ढे तैयार करने के लिए स्थलों का चयन करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 15 राज्यों को 23 स्थलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्य सरकारों को परिसंकटमय पदार्थों की सूची बनाने और ऐसे अपशिष्टों के निपटान के लिए सुरक्षित गड्ढे तैयार करने हेतु तुरन्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 1989 के अन्तर्गत जुलाई, 1996 तक परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात के लिए जिन इकाइयों को मंजूरी दी गई, उनकी सूची

1. **आयातकर्ता** मैसर्स बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लि., कलकत्ता दिसम्बर, 1993 में अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए परीक्षण के लिए 150 कि. लिटर अपशिष्ट तेल के आयात के लिए एककालिक अनुमति।
   निर्यातकर्ता देश–दुबई
2. **आयातकर्ता** मैसर्स साउदर्न रिफाइनर्स लि. त्रिवेन्द्रम, 1994 में वैक्यूम डिस्टिलेशन प्रौद्योगिकी द्वारा अपशिष्ट तेल के पुनः परिशोधन प्रदर्शित करने हेतु परीक्षण हेतु 8000 बैरल आयात के अपशिष्ट तेल के आयात के लिए एक कालिक अनुमति।
   निर्यातकर्ता देश : यूनाइटेड किंगडम

3. **आयातकर्ता** मैसर्स जिंक स्मेल्टर एण्ड रिफाइनर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड, मुम्बई।

20 जून, 1994 को अधिकतम 20,000 मीटरी टन जस्ता जिसमें अवशिष्ट गर्द (इस्पात मिल की गर्द) भी है, के एकल पारेषम के आयात के लिए एक कालिक अनुमति निर्यातकर्ता-देशः जर्मनी

4. **आयातकर्ता** मैसर्स भारत जिंक लिमिटेड, भोपाल।

यूरोप के विभिन्न देशों से 17,000 मी. टन जस्ता राख/धातु कूड़ा-करकट/रद्दी के आयात पर बातचीत के लिए इस शर्त पर अनुमति दी गई थी कि जरूरी लदान ब्यौरे प्रदान करके प्रत्येक पारेषम पर समय-समय पर मंजूरी प्राप्त की जायेगी। जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन से आयात की अनुमति दी गई थी। निर्यातकर्ता देश-जर्मनी, नीदरलैंड तथा स्वीडन

5. **आयातकर्ता** मैसर्स इंडो-जिंक लि., धार, मध्यप्रदेश।
8 मई, 1995 को 1000 मी.टन जिंक राख/धातु कूड़ा करकट/रद्दी के आयात के लिए अनुमति दी गई थी।
निर्यातकर्ता देश-नीदरलैंड

6. **आयातकर्ता** आयातकर्ता-मैसर्स एसोसिएटेड पिगमैंटस लि., कलकत्ता।
इस मंत्रालय के अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार 11 दिसम्बर, 1995 को 3,500 मी. टन सीसा अपशिष्ट जिसमें सीसा धातु कूड़ा करकट/अवशिष्ट/रद्दी भी सन्निहित थी, के आयात के लिए अनुमति दी गई थीं।
निर्यातकर्ता देश-दक्षिण कोरिया

7. **आयातकर्ता** मैसर्स इंडियन लेड लिमिटेड, मुम्बई।
इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार उनकी ठाणे इकाई में उपयोग हेतु सीसा धातु कूड़ा करकट/अवशिष्ट/रद्दी के आयात पर बातचीत करने के लिए ही 21.11.95 को अनुमति दी गई थी। अब तक किसी भी पारेषम के लिए अनुमति नहीं दी गई है।

* परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध एवं हथालन) नियम, 1989 और इस प्रयोजनार्थ नियत शर्तों के अन्तर्गत अपेक्षा के अध्यधीन सभी आयातों की अनुमति दी गई थी।

जम्मू से श्रीनगर तक रेल लाइन

***185. श्री गुलाम रसूल कार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू से श्रीनगर तक रेल लाइन बिछाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू से ऊधमपुर तक (54 कि.मी.) लाइन पहले ही निर्माणाधीन है और इस समय इसे 1997-98 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। श्रीनगर के रास्ते ऊधमपुर से बारामूला तक की लाइन का अनुमोदन कर दिया गया है और इसे बजट में शामिल किया गया है, लेकिन इसके लिए धन की व्यवस्था रेलों की योजना से बाहर से की जानी है। यह कार्य सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराए जाने के बाद शुरू किया जाएगा यदि पूरी अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करा दी गई, तो इस परियोजना में 7 वर्ष लगेंगे।

[हिन्दी]

वनों में बंजर भूमि

***186. श्री महेश कुमार ए. कनोडिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने हैक्टेयर वन भूमि को बंजर भूमि के रूप में दर्शाया गया है; और

(ख) सरकार ने इन क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 10 प्रतिशत के कम क्राउन सघनता वाले अत्यधिक अवक्रमित वन क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं :

(1) जन-भागीदारी द्वारा वनों के विकास के लिए अधिकांश राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा शुरू की गई है।

(2) वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई बड़ी स्कीमें ये हैं :

(क) समन्वित वनीकरण और पारि विकास परियोजना स्कीम

(ख) क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम

(ग) अवक्रमित वनों को उपजाऊ बनाने में अनुसूचित जनजातियों और निर्धन ग्रामीणों को शामिल करने संबंधी स्कीम।

विवरण

1993 की स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 10 प्रतिशत क्राउन सघनता से कम राज्यवार वन क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	10 प्रतिशत क्राउन सघनता से कम वन क्षेत्र (हेक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	12,17,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	22,300
3.	असम	60,200
4.	बिहार	1,92,500
5.	गोवा (दमन और द्वीव सहित)	1,600
6.	गुजरात	2,42,700
7.	हरियाणा	12,200
8.	हिमाचल प्रदेश	1,84,500
9.	जम्मू और कश्मीर	3,10,800
10.	कर्नाटक	4,63,700
11.	केरल	9,300
12.	मध्य प्रदेश	3,04,900
13.	महाराष्ट्र	7,28,100
14.	मणिपुर	1,46,100
15.	मेघालय	98,500
16.	मिजोरम	1,15,600
17.	नागालैंड	12,000
18.	उड़ीसा	6,35,500
19.	पंजाब	11,400
20.	राजस्थान	6,75,200
21.	सिक्किम	43,700
22.	तमिलनाडु	2,81,800
23.	त्रिपुरा	13,800
24.	उत्तर प्रदेश	1,04,300
25.	पश्चिम बंगाल	4,800
26.	अंडमान व निकोबार	400
27.	चंडीगढ़	-
28.	दादरा और नागर हवेली	1,100
29.	दिल्ली	300
30.	लक्षद्वीप	-
31.	पांडिचेरी	-
	योग	58,94,300

[अनुवाद]

रेल पुर्जों, डिब्बों, इंजनों आदि का आयात

***187. श्री हरिन पाठक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और 1995-96 के दौरान रेल पुर्जों, डिब्बों, इंजनों और अन्य संबंधित सामान के आयात पर कितना खर्च किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के विनिर्माण एककों को उपर्युक्त सामान के लिए कितनी मात्रा में क्रयादेश दिया गया?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) संबंधित आंकड़े इस प्रकार हैं :-

		1994-95	1995-96*
	आयात पर खर्च की गई धनराशि	312	(करोड़ रु. में) 388.51
(ख)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए क्रयादेशों का मूल्य	1619.40	2252.71

(*) 1995-96 से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं)

विकलांग और महिला यात्रियों के लिए सुविधायें

***188. कुमारी उमा भारती :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी रेलगाड़ियों में सभी श्रेणियों में विकलांग यात्रियों के लिए शायिकाओं का कोटा आरक्षित करने तथा यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बों में विशेष सुविधायें उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख). विकलांग तथा महिला यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है/उपलब्ध कराए जाने की योजना है :-

(1) विकलांग यात्रियों तथा उनके मार्ग रक्षियों के लिए गाड़ियों में शयनयान श्रेणी में दो शायिकाएं नियत की गई हैं।

(2) विकलांग व्यक्तियों के लिए उपनगरीय गाड़ियों में अलग स्थान नियत किया गया है।

(3) विकलांग व्यक्तियों के लिए द्वितीय श्रेणी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में दरवाजे के पास एक सीट नियत की जा रही है।

(4) अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, महिला सवारी डिब्बों/उनके समीपवर्ती सवारी डिब्बों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना।

(ग) हालांकि कुछ सुविधाएं पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं फिर भी क्षेत्रीय रेलों को शेष सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

[हिन्दी]

आतंकवादी गतिविधियां

***189. श्री ललित उरांव :**
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार बांग्लादेश और बिहार नेपाल सीमा पर आई.एस.आई. की आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) और (ख). बिहार बंगला देश और बिहार नेपाल सीमा पर आई.एस.आई. की गतिविधियां होने की बात ध्यान में आई है। सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और उस पर कड़ी नजर रख रही है। आसूचना तंत्र को सुचारू बनाने तथा आई. एस.आई. कार्यकर्ताओं के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने सहित सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। समन्वित कार्रवाई के लिए एक सांस्थनिक तंत्र की स्थापना की गई है। आई एस आई से होने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए बिहार सरकार को सुग्राही बनाया गया है। सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों द्वारा बिहार बंगला देश एवं बिहार नेपाल सीमा पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है तथा सीमा पर सक्रिय पाकिस्तानी आई एस आई एजेंटों एवं उनके नेताओं की गतिविधियों एवं क्रियाकलापों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। सीमा पर स्थित जांच चौकियों को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

आई.डी.पी.एल. का विस्तार

190. श्री शरत पटनायक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1996-97 के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कार्यों का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल टिकटों को जारी करने में लगने वाला समय

***191. श्री आर.एल.पी. वर्मा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा करने वाली जनता को उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक विभाग में परिहार्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें टिकट लेने में कम से कम एक घंटा लगता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेल टिकट जारी करने में लगने वाले समय को कम करने और सार्वजनिक सेवा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) महानगरों और बड़े शहरों में केवल व्यस्त अवधियों के दौरान ही आरक्षण काउंटरों पर प्रति यात्री प्रतीक्षा समय एक घंटे से अधिक होता है। वर्ष के अन्य हिस्सों में, आरक्षण काउंटर पर प्रतीक्षा समय 20 से 40 मिनट के बीच रहता है। ऐसे बुकिंग काउंटरों पर जहां अनारक्षित टिकटें बेची जाती हैं, प्रतीक्षा समय अलग-अलग स्थानों और मौसमों के दौरान प्रति यात्री 5 से 30 मिनट के बीच रहता है।

(ख) भीड़-भाड़ वाले समय के दौरान आरक्षणों की मांग काफी बढ़ जाने के कारण, प्रतीक्षा समय में वृद्धि हो जाती है।

(ग) रेलों द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कंप्यूटरीकृत स्थानों का विस्तार करना, सैटेलाइट आरक्षण कार्यालय खोलना, आरक्षण/बुकिंग काउंटरों के कार्य-समय में वृद्धि करना तथा अतिरिक्त आरक्षण/बुकिंग काउंटरों की व्यवस्था करना शामिल है।

डीजल इंजनों का निर्माण

***192. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश के साथ आधुनिक डीजल इंजनों के उत्पादन के लिए कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए निर्माण इकाइयों के प्रस्तावित स्थान और आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

विवरण

(ख) प्रौद्योगिकी के ग्रेडोन्नयन तथा भारत में अत्याधुनिक रेल इंजनों का निर्माण करने के लिए एक विश्वव्यापी निविदा आमंत्रित की गई थी और अंतिम रूप देने के बाद ठेका मैसर्स इलेक्ट्रोमोटिव डिवीजन, जनरल मोटर्स कार्पोरेशन, यू.एस.ए. को प्रदान किया गया था। इन रेल इंजनों का निर्माण डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में किया जाएगा। यह ठेका नवीनतम प्रौद्योगिकी की सप्लाई सहित 21 रेल इंजनों के लिए है जिनमें 8 रेल इंजन खुले पुर्जों के रूप में होंगे जिन्हें डी.रे.का., वाराणसी में एसेंबल किया जाएगा।

स्वीकृति पत्र जुलाई, 1995 में जारी किया गया है। प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का मूल्य 17.5 मिलियन अमरीकी डालर (61 करोड़ रु.) और 21 रेल इंजनों की कुल लागत 41 मिलियन अमरीकी डालर (143 करोड़ रु.) है।

खुले पुर्जों के रूप में प्राप्त रेल इंजनों को डी.रे.का. द्वारा अप्रैल, 1998 से एसेंबल किए जाने की संभावना है। 1996-97 में कोई आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि सुपुर्दगी मार्च, 1998 के बाद ही मिलने की आशा है।

तिलहनों का विकास

***193. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों के विकास हेतु प्रत्येक राज्य के लिये कुल कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ख) क्या सरकार का विचार तिलहनों की खेती के क्षेत्र को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). देश में तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्नाटक सहित 22 राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाई जा रही कार्यनीतियों में से एक है विभिन्न उपायों, जैसे अनुक्रमिक फसल प्रणाली, मिश्रित फसल प्रणाली कम लाभकारी फसलों के प्रतिस्थापन तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों/स्थितियों में प्रतिस्थापन फसल प्रणाली के जरिए तिलहन उत्पादन के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन राज्यवार दी गई सहायता

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	1436.55	1452.100	1413.39
2.	असम	155.743	231.850	165.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	29.891	28.520	24.10
4.	बिहार	69.12	एन.आर.	97.78
5.	गुजरात	931.449	500.000	549.45
6.	हरियाणा	160.81	एन.आर.	162.50
7.	हिमाचल प्रदेश	14.46	एन.आर.	29.23
8.	जम्मू और कश्मीर	66.397	एन.आर.	एन.आर.
9.	कर्नाटक	750.00	715.200	183.38
10.	केरल	एन.आर.	67.500	132.24
11.	मध्य प्रदेश	1005.849	1379.040	1144.43
12.	महाराष्ट्र	985.03	961.520	1032.27
13.	मणिपुर	22.026	8.775	108.26
14.	मेघालय	15.825	7.500	6.00
15.	उड़ीसा	430.747	457.335	444.00
16.	पंजाब	187.500	64.000	7.60
17.	राजस्थान	820.438	811.890	1332.50
18.	सिक्किम	55.857	52.723	49.68
19.	तमिलनाडु	1425.00	1337.785	951.17
20.	त्रिपुरा	67.276	11.500	21.09
21.	उत्तर प्रदेश	193.24	511.900	730.21
22.	पश्चिम बंगाल	224.792	225.000	205.70
	योग	9048.00	8824.138	8820.00

* एन.आर. त्र धननिर्मुक्त नहीं किया गया।

घुसपैठियों का बड़ी संख्या में आना

***194. श्री कृष्ण लाल शर्मा :**

डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पार से बड़ी संख्या में घुसपैठियों का आना अभी भी जारी है;

(ख) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाल ही में बड़ी संख्या में विदेशियों का आना तनाव का मुख्य कारण है;

(ग) क्या सरकार ने देश में घुसपैठियों के आने को रोकने के लिए कोई नई रणनीति तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ). पड़ोसी देशों के साथ बहुत लम्बी थल सीमाओं को देखते हुए तथा विभिन्न "पुश एण्ड पुल" कारकों के कारण घुसपैठ की समस्या, जो कि एक गंभीर एवं सतत् समस्या है, अब भी बनी हुई है, यद्यपि उसकी दर में कमी आई है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में तनाव के कारणों में से यह भी एक है। भारत सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और घुसपैठ पर काबू पाने तथा इसके निवारण के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) **सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करना**
इसमें

(1) सीमा सुरक्षा बल की विस्तार योजना के अंतर्गत अतिरिक्त बटालियनें गठित करना;

(2) सीमा-चौकियों के बीच की दूरी को कम करना;

(3) सीमा प्रेक्षण टावरों की संख्या में वृद्धि करना;

(4) निगरानी उपकरण और नाइट विजन डिवाइसिज उपलब्ध करना; तथा

(5) सीमा सुरक्षा बल की "नदी जल शाखा" का गठन करना शामिल हैं।

(2) **बाड़, फ्लड लाइट और गश्त लगाना**
इसमें

(1) भारत-पाकिस्तान एवं भारत-बंगलादेश सीमा पर सीमा सड़कें बनाना और बाड़ लगाना;

(2) भारत पाकिस्तान सीमा के नाजुक हिस्सों में फ्लड लाइट लगाना; और

(3) सीमा पर गश्त में बढ़ोत्तरी करना शामिल हैं।

(3) **तटीय क्षेत्र पर निगरानी**

(1) गहरे समुद्र पर नौसेना के जहाजों द्वारा सघन निगरानी;

(2) राज्य क्षेत्रीय जल क्षेत्र में तटरक्षक-नौसेना द्वारा संयुक्त निगरानी; और

(3) समुद्र तट के साथ-साथ उथले समुद्र में ट्रालरों के माध्यम से नौसेना (तट रक्षक बल), सीमा शुल्क विभाग और राज्य पुलिस की संयुक्त टुकड़ियों द्वारा गश्त लगाना शामिल हैं।

(4) **आसूचना संग्रहण, आदान प्रदान और समन्वय**

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिकाधिक सटीक एवं उपलभ्य आसूचना उपलब्ध रहे, आसूचना संग्रहण का लगातार प्रबोधन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी का राज्य सरकारों के साथ तुरंत आदान प्रदान करने के लिए तंत्र स्थापित किए गए हैं।

(5) **अन्य उपाय**

असम और मेघालय में विदेशियों द्वारा घुसपैठ की रोकथाम (पी. आई.एफ.) और पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में सचल कार्य बल (एम. टी.एफ.) जैसी योजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन संबंधित राज्यों द्वारा घुसपैठियों का पता लगाने के लिए किया जा रहा है।

सीमा सुरक्षा बल, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए स्थाई आदेश जारी किए गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा पश्चिम बंगाल राज्य, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, स्थिति के सतत् प्रबोधन के लिए नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है।

पोलीथीन की थैलियां

***195. श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1996 के 'दी स्टेट्समैन' में **'स्लो पॉयजनिंग वाया पोलीथीन बैगस'** शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पोलीथीन की थैलियों के प्रयोग से अनेक प्रकार की बीमारियों तथा पर्यावरण संबंधी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन्नत देशों में पोलीथीन की थैलियों के प्रयोग को प्रतिबन्धित कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो देश में पोलीथीन पदार्थों के उपयोग की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पोलिथिन के थैले अपने में नुकसानदायक नहीं होते हैं। प्लास्टिक के थैलों अथवा अन्य प्लास्टिक पैकेजिंग में खाद्य ग्रेड के रंजक, सुनम्यकारक और योगज (अन्य रसायन) होने चाहिए, इनसे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है।

(घ) से (च). प्राप्त सूचना के आधार पर विकसित देशों में पोलिथिन के थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है। संशोधित निर्यात-आयात नीति (1992-1997) के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट आयात को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है और इसके आयात की अनुमति लाइसेंस के जरिए है।

मृदा संरक्षण योजनाएं

***196. डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में कुछ केन्द्र प्रायोजित मृदा संरक्षण योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन नदी घाटी परियोजनाओं को उक्त मृदा संरक्षण योजनाओं में शामिल किया गया है;

(ग) क्या उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा की किसी नदी घाटी परियोजना को शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) नदी घाटी परियोजना के जलग्रहण क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित मृदा संरक्षण योजना के अधीन चल रही 31 जल ग्रहण परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पांच नदी घाटी जलग्रहण परियोजनायें अर्थात् हीराकुंड, मचकुंड-सिलेरू, रेंगाली मंदिरा, अपर कोलाब और अपर इंद्रावती शामिल हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित मृदा संरक्षण योजना के अधीन शामिल किए गए जलग्रहण क्षेत्रों तथा राज्यों की सूची

क्र.सं.	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	राज्य जिसमें जलग्रहण क्षेत्र है
1	2	3
1.	ब्यास (पौंग डैम)	हिमाचल प्रदेश
2.	चम्बल	मध्य प्रदेश, राजस्थान
3.	दमनगंगा	गुजरात, महाराष्ट्र
4.	दामोदर-बाराकर	बिहार, पश्चिम बंगाल
5.	दांतीवाड़ा	गुजरात, राजस्थान
6.	घोड	महाराष्ट्र
7.	गुमती	त्रिपुरा
8.	हीराकुंड	मध्य प्रदेश, उड़ीसा
9.	कंगसाबाती	पश्चिम बंगाल
10.	कुंडा	तमिल नाडु, केरल
11.	लोअर भवानी	तमिल नाडु
12.	मंचकुंड सिलेरू	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा
13.	माही	गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान
14.	माटाटोला	मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश
15.	मयूराक्षी	बिहार
16.	नागार्जुन सागर	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
17.	निजामसागर	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र
18.	पागलाडिया	असम
19.	पोचामपाद	आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र
20.	पोहरू	जम्मू और कश्मीर
21.	रामगंगा	उत्तर प्रदेश
22.	रेंगाली मंदिरा	बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा
23.	सरदार सरोवर	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
24.	सतलज	हिमाचल प्रदेश
25.	तावा	मध्य प्रदेश
26.	तिस्ता	सिक्किम, पश्चिम बंगाल
27.	थिन डैम	जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब
28.	तुंगभद्रा	कर्नाटक
29.	उकाई	गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
30.	अपर कोलाब	आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा
31.	अपर इन्द्रावती	मध्य प्रदेश, उड़ीसा

पूर्वोत्तर सीमा में बाड़ लगाना

***197. श्री मोहन रावले :**
श्री टी.गोपाल कृष्ण :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश और म्यानमार से घुसपैठ की वारदातों को रोकने हेतु पूर्वोत्तर सीमा पर बाड़ और फ्लड लाईटें लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) भारत बांग्लादेश सीमा पर चुनिन्दा क्षेत्र में, कंटीले तारों की 896 किलोमीटर लगाने की एक योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ लगाने या पूर्वोत्तर में सीमा के किसी भी भाग में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) कार्यान्वित की जा रही योजना के ब्यौरे और विभिन्न चरणों में इसकी प्रगति निम्न प्रकार से है :

राज्य	बाड़ लगाने के लिए स्वीकृत लम्बाई (कि.मी. में)	31.5.1996 को पूरा किया गया कार्य (कि.मी. में)	अभी पूरा किया जाना है (कि.मी. में)
असम	158	125.24	32.76
मेघालय	231	167.63	63.37
पश्चिम बंगाल	507	319.18	187.82
कुल	896	612.05	283.95

(ग) इस योजना को मार्च, 1998 तक पूरा किया जाना है।

"उल्फा" की आतंकवादी गतिविधियां

***198. श्री संतोष मोहन देव :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के कारबी अंगलांग जिले में बैठालंगसा में सेना के साथ 25 जून, 1996 को हुई मुठभेड़ में कुछ "उल्फा" आतंकवादी मारे गये थे और कुछ को गिरफ्तार किया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चुनावों के दौरान कितने व्यक्ति/सैन्य कर्मी मारे गए/घायल हुए;

(ग) "उल्फा" द्वारा हिंसा की वारदातों में अचानक अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (घ). रिपोर्टों से पता चलता है कि 24/25 जून, 1996 की रात को, कोकालंगसों में, एक उल्फा शिविर पर छापे के दौरान, उल्फा के चार कट्‌टर उग्रवादी (एक स्वयंभू जिला कमान्डर सहित) मारे गए और तीन उग्रवादी पकड़े गए। इसके अतिरिक्त 13 हथियार, बड़ी मात्रा में गोलाबारूद और 56,000 रु. की नकदी बरामद की गई। सुरक्षा बलों का कोई भी सदस्य हताहत नहीं हुआ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, 27 मार्च, 1995 से 15 मई, 1966 तक के बीच उल्फा से संबंधित हिंसा में 26 व्यक्ति मारे गए।

हाल के आम चुनावों के ठीक पहले और बाद की अवधि के दौरान, राज्य के कुछ भागां मं उल्फा की गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई। उल्फा ने, आम चुनावों के तुरंत बाद अस्थायी अवस्था का फायदा उठाने की कोशिश की और एक सुव्यवस्थित ढंग से आतंक अभियान चला कर अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया है। उल्फा ने, अपने सुरक्षित आश्रयस्थलों/अड्डों से मारो और भागों की नीति भी अपनायी है।

उल्फा और बी.डी.एस.एफ. और एन.एस.सी.एन. जैसे अन्य गुटों के बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए, सेना, अर्ध-सैनिक बल और पुलिस सतत् निगरानी रख रही है। राज्य और केन्द्रीय एजेन्सियां, दोनों ही, सूचना का समन्वय और आदान प्रदान कर रही हैं और वे उग्रवादी तत्वों का पता लगा रही हैं/उन्हें पकड़ रही हैं। शांति बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए असम में केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल और अन्य राज्यों से सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए गए हैं। सम्पूर्ण असम को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित बनाए रखा गया है। उल्फा की हिंसा से गंभीर रूप से ग्रस्त क्षेत्रों में सेना कार्रवाई कर रही है। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अन्तर्गत उल्फा गैर-कानूनी संगठन भी घोषित किया गया है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को निःशुल्क रेल पास

***199. श्री एम. सेल्वारासु :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार से पेंशन पाने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को ही निःशुल्क रेल पास दिए जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों से पेंशन पा रहे स्वतन्त्रता सेनानियों को भी यह सुविधा देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) हालांकि ये पास रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन इनकी लागत गृह मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है। चूंकि राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं, इसलिए इस मांग पर उन्हें ही विचार करना होगा।

[हिन्दी]

बिना वीजा के विदेशी नागरिक

***200. श्री गंगा चरण राजपूत :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान और आज तक राज्यवार कितने विदेशियों को वीजा के बिना यात्रा करने के अपराध में पकड़ा गया;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें अपने अपने देशों को भेजने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ग). पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम/नियमों में यह प्रावधान है कि नेपाल, भूटान एवं मालदीव्स के राष्ट्रिकों को छोड़कर सभी विदेशी राष्ट्रिकों के पास वैध वीजा होना चाहिए तथा उन्हें प्राधिकृत आव्रजन पांच चौकयों से होकर भारत में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती हैं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 के अधीन, भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश वापस भेजने की शक्तियां, 1957 में उनकी पूर्व सम्मति से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सौंपी गई हैं। अवैध घुसपैठियों की समस्या से केन्द्र सरकार अवगत है और उसने समय-समय पर राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सुग्राही बनाया है और उनसे अनुरोध किया है कि वे अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए विशेष अभियान चलाएं। ऐसी गिरफ्तारियों एवं प्रत्यावर्तन संबंधी आंकड़े संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखे जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों पर बहुत पुराने अभिलेख

1437. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जून में रेलवे स्टेशनों/कार्यालयों में बहुत पुराने और अमहत्वपूर्ण अभिलेखों के पड़े होने के संबंध में पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें नष्ट करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). श्री संतोष कुमार गंगवार, संसद सदस्य तथा श्री शशि प्रकाश, भूतपूर्व संसद सदस्य से एक-एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाया गया है कि दुर्घटना से संबंधित पंजिकाओं को छोड़कर आरक्षण स्लिपों/चार्टों तथा अन्य पंजिकाओं को केवल एक महीने तक रखा जाना चाहिए।

(ग) मौजूदा अनुदेशों के अनुसार आरक्षण से संबंधित सभी रिकार्ड छः महीने तक के लिए रखे जाते है। प्रक्रियाधीन मामलों में, इन्हें मामले को अंतिम रूप देने तक रखा जाता है। इन रिकार्डो को छः महीने तक संरक्षित रखना यात्रियों से आरक्षण आदि से संबंधित प्राप्त शिकायतों, धन-वापसी के मामलों, छुट्टी यात्रा रियायत के सत्यापन, मिलिट्री वारंटों आदि से संबंधित कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझा जाता है।

भोपाल गैस त्रासदी

1438. श्री सुशील चन्द्र : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1996 तक यूनियन काबाईड गैस के संबंध में मुआवजे के भुगतान के कितने-कितने दावे प्रस्तुत किए गए और निपटाये गयें;

(ख) ऐसे दावों के निपटारे के लिए कितने न्यायालय स्थापित किए गए हैं, ऐसे कितने वार्ड है जहां अब तक न्यायालय स्थापित नहीं किए हैं ओर इन स्थानों पर न्यायालय स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे दावों के कितने मामले हैं जिनकी सुनवाई न्यायालय में लंबित है और ये कब से लंबित पड़े है एवं उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मामलों के कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). स्थापित किए गए 44 न्यायालयों में पंजीकृत 4,94,313 मामलों में से मई, 1996 तक 3,17,274 मामलों का निपटारा कर दिया गया था। उपयुक्त पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता के कारण 12 वार्डों में न्यायालय स्थापित नहीं किए जा सके। अपीलीय न्यायालयों में क्षतिपूर्ति के. 3388 मामले लम्बित (पेंडिग) हैं। अपीलीय न्यायालयों में न्याय-निर्णयन भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

पोखरण में रेलवे स्टेशन

1439. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोखरण, जैसलमेर शहर और उसके आस पास के क्षेत्रों के नागरिकों से पोखरण में पुनः रेलवे स्टेशन बनाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) पुराने पोखरन स्टेशन से रेल संपर्क बहाल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) उत्तर रेल द्वारा परियोजना की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है।

अवकाश प्राप्त रेलवे कर्मचारियों को सुविधाएं

1440. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अपने कर्मचारियों को अवकाश प्राप्त करने के बाद भी एल.टी.सी. सुविधा उपलब्ध कराता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय का विचार अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी अवकाश प्राप्ति के बाद इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

उपनगरीय रेलवे

1441. श्री राम नाईक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपनगरीय रेल दैनिक यात्री संघ तथा रेलवे परामर्शदात्री समिति के माध्यम से संसद सदस्यों द्वारा की गई इस मांग की जानकारी है कि उपनगरीय रेल विकास कार्य रेल मंत्रालय द्वारा देखा जाना चाहिए न कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जैसा कि वर्तमान कार्य वितरण के अनुसार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार यह विषय पुनः रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए सबअरबन रेलवे कम्यूटर्स एसोसिएशन/सबअरबन रेलवे यूजर्स कंसलटेटिव कमेटी/मुंबई की ओर से क्षेत्रीय रेलों (मध्य एवं पश्चिम) को कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, माननीय रेल राज्य मंत्री के साथ रेल परामर्श समिति की बैठक के दौरान कुछ माननीय संसद सदस्यों ने यह विषय पुनः रेल मंत्रालय को हस्तांतरित करने का मामला उठाया था।

शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय को यह विषय हस्तांतरित करने के संबंध में भारत सरकार, कार्य का आबंटन नियम, 1986 में परिवर्तन, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सचिवों को समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। रेल मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय से वापस लेने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सियालदाह कैनिंग सेक्शन में रेल लाइन

1442. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के कुछ संसद सदस्यों ने विशेषतः पर्यटन के मद्देनजर पूर्व रेलवे के सियालदाह कैनिंग सेक्शन में कुछ छोटी छोटी लाइनें बिछाने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) अनुरोध को आगे विचार करने के लिए नोट कर लिया गया है।

डी.आर.एम कार्यालय को अन्यत्र ले जाना

1443. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडलीय रेल प्रबन्धक के कार्यालय को अलीपुर द्वार से असम राज्य में ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी हथियारों की बरामदगी

1444. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और जून, 1996 तक मध्य प्रदेश के किन-किन स्थानों से किस किस श्रेणी के तथा कितने परिणाम में अवैध विदेशी हथियार बरामद हुए ब्यौरा दें;

(ख) ये अवैध विदेशी हथियार मूलतः किन-किन स्थानों के थे; और

(ग) अवैध विदेशी हथियारों को आने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तृपुणित्तरा स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव

1445. श्री जेवियर अराकल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तृपुणित्तरा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों का ठहराव करने के लिए प्रावधान करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) जांच की गई परंतु औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय

1446. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में हुए सुधार का ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) क्या रेल संग्रहालय में पर्याप्त स्थान का अभाव है तथा पुराने भाप इंजनों, समय-समय के चालक, गार्ड और परिचालकों की वर्दी के अनुपलब्धता जैसी कमियां अभी भी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन कमियों को कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) चालू वर्ष के दौरान रेल संग्रहालय में कई सुधार किए गए है। संग्रहालय में विभिन्न स्थानों पर ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर आदि जैसे रेल कर्मचारियों के पुतलों की व्यवस्था की गई है। दर्शकों के लिए अंतरंग गैलरी में भारतीय रेलों आज की भारतीय रेल, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के इतिहास से संबंधित साफ्टवेयर वाली बहुमीडिया अन्तक्रियाशील छतरी तथा एक प्रश्नावली की भी व्यवस्था की गई है। दर्शकों के लिए बटन दबाकर श्रव्य ब्यौरा उपलब्ध कराने हेतु अंतरंग गैलरी के 10 प्रदर्शन स्थलों पर माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित श्रव्य उपकरण संस्थापित किए गए है। दर्शकों को संग्रहालय का स्वः निवेशित भ्रमण उपलब्ध करने की दृष्टि से बहिरंग प्रदेशों के बारे में वर्णनात्मक श्रव्य कैसेटों वाले वाकमैन भी उपलब्ध कराए गए है। इन सुधारों की कुल लागत 5.4 लाख रुपये के आस पास है।

(ख) यह संग्रहालय भारतीय रेलों के 150 वर्ष पुराने इतिहास को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। उपलब्ध कराया गया स्थान पर्याप्त है और संग्रहालय में 1855 से 1955 तक की अवधि के 39 भाप इंजनों का एक व्यापक संग्रह है। गार्ड, ड्राइवर तथा स्टेशन मास्टर जैसे रेल कर्मचारियों की परंपरागत वर्दियां प्रदर्शन हेतु रखे गए पुतलों पर उपलब्ध कराई गई है;

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

यात्री सुविधाएं

1447. श्री कचरू भाऊ राऊत :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधाएं/रियायतें देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). 1.8.96 से लाइसेंस-शुदा भारिकों को रेल यात्रा के लिए सामान्य किराए में दी गई 50 प्रतिशत की मौजूदा रियायत को बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है।

चालू वर्ष के दौरान देश में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 53 स्थानों की पहचान कर ली मई है।

अन्य यात्री-सुविधाओं की व्यवस्था/वृद्धि एक सतत् प्रक्रिया है और सभी भारतीय रेलों के विभिन्न स्टेशनों पर नियमित रूप से कार्य रूप कर दिये गये हैं।

[अनुवाद]

टिकटों की कालाबाजारी

1448. श्री सौम्य रंजन :
डा. बलिराम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली, मुम्बई तथा अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर रेल आरक्षण टिकटों की "कालाबाजारी" की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विषय में जांच कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) दलालों तथा अन्य शरारती तत्वों द्वारा दिल्ली, मुंबई और अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेल आरक्षण टिकटों की कालाबाजारी की कुछ घटनाओं की रिपोर्ट मिली है और रेलवे द्वारा की गई जांच के दौरान ऐसे मामले पकड़े भी गए है।

(ख) और (ग). रेलवे आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों, स्टेशनों और गाड़ियों में निरंतर जांच करती है। अनाधिकृत एजेन्टों के परिसरों में भी समय-समय पर छापे मारे जाते हैं। कदाचार में लिप्त पाये गए दलालों पर रेल अधिनियम, 1989 की धारा 143 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये गये रेल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाती है। वर्ष 1995 के दौरान क्षेत्रीय रेलों द्वारा की गई 6744 निवारक जांचों के परिणामस्वरूप 152 दलाल पकड़े गए थे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में अपराध

1449. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अपराधों के लगातार बढ़ने के संबंध में जांच कराये जाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार ने अपराधों को रोकने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च). भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित उपबंधों के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय है। इसलिए, यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अपराधों पर काबू पाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। अपराध नियंत्रण सहित पुलिस कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्य सरकारों का मार्गदर्शन करती रही है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान करती रही है। प्रश्न के भाग(क) में यथा उल्लिखित कोई भी अनुरोध केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वाहन

1450. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतिविशिष्ट व्यक्तियों को दी गई अनेक पाइलट और एस्कार्ट सुरक्षा जिप्सियां/जीपें बिना नम्बर प्लेटों के दिल्ली की सड़कों पर चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन वाहनों के साथ हो जाने वाली सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में इनकी पहचान का क्या तरीका है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पशुधन प्रशिक्षण संस्थान

1451. श्री ए.सी.जोस : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मट्टुपट्टी में पशुधन प्रशिक्षण संस्थान के विकास के लिए अनुदान की स्वीकृति के लिए केरल सरकार द्वारा भेजा गया कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग). जी, हां। प्रस्ताव पर सरकारी एजेंसियों द्वारा विचार किया जा रहा है। सरकार प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेगी।

कोल्हापुर और तिरूपति के बीच रेलगाड़ी

1452. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर और तिरूपति के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने के संबंध में फरवरी, 1996 में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस अनुरोध पर कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कोल्हापुर एवं मद्रास के बीच एक सुपर फास्ट रेलगाड़ी, जो तिरूपति के यात्रियों को भी सेवित करे, चलाने के लिए फरवरी, 1996 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग). इसकी जांच की गई परंतु पारिचालनिक कठिनाइयों एवं संसाधनों की तंगी के कारण इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

राइट्स द्वारा सर्वेक्षण

1453. श्री पी.सी.थामस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइट्स ने इकमलय से अंगमलयं तक प्रस्तावित रेल लाइन का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1454. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग के लिए विभिन्न देशों के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और वे पर्यावरण के किन-किन क्षेत्रों से संबंधित हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए चीन, रूस, आस्ट्रेलिया, ईरान, ताजिकिस्तान, युनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, ब्राजील तथा फिनलैंड के साथ करार/समझौता ज्ञापन/संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) सहयोग के क्षेत्रों में विश्व तापमान में वृद्धि, ओजोन क्षयन, मरूस्थलीकरण, जैव-विविधता संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण के साथ साथ वन नीतियां, तटीय प्रबंधन और महासागरीय मसले, विषाक्त और परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल प्रौद्योगिकियों की सूचना का आदान प्रदान तथा कानून लागू करने के साथ साथ सतत विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा से संबद्ध विधि-निर्माण, सतत, कृषि और कृषि वानिकी तकनीक, पर्यावरणीय शिक्षा तथा जन-जागरूकता संवर्द्धन, वनस्पतिजात ओर प्राणिजात संरक्षण, संकटापन्न प्रजाति-व्यापार निवारण, कार्मिकों का प्रशिक्षण, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रणलियां और क्रियाविधियां, नमभूमि तथा कच्छ वनस्पतियों का प्रबंधन जैसे विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों के परिदृश्यों और स्थितियों की हिस्सेदारी सम्मिलित है।

[अनुवाद]

गुवाहाटी तथा लमडिंग में रेलवे स्टेशन

1455. डा. प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लमडिंग रेलवे स्टेशन यार्ड पर चौथी आदान और प्रेषण लाईन का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या गुवाहाटी स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक, तीन, चार के परिवर्तन कार्य सहित प्लेटफार्म संख्या तीन और चार के वाशेबुल एप्रन का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) क्या लमडिंग स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर वाशेबुल एप्रन उपलब्ध करा दी गई है; और

(घ) गुवाहाटी स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक तथा चार पर रेल डिब्बों में पानी भरने की सुविधा के संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) इन प्लेटफार्मों पर पानी भरने के लिए अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

ईरोडे एर्णाकुलम रेलवे लाइन

1456. श्री एन.एन. कृष्णादास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे की ईरोडे-एर्णाकुलम रेलवे लाईन का कार्य इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या उक्त निर्माण कार्य में कुछ तकनीकी बाधाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ङ). यह माना जाता है कि माननीय सदस्य का आशय ईरोड-एर्णाकुलम रेल विद्युतीकरण कार्य की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का

है क्योंकि इन स्टेशनों के बीच किसी अन्य लाइन का कार्य नहीं है। विद्युतीकरण कार्य की स्थिति इस प्रकार है :-

कोचीन हार्बर टर्मिनस सहित ईरोड-एर्णाकुलम का विद्युतीकरण एक अनुमोदित कार्य है। ईरोड-कोयम्बूतर खंड का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। ईरोड-एर्णाकुलम के समस्त खंड को मार्च, 98 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्रों की धनराशि अन्य मदों में लगाया जाना

1457. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए बिहार सरकार को उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता राशि अन्य मदों के लिए खर्च की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप उक्त केन्द्रों की स्थिति बदत्तर हो गई है एवं वे "माडल" कृषि को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है और उक्त केन्द्रों के लिए आबंटित धनराशि को केवल इन्हीं केन्द्रों के लिए खर्च किए जाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय तथा गैर सरकारी संगठनों तथा प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्रों में भी अलग से बैंक खाता खोलकर धन को अन्य कार्य में लगाने से रोकने के लिए सरकार ने पहले से ही पर्याप्त उपाय कर लिए हैं। केवल उन्हीं खातों में परिषद से अनुदान दिया जाता है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए आबंटित कोष के पूरी तरह से उपयोग के लिए बहुत ही कारगर ढंग से निगरानी (मॉनीटरिंग) की जाती है।

[अनुवाद]

दिल्ली और बागपत के बीच रेलगाड़ी

1458. श्री भूपिन्द्र सिंह हुडा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-बागपत-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली 4545 अप और 4546 डाउन मेल ट्रेन होने के बावजूद सभी हाल्ट स्टेशनों पर रूकती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं, चूंकि 4545/4546 दिल्ली-सहारनपुर एक्सप्रेस सुविधाजनक प्रातःकालीन/सायंकालीन दैनिक यात्री सेवाएं उपलब्ध करा रही है इसका जनता की मांग पर दिल्ली तथा बागपत के बीच के पांच मध्यवर्ती हाल्ट स्टेशनों में से तीन स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।

कोल्लम-शेंकोटा मालगाड़ी सेवा को समाप्त करना

1459. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे का कोल्लम-शेंकोटा मालगाड़ी सेवा को समाप्त कर देने का विचार है;

(ख) क्या कोल्लम से शेंकोटा तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) कोलाम-शेंकोट्टा माल सेवा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) कार्य को कार्य योजना के पहले चरण में शामिल कर लिया गया है और इसे आगामी वर्षों में शुरू किया जाएगा।

केन्दीय भण्डार को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा सप्लाई

1460. श्री राम सागर : क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड लगभग एक वर्ष से केन्द्रीय भंडार को अपने उत्पादों की सप्लाई नहीं कर रहा है जिसके कारण उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बोर्ड को कुछ पार्टियों से बोर्ड की शर्तों पर केन्द्रीय भंडार को सप्लाई करने हेतु उन्हें अधिकृत करने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बोर्ड द्वारा सम्पर्क करने वाली पार्टियों को अधिकृत नहीं करने और केन्द्रीय भंडार को भी सप्लाई नहीं करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपने एकमात्र बिक्री एजेंट मैसर्स गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ लिमिटेड (जी.सी.एम.एम.एफ.) के माध्यम से धारा खाद्य तेल के पैकेट वितरित करता है। मैसर्स जी.सी.एम.एम.एफ. लिमिटेड केन्द्रीय भण्डार से प्राप्त आवश्यकतानुसार धारा तेल की आपूर्ति नियमित रूप से कर रहा है।

(ग) और (घ). जी, हां। ऐसे अनुरोध भी इसके एकमात्र बिक्री एजेंट द्वारा पूरे किए जाते हैं।

हल्दिया पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स

1461. श्री अजित कुमार पांजा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स की प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) समग्र पेट्रो केमिकल काम्पलेक्स की कुल अनुमानित लागत कितनी है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा इसमें उत्पादन कार्य कब से शुरू हो जाएगा; और

(ग) उक्त काम्पलेक्स का निर्माण कार्य पूरा होने और उत्पादन शुरू होने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) मैसर्स हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रगति की स्थिति इस प्रकार है :-

सभी प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों का चयन कर लिया गया है और अनुबन्धों पर हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रक्रिया और मौलिक इंजीनियरी कार्य विभिन्न लाइसेन्सर कार्यालयों में पूर्णावस्था के अंतिम चरण में हैं। क्रेकर एकक के लिए इंजीनियरी, खरीद और निर्माण संविदाकार का चयन कर लिया गया है। वित्तीय संस्थानों के साथ विचार-विमर्श में प्रगति है।

(ख) काम्पलेक्स की अनुमानित लागत 5170 करोड़ रु. है और उत्पादन के 1999 के प्रथमार्द्ध तक अस्थाई तौर पर शुरू होने की योजना है।

(ग) लाइसेंस धारक, पश्चिम बंगाल राज्य औद्योगिक विकास निगम ने संयुक्त उद्यम के भागीदारों की पहचान करने व चयन करने में और नए उपक्रम के निर्माण करने में समय लिया। ऋण की व्यवस्था करने और प्रौद्योगिकी के चयन में भी समय लगा था।

[हिन्दी]

महिला अपराध शाखा

1462. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस की महिला अपराध शाखा (नानकपुरा) में महिलाओं द्वारा कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई तथा इनमें से वर्ष 1995-96 के दौरान निपटायी गई शिकायतों की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऐसी शिकायतों को समय-सीमा के भीतर निपटाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ फर्जी शिकायतें भी दर्ज की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो संबद्ध दोषी महिलाओं के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(च) महिलाओं द्वारा वापस ली गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) 1.1.1995 से 30.6.1996 तक की अवधि के दौरान महिलाओं द्वारा महिला अपराधा शाखा, नानकपुरा में 4633 शिकायतें दर्ज कराई गई। इनमें से 3990 शिकायतों को निपटाया गया।

(ख) और (ग). किसी शिकायत को निपटाने के लिए समय सीमा तीन माह रखी गई है। शिकायतों को उक्त समयावधि में निपटाने के लिए सभी उपाय किए जाते हैं।

(घ) और (ङ). झूठी शिकायत दर्ज कराने संबंधी कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(च) किसी भी महिला द्वारा कोई शिकायत वापस नहीं ली गई।

[अनुवाद]

भिवाड़ी को बड़ी रेल लाइन से जोड़ना

1463. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवाड़ी को जयपुर-दिल्ली-अहमदाबाद बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए वहां नई बड़ी लाईन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे अंतिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है तथा इस परियोजना का कार्य कब तक शुरू होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). भिवाड़ी के रास्ते खुर्जा-पलवल-रेवाड़ी-रोहतक तक की प्रस्तावित लाइन, जो भिवाड़ी को दिल्ली अहमदाबाद लाइन को रेवाड़ी पर जोड़ेगी, का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। परियोजना का मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाने पर रपट योजना आयोग को भेज दी जायेगी।

[हिन्दी]

पूर्णिया स्टेशन पर टेलीफोन सुविधा

1464. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान तथा आरक्षण के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). पूर्णिया स्टेशन पर पूछताछ के लिए पी एंड टी टेलीफोन की व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है। बहरहाल, पूर्णिया कोर्ट स्टेशन पर इस सुविधा की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं है।

रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

1465. श्री के.डी.सुल्तानपुरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं तथा कितने पद खाली पड़े है; और

(ख) इन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देश के अनुसार, वर्ष 1995 के दौरान 01.4.95 को विद्यमान अनु.जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। विशेष भर्ती अभियान में 01.4.95 को पता लगाई गई कमी तथा 31.3.96 तक भरी गई रिक्तियों और शेष कमी का विवरण इस प्रकार है :-

विवरण	वर्ग "ग"		वर्ग "घ"	
	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अनु. जाति	अनु. ज.जा
1.4.95 को पता लगाए गए सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले रिक्त पद	361	431	520	990
31.3.96 तक भरे जा चुके पद	306	324	58	809
शेष कमी	55	107	470	182

शेष कमी और 30.06.96 तक की कमी को पूरा करने के लिए 15.7.96 से एक और विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। जिसे 31.3.97 तक पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

आउट एजेन्सी

1466. श्री जी.एम.बनातवाला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोन्नानी (दक्षिण रेलवे, जिला मालापुरम स्थित कुट्टी पुरम स्टेशन पर आउट एजेन्सी काम नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस एजेन्सी को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). पोन्नानी की आउट एजेंसी को 7.6.96 से अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया था क्योंकि इस एजेंसी के ठेकेदार ने बिना किसी पूर्व सूचना के इसे छोड़ दिया था। बहरहाल, दक्षिण रेल प्रशासन नई निविदाएं आमंत्रित करके एजेंसी को पुनः शुरू करने के लिए कदम उठा रहा है।

[हिन्दी]

रेलवे कालोनी दानापुर

1467. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्वार्टर्स की मरम्मत के अभाव में दानापुर रेलवे कालोनी की हालत अच्छी नहीं है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्वार्टर्स के रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं, दानापुर में रेल क्वार्टरों का आवधिक रूप से अनुरक्षण किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

जन जातीय क्षेत्रों में रेल सम्पर्क

1468. श्री तारा चन्द भगोरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी आदिवासी क्षेत्रों को रेल मार्ग से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ग) क्या राजस्थान का बांसवाड़ा आदिवासी जिला रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार देश के सभी आदिवासियों जिलों विशेषतः राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को रेलमार्गों से जोड़ने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). जी नहीं।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सूरत से भुसावल तक रेल लाइन का दोहरीकरण

1469. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सूरत से भुसावल तक रेल लाइन के दोहरीकरण से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). जी नहीं। बहरहाल, इस लाइन पर अमलेण से नर्दण तक के खण्ड भाग के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे विचार करना संभव होगा।

असम में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1470. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान असम में आधुनिकीकरण किए गए स्टेशनों के क्या नाम हैं;

(ख) राज्य के उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम है जहां आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण हेतु राज्य के कुछ और रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक यह कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान रंगिया, गुवाहाटी, लमडिंग, गोसांईगांवहट, सिलचर और न्यूबोंगाईगांव रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया।

(ख) गुवाहाटी।

(ग) से (ङ). तिनसुकिया में नई स्टेशन इमारत और रंगिया में स्टेशन इमारत के ढांचे में परिवर्तन करने की व्यवस्था संबंधी कार्य शुरू किए गए हैं जिनके 1997-96 में पूरा हो जाने की संभावना है बशर्ते कि पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

बूचड़खानों से पर्यावरण को हानि

1471. श्री जगमोहन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तनों के निकट बूचड़खानों द्वारा पशुओं के शव और रक्त खुले में लापरवाही से फेंकने के कारण विमानों और पर्यावरण को हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और देश में राज्यवार कितने प्राधिकृत और अप्राधिकृत बूचड़खाने हैं; और

(ग) केन्द्र तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में क्या प्रभारी कार्यवाही/उपाय किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). विमानपत्तनों के निकट बूचड़खानों द्वारा पशुओं के शव और रक्त खुले में फेंकने से मांसभक्षी पक्षी आकर्षित होते हैं जिससे विमानों को क्षति हो सकती है और गंदगी और प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्राधिकृत बूचड़खानों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। अप्राधिकृत बूचड़खानों के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) बूचड़खानों की उचित व्यवस्था का दायित्व मुख्यतः नगर निगमों/समितियों तथा अन्य स्थानीय निकायों का होता है। तथापि, बूचड़खानों के कारण इस खतरे को कम करने के ध्येय से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिशा-निर्देशों के रूप में बूचड़खानों, मांस और समुद्री खाद्य प्रक्रिया पर एक व्यापक उद्योग दस्तावेज तैयार किया है।
- प्रदूषण को कम से कम करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अंतः संयंत्र नियंत्रण उपाय अर्थात् जल की खपत में कमी, प्रदूषण भार में कमी तथा गौण उत्पाद रिकबरी का सुझाव दिये हैं।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को बूचड़खानों की गतिविधियों को विनियमित करने तथा प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर देने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

बूचड़खानों का राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	बूचड़खाने
1.	आंध्र प्रदेश	343
2.	असम	5
3.	बिहार	47
4.	गुजरात	38
5.	हरियाणा	43
6.	हिमाचल प्रदेश	36
7.	जम्मू और कश्मीर	33
8.	कर्नाटक	633
9.	केरल	715
10.	मध्य प्रदेश	261
11.	महाराष्ट्र	282
12.	नागालैंड	7
13.	उड़ीसा	75
14.	पंजाब	89
15.	राजस्थान	380
16.	तमिलनाडु	183
17.	त्रिपुरा	3
18.	उत्तर प्रदेश	407
19.	पश्चिम बंगाल	11
20.	सिक्किम	21
21.	चंडीगढ़	1
22.	दिल्ली	1
23.	पांडिचेरी	2
	योग	3616

[हिन्दी]

रेल भूमि का अतिक्रमण

1472. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी जंकशन गधारा में रेल भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के बावजूद अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध रेलवे बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस भूमि को खाली कराकर वहां मंडल कार्यालय खोलने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गड़हरा रेलवे स्टेशन पर कुल 118 अतिक्रमण हुए हैं। अतिक्रमणों को हटाने संबंधी कार्रवाई सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के तहत (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) नियमित रूप से की जाती है।

(ख) जी नहीं।

[अनुवाद]

अप्रयुक्त टिकटों का पुनर्भुगतान

1473. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रयुक्त टिकटों के पुनर्भुगतान नियमों को उदार बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान अप्रयुक्त टिकटों की धन-वापसी से संबंधित नियमों को निम्नानुसार उदारीकृत किया गया है :-

(1) रात्रि 9 बजे के बाद जाने वाली गाड़ियों के लिए अगली सुबह भी आरक्षण कार्यालय खुलने के पहले दो घंटे के भीतर स्टेशन से धन-वापसी ली जा सकती है।

(2) कार्य के घंटों के दौरान और आरक्षण चार्ट बनने स पहले देश के ऐसे किसी भी स्टेशन/आरक्षण कार्यालय से, जो कंप्यूटर द्वारा टिकट जारी करने वाले स्टेशन से जुड़ा है। धन-वापसी ली जा सकती है।

(3) 500 कि.मी. से अधिक दूरी की खो गई/गलत स्थान पर रखी गई/फट गई/मुड़ी-तुड़ी टिकटों के बदले में अतिरिक्त टिकट जारी करने के प्रभार कम करके 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किए गए हैं बशर्ते कि 500 कि.मी. के किरायों के लिए 25 प्रतिशत प्रभारों की न्यूनतम वसूली हो जाए।

(4) यदि एक समूह/परिवार की टिकट में कुछ व्यक्तियों का आरक्षण पुष्ट है जबकि अन्य का प्रतीक्षा सूची में है तो पुष्ट आरक्षण वाले व्यक्तियों को भी पूरी धन वापसी लिपिकीय प्रभार घटाकर अनुमेय है, बशर्ते कि पूरी

पार्टी/परिवार की टिकट निर्धारित प्रस्थान समय से पूर्व 4 घंटे के भीतर और गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के बाद 3 घंटे तक यात्रा शुरू होने वाले स्टेशन पर अभ्यार्पित की जाती है।

(5) 453 महत्वपूर्ण स्टेशनों/आरक्षण कार्यालयों के स्टेशन मास्टरों को उनके स्टेशनों द्वारा जारी की गई उपयुक्त टिकटों जिन्हें धन वापसी के लिए इससे संबंधित नियमों में निर्धारित सामान्य समय सीमा के बाद धन-वापसी के लिए अभ्यार्पित किया गया हो की धन-वापसी करने के लिए स्वविवेक से निर्णय करने की विशेष शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

सिम्भावली चीनी मिल

1474. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के किसी विशेषज्ञ दल ने गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) स्थिति सिम्भावली चीनी मिल द्वारा धीरे-धीरे सुलगते रहने वाले औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को ढेर लगाने की घटना की जांच के संदर्भ में उक्त मिल का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो सदस्यीय एकदल ने सिम्भावली चीनी मिल लिमिटेड, गाजियाबाद का स्थल निरीक्षण किया है इसके मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

(1) उद्योग अपने परिसर के ब्राहर की तरफ निचले क्षेत्रों में राख फेंक रहा है।

(2) यद्यपि उद्योग ने शोधन सुविधाएं लगा रखी है, फिर भी बहिस्राव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यूनिट को अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया है और "वैद्य सहमति" की अनुपस्थिति में उद्योग का चलाना गैर-कानूनी है।

(4) शोधन के बाद बहिस्राव में उच्च जैव-रसायनिक आक्सीजन डिमांड होती है जिसे कि खुले समुद्रतल/कच्चे नाले में बहाया जाता है जो कि भूमिगत जल प्रदूषण का स्त्रोत है।

(ग) सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत, 2 जुलाई, 1996 को मैसर्स सिम्भावली चीनी मिल लि. को बन्द कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।

यात्री सुविधाएं

1475. श्री रामचन्द्र डोम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उपनगरीय रेलगाड़ियों के लिए कुल कितना योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय नियत किया गया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल तथा पूर्व रेलवे के अन्य सेक्शनों में उप-नगरीय तथा अन्य रेलगाड़ियों में यात्री सुविधाओं में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त सेक्शनों के अन्तर्गत यात्री सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान पश्चिम बंगाल को सेवित करने वाली पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलों की उपनगरीय गाड़ी सेवाओं पर 376.67 करोड़ रु. खर्च हुए।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिकोहाबाद में रेल उपरिपुल

1476. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में रेल फाटक पर उपरिपुल के निर्माण किए जाने की लंबे समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपरिपुल ने निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार वहां उपरिपुल के अभाव में हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त पुल का यथाशीघ्र निर्माण करायेगी;

(घ) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक करा लिया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

अहमदाबाद में रेल उपरिपुल

1477. श्री सनत मेहता : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 ए रेलवे फाटक पर उपरिपुल का निर्माण कार्य 1993-94 तक पूर्ण होना था;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा इसके दोनों तरफ सम्पर्क मार्गों का निर्माण पूरा करा दिया गया है लेकिन इस उपरिपुल के बीच का निर्माण कार्य जिसे रेलवे को पूरा करना था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसे यातायात हेतु कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्ग-8 ए पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। बहरहाल, अहमदाबाद के निकट समपार सं. 238 के बदले में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया गया है और इसे यातायात के लिए 1994 में खोल दिया गया था।

यूरिया का आयात

1478. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम जो अनेक वर्षों से आयात करने वाली एकमात्र एजेंसियां रही हैं, के बजाय कुछ सरकारी कंपनियों को यूरिया के आयात हेतु पात्र बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कंपनीवार किसी तिथि से प्रचलित नीति में परिवर्तन को मंजूरी दी गई थी;

(ग) इस नीति में छूट के क्या कारण हैं;

(घ) कुल कितनी मात्रा में यूरिया के आयात हेतु अनुबंध किया गया था और 31 मार्च, 1996 तक प्रत्येक एजेंसी द्वारा वास्तव में यूरिया की कितनी मात्रा प्राप्त की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस नीतिगत निर्णय की समीक्षा करने और पुरानी प्रणाली को बहाल करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस नीतिगत निर्णय की समीक्षा कब किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). सरकारी खाते में यूरिया का आयात 1994-95 तक पूर्णतः मै. एम.एम.टी.सी. के माध्यम से सरणीकृत था 1 अक्तूबर, 1994 में जब एमएमटीसी आवश्यकतानुसार मात्रा की सुपुर्दगी देने में असमर्थ हो गया तब एमएमटीसी के प्रयासों में सहायता देने के लिए नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पाइराइटस फास्फेट एण्ड केमिकल्स लि. और मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. को तदर्थ आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। 1995-96 में एनएफएल, पीपीसीएल तथा राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) और इंडियन पोटास लि. (आईपीएल) को सरकारी खाते में यूरिया आयात के लाइसेंस धारक के रूप में शामिल किया गया था और एमएमटीसी अग्रणी सरणीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती रही।

(घ). वर्ष 1995-96 के दौरान प्रत्येक सरणीकरण एजेन्सी के द्वारा अनुबंधित तथा वास्तव में प्राप्त मात्राएं इस प्रकार हैं :

मात्रा (लाख टन में)

सरणीकरण एजेन्सी का नाम	1995-96 अनुबंधित मात्रा	वास्तव में प्राप्त मात्रा
एमएमटीसी	28.81	26.03
एसटीसी	6.17	3.09
पीपीसीएल	6.75	3.85
एनएफएल	5.76	3.35
आईपीएल	3.37	1.50

(ङ) और (च). वर्तमान में एकल एजेंसी प्रणाली को बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भद्रक और बालासोर रेलवे स्टेशन

1479. श्री मुरलीधर जेना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे के भद्रक एवं बालासोर रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं को सुधारने तथा इन्हें आधुनिक बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी एक्सप्रेस का बालासौर स्टेशन पर ठहराव बनाने की कोई मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) प्लेटफार्म सायबानों का विस्तार, प्लेटफार्मों को ऊंचा करने, बुकिंग आरक्षण सुविधाओं, ऊपरी पैदल पुल, स्टेशन भवनों के ढांचे में परिवर्तन जैसी सुविधाओं में सुधार/वृद्धि करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) मांग पर विचार किया गया था लेकिन औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

दैत्री बम्पानी रेल लाइन

1480. श्री माधव सरदार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दैत्री-बम्पानी रेल लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास पानीकोइली तथा राउरकेला के बीच इसके महत्व को मद्देनजर रखते हुए एक नई रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) 0-124 कि.मी. कार्य प्रगति पर है जिसमें से बांसपानी से जोरारी तक का पहला 15 कि.मी. का खंड इस वर्ष खोल दिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खान-पान ठेके का हस्तांतरण

1481. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति के अनुसार खानपान/वेंडिंग ठेके, ठेकेदार की मृत्यु के पश्चात् उसके कानूनी उत्तराधिकारी को स्वतः हस्तान्तरित हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मार्ग निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). नीति के अनुसार, खानपान वैडिंग यूनिट के लाइसेंस धारी की मृत्यु हो जाने के मामले में ठेके की शेष अवधि के लिए लाइसेंस कानूनी उत्तराधिकारी के नाम हस्तांतरित किया जा सकता है।

पुरूलिया में गिराए गए हथियारों का बरामद किया जाना

1482. डा. जी.आर.सरोदे :
डा. साहेबराव सुकराम बागूल :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री सोहन वीर सिंह :
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरूलिया में गिराये गये सभी हथियार बरामद किये जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां से बरामद किए गए विदेशी हथियारों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). पुरूलिया में शस्त्र गिराने के मामले में संलिप्त मुख्य अभियुक्त मि. पीटर ब्लीच के अनुसार, गिराए गए शस्त्रों, गोलाबारूद इत्यादि की अनुमानित मात्रा और वास्तव में (30.6.1996 तक) बरामद किए गए हथियारों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस मामले में मुख्य अभियुक्त मि. पीटर ब्लीच ने पूछताछ के दौरान यह कहा बताया जाता है कि गिराए गए शस्त्रों की खेप का मूल्य 1,65,000 अमरीकी डालर है जिसमें शस्त्रों इत्यादि को हवाई जहाज से गिराने के लिए प्रयोग में लाए गए एयरक्राफ्ट की लागत 30,000 अमरीकी डालर भी सम्मिलित है।

विवरण

30.6.96 की स्थिति के अनुसार शस्त्रों, गोलाबारूद इत्यादि के ब्यौरे

क्र.सं.	मद	हवाई जहाज से गिराए गए शस्त्रों की अनुमानित मात्रा (पीटर ब्लीच के अनुसार)	30.6.96 तक की गयी वास्तविक बरामदगी
1	2	3	4
1.	ए.के. 47/56 (कलाशनिकोव)	300	246
2.	7.62 गोलाबारूद (50 मी.मी. टाइप)	36,400	20,543 राउंड
3.	9 एम.एम. पिस्तौल	25	11
4.	9 एम.एम. गोला बारूद	3,840	3,885 राउंड
5.	राकेट लाउन्चर	10	10

1	2	3	4
6.	राकेट लाउन्चर के लिए बूस्टर	100	69
7.	टेलिस्कोपी साईट फार राकेट लाउन्चर	10	6
8.	डेरगूनोव 7.62 स्नीफर राईफले	2	2
9.	हथगोले	100	65
10.	टैंक भेदी हथगोले	100	78
11.	डी.वी.एम. लिक्विड केन्स (फ्यूज एण्ड इगनीटर सिस्टम फार ग्रेनेड)	10	9
12.	पैरासूट	3	3
13.	नाईट विजन उपकरण	2	2
14.	तेल के बर्तन		60
15.	क्लीनिंग रोड		4
16.	पाउच (कनवास पाउच और स्याव पाउच)		162
17.	रिवाल्वर होलस्टर		19
18.	क्लीनिंग ब्रुश		59
19.	नाईलोन की रस्सी		1
20.	स्लीग		102
21.	खाली मैगजीन		914

[हिन्दी]

हसनपुर से सीकरी तक मीटर रेल लाइन

1483. **श्री पीताम्बर पासवान :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा 1974 में हसनपुर से सीकरी तक मीटर रेल लाइन बिछाने का शिलान्यास कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो 22 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अब तक काम शुरू न होने के कारण क्या है;

(ग) सरकार का विचार अब बिना कोई विलम्ब किए उक्त कार्य को कब तक आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) हसनपुर सीकरी नई मीटर लाइन का कार्य 1974-75 के बजट में शामिल किया गया था, परंतु कम परिचालनिक प्राथमिकता तथा संसाधनों की तंगी होने के कारण धन की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इसे 1986 में बंद कर दिया। अब पुनः इस परियोजना को 1996-97 के बजट में शामिल किया गया है।

(ग) बजट पास हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उप-नगरीय रेलवे स्टेशन में कम्प्यूटरीकरण

1484. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उप-नगरीय रेलवे स्टेशन पर टिकट कांउटरों को कंप्यूटरीकृत करने का है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) महानगरों और बड़े कस्बों के कतिपय उपनगरीय स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया करायी गई हैं। मुंबई में आठ उपनगरीय स्टेशनों पर सीजन टिकट जारी करने के लिए प्रयोग के आधार पर कंप्यूटरीकृत भी किया गया है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण उपनगरीय स्टेशनों पर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित स्वतः मुद्रण टिकट मशीनें भी लगाई गई है।

(ख) और (ग). 1996-97 के वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रेलों के 21 अतिरिक्त उपनगरीय स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है। उपनगरीय स्टेशनों पर ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 12.29 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

छपरा से सिवान के बीच बड़ी लाइन

1485. श्री लाल बाबू प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोपालगंज से होकर छपरा से सिवान के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

[अनुवाद]

वाडी से गदग के बीच रेल लाइन

1486. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में वाडी से गदग के बीच नई रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव सरकार के पास 1952 लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना पर अनुमानतः किसी लागत आयेगी; और

(ग) इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

रेल लाइन का मार्ग बदलना

1487. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलबर्गा, हुस्नाबाद तथा भल्की होकर बंगलौर से मनमांड तक रेल लाइन का मार्ग बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा के लिए नवादा से होकर रेलगाड़ी

1488. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवादा शीएतपुर से होकर दिल्ली तथा हावड़ा के बीच चलने वाली किसी रेलगाड़ी की दिशा बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों के कारण।

केरल में सबरी रेल लाइन

1489. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में "सबरी" रेल लाइन से संबंधित प्रथम चरण की प्रारंभिक व यातायात सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रथम चरण के निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) पूनालूर से त्रिवेन्द्रम तक के सबरी रेल लाइन के द्वितीय चरण के सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). एरूमेली से सबरीमाला शाखा सहित एरूमेली के रास्ते कोट्टायम से पूनालूर तक प्रस्तावित लाइन के लिए एक सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है और पाया गया है कि यह लाइन लाभदायक नहीं होगी। बहरहाल, कई संसद सदस्यों और केरल के मुख्य मंत्री ने

सूचित किया है कि यदि प्रस्तावित लाइन का विस्तार तिरूवन्नतपुरम और सबरीमाला से डिंडीगुल तक किया जाए तो यह लाइन वैकल्पिक मार्ग बनेगी और अर्थक्षम होगी, इन लाइनों के लिए कई अलग-अलग मांगें भी प्राप्त हुई थीं। अतः मार्गों, जिनका सृजन किया जाएगा तथा अलग-अलग खंडों की लागत तथा यातायात संभाव्यता के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण का क्षेत्र बढ़ाया गया और इसमें पुनालूर से तिरूवनंतपुरम तक नई ब.ला. का सर्वेक्षण शामिल किया गया। सर्वेक्षण अभी किया जा रहा है और इसकी रिपोर्ट इस वर्ष में प्राप्त हो जाने की आशा है। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ही इस परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

पेट्रोलियम मुल्य वृद्धि का प्रभाव

1490. श्री राजेश पायलट : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि का सीमांत, मध्यम और बड़े जोत वाले किसानों पर श्रेणी-वार और लागत-वार अलग-अलग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या प्रभाव है;

(ख) क्या सरकार का विचार लागत बढ़ने के कारण किसानों को क्षतिपूर्ति करने का है और यदि हां, तो कितना और किस प्रकार यह करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा सूत्र तैयार करने का है जिससे विशेषतौर पर सीमान्त और मध्यम जोत के किसानों को क्षतिपूर्ति दी जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सूत्र की रूपरेखा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) कृषि क्षेत्र में डीजल का प्रयोग मुख्यतया फार्म मशीनरी तथा सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत में फसलों की खेती/उत्पादन की लागत की व्यापक अध्ययन योजना के अंतर्गत उपलब्ध आकलन के अनुसार कुल लागत में डीजल की औसत लागत लगभग 4 प्रतिशत है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य, जहां मशीन का अधिक प्रयोग किया जाता है यह प्रतिशत 6 प्रतिशत या इससे कुछ अधिक है। डीजल की कीमत में 15 प्रतिशत वृद्धि होने से फसलों के उत्पादन की समग्र लागत में लगभग 0.6 प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है, जबकि पंजाब और हरियाणा में समग्र लागत में 0.7 प्रतिशत से 0.9 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। जोतों के आकार और श्रेणी के अनुसार उपलब्ध नहीं है।

(ख) डीजल के मूल्य में वृद्धि को उत्पादन की लागत में जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का स्तर निर्धारित करने का यह महत्वपूर्ण वास्तविक कारक है। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निकालते समय डीजल के मूल्य में वृद्धि पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

रेल लाइन का दोहरीकरण

1491. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोट्टायम से होकर गुजरने वाली एर्णाकुलम-कयामकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नैफेड की खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्री

1492. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित नैफेड की प्रसंस्कृत खाद्य फैक्ट्री गत तीन वर्षों से काफी अधिक घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे के कारणों का पता लगाने तथा इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु समूचे मामले की जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली स्थित नैफेड की खाद्य प्रसंस्करण फैक्टरी को 1992-93 तथा उसके बाद हुआ घाटा इस प्रकार है :-

वर्ष	कुल घाटा (लाख रुपये में)
1992-93	44.60
1993-94	55.14
1994-95	130.50

उपर्युक्त घाटे के मुख्य कारण सामान्यतया अप्रचलित संयंत्र तथा मशीनरी, पूंजी पर ब्याज, उच्च मजदूरी तथा प्रशासनिक खर्चे हैं।

(ग) से (ङ). निदेशक मंडल द्वारा खाद्य प्रसंस्करण फैक्टरी के क्रिया-कलापों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। विशेषज्ञ समिति ने कुछ सिफारिशें की थी जिन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

वातानुकूलित सवारी डिब्बे की शुरूआत

1493. श्री ए.जी.एस. रामबाबू : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मदुरै-बंगलोर सेक्शन पर चलने वाली रेलगाड़ियों में तीन-टियर वातानुकूलित सवारी डिब्बे शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों द्वारा वातानुकूलित 3 टियर वाले सवारी डिब्बे निर्मित किए जा रहे है जिनमें एयर ब्रेक प्रणाली है और एयर ब्रेक में बदलने के लिए इन्हें गाड़ियों में उत्तरोत्तररूप से लगाया जा रहा हैं।

जामनगर से अभ्यावेदन

1494. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को द्वारिका तक बढ़ाने, जामनगर स्टेशन पर आरक्षण कोटे में वृद्धि तथा सौराष्ट्र, जनता, सौराष्ट्र एक्सप्रेस एवं इंटर सिटी एक्सप्रेस की समय सारणी में परिवर्तन के संबंध में जामनगर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). संसद सदस्यों और जामनगर की यात्री एशोसिएशनों सहित अन्य से इस संबंध में समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) लम्बी दूरी की गाड़ियों को द्वारका तक बढ़ाने, सौराष्ट्र जनता एक्सप्रेस, सौराष्ट्र एक्सप्रेस और हापा/राजकोट-अहमदाबाद एक्सप्रेस के समय में परिवर्तन करने की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया। जहां तक जामनगर से आरक्षण कोटे में वृद्धि करने का संबंध है इस स्टेशन पर यात्री आरक्षण प्रणाली की व्यवस्था है जो मुंबई यात्री आरक्षण प्रणाली से जुड़ी हुई है और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहां से मुंबई यात्री आरक्षण प्रणाली को पूरा कोटा प्राप्त किया जा सकता है। जामनगर पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण के बाद जिन गाड़ियों में विशिष्ट कोटा निर्धारित है उसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और उपयोग के आधार पर उनका यथा संभव सीमा तक समायोजन किया जाता है।

वन क्षेत्र

1495. श्री कृष्ण लाल शर्मा :
डा. प्रवीन चंद्र शर्मा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 से लेकर आज तक रक्षित वन सहित कुल वन क्षेत्र के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रतिवर्ष 47,500 हेक्टैयर की दर से गैर कानूनी ढंग से वनों की कटाई के परिणामस्वरूप देश में वन क्षेत्र का केवल दस प्रतिशत शेष रह गया है;

(ग) वन क्षेत्र के कम प्रतिशत रह जाने के क्या कारण हैं;

(घ) वन कटाई का वन और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) वन कटाई को रोकने तथा वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं अथवा किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) 1985-87, 1989-91, की अवधि में वन आवरण तथा 1987-89 की अवधि में आरक्षित वन आवरण के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार देश में वन आवरण का क्षेत्र 64.01 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.47 प्रतिशत है।

(ग) देश में अल्प वन आवरण के मुख्य कारणों में बढ़ती हुई मानव और पशु आबादी के साथ अत्यधिक जैवीय दबाव, अवैध कब्जे, अत्यधिक चराई, झूम खेती, दावांनल, प्राकृतिक पुर्नरूद्धार में कमी, रोग, बाढ़, सूखा, चक्रवात, उत्खनन आदि जैसे प्राकृतिक प्रकोपों का होना है।

(घ) क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर वन नोशन के प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से हैं -

- वर्षा, तूफान आदि द्वारा भारी कटाव के कारण भूमि अवक्रमण और भूमि का निर्बल होना।
- जैवीय महत्व के जीन-पूल, जैव-विविधता और वन्य जीव वास स्थलों की क्षति।
- उत्पादकता में कमी जिससे मानव और जीव-जन्तुओं के प्रयोग के लिए जैव-मांस का कम उत्पादन होता है।
- पादपों तथा जीवजंतुओं के दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों की विलुप्तता
- जल संसाधनों सहित जीवन रक्षक प्रणाली में विसंगति।

(ङ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा वन नाशन गतिविधियों को रोकने और वन आवरण में वृद्धि करने के लिए किए गए और किए जाने वाले प्रस्तावित प्रभावी उपाय/स्कीम निम्नवत है :-

- वनेत्तर प्रयोजना के लिए वन भूमि के अन्तरण को विनियमित करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम, 1980 का अधिनियमन।
- वन और वन्यजीव अपराधों की रोकथाम के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 का क्रियान्वयन।
- बाघ परियोजना, हाथी परियोजना आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के जरिए जैवीय महत्व के वन्य जीवन का दुर्लभ तथा संकटापन्न प्रजातियों और उनके अद्वितीय वास-स्थलों का संरक्षण।
- केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की स्कीमों के तहत बड़ी मात्रा में वनीकरण/पुनर्वनीकरण।
- लकड़ी की खपत को कम करने के लिए काष्ठ प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना, ईंधन को बचत करने वाले उपकरणों का संवर्धन।
- प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करने के लिए वनेतर क्षेत्रों में कृषि वानिकी और समन्वित परती भूमि विकास कार्यक्रम संचारित करना।
- वनों के संरक्षण और पुनरूद्धार में ग्राम समुदायों तथा स्वैच्छिक अभिकरणों को शामिल करके संयुक्त वन प्रबन्धन का क्रियान्वयन।

विवरण

(क्षेत्र वर्ग कि.मी.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	कुल वन आवरण 1985-87	कुल वन आवरण 1989-91	1987-89 की अवधि में आरक्षित वन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	47911	47256	50,075.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	68763	68661	15,321.35
3.	असम	26058	24508	17,927.81
4.	बिहार	26934	26587	5,051.00
5.	गोवा (दमन और दीव सहित)	1300	1250	651.975
6.	गुजरात	11670	12044	13,763.88
7.	हरियाणा	563	513	229.47
8.	हिमाचल प्रदेश	13377	12502	1,896.00
9.	जम्मू और कश्मीर	20424	20443	20,173.74
10.	कर्नाटक	32100	32343	28,610.53
11.	केरल	10149	10336	9,152.11
12.	मध्य प्रदेश	133191	135396	80,976.01
13.	महाराष्ट्र	44058	43859	42,722.00
14.	मणिपुर	17885	17621	1,463.00
15.	मेघालय	15690	15769	980.63
16.	मिजोरम	18178	18697	7,127.00
17.	नागालैंड	14356	14348	8,625.00
18.	उड़ीसा	47137	47145	26,107.61
19.	पंजाब	1151	1343	43.36
20.	राजस्थान	12966	13099	12,301.74
21.	सिक्किम	3124	3119	2,650.00
22.	तमिलनाडु	17715	17726	18,838.00
23.	त्रिपुरा	5325	5538	3,847.09
24.	उत्तर प्रदेश	33844	33961	36,151.55
25.	पश्चिम बंगाल	8394	8186	7,054.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7624	7624	2,929.00
27.	चंडीगढ़	8	5	1.94
28.	दादर व नागर हवेली	205	206	203.08
29.	दिल्ली	22	22	42.00
30.	लक्षद्वीप	-	-	-
31.	पांडिचेरी	-	-	-
	कुल	640122	640107	414916.165

मत्स्यन पत्तन

1496. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल के पोन्नानी में एक मत्स्यन पत्तन बनाने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इसके कब तक अनुमोदित होने की संभावना है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से परियोजना प्रस्ताव 916.00 लाख रुपये के लिये प्राप्त हुआ था तथा इसकी जांच की गई थी और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि माडल अध्ययन करके एक तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि इस परियोजना की तकनीकी उपयुक्तता और आर्थिक व्यावहार्यता सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार से संशोधित रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

1497. श्री सुशील चन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े कितने मामलों के संबंध में कल्याण आयुक्त, भोपाल द्वारा मुआवजे की श्रेणियों में संशोधन किए जाने संबंधी अभ्यावेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय के अनुसार उन अस्वीकृत मामलों पर फिर से विचार किया जाएगा;

(ग) क्या कल्याण आयुक्त, भोपाल द्वारा ऐसे मामलों की सूची सूचना-पट पर लगा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तिथि क्या है;

(ङ) क्या कुछ मुआवजे के मामले "लोक अदालत" की परिधि में भी लाए गए है;

(च) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इनके क्या कारण हैं;

(छ) ये मामलें किस आधार पर लोक अदालत" को भेजे गए; और

(ज) क्या "लोक अदालत" द्वारा निपटाए गए मामलों को अपास्त कर दिया जाएगा क्योंकि "लोक अदालत" प्रणाली में अपील करने का प्रावधान नहीं था?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) 300

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). जी, हां 25.5.1996 को।

(ङ) से (छ). जी, हां। लोक अदालतों में 49,299 दावों के मामलों पर निर्णय लिया गया था। दावों के तुरन्त निपटान के लिए ये मामले लिए गए थे।

(ज) जी, हां। क्षुब्ध दावेदार कानून के प्रावधानों के लिए न्यायालय जा सकते है और ऐसे कुछ मामलों पर अपीलीय अदालतों द्वारा निर्णय भी लिए गए है।

[अनुवाद]

केरल में रेल उपरिपुल

1498. श्री रमेश चेन्नितला :
श्री सुरेश कोडीकुनील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कौन-कौन से रेल उपरिपुल निर्माणाधीन है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) इन रेल उपरिपुलों की निर्माण की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार की योजना चालू वर्ष के दौरान और अधिक रेल उपरिपुल निर्मित करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) छह तीन लागत हिस्सेदारी के आधार पर और तीन "निक्षेप" शर्तों के अनुसार निम्न प्रकार हैं ।

लागत हिस्सेदारी पर आधारित

1. शोरूवण्णूर मंगलोर खंड पर तेल्लीचेरी में 732/9-10 कि.मी. पर समपार सं. 229 के बदले में।

2. शोरूवण्णूर - मंगलोर खंड पर वडक्कांचेरी और मुलहगुण्णत्तुकावु के बीच 17/16-17 और 20/6-7 कि.मी. पर समपार सं. 13 ओर 15 के बदले।

3. बेलिंगटन रोड-राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47-ए पर, जो वेलिंगटन आइलैंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47-ए की कोचीन बाई पास को जोड़ती है।

"निक्षेप" की शर्तें

(i) और (ii) शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खण्ड पर कलमरूसेरी ओर इडपल्ली स्टेशनों के बीच 94/12-13 कि.मी. पर दो ऊपरी सड़क पुल।

(iii) शोरूवण्णूर-कोचीन हार्बर टर्मिनस खण्ड पर अल्लूर और पाडुक्काड स्टेशनों के बीच 40/5-6 कि.मी. पर ऊपरी सड़क पुल।

(ख) 1816.20 लाख रुपये।

(ग) जी हां।

(घ) वर्कला और अकुतुमुरी स्टेशनों के बीच 179/13-14 कि. मी. पर समपार सं. 561 के बदले निचले सड़क पुल के निर्माण कार्य को 1996-97 के रेलवे बजट से शामिल किया गया है।

आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत प्रवेश

1499. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर और गया के बीच यात्री आरक्षित डिब्बों में जबरन प्रवेश कर जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन पर अनाधिकृत प्रवेश तथा बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) गया और कानपुर के बीच शयनयान सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश की कुछ शिकायतें ध्यान में आई हैं।

(ख) विशिष्ठ शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के अलावा, वाणिज्यिक और सतर्कता विभाग द्वारा बिना उचित प्राधिकार के यात्रा करने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के साथ संगठित रूप से अचानक जांचें आयोजित की जाती हैं। रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कानपुर और गया के बीच चलने वाली गाड़ियों में जांच बढ़ा दी गई है।

[हिन्दी]

अर्धसैनिक बलों में भर्ती

1500. प्रो. रासा सिंह रावतः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अर्धसैनिक बलों में जवानों तथा अफसरों की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : अर्ध-सैनिक बलों में अधिकारियों की सीधी भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों में जवानों की भर्ती भी अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को उनकी जनसंख्या के आधार पर वार्षिक रिक्तियां आबंटित की जाती हैं। भर्ती सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार की जाती है।

दून एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

1501. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) क्या 3009 हावड़ा-दून एक्सप्रेस पिछले एक साल से बरेली जंक्शन पर निरंतर विलंब से आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए उक्त रेलगाड़ी समय पर चले, क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). पिछले एक वर्ष के दौरान 3009 अप दून एक्सप्रेस का समपालन विभिन्न कारणों जैसे दुर्घटनाओं, आन्दोलनों, उपस्कर की खराबियों, खतरे की जंजीर खींचने मार्ग, परिवर्तित हो जाने, शरारती गतिविधियों आदि के कारण संतोषजनक नहीं रहा है।

(ग) विभिन्न स्तरों पर गहन जांच तथा प्रतिदिन निगरानी रखने सहित सभी प्रयास नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके अलावा, निरीक्षक तथा अधिकारी दोनों स्तर पर समयपालन अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

दलहनों का विकास

1502. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दलहन के विकास के लिए प्रयास किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में इस संबंध में क्या-क्या प्रयास किए गए हैं और इसके क्या ठोस परिणाम निकले?

कृषि मंत्री (पुशपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली में स्थित 255 चयनित जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये क्षेत्रीय प्रदर्शन, प्रशिक्षण आयोजित करके, गुणवत्ता वाले बीज, बेहतर फार्म उपकरणों, राइजोबियम कल्चर, सूक्ष्म पोषक, छिडकाव के लिये प्रचार-प्रसार करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा दाल की अद्यतन उत्पादन प्रौद्योगिकी की प्रदर्शन करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विभागों के माध्यम से प्रमुख प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं।

कृषि मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों की एक पत्र भी भेजा है जिसके तहत दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिये समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान दालों के उत्पादन के रूप में प्राप्त सकल परिणाम का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दलहन का उत्पादन ('000 टन)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	उत्पादन 1993-94	1994-95	1995-96 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	677.0	636.5	804
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.3	5.5	-
3.	असम	57.0	59.4	84
4.	बिहार	735.5	810.5	811

1	2	3	4	5
5.	गोवा	5.1	5.1	–
6.	गुजरात	538.1	518.5	432
7.	हरियाणा	469.6	493.6	566
8.	हिमाचल प्रदेश	8.6	10.3	22
9.	जम्मू और कश्मीर	19.2	19.2	20
10.	कर्नाटक	630.3	625.2	769
11.	केरल	33.3	33.0	20
12.	मध्य प्रदेश	3264.6	3572.0	3679
13.	महाराष्ट्र	2205.3	1698.3	1812
14.	मेघालय	2.5	2.4	–
15.	मणिपुर	–	–	–
16.	नागालैंड	10.0	10.0	–
17.	उड़ीसा	498.6	563.6	537
18.	पंजाब	80.7	90.5	92
19.	राजस्थान	1071.1	1965.6	1874
20.	सिक्किम	5.5	4.4	–
21.	तमिलनाडु	276.4	396.0	556
22.	त्रिपुरा	6.5	6.5	–
23.	उत्तर प्रदेश	2516.0	2418.7	2633
24.	पश्चिम बंगाल	170.6	153.9	205
25.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.8	0.8	–
26.	दिल्ली	1.0	1.0	–
27.	अन्य *	16.20	16.2	51
	अखिल भारत	13304.8	14116.7	14967

* मणिपुर, दिल्ली तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह भी सम्मिलित है।

महाराष्ट्र में उपरिपुल

1503. श्री संदीपान थोरात : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त किन-किन रेल परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ख) इन पर हुई कार्यवाही/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो महीने के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य में रेल फाटकों पर उपरिपुल के निर्माण हेतु क्या विशेष कदम उठाए जाने का विचार है ताकि ट्रैफिक जाम को रोका जा सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र की निम्नलिखित परियोजनाओं को हाल ही में 1996-97 के बजट में शामिल किया गया है :—

1. **दोहरीकरण**

   1. पनवेल-रोहा-भूमि अधिग्रहण
   2. सेवाग्राम (वर्धा पूर्व) चितोड़ा

(घ) रेलें एक लाख या इससे अधिक टी.वी.यू. (गाड़ी वाहन यूनिट प्रतिदिन समपार से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या को सड़क वाहन यूनिटों की संख्या से गुणा करने से प्राप्त आंकड़ा) के यातायात घनत्व वाले व्यस्त समपारों को ऊपरी/निचले सड़क पुलों से बदलने के संबंध में राज्य सरकारों, जिन्हें अपने हिस्से की लागत वहन करनी होती है, के अनुरोध पर लागत में हिस्सेदारी के आधार पर विचार करती है।

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री

1504. कुमारी उमा भारती : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान तथा आज तक कितने बिना टिकट यात्रियों को पकड़ा गया;

(ख) इन यात्रियों से जुर्माने की कितनी राशि वसूली गई; और

(ग) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). 1995-96 के दौरान और अप्रैल से जून, 1996 तक 91.42 लाख व्यक्ति बिना टिकट और/अथवा अनुचित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े गए थे और उनसे किराए और दण्ड के रूप में 89.15 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई थी।

(ग) बिना टिकट/अवैध रूप से यात्रा करने की बुराई को दूर करने के लिए विशेष रेलवे मजिस्ट्रेटों, राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से बड़ी संख्या में टिकट जांच कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से विशेष और अचानक जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर नियमित रूप से गहन जांच यथा घेराबंदी जांच, घात लगाकर जांच की जाती है, 96 घंटे के अभियान चलाए जाते हैं, रेल अधिनियम, 1989 के तहत बिना टिकट यात्रा करते हुए पाये जाने पर न्यूनतम दण्ड की राशि 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गयी है।

[अनुवाद]

रेलवे प्लेटफार्म का रख-रखाव

1505. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक रेलवे प्लेटफार्म की सफाई एवं देख-रेख का कार्य निजी पार्टियों को पट्टे पर दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या-क्या हैं जहां प्लेटफार्म पट्टे पर दिए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). रेलवे प्लेटफार्मों के अनुरक्षण के लिए अलग से कोई ठेका नहीं दिया गया है। बहरहाल, एकमात्र विज्ञापन अधिकार के बदले में स्टेशन के सौंदर्यकरण/अनुरक्षण की योजना निम्नलिखित स्टेशनों पर परिचालन में हैं :—

जलगांव, मस्जिद, दादर, घाटकोपर, लुधियाना, जालंधर सिटी, अमृतसर, जम्मूतवी, सहारनपुर, वाराणसी, कानपुर, हजरत निजामुद्दीन, न्यू जलपाईगुडी, मद्रास सेंट्रल, क्रोमपेट, कुंभकोणा, माम्बलम, सिकन्दराबाद, विजयवाड़ा, हुबली, खड़गपुर, बांद्रा, खाररोड, अंधेरी, कांडीवली, बोरीवली, सूरत।

तांबलाई रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल

1506. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबलाई रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल बनाने हेतु कोई मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी नहीं, राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बे

1507. श्री अमर रायप्रधान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किन-किन गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बे उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या सरकारी कर्मचारियों को तीव्र गति की गाड़ियों में ऐसे सवारी डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण असुविधा हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन सभी गाड़ियों में प्रथम श्रेणी के सवारी डिब्बों को जोड़ने का है जिन्हें गत वर्षों में उनसे हटा दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) भारतीय रेल द्वारा 5 नगरों में लगभग 3800 उपनगरीय गाड़ियां चलाई जा रही है इनमें से दिल्ली, कलकत्ता तथा सिकंदराबाद की गाड़ियों में प्रथम श्रेणी का डिब्बा उपलब्ध नहीं है। अनुपनगरीय क्षेत्रों में लगभग 3950 गाड़ियां चलाई जा रही है इनमें से केवल कुछ ही गाड़ियों में प्रथम श्रेणी का डिब्बा उपलब्ध है। प्रथम श्रेणी रहित गाड़ियों का ब्यौरा वृहदाकार है और तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग). जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रत्येक गाड़ी में अधिक यात्रियों को ढोने तथा प्रत्येक डिब्बे में और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा यातायात में हो रही वृद्धि का सामना करने के लिए रेलवे ने प्रथम श्रेणी के डिब्बों का निर्माण करना बंद कर दिया। इसके स्थान पर अधिकाधिक गाड़ियों में वातानुकूलित 2 टियर तथा वातानुकूलित 3 टियर डिब्बों की व्यवस्था पहले से ही की जा रही है।

रेल डिब्बों को बदलना

1508. श्री ए.सी. जोस : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ियों को नए यात्री डिब्बे आबंटित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(ख) क्या सरकार का विचार लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के मौजूदा यात्री डिब्बों को प्राथमिकता के आधार पर बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) क्षेत्रीय रेलों को आवश्यकता के आधार पर सवारी डिब्बे आबंटित किए जाते हैं नए सवारी डिब्बों का प्रयोग मुख्य गाड़ियों में किया जाता है और यह चरणबद्ध तरीके से की जाने वाली सतत् प्रक्रिया है। 1995-96 के दौरान लगभग 15 जोड़ी लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में नए सवारी डिब्बों की व्यवस्था की गई।

न्यू बोंगई गांव में गाड़ी का ठहराव

1509. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा से चलने वाली सरायघाट एक्सप्रेस गाड़ी न्यू बोंगई गांव स्टेशन पर रुकती नहीं है;

(ख) क्या न्यू बोंगई गांव में स्टेशन पर रेलगाड़ी रोकने के लिए मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जांच की गई लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

बरियारपुर में पड़ाव

1510. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के बरियारपुर स्टेशन पर मुजफ्फरपुर-भरतपुर सिटी एक्सप्रेस के पड़ाव के लिए विक्रमशिला में दो वातानुकूलित शयनयान तथा चार द्वितीय श्रेणी के शयनयान के लिए तथा फरुक्का एक्सप्रेस में आरक्षण के कोटे के रूप में दो वातानुकूलित शयनयान तथा दो द्वितीय श्रेणी शयनयान के लिए संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं; और

(ख) उपरोक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं। विक्रमशिला/मगध एक्सप्रेस में बरियारपुर स्टेशन पर शयनयान श्रेणी में दो शायिकाओं का अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराने हेतु पूर्व रेलवे को अनुदेश दे दिए गए हैं। आरक्षित स्थान की सीमित उपलब्धता तथा मौजूदा कोटा धारक स्टेशनों द्वारा कोटे का पूरा उपयोग किए जाने के कारण इस गाड़ी में वातानुकूल शयनयान कोटा तथा फरक्का एक्सप्रेस गाड़ी में अतिरिक्त शयनयान श्रेणी कोटा आबंटित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां

1511. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की क्या करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने उच्च जलांक वाले स्थान से 500 मीटर के अन्दर तटीय क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह राज्य स्तर पर तटीय प्रबंध निकायों के कार्यों की देख-रेख के लिए राष्ट्रीय तटीय प्रबंध प्राधिकरण नामक एक शीर्ष निकाय स्थापित करे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). 1993 की सिविल रिट याचिका सं. 664 में दिनांक 18 अप्रैल, 1996 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने तक न्यायालय द्वारा 12.12.1994 और 9.3.1995 को पारित अन्तरिम आदेश लागू रहेंगे। दिनांक 12.12.1994 के अन्तरिम आदेश में न्यायालय ने सभी तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निदेश दिया है कि वे अधिकतम उच्च ज्वार रेखा में समुद्री जल से 500 मीटर के अन्दर तटीय क्षेत्रों में किसी उद्योग को लगाने या किसी अन्य प्रकार के निर्माण की अनुमति न दें। लेकिन बाद में दिनांक 9.3.1995 के अन्य अन्तरिम आदेश में न्यायालय ने 12 दिसम्बर, 1994 को संशोधन किया है और निदेश दिया है कि उद्योग लगाने या किसी अन्य उद्देश्य से निर्माण संबंधी सभी प्रतिबन्ध और निषेध जो कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.12.1991 को जारी और 16.8.1994 को संशोधित अधिसूचना में दिए गए हैं, सभी संबंधित राज्यों के द्वारा पूरी सतर्कता से अनुपालन किए जाएंगे।

(ग) से (ङ). तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को प्रभावी रूप से लागू करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निदेश दिया है कि वह प्रत्येक राज्य या क्षेत्र में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा (3) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय तटीय प्रबंध प्राधिकारियों और एक राष्ट्रीय तटीय प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार करे। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार एक केन्द्रीय और राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण स्थापित करने का एक ढांचा तैयार करने पर विचार कर रही है।

जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अधीन सहायता

1512. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में खेती करने के लिए किसानों की सहायता करने का है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में लगभग कितने जनजातीय लोग हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के विकास के लिए उनको कितनी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई; और

(घ) इस संबंध में चालू वर्ष के दौरान योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ). कृषि विकास कार्यक्रमों के निरूपण में आर्थिक बेहतरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली विशिष्ट योजनायें जो जनजातीय क्षेत्रों के व्यक्तियों को मदद करती है, ये हैं :—

1. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना।
2. कमजोर तबके की सहकारी समितियों को सहायता।
3. उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिये बीजों पर परिवहन राजसहायता।
4. ऋण सहकारी समितियों के लिये अंशपूंजी योगदान और प्रबन्धकीय सहायता के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष योजना।

यह सुनिश्चित करने के लिये भी उपाय किये गये हैं कि सरकार द्वारा क्रियान्वित अन्य उत्पादनोंन्मुख कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों तथा अन्य कमजोर तबकों को विशिष्ट लाभ मिलें। क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मामले में विकास के लिये उन क्षेत्रों की पहचान करने के प्रयास किये गये हैं जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात प्रमुख है।

उन महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची जिनके तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी को लाभ मिलते हैं, तथा 1992-96 के दौरान व्यय की कुल राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

योजनाओं से प्रत्यक्षतः तथा अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से कृषकों को लाभ मिलते हैं। प्रत्यक्ष योजनाओं में फसलोन्मुख योजनायें, कमजोर तबके के लिये सहकारी समितियां, बीजों के परिवहन पर राजसहायता, उर्वरकों को प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। अप्रत्यक्ष लाभ अवसंरचात्मक विकास से संबंधित योजनाओं से मिलते हैं। इसको ध्यान में रखते हुये उन जनजातियों की संख्या को विनिर्दिष्ट करना कठिन है जिनको इन कार्यक्रमों से लाभ मिला है।

विवरण

जनजातीय व्यक्तियों की सहायता के लिये महत्वपूर्ण योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना	कुल व्यय/1992-96 तक निर्मुक्तियां (रु. लाख में)
1	2	3
1.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना	2924
2.	कमजोर तबके की सहकारी समितियों को सहायता	537
3.	महिलाओं की सहकारी समितियों को सहायता	508
4.	उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लिये बीजों पर परिवहन राजसहायता	127
5.	ऋण सहकारी समितियों के लिये अंशपूंजी योगदान तथा प्रबंधकीय सहायता के लिये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष योजना	305
6.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	33533
7.	राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम	10018
8.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल	13032
9.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-गेहूं	11705
10.	गहन कपास विकास कार्यक्रम	3750
11.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम	671
12.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-मोटे अनाज	5240
13.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिये राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना	62659
14.	नदी घाटी परियोजना के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।	22077

1	2	3
15.	क्षारीय मृदा का सुधार	3017
16.	बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।	10622
17.	समेकित मसाला विकास	7871
18.	उष्ण कटिबंधीय शुष्क समशीतोष्ण अंचलीय फलों का समेकित विकास	4853
19.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग	13967
20.	कम खपत वाले वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग का विकास	379
	योग	207795

बलात्कार के मामलों की गोपनीय सुनवाई

1513. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बलात्कार के मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया को गोपनीय ढंग से कराने के लिए विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक लाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-327 के अधीन ऐसे उपबंध पहले से ही मौजूद हैं जिनमें, बलात्कार के मामलों की सुनवाई बन्द कमरे में करने तथा ऐसी कार्यवाही से संबंधित किसी सामग्री के मुद्रण अथवा प्रकाशन पर रोक लगाने के प्रावधान भी हैं।

कोलाघाट से नागौर तक बड़ी लाइन

1514. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे सर्वेक्षण संगठन (नार्दर्न रेलवे सर्वे आर्गेनाइजेशन) द्वारा राजस्थान में कोलाघाट से नागौर तथा फलोढी तक नई बड़ी लाइन बिछाने हेतु किए गए सर्वेक्षण का विवरण क्या है; और

(ख) सर्वेक्षण का काम किस स्तर पर लंबित है तथा विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट कब तक दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). राजस्थान में कोलायत (कोलाघाट) से फलोढी और फलोढी से नागौर तक नई बड़ी रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रपट इस वर्ष प्राप्त हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

महाराजगंज को रेल मार्ग से जोड़ना

1515. **श्री पंकज चौधरी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के महाराजगंज मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव लंबे समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस पर निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). परियोजना के समग्र रूप से अलाभप्रद होने तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी को देखते हुए, फिलहाल इस कार्य को शुरू किए जाने पर विचार करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पौध संरक्षण

1516. **श्री गुलाम रसूल कार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में फल वाले पेड़ों की सुरक्षा के लिये कौन-कौन से कीटनाशक प्रयुक्त हो रहे हैं;

(ख) क्या कीटनाशकों के विनिर्माताओं द्वारा बहुत अधिक मूल्य वसूले जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई नीति बनायी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) फलदार वृक्षों के संरक्षण के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कीटनाशी तथा कृमिनाशी है, मेंठोजेब, कार्बेन्डाजीम, डोडिन, केप्टॉन, जीराम, कार्बारिम, फास्फोमिडॉन, डाइकोफॉल आदि।

(ख) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ). सरकार ने कीटनाशियों की उपलब्धता उचित दरों पर सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैं :—

(1) विभिन्न कृमिनाशियों के स्वदेशी विनिर्माण में वृद्धि को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(2) आयात नीति के उदारीकरण के साथ कृमिनाशियों का आयात स्वतंत्रता-पूर्वक किया जा सकता है और बिक्री प्रतियोगी दरों पर की जा सकती है।

(3) कृषि उद्योगों/सहकारी समितियां/विपणन फेडरेशनों को अधिक कृमिनाशी फार्मूलेशन इकाइयों के साथ आगे आने तथा कृमिनाशियों का बड़े पैमाने पर वितरण करने के लिए प्रोत्साहित किए जा रहा है।

(4) आयातित कृमिनाशियों तथा मध्य उत्पादों पर लगने वाले सीमाशुल्क को शनैः शनै कम किया गया है।

रेलवे लाइन को दोहरा बनाए जाने पर खर्च

1517. श्री जेवियर अराकल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान यात्री तथा माल यातायात से जोनवार कितनी आमदनी हुई; और

(ख) इस वर्ष जून तक रेलवे लाइन को दोहरा बनाने पर जोनवार कितना खर्च हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) पिछले वर्ष के दौरान यात्री एवं माल यातायात से हुई आय का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

रेलवे	यात्री यातायात से हुई आय	माल यातायात से हुई आय
1	2	3
मध्य	1192.03	2225.81
पूर्व	644.22	1784.68
उत्तर	1186.10	2313.49
पूर्वोत्तर	330.37	219.12
पूर्वोत्तर सीमा	111.27	270.51
दक्षिण	595.75	797.11
दक्षिण मध्य	542.30	1531.63
दक्षिण पूर्व	403.00	3792.13
पश्चिम	1107.96	2355.92

(ख) जून, 96 तक इस वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत रेल लाइन के दोहरीकरण पर खर्च की गई जोन वार अनुमानित रकम इस प्रकार है :—

रेलवे	(आंकड़े करोड़ रुपये में)
मध्य	2.61
पूर्व	2.94
उत्तर	1.08
पूर्वोत्तर	0.06
पूर्वोत्तर सीमा	0.86
दक्षिण	3.75
दक्षिण मध्य	1.01
दक्षिण पूर्व	13.67
पश्चिम	0.80

[हिन्दी]

रेल लाइनों पर ब्रिटिश कंपनी का स्वामित्व

1518. डा. जी.आर. सरोदे :

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री मोहन रावले :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ क्षेत्र की तीन रेल लाइनों पर अभी भी ब्रिटेन का स्वामित्व है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटिश कंपनी ने इन लाइनों को पट्टे पर भारतीय रेल को दिया था;

(घ) यदि हां, तो कब तक यह पट्टा समाप्त हो जाने की संभावना है;

(ङ) पट्टा समझौता की प्रमुख बातें क्या हैं;

(च) क्या इन रेल लाइनों को अपने स्वामित्व में ले लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं। विदर्भ क्षेत्र में तीन रेल लाइनें भारत में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मैसर्स दी सेंट्रल प्रोविन्सेस रेलवे कंपनी लिमिटेड, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, के स्वामित्व में हैं, इन तीन लाइनों के अंतर्गत निम्नलिखित खंड आते हैं :—

1. मूर्तिजापुर — यावतमल	— 113 कि.मी.
2. मूर्तिजापुर — अचलपुर	— 77 कि.मी.
3. पुलागांव — आरवी	— 35 कि.मी.
जोड़	225 कि.मी.

(ग) कोई पट्टा करार निष्पादित नहीं किया गया है। ये लाइनें सी.पी. रेलवे कंपनी तथा पूर्व जी.आई.पी.रेलवे के बीच 1916 में किए गए ठेके और अनुपूरक ठेकों के मुताबिक करार की निम्नलिखित शर्तों पर ब्रांच लाइन के रूप में मध्य रेल द्वारा चालित हैं :—

1. मध्य रेल, परिचालन एजेंसी के नाते, संचालन व्यय के रूप में प्रतिवर्ष सकल आय का 45 प्रतिशत रख लेती है।
2. सकल आमदनी के शेष 55 प्रतिशत को इन लाइनों की शुद्ध आय के रूप में माना जाता है।
3. यदि शुद्ध आय, कंपनी द्वारा निवेश की गई पूंजी के 5% तथा प्रबंधनीय खर्च के लिएं 21,000 रुपए प्रतिवर्ष से कम हो तो गारंटी प्रतिफल के रूप में मध्य रेल द्वारा उसकी पूर्ति की जाएगी।
4. यदि शुद्ध आय उपर्युक्त गारंटीशुदा प्रतिफल से अधिक हो जाता है तो इसे मध्य रेल एवं मैसर्स सी.पी. रेलवे द्वारा बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा।

(घ) और (ङ). चूंकि कोई पट्टा नहीं है। इसलिए पट्टा समाप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) से (ज). करार के तहत केन्द्र सरकार को प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आवर्ती विकल्प है कि यह 31 मार्च, 1947 को या दस वर्ष की किसी अनुवर्ती अवधि के अंतिम वर्ष में 31 मार्च को कंपनी को 12 महीने का लिखित नोटिस देकर इन लाइनों को खरीद लें। पिछला विकल्प 31.3.96 को उपलब्ध था। विकल्प का उपयोग किया गया था कि ये शाखा लाइनें मध्य रेल द्वारा संचालित की जाती रहे।

हजारीबाग–दुमका के लिए रेल सेवा

1519. श्री ललित उरांव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हजारीबाग और दुमका को मंडल मुख्यालय से रेल मार्ग से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे रेल मार्ग से कब तक जोड़ दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रियायती भाड़े का दुरुपयोग

1520. श्री आर.एल.पी. वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को गत तीन वर्षों के दौरान अथवा हाल ही में भारतीय खाद्य निगम द्वारा "प्रायोजित" खाद्यान्न हेतु रियायती भाड़े के दुरूपयोग के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सरकारी संगठनों द्वारा ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायगी।

कोंकण रेल निगम

1521. श्री हरिन पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेल निगम द्वारा वृहत रेल परियोजनाओं पर कार्य कर रहे निजी ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है और संविदाओं पर हस्ताक्षर होने से पूर्व ही अग्रिम धनराशि का भुगतान कर दिया है;

(ख) क्या इन अनियमितताओं के संबंध में किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). कोंकण रेलवे परियोजना पर रेलवे बोर्ड के कार्यपालक निदेशकों की एक समिति अग्रिम भुगतान तथा उनकी वसूलियों के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा

1552. श्री काशी राम राणा :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में विभिन्न स्टेशनों पर सीधे दिल्ली, मुंबई और मद्रास जाने वाली गाड़ियों में सीटों के आरक्षण में वृद्धि करने के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है और प्रत्येक रेलगाड़ी में बढ़ाई गई सीटों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :—

स्टेशन/गाड़ी सं.			दिशा
वापी	2925	पश्चिम एक्सप्रेस	दिल्ली
अमलसाड	42	वीरमग्राम-मुंबई पैसेंजर	मुंबई
	9023	जनता एक्सप्रेस	दिल्ली
बिलिमोरा	9022	फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस	मुंबई
	9012	गुजरात एक्सप्रेस	मुंबई
वापी	9018	सौराष्ट्र-जनता एक्सप्रेस	मुंबई
	9006	सौराष्ट्र मेल	मुंबई
जामनगर	9018	सौराष्ट्र-जनता एक्सप्रेस	मुंबई
	9216	सौराष्ट्र एक्सप्रेस	मुंबई
धोलका	9006	सौराष्ट्र मेल	मुंबई
धंधका	9006	सौराष्ट्र मेल	मुंबई
बोटाद	9006	सौराष्ट्र मेल	मुंबई
जेतपुर	9006	सौराष्ट्र मेल	मुंबई
जूनागढ़	9006	सौराष्ट्र मेल	मुंबई

(ग) मांगों की जांच की गई है तथा वापी स्टेशन पर 2925 मुंबई-अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस में शयनयान श्रेणी की दो शायिकाओं का अतिरिक्त कोटा आबंटित कर दिया गया है। अन्य स्टेशनों पर उपलब्ध कोटा मांग के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

जोधपुर तथा जैसलमेर के बीच रात्रि रेलगाड़ी

1523. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर तथा जैसलमेर के बीच अप्रैल, 1995 में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के बाद दोनों स्टेशनों के बीच चलने वाली रात्रि पैसेंजर रेलगाड़ी को फिर से चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). 1996-97 के दौरान जोधपुर तथा जैसलमेर के बीच रात्रिकालीन पैसेंजर गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत शक्ति का प्रत्यायोजन

1524. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन न करके मुख्य वन संरक्षक को क्षेत्रवार शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है;

(ख) क्या कई राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर-वानिकी प्रयोजनार्थ 5 हेक्टेयर तक वन भूमि का इतर प्रयोग हेतु स्वीकृति देने के लिए उन्हें शक्तियां प्रत्यायोजित करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) अधिक्रमण और खनन के नियमन के प्रस्तावों को छोड़कर, 5 हैक्टेयर तक की वन भूमि के अन्तरण सम्बन्धित प्रस्तावों पर निर्णय लेने की शक्तियां मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय को दी गई हैं।

(ख) और (ग). कुछ राज्य सरकारों ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत इस आधार पर सरकारिया आयोग के सम्मुख प्रतिवेदन दिया है कि अधिनियम के तहत, केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति की प्रतीक्षा में छोटी-छोटी योजनाओं में भी विलम्ब हो जाता है।

(घ) वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्राप्त प्रस्तावों के मामले में देरी को कम करने के लिए 25.10.92 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें कि अधिक्रमण और खनन के नियमन को छोड़कर 5 हैक्टेयर तक की वन भूमि के अन्तरण के

प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय लेने की शक्तियां मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) को प्रदत्त करना भी सम्मिलित है। उन्हें राज्य सलाहकार ग्रुप से परामर्श करके 20 हैक्टेयर तक की वन भूमि के उपयोग से संबंधित सभी प्रस्तावों पर प्रारम्भिक प्रकरण की शक्ति भी प्रदान की गई है।

उड़ीसा में आमान परिवर्तन

1525. **श्री सौम्य रंजन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में खुरदा रोड-बोलांगीर नई बड़ी रेल संपर्क लाइन हेतु और रूपसा-बांगरी पोसी छोटी लाइन सेक्शन के आमान परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन कार्यों हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गयी है; और

(ग) इन कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कार्य को क्रमशः 353.38 करोड़ रु. तथा 57.95 करोड़ रु. की लागत पर 94-95 और 95-96 के बजट में शामिल किया गया है। खुर्दा-बोलनगीर के कार्य को 10वीं योजना अवधि में पूरा किए जाने की संभावना है जबकि रूपसा-बागरोपोसी आमान परिवर्तन के कार्य को 9वीं योजना अवधि में पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

सवारी डिब्बों की उत्पादन क्षमता

1526. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सवारी डिब्बों की श्रेणीवार उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) मार्च, 1996 तक, गत पांच वर्षों के दौरान श्रेणीवार निर्मित सवारी डिब्बों की संख्या क्या है; और

उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार विभिन्न रेल मंडल द्वारा मंडलवार सवारी डिब्बों की मांग क्या थी तथा श्रेणीवार आपूर्ति किए गये सवारी डिब्बों का ब्यौरा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) देश में सवारी डिब्बा निर्माण करने वाली चार इकाइयां हैं जिनमें से दो रेल क्षेत्र में अर्थात् सवारी डिब्बा कारखाना तथा रेल कोच फैक्टरी तथा दो सार्वजनिक क्षेत्र में अर्थात् मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लि. तथा मै. जैसप एंड कं. लि. है। सवारी डिब्बा निर्माण की उनकी अनुमानित क्षमता निम्न प्रकार है :—

		सडिका	रेकोफै	जैसप्स	बी ई एम एल
1.	स्वमोदित सवारी डिब्बे	150	—	72	—
2.	वातानुकूल सवारी डिब्बे	90	150	—	—
3.	गैर-वातानुकूल सवारी डिब्बे	760	850	376 (मी.ला.)*	400 (ब.ला.)**
	जोड़	1000	1000	448	400

* मैसर्स जेसप्स द्वारा यथासूचित संस्थापित क्षमता 180 (मी.ला.) सवारी डिब्बे हैं।

** मैसर्स बी.ई.एम.एल. द्वारा यथासूचित संस्थापित सवारी डिब्बे है।

(ख) 1991-92 से 1995-96 तक निर्मित सवारी डिब्बों की कोटिहार संख्या निम्न प्रकार है :—

किस्म	1991-92	92-93	93-94	94-95	95-96
1	2	3	4	5	6
1. सडिका					
स्वनोदित सवारी डिब्बे	136	129	233	273	428
वातानुकूल सवारी डिब्बे	89	95	100	101	121
गैर वातानुकूल सवारी डिब्बे	791	199	705	406	341
जोड़	1016	1023	1038	780	890

1	2	3	4	5	6
2. रेल कोच फैक्टरी					
वातानुकूल सवारी डिब्बे	1	18	61	149	150
गैर वातानुकूल सवारी डिब्बे	914	1097	964	626	540
जोड़	915	1125	1025	775	690
3. जैसप्स					
स्वनोदित सवारी डिब्बे	49	51	51	15	33
गैर वातानुकूल सवारी डिब्बे	80	70	10	—	—
जोड़	129	121	61	15	33
4. बी ई एम एल					
स्वनोदित सवारी डिब्बे	—	—	—	9	—
गैर वातानुकूल सवारी डिब्बे	373	400	375	—	139

टिप्पणी : उपर्युक्त आंकड़ों में निर्यात आदेशों के अंतर्गत निर्मित तथा रेलों से इतर संगठनों के लिए निर्मित सवारी डिब्बे शामिल हैं।

(ग) क्षेत्रीय रेलों को सप्लाई किए गए सवारी डिब्बो का कोटिवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

रेलवे	1991-92			1992-93			1993-94			1994-95			1995-96		
	बा.ता	गैर वा.त	स्वानो-दित	बा.ता	गैर वा.त	स्वानो-दित	बा.ता	गैर वा.त	स्वानो-दित	बा.ता	गैर वा.त	स्वानो-दित	बा.ता	गैर वा.त	स्वानो-दित
मध्य	7	175	40	5	251	33	7	130	116	13	145	62	55	141	82
पूर्व	9	233	82	5	267	74	41	323	42	50	340	62	6	26	92
उत्तर	10	375	13	3	366	6	34	331	17	58	180	66	43	199	57
पूर्वोत्तर	2	208	-	4	181	-	1	43	-	-	-	-	16	91	-
पूर्वोत्तर सीमा	-	113	-	4	157	-	2	22	-	-	10	-	15	83	6
दक्षिण	11	320	21	51	361	19	29	462	15	36	138	9	41	286	39
दक्षिण-मध्य	2	295	-	3	370	-	7	224	-	17	65	-	21	149	18
दक्षिण-पूर्व	10	199	13	5	197	30	5	363	40	-	27	50	29	244	42
पश्चिम	19	250	9	28	264	18	35	234	54	76	132	48	36	36	122

टिप्पणी : एस.पी. स्वनोदित सवारी डिब्बे

[हिन्दी]

रेल लाइन का दोहरीकरण और आमान परिवर्तन

1527. श्री रामचंद्र डोम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान पूर्व रेलवे प्रमंडल में रेल लाइन का दोहरीकरण और आमान परिवर्तन लक्ष्य के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परिस्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। अदालती मामलों और अतिक्रमणों को हटाने में विलंब के कारण दोहरीकरण कार्य की प्रगति धीमी है। पूर्व रेलवे में आमान परिवर्तन का कोई कार्य नहीं चल रहा है।

(ग) रेलवे को तीव्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी रखने को कहा गया है।

[हिन्दी]

फिरोजाबाद स्टेशन पर गाड़ी रोकना

1528. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद स्टेशन पर दिल्ली–पुरी (उड़ीसा) नीलांचल एक्सप्रेस को रोके जाने संबंधी मांग वर्षों से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो वहां गाड़ी को रोके जाने की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). फिरोजाबाद में 8475/8476 नीलांचल एक्सप्रेस के ठहराव देने की व्यावहारिकता की जांच की गई है परन्तु फिलहाल यह औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों की टक्कर

1529. श्री मोहन रावले : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर–गोंडा यात्री गाड़ी 18 अप्रैल, 1996 को पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर–लखनऊ खंड पर डोमिंगगढ़ रेलवे स्टेशन खड़ी एक मालगाड़ी से जा टकराई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए;

(ग) रेलगाड़ियों की टक्कर के मुख्य कारण क्या हैं; और रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने/टकराने की घटनाओं से बचने और सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी हां। 583 अप गोरखपुर–गोंडा पैसेंजर की 18.4.1996 को पूर्वोत्तर रेलवे के डामिनगढ़ स्टेशन पर गाड़ी डाउन–गोरखपुर कैंट स्पेशल माल गाड़ी से आमने सामने की टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 54 व्यक्ति मारे गए पर 47 को गंभीर रूप से घायल हुए और 31 को मामूली चोटें आई।

(ग) टक्करें मुख्यतः गाड़ी चालकों और/या स्टेशन कर्मचारियों की चूकों के कारण होती हैं।

(घ) गाड़ियों के पटरी से उतरने/टक्कर होने की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. स्टेशनों पर टक्करों को रोकने के लिए रन-थ्रू लाइनों के रेल पथ परिपथन में तेजी लाई गई है।
2. सिगनलिंग सर्किटों को बदला जा रहा है ताकि होम सिंगनल तब तक नीचे न हो जब तक कि किस पूर्व गाड़ी के लिए दिए गए स्टार्टर और अग्रिम स्टार सिगनल "आन" स्थिति में पुनः वापस न आ जाए।
3. अधिक भार पटरियों और कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग करके रेलपथ संरचना का ग्रेडोन्नयन किया गया है।
4. अधिक भार पटरियों और कंक्रीट स्लीपरों का उपयोग करके रेलपथ संरचना का ग्रेडोन्नयन किया गया है।
5. रेलपथ का अनुरक्षण टाई टैपरिंग और बैलास्ट क्लीनिंग मशीनों द्वारा किया जाता है अब रेल पथ नवीकरण गाड़ियों और पोर्टल क्रेनों भी रेल पथ बिछाया जाता है।
6. रेलपथ की ज्यामिति और चालन गुणों की निगरानी के लिए समुन्नत रेलपथ रिकार्डिंग कारों, दोलन करों तथा सुवाहय गतिमापकों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।
7. सवारी तथा मालडिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। चौपहिया मालडिब्बों को सेवा से उत्तरोत्तर हटाया जा रहा है माल डिब्बों पर बेहतर किस्म की कैस्नव बोगियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
8. धुरी के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए सभी नेमी ओवरहालिंग डिपुओं में धुरों में होने वाली खराबियों के मामलों का समय से पता लगाने के लिए अल्ट्रासानिक परीक्षण उपस्कर की व्यवस्था की गई है।

9. अधिकारियों तथा निरीक्षकों द्वारा अचानक तथा रात्रि में निरीक्षण गहन किए गए हैं।
10. ड्राइवरों, गार्डों तथा गाड़ी परिचालन से संबद्ध स्टेशन कर्मचारियों के निष्पादन पर निगमित रूप से नजर रखी जाती है और कम कुशल कर्मचारियों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ड्राइवरों को सिमुलेटरों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है।

प्राकृतिक संसाधन समाप्त होना

1530. श्री जगमोहन : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिये जाने और उदारीकरण के लिये प्रयास करने के परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई वैज्ञानिक और स्वतन्त्र आंकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा परिमिटों/लाइसेंसों का जारी किया जाना

1531. श्री राजीव प्रताप रुडी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में दुग्ध विक्रेताओं, सब्जी/फल विक्रेताओं आदि को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा परमिट/लाइसेंस जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने परमिट जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को ऐसे परमिटों/लाइसेंसों को जारी करने का अधिकार है। तथापि, थरेजा समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय को दी गई उसकी रिपोर्ट को देखते हुए, फेरीवालों को कोई नये लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं। पुराने लाइसेंसों का नवीनीकरण ही किया जा रहा है।

असम में सेना की तैनाती

1532. श्री संतोष मोहन देव : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार के अनुरोध पर राज्य में सेना तैनात कर दी गई है;

(ख) क्या असम सरकार ने माननीय राज्यपाल को असम से सेना को हटाने हेतु एक ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) अलगाववादी और गैर कानूनी-कार्य करने वाले तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए, सशस्त्र बल (विशेष-शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत, सेना, असम राज्य के कुछ हिस्सों में कार्रवाई कर रही है। सम्पूर्ण असम राज्य को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित बनाए रखा गया है।

(ख) केन्द्र सरकार को ऐसे किसी ज्ञापन की जानकारी नहीं है जिसे असम राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल को दिया बताया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

दवाई की दुकानें/प्राथमिक उपचार सुविधाएं

1533. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में रेलवे स्टेशनों पर दवाई की दुकानें खोलने/प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर रेलवे द्वारा किन-किन रेलवे स्टेशनों पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर रेलवे के निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों पर कैमिस्ट स्टालों प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :—

1. नई दिल्ली
2. हजरत निजामुद्दीन
3. दिल्ली सराय रोहिल्ला
4. दिल्ली छावनी
5. चंडीगढ़
6. अट्टारी
7. अमृतसर
8. वाराणसी

डेसु, डीटीसी और डीएमएस का हस्तांतरण

1534. श्री मृत्युन्जय नायक :

डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली दुग्ध योजना को दिल्ली सरकार को स्थानान्तरित करने पर सहमत हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार 1 अगस्त, 1996 से दिल्ली सरकार को केन्द्रीय करों, आयकर, उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में उसका हिस्सा देने पर भी सहमत हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या दिल्ली सरकार ने इस संबंध में कोई अनुरोध किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली दुग्ध योजना और सुपर बाजार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में रखने का भी एक प्रस्ताव है। इन संगठनों के हस्तातंरण से, दिल्ली में नागरिक सेवाओं में सुधार होगा।

(ग) से (ङ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपनी वार्षिक योजनाओं हेतु वित्त-व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय करों में अपने हिस्से के लिए अभ्यावेदन किया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

गढ़वाल से कोप्पल तक रेल सम्पर्क

1535. श्री राजा रंगप्पा नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गढ़वाल और कोप्पल के बीच एक रेल लाइन के लिए तात्कालिक निजाम सरकार का प्रस्ताव अभी भी लंबित है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बोडोलैंड स्वायत्त परिषद के चुनाव

1536. श्री राजेश पायलट : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार और बोडो नेताओं के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुसार बोडोलैंड स्वायत्त परिषद के चुनाव कराने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अस्थाई कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार चुनाव प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से विभिन्न गुटों के बोडो नेताओं से बातचीत करने का है और यदि हां, तो यह बातचीत कब होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). बोडोलैण्ड स्वायत्त परिषद के चुनाव राज्य सरकार द्वारा करवाए जाने हैं।

राज्य सरकार ने बोडोलैण्ड स्वायत्त परिषद के चुनाव दिसम्बर, 1995 में करवाने का निर्णय लिया था। तथापि, कुछ बोडो ग्रुपों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये चुनाव आगे बढ़ा दिए थे। राज्य सरकार द्वारा चुनावों के लिए किसी नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है।

केन्द्र सरकार, ऐसे सभी सुझावों का स्वागत करती है जिनसे राजनैतिक प्रक्रिया में मदद मिलती हो।

पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण

1537. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए उनकी संख्या और उनके लिए चारा एवं पानी आदि उपलब्ध कराने संबंधी कानून होने के बावजूद उन्हें गाड़ियों में उपलब्ध थोड़े से स्थान में भारी तादाद में भरकर ले जाये जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप कुछ पशुओं की यात्रा के दौरान ही मृत्यु हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारणोंपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). समय-समय पर इस मंत्रालय का ध्यान पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हुए की गई क्रूरता की ओर दिलाया गया है। जीव जन्तु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. जीव जन्तु कल्याण बोर्ड ने जीव जन्तु क्रूरता निवारण समिति के सदस्यों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम

चलाया है और जन-जागरूकता पैदा करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

2. राज्य सरकारों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे जीव जन्तु कल्याण गतिविधियों में समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी नामित करें।

3. जीव-जन्तु क्रूरता निवारण समिति को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि उनकी जीव-जन्तु कल्याण गतिविधियों को गति प्रदान हो सके और वे उनका निष्पादन कर सकें।

4. राज्य सरकारों को राज्य सलाहकार कल्याण बोर्ड स्थापित करने की सलाह दी गई है।

राजधानी एक्सप्रेस की आवृत्ति

1538. श्री ए.जी.एस. रामबाबू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजरत निजामुद्दीन-त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार चलाने की बजाय रोज चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या त्रिवेन्द्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली तक बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परिचालनिक कठिनाइयां तथा संसाधनों की तंगी।

मछुआरों के लिए समूह बीमा योजना

1539. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों के लिए समूह बीमा योजना शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केरल सरकार ने बीमा का क्षेत्र बढ़ाने का कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). मछुआरों का निःशुल्क बीमा किये जाने के लिए 1982-83 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चलायी जा रही है। मछुआरों की मृत्यु या स्थायी अपंगता के एवज में 25,000/- रुपये और आंशिक अपंगता के एवज में 12,500/- रुपये का बीमा किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड की जो 18 अक्टूबर, 1994 को नई दिल्ली में हुई 19वीं बैठक में केरल तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों ने बीमा कवरेज को बढ़ाये जाने का मुद्दा उठाया था।

(घ) मृत्यु या स्थायी अपंगता के मामले में प्रति बीमा की राशि 35,000/- रुपये तथा आंशिक अपंगता के मामले में 12,500/- रुपये प्रत्येक तक बढ़ाने का निर्णय अनन्तिम तौर पर लिया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

1540. श्री सुशील चन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए यूनियन कार्बाइड द्वारा उच्चतम न्यायालय में कितनी धनराशि जमा की गई थी;

(ख) उक्त धनराशि में से कितनी राशि कल्याण आयुक्त भोपाल को दी गई;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय में जमा धनराशि में ब्याज की राशि भी सम्मिलित है; और

(घ) क्या कल्याण आयुक्त ने गैस पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने में देर की और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). यूनियन कार्बाइड द्वारा 470 मिलियन अमरीकी डालर, जिसमें 45 मिलियन अमरीकी डालर रुपये के समतुल्य राशि का भुगतान शामिल है, जमा किया गया था। पूरी राशि ब्याज सहित मुआवजा का भुगतान करने के लिए 16.10.1992 को कल्याण आयुक्त को जारी किया गया था। मुआवजा के दावों के भुगतान के लिए इस लेखे में से कल्याण आयुक्त द्वारा 770 करोड़ रुपये निकालकर मुआवजे के रूप में 31.5.96 तक भुगतान किया जा चुका है। दावों का निपटारा और मुआवजे का भुगतान एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

यात्री डिब्बों को बदलना

1541. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल में चलने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियों में पुराने यात्री डिब्बे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन यात्री डिब्बों को बदलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) आर्थिक उपयोग की दृष्टि से सवारी डिब्बों का जीवनकाल लगभग 25 वर्ष होता है। अतः किसी समय सवारी गाड़ी सेवाओं में, जिसमें केरल में चल रही सवारी गाड़ी सेवाएं भी शामिल हैं, अलग-अलग आयु वाले सवारी डिब्बे लगे होंगे। बहरहाल सवारी डिब्बों को अच्छी हालत में रखने के लिए उनके नियमित अनुरक्षण पर ध्यान दिया जाता है।

(ख) सवारी डिब्बों का बदलाव आयु एवं हालत के आधार कियां जाता है।

न्यू कूचबिहार में रेलगाड़ी को रोका जाना

1542. श्री अमर राय प्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान आज तक न्यू कूचबिहार में नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस को रोके जाने के लिए कितने आग्रह प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इन आग्रहों पर अब तक कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) इस संबंध में कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ). इन अनुरोधों की सम्यक रूप से जांच की गई है और राजधानी एक्सप्रेस के महत्व को देखते हुए ठहराव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

प्रदूषण

1543. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण संबंधी तीन अधिनियम पारित होने के बावजूद नदियों, नहरों और भूमिगत जल में विभिन्न प्रकार का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में आगे और क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण हैं। बड़ी नदियों के कुछ भाग अशोधित या आंशिक रूप से शोधित मलजल अथवा बहिस्रावों की रिपोर्टें भी मिली हैं। बड़े शहरों में औद्योगिक या घरेलू स्त्रोतों की तुलना में मोटर-वाहनों के उत्सर्जनों के कारण प्रदूषण में वृद्धि का रूख देखा गया है।

(ग) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए तथा प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. देश के बड़े शहरों और नगरों में मोटर-वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक बड़ा यानीय सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का प्रयोग बड़े शहरों के यानीय प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपाय तैयार करने हेतु किया गया।
2. वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के बड़े सेक्टरों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित मानकों का अनुपालन करें।
3. केन्द्रीय मोटर-वाहन नियमावली, 1989 के अन्तर्गत सभी श्रेणी के वाहनों के लिए ठोस और द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें विभिन्न राज्यों के परिवहन विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है।
4. देश भर में आपूर्ति किए जाने वाले पेट्रोल में दिसम्बर, 1996 तक पेट्रोल में सीसे के स्तर को प्रति लीटर 0.5 ग्राम तक कम करने की योजना है।
5. सीसा रहित पेट्रोल, चार पहिए वाले पेट्रोल चालित वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर शुरू करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।
6. कुछ शहरों में पेट्रोल चालित वाहनों में सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
7. लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझे बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम चल रही हैं।
8. बड़ी नदियों के प्रदूषित भागों की सफाई के लिए राष्ट्रीय नदी कार्यवाही योजना तैयार की गई हैं जिसमें बड़े शहरों और नगरों की नगपालिकाओं को शामिल किया गया है। द्वितीय चरण में गंगा कार्यवाही योजना में यमुना नदी की सफाई भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार के पास दिल्ली में मलजल शोधन संयंत्रों में वृद्धि करने का एक बड़ा कार्यक्रम है।
9. प्रदूषण नियंत्रण/निगरानी उपकरणों के लिए उद्योगों को सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।
10. स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाकर स्त्रोत पर प्रदूषण नियंत्रण पर बल दिया गया है।
11. उद्योगों में अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्कलों का गठन किया गया है और बेहतर हाउस कीपिंग तथा उत्तम कार्य पद्धतियों को बढ़ावा दिया गया है।

12. 29 विशिष्ट श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाली प्रस्तावित बड़ी विकास गतिविधियों को पर्यावरणीय प्रमुख मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी लेनी अपेक्षित है।

असम में योजनाएं

1544. डा. प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के उत्पादन के मामले में असम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में कृषि के आधुनिकीकरण हेतु विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य को सस्ते दरों पर उन्नत किस्म के बीज और उर्वरकों की समय से आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या असम में उर्वरकों की प्रति व्यक्ति खपत अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) असम को अनाज का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए "चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के व्यय के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के घटकों में खेतों पर प्रदर्शन तथा प्रौद्योगिकी के कारगर अन्तरण के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल है। इस योजना में स्थान विशेष पर उच्च पैदावार देने वाली किस्मों के बीजों की सत्लाई तथा अभिज्ञात उन्नत फार्म उपस्करों के लिए किसानों को प्रोत्साहन तथा उत्पादकता को अधिकतम बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने या मृदा सुधारकों के लिए प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।

(ख) असम में किसानों को यथासमय उचित दरों पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीजों पर परिवहन सब्सीडी योजना के अंतर्गत निर्धारित बीज आपूर्तिकर्ता एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम, राज्य बीज निगम को बीजों की परिवहन लागत पर सब्सीडी प्रदान की जाती है। समेकित बीज विकास योजना के तहत असम में राज्य की राजधानी से अभिज्ञात सुदूर क्षेत्रों में बीजों की सप्लाई के लिए बीज परिवहन पर 40 रुपये प्रति क्विंटल की केन्द्रीय सहायता भी अनुमत्य है।

फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित "फर्टिलाइजर स्टेटिस्टिक्स 1994-95" के अनुसार असम में उर्वरकों की खपत 74 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की तुलना में 11 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी।

इस समय केवल यूरिया उर्वरक ही सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत है और असम को इसकी आपूर्ति 3320 रुपये प्रति मीटरी टन की एक समान दर पर की जाती है। विनियंत्रित उर्वरकों पर रियायत दिनांक 6.7.1996 से बढ़ा दी गई है ताकि इन्हें किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) और (घ). असम में उर्वरकों की प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(1) उर्वरकों के संतुलित तथा समेकित उपयोग संबंधी योजना का कार्यान्वयन।

(2) कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग के विकास संबंधी योजना का कार्यान्वयन।

(3) जैव उर्वरकों के विकास तथा उपयोग संबंधी योजना का कार्यान्वयन।

उर्वरकों का मूल्य

1545. डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक मूल्य ढांचे को तर्कसंगत बनाने हेतु अन्तिम निर्णय ले लिया है?

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को रसायनों का अधिक उपयोग करने से रोकने के उद्देश्य से यह मूल्य वृद्धि की गयी है;

(ग) क्या सरकार कतिपय रसायनों के मूल्यों में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) क्या नया फार्मूला एन.पी.के. प्रति इकाई लागत को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया है;

(ङ) क्या उर्वरक राजसहायता हेतु निर्धारित 500 करोड़ रु. की धनराशि को बढ़ाकर 760 करोड़ रुपये कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ख). फिलहाल यूरिया ही केवल एक ऐसा उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है और समूचे देश में 3320 रु. प्रति मी.टन की एक समान दर पर इसकी बिक्री की जाती है। सभी फास्फेट युक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों को नियंत्रण रहित कर दिया गया है और सरकार इनकी खपत को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को इनकी बिक्री पर रियायत देती रही है।

(ग) रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग ने सूचित किया है कि वर्तमान में सरकार द्वारा रसायनों के मूल्यों का प्रबोधन तथा विनियमन नहीं किया जाता है।

(घ) माननीय सदस्य सम्भवतया "कृषको में विनियन्त्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री" संबंधी योजना का हवाला दे रहे है। यह

योजना 1992-93 के रबी मौसम से लागू है। इस योजना के तहत रियायत की दरों में 6.7.96 से निम्नलिखित वृद्धि की गई है -

उर्वरक		दर प्रति मी.टन
डी ए पी (स्वदेशी)	:	3000/- रुपये
डी ए पी (आयातित)	:	1500/- रुपये
एम ओ पी	:	1500/- रुपये
एस एस पी		500/- रुपये
मिश्रण		इनमें फास्फेट तथा पोटाश की मात्रा के अनुसार 1304 रु. से 2633 रु. प्रति मी. टन तक

राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रियायत के लाभ कृषकों को पूरी तरह से मिलें।

(ङ) वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिये 500 करोड़ रु. के प्रावधान का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया था। तथापि, उस वर्ष के बिल अभी भी मिल रहे हैं और वर्ष 1996-97 के लिये प्रावधान में से उनका भुगतान किया जा रहा है।

(च) इसका कारण योजना के अंतर्गत शामिल किये गये उर्वरकों की खपत में वृद्धि है।

[हिन्दी]

रेल डिब्बों का विनिर्माण

1546. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के एककों की वर्तमान विनिर्माण और अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) देश में सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की वर्तमान आवश्यकता कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार "अजमेर कोच फैक्टरी" में रेल डिब्बों का विनिर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलों की दो उत्पादन इकाइयों अर्थात् सवारी डिब्बा कारखाना/मद्रास और रेल डिब्बा कारखाना/कपूरथला के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में दो इकाइयां है जो सवारी डिब्बों का निर्माण कर रही हैं अर्थात् कलकत्ता में मैं. जैससप और बेंगलूरू में मै. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड/सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस शुदा और संस्थापित क्षमताएं इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	फर्म	लाइसेंस शुदा क्षमता	फर्मों द्वारा यथासूचित संस्थापित क्षमता
क.	**सवारी डिब्बा निर्माता**		
	सार्वजनिक क्षेत्र		
1.	मै. भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलूरू	400 ब.ला. सवारी डिब्बे	700 ब.ला. सवारी डिब्बे
2.	मै. जेस्सप एंड कंपनी लिमिटेड कलकत्ता	376 मी.ला. सवारी डिब्बे	180 मी.ला. सवारी डिब्बे
		72 ई.एम.यू. सवारी डिब्बे	72 ई.एम.यू. सवारी डिब्बे
	निजी क्षेत्र	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(आंकड़े चौपहियों में)

क्र.सं.	फर्म	लाइसेंस शुदा क्षमता	सी ए/लागत, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा सत्यापित संस्थापित क्षमता
1	2	3	4
ख.	**माल डिब्बा निर्माता**		
1.	मै. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर	2000	997
2.	मै. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, मोकामा	2000	1107
3.	मै. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	3000	3494
4.	मै. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, बर्नपुर	3911	3783

1	2	3	4
5.	मैं. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड, हावड़ा	4750	4270
6.	मै. जेस्सप एंड कंपनी लिमिटेड कलकत्ता	3279	653
7.	मै. सदर्न स्ट्रकचर्ल्स कंपनी लिमिटेड, मद्रास (तमिलनाडु राज्य का उपक्रम)		
	जोड़ सार्वजनिक क्षेत्र :	18940	14304
	निजी क्षेत्र		
8.	मै. सिमको बिरला लिमिटेड, भरतपुर	3839	2920
9.	मै. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, नांगलोई दिल्ली	2000	1269
10.	मै. माडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद, गाजियाबाद	2000	1227
11.	मै. टैक्समैको लिमिटेड, कलकत्ता	4800	5738
12.	मै. हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कार्पोरेशन कलकत्ता	4056	2042
13.	मै. विन्नी इंडस्ट्रीज	*	
	जोड़ निजी क्षेत्र	16695	13196
	जोड़ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र	35635	27500

* ये दो इकाइयां नई हैं और उनकी क्षमता अभी निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) 1996-97 में सवारी डिब्बों की मौजूदा आवश्यकता 2150 सवारी डिब्बे निर्धारित की गई है जिसमें 400 ई.एम.यू. सवारी डिब्बे शामिल हैं।

1996-97 के लिए माल डिब्बों की आवश्यकता रेलों के चल स्टाक कार्यक्रम की तुलना में 25000 चौपहियां निर्धारित की गई है। इसके अलावा, "अपने माल डिब्बे के मालिक बनिए योजना" के अंतर्गत की कुछ आवश्यकता होगी।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

1547. **श्री पंकज चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गोरखपुर-नौतनवां मीटर लाइन की बड़ी लाइन में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या उक्त आमान परिवर्तन हेतु धनराशि पहले निर्धारित की जा चुकी है परंतु मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो गोरखपुर से नौतनवां के बीच मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट की रेलवे के परामर्श से जांच की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) नौवीं योजना के दौरान।

यूरिया को देर से उतारे जाने के कारण लागत में वृद्धि

1548. **श्री संदीपान थोरात :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जुलाई, 1996 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में डिले इन आफ लोड्रिंग कास्ट डालर 25,000/ डे शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणी पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मंत्रालय द्वारा संभलाई एजेंट नियुक्त करने में विलम्ब और समन्वय के अभाव के कारण यूरिया से लदे तीन जलपोतों के तूतोकोरिन, मद्रास और रोसी पत्तनों पर खड़े होने से अवरोध पैदा होने के कारण उत्पन्न समस्या से संबंधित मामले के बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में सरकारी एजेंसियों की प्रशासकीय चूक और समन्वय के अभाव के कारण सरकार को भी मात्रा में विलम्ब शुल्क न चुकाना पड़े, इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग). जी हां, "फाइनेन्सियल एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित होने की तारीख को दो जहाज "प्रभु गोपाल" और "जग रवि" क्रमशः 15.6.96 और 22.6.96 को तूतीकोरन एवं रोजी बन्दरगाहों पर पहुंचे। ये जहाज नामित हैण्डलिंग एजेन्सियों के न होने के कारण माल उतरवाने का इन्तजार करते रहे। सरकार ने हैण्डलिंग एजेन्सियों को नियुक्ति की प्रक्रिया सही समय पर शुरू कर दी थी। किन्तु बन्दरगाहों पर यूरिया हैण्डलिंग के लिए 1996-97 के दौरान टैण्डरों के माध्यम से प्राप्त दरें पिछले वर्ष की अपेक्षा एक समान रूप से अधिक थी, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। चूंकि उच्च दरों का प्रभाव, यूरिया राज सहायता की मात्रा पर पड़ता है अतः 1996-97 के लिए अनुबन्धों को अंतिम रूप देने के लिए सरकार को विभिन्न एजेंसियों की विस्तृत छानबीन करनी पड़ी। जिसमें अधिक समय लग गया। अब सभी बन्दरगाहों पर हैण्डलिंग एजेन्सियों को नियुक्ति कर दी गई है तथा जहाजों से माल उतारने का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

[हिन्दी]

जाली वीजा से विदेश यात्रा

1549. डा. जी.आर.सरोदे : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जाली वीजा की सहायता से विदेश यात्रा करने वाले कितने लोगों को पकड़ा गया;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा सरकार द्वारा इस प्रकार के अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) वीजा जारी करने के लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन शर्तों को सरल बनाने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (छ). उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों तथा अट्टारी रेलवे स्टेशन पर पता लगाए गए जाली वीजा धारकों की संख्या निम्न प्रकार है :-

	1993	1994	1995
बम्बई	79	83	134
दिल्ली	75	55	38
कलकत्ता	02	01	-
मद्रास	01	12	09
अट्टारी	103	90	38
	260	241	219

जाली वीजा धारक व्यक्तियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के सुपुर्द किया गया।

उनके राष्ट्रीय हितों पर आधारित विभिन्न बातों पर विचार करने के बाद, विदेशी मिशन अन्य देशों के राष्ट्रिकों को बीजा प्रदान करने के बारे में निर्णय लेते हैं। वीजा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्तें देश के अनुसार अलग अलग होती हैं।

कुछ देश वीजा स्टीकर जारी करते हैं, जिनमें सुरक्षा विशिष्टताएं होती है, जबकि अधिकतर देश अभी भी रबड़ की मुहरों को जारी रखे हुए है, जिनकी नकल करना आसान होता है। जाली वीजा की समस्या से निपटने में, बड़े पैमाने पर सुरक्षा विशिष्टताओं वाले वीजा स्टीकरों का प्रयोग लाभदायक होगा।

[अनुवाद]

पशुओं में बीमारी

1550. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **पशुपालन और डेरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिंडरपैस्ट तथा अन्य पशु रोगों के फैलने से देश में विशेषकर कर्नाटक में पशुओं की मृत्यु दर बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बीमारियों को समाप्त करने के लिए क्या निरोधात्मक तथा उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में (पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री) (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख). कर्नाटक सहित देश में पशु प्लेग तथा कुछेक महत्वपूर्ण रोगों के कारण हुई मृत्यु दर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। 1992 तथा 1995 के दौरान पशुप्लेग तथा कुछेक महत्वपूर्ण रोगों के कारण हुई मृत्यु दर के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पशुधन रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तथापि, भारत सरकार राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना तथा पशु रोग नियंत्रण पर राज्यों को सहायता नामक केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत पशुप्लेग, खुरपका एवं मुंहपका रोग, क्षय रोग, ब्रूसेल्लोसिस, केनाइन रैबीज तथा पुल्लोरम रोग जैसे कुछेक महत्वपूर्ण रोगों के नियत्रंण उन्मूलन करने में राज्य सरकारों के प्रयासों की परिपूर्ति करता है।

विवरण

कुछेक महत्वपूर्ण पशुधन रोगों के कारण मृत्युदर

क्र.सं.	रोग का नाम	देश		कर्नाटक	
		1992	1995	1992	1995
1.	पशुप्लेग	114	40	शून्य	1
2.	खुरपका तथा मुंहपका रोग (गोजाति तथा अन्य प्रजातियां)	117	476	शून्य	52
3.	हीमोरेगिक सैप्टीसिमिया (एच.एस.)	1851	5427	566	407
4.	ब्लैक क्वार्टर	960	1894	422	258
5.	भेड़ तथा बकरी चेचक	1458	228	8	28

कृषि क्षेत्र का संवर्धन

1551. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने कृषि क्षेत्र के संवर्धन हेतु बहुआयामी व्यापक योजना आरंभ करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो फेडरेशन द्वारा तैयार किए गए और सरकार को भेजे गए अध्ययन पत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ग) फेडरेशन द्वारा अभिव्यक्त ऐसे विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग से छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग). फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स इंडस्ट्री से ऐसा कोई सम्प्रेषण नहीं मिला है जिसमें सरकार से कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बहुआयामी व्यापक योजना आरंभ करने का अनुरोध किया गया हो।

कन्याकुमारी और हावड़ा के लिए रेलगाड़ियां

1552. **श्री सौम्य रंजन :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी और भुवनेश्वर से हावड़ा के लिए नई रेलगाड़ियां चलाने संबंधी उड़ीसा सरकार का अनुरोध काफी समय से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मार्गों पर नई रेलगाड़ियां कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). हावड़ा तथा भुवनेश्वर से कन्याकुमारी तक नई गाड़ी चलाने के प्रस्ताव की जांच की गयी परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यवहारिक नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वृक्षारोपण कार्यक्रम

1553. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न वानिकी परियोजनाओं के माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम का विस्तार करने के बारे में सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वानिकी/वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने हैक्टेयर भूमि को लाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). वर्ष 1996-97 के दौरान सार्वजनिक भूमि के 1.13 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण करने तथा निजी भूमि पर रोपण के लिए 111.36 करोड़ पौधों का वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1995-96 की जो उपलब्ध रही है उसमें सार्वजनिक भूमि के 0.81 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर वनीकरण किया

गया है तथा 86.57 करोड़ पौधों का वितरण किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य विभागों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। वर्ष 1996-97 के वनीकरण और वृक्षारोपण के राज्य/संघ शासित प्रदेश वार लक्ष्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लक्ष्य

क्षेत्र हेक्टेयर में
पौध लाखों में

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	वर्ष 1996-97 के अंतिम लक्ष्य पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1100.00	50000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	9500.00
3.	असम	25.00	27500.00
4.	बिहार	500.00	40000.00
5.	गोवा	30.00	1800.00
6.	गुजरात	1908.00	65597.00
7.	हरियाणा	200.00	32000.00
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00	28000.00
9.	जम्मू और कश्मीर	60.00	24000.00
10.	कर्नाटक	400.00	65000.00
11.	केरल	180.00	19000.00
12.	मध्य प्रदेश	450.00	150000.00
13.	महाराष्ट्र	1150.00	126000.00
14.	मणिपुर	25.00	12000.00
15.	मेघालय	40.00	18000.00
16.	मिजोरम	22.00	19800.00
17.	नागालैंड	60.00	8000.00
18.	उड़ीसा	300.00	79000.00
19.	पंजाब	52.00	20000.00
20.	राजस्थान	380.00	76550.00
21.	सिक्किम	22.00	11000.00
22.	तमिलनाडु	1100.00	85000.00
23.	त्रिपुरा	23.00	10000.00
24.	उत्तर प्रदेश	2200.00	110000.00
25.	पश्चिम बंगाल	825.00	44000.00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.00	3300.00
27.	चंडीगढ़	0.10	500.00
28.	दादरा और नगर हवेली	16.00	1000.00
29.	दमन और द्वीव	2.00	100.00
30.	दिल्ली	25.00	1000.00
31.	लक्षद्वीप	5.00	72.00
32.	पांडिचेरी	5.00	78.00
	योग	11136.10	1137797.00

बोडोलैंड को राज्य का दर्जा

1554. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट काउन्सिल के अध्यक्ष ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों से आदिवासी बोड़ो के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने हेतु ताजा बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) बोड़ोलैण्ड राज्य आन्दोलन परिषद के अध्यक्ष ने एक तार भेजकर प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि समूचे बोडोलैण्ड के सवाल के स्थाई राजनैतिक समाधान के लिए, संघर्षरत समस्त बोड़ो ग्रुपों को शामिल करते हुए नए सिरे से राजनैतिक वार्ता का प्रबन्ध किया जाए। असम की राज्य सरकार के अनुसार उसे ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) बोडो समझौते पर हस्ताक्षर, बोडो लोगों की सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक, जातीय एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए उन्हें स्वायतता प्रदान करने की दृष्टि से किए गए हैं। इस समझौते के कार्यान्वयन पर नजर रखे जाने की जरूरत है।

कोजेन्ट्रिक्स परियोजना

1555. **श्री जगमोहन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल्दी में और संबंधित पर्यावरण समिति की सहमति के बिना कोजेन्ट्रिक्स परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना में शामिल गंभीर निहितार्थो के मद्देनजर इस मामले पर पुनर्विचार करने का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) आर (ख). जनवरी, 1994 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना (मई, 1994 में यथा-संशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार पर्यावरणीय मुद्दों जुड़ी प्रस्तावित 1000 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना पर मंत्रालय द्वारा गठित ताप विद्युत परियोजना विशेषज्ञ समिति ने विधिवत विचार किया था। इस परियोजना को उक्त समिति की सिफारिश के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी, न कि जल्दीबाजी में।

(ग) इसको पर्यावरणीय मंजूरी देने से पूर्व परियोजना के पर्यावरणीय निहितार्थो की सावधानी पूर्वक जांच की गई थी। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कठोर पर्यावरणीय उपशामक उपायों को क्रियान्वयन के लिए नियत किया गया है।

नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस का विलम्ब से चलना

1556. श्री हरिन पाठक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच चलने वाली नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस हमेशा विलम्ब से चलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) और (ख). जी, नही। बहरहाल, 5621/5622 नार्थ-ईस्ट एक्सप्रेस का समयपालन खतरे की जंजीर खींचने, शरारती गतिविधियों, दुर्घटनाओं, बंद/आंदोलन, रेल इंजन में खराबी, सिगनल तथा यातायात में खराबी, ग्रिड में खराबी आदि जैसे विभिन्न कारणों की वजह से संतोषजनक नही रहा है।

(ग) मंडल और मुख्यालय दोनों स्तर पर नेमी समयपालन बैठकों के आयोजन सहित विभिन्न स्तर पर गहन जांच और प्रतिदिन निगरानी सहित सभी प्रवास तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फुट प्लेट निरीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा निरीक्षक और अधिकारी दोनों स्तर पर समयपालन अभियान भी चलाए जा रहे हैं और प्रणाली में कमी जहां कहीं भी पाई जाए उसे दूर किया जाता है।

कपास उत्पादन

1557. श्री काशी राम राणा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गुजरात में कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या राज्य में भारी मात्रा में कपास बिक्री हेतु पड़ी है जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को भुगतान करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा गत छः महीने के दौरान कपास के निर्यात हेतु केन्द्र सरकार से सम्पर्क किया गया;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार का विचार राज्य में इस समस्या का समाधान किस प्रकार करने और किसानों को मुआवजा किस प्रकार देने का है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में प्रत्येक वर्ष कपास के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	उत्पादन (लाख गांठें) (प्रत्येक 170 किग्रा. की)
1992-93	19.88
1993-94	16.23
1994-95	22.69

(ख) लगभग 40 गांठों के समतुल्य कपास की मात्रा कृषकों तथा व्यापारियों के पास है। जहां तक कृषकों को भुगतान किये जाने का सम्बन्ध है, यह उचित समय पर किया जा रहा है।

(ग) और (घ). जी, हां। सरकार ने गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ को 1.15 लाख गांठों का निर्यात कोटा आंबटित किया है।

(ङ) निर्यात कोटा पहले ही आबंटित कर दिया गया है। इस संबंध में किय गये विभिन्न अन्य उपायों में मिलों तथा ओताई तथा प्रसंस्करण फैक्टरियों के लिये कपास की स्टाक सीमा में छूट न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि तथा चयनित ऋण नियंत्रण में छूट शामिल हैं ताकि मिल और अधिक कपास की खरीद कर सकें।

पशुपालन और डेयरी विकास

1558. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक राज्य सरकारों द्वारा अपने यहां कुछ पशुपालन और डेयरी विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आज तक इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मंजूर की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग). जी, हां। राज्य सरकारें विभिन्न चालू पशुधन तथा डेयरी विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता की मांग करती रहती है। आठवीं योजना के दौरान आज की तारीख तक निर्मुक्त की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान आज की तारीख तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	के दौरान निर्मुक्त निधियां 1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	268.67	275.34	139.39	627.82	1311.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.79	141.41	502.96	85.62	744.78
3.	असम	47.26	158.63	478.67	24.97	709.53
4.	बिहार	65.50	93.32	152.92	238.61	550.35
5.	गोवा	10.37	14.44	12.26	15.47	52.54
6.	गुजरात	100.34	591.75	475.70	594.00	1761.79
7.	हरियाणा	102.78	391.07	48.08	358.44	900.37
8.	हिमाचल प्रदेश	125.94	103.95	142.26	102.02	474.17
9.	जम्मू और कश्मीर	45.36	92.76	358.14	300.65	796.91
10.	कर्नाटक	124.09	168.38	257.43	243.10	793.00
11.	केरल	108.13	191.26	375.08	471.00	1145.47
12.	मध्य प्रदेश	145.98	417.23	597.48	531.91	1692.60
13.	महाराष्ट्र	166.69	102.30	312.95	358.38	940.32
14.	मणिपुर	29.47	68.60	125.80	102.69	326.56
15.	मेघालय	27.54	31.09	99.15	115.48	273.26
16.	मिजोरम	42.09	143.30	201.29	252.14	638.82
17.	नागालैंड	21.00	115.68	202.08	11.63	350.39
18.	उड़ीसा	58.20	256.52	459.94	714.82	1489.48
19.	पंजाब	59.04	95.90	251.67	184.40	591.01
20.	राजस्थान	64.76	87.39	109.44	73.66	335.25
21.	सिक्किम	58.82	197.74	232.90	16.75	506.21
22.	तमिलनाडु	109.17	302.50	388.27	236.30	1036.24
23.	त्रिपुरा	9.74	105.84	256.12	136.23	507.93
24.	उत्तर प्रदेश	174.94	604.76	663.88	893.11	2336.69
25.	पश्चिम बंगाल	105.58	183.50	547.25	620.95	1457.28
	योग	2086.25	4934.66	7391.11	7310.15	21722.17

1	2	3	4	5	6	7
संघ राज्य क्षेत्र						
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13.02	8.65	9.52	104.40	135.59
2.	चंडीगढ़	2.87	8.41	7.40	7.55	26.23
3.	दादरा और नागर हवेली	2.66	2.40	2.05	1.53	8.64
4.	दमन और द्वीव	0.50	1.00	0.90	–	2.40
5.	दिल्ली	20.68	64.24	142.49	51.77	279.18
6.	लक्षद्वीप	11.65	5.47	3.60	23.05	43.77
7.	पांडिचेरी	15.64	17.13	19.95	22.64	75.36
	कुल : संघ राज्य क्षेत्र	67.02	107.30	185.91	210.94	571.17
	कुल योग :	2153.27	5041.96	7577.02	7521.09	22293.34

कोकराझाड़ में जातीय हिंसा

1559. **श्री संतोष मोहन देव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम चाय जनजातीय विद्यार्थी संघ और अन्य चाह जनजातीय संगठनों ने 26 जून, 1996 को दिसपुर में भूख हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी मांगे क्या थीं;

(ग) कोकराझाड़ में हुई जातीय हिंसा से कितने लोग प्रभावित हुए;

(घ) इस हिंसा में कितने घरों को नष्ट किया गया और कितने लोग शिविरों में रह रहे हैं; और

(ङ) पीड़ितों को मुआवजे के रूप में कितनी-कितनी धनराशि दी गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) असम चाह जनजाति महिला समिति, असम चाह जनजाति युवा छात्र परिषद, असम चाय जनजाति छात्र संघ और चाह जनजाति स्वेच्छा सेवक वाहिनी के झण्डे तले चाय जनजाति समुदाय के करीब 150 सदस्यों ने 26 जून, 1996 को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक दिसपुर में भूख हड़ताल की थी। उनकी मांगों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) कोकराझार और बोंगई-गांव जिलों में अभी हाल ही में हुई जातीय हिंसा की घटना की न्यायिक जांच कराना।

(2) समाज के सभी वर्गों के लोगों की जान और माल की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(3) उचित सर्वेक्षण के बाद जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों का पुनर्वास करना तथा मारे गए, लापता और घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान करना।

(4) घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों को गिरफ्तार करने संबंधी कार्रवाई शुरू करना।

(5) हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस की चौकियां स्थापित करना।

(6) सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करके विभिन्न जातीय ग्रुपों के अग्रणी सदस्यों को लेकर एक शांति समिति बनाना ताकि उनमें शांति और चैन कायम किया जा सके।

(ग) और (घ). राज्य सरकार के अनुसार कोकराझार और बोंगई-गांव जिलों में जातीय हिंसा के कारण 2, 15, 841 व्यक्ति प्रभावित हुए। क्षतिग्रस्त हुए मकानों की ठीक-ठीक संख्या का अभी पता लगाना बाकी है। प्रभावित व्यक्तियों ने विभिन्न राहत शिविरों में आश्रय लिया।

(ङ) राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए 14,27,00,000/- रुपये की राशि जी.आर और आर.जी. के रूप में स्वीकृत की है।

वन

1560. **श्री ललित उरांव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कुल वन क्षेत्र क्या है;

(ख) क्या वन क्षेत्र धीरे-धीरे कम हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार, 1993 के मूल्यांकन के आधार पर देश में कुल वन क्षेत्र 6,40,107 वर्ग किलोमीटर है। 1993 के मूल्यांकन के आधार पर वन क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग). जी, नहीं। स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1993 के अनुसार 1991 में मूल्यांकन की अपेक्षा 1993 के मूल्यांकन के आधार पर देश में कुल वन क्षेत्र में 925 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है।

(घ) वन के विकास के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई विभिन्न मुख्य योजनाओं का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया हैं।

विवरण-I

1993 के मूल्यांकन के आधार पर वन देश का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र प्रशासित प्रदेश	1993 का मूल्यांकन (वर्ग कि.मी. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	47,256
2.	अरुणाचल प्रदेश	68,661
3.	असम	24,508
4.	बिहार	26,587
5.	गोवा	1,250
6.	गुजरात	12,044
7.	हरियाणा	513
8.	हिमाचल प्रदेश	12,502
9.	जम्मू और कश्मीर	20,443
10.	कर्नाटक	32,343
11.	केरल	10,336
12.	मध्य प्रदेश	135,396
13.	महाराष्ट्र	43,859
14.	मणिपुर	17,621
15.	मेघालय	15,769
16.	मिजोरम	18,697
17.	नागालैंड	14,348
18.	उड़ीसा	47,145
19.	पंजाब	1,343
20.	राजस्थान	13,099
21.	सिक्किम	3,119
22.	तमिलनाडु	17,726
23.	त्रिपुरा	5,538
24.	उत्तर प्रदेश	33,961
25.	पश्चिम बंगाल	8,186
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7,624
27.	चंडीगढ़	5
28.	दादरा और नागर हवेली	206
29.	दिल्ली	22
30.	लक्षद्वीप	-
31.	पांडिचेरी	-
	योग	640,107

विवरण-II

सरकार द्वारा वनों के विकास के लिए शुरू की गई प्रमुख स्कीमों की सूची

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय

1. समन्वित वनीकरण और पारिविकास परियोजना स्कीम
2. क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम
3. औषधीय पौधों सहित गैर इमारती वनों पर स्कीम
4. स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान
5. पारिस्थितिकीय कार्यदल
6. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास
7. अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जातियों और ग्रामीण निर्धनों की एसोसिएशन

(ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय

1. समन्वित परती भूमि विकास परियोजना स्कीम
2. प्रौद्योगिकी विकास, प्रशिक्षण तथा विस्तार स्कीम
3. सहायता अनुदान स्कीम
4. निवेश संवर्धन स्कीम
5. परती भूमि विकास कार्यदल
6. रोजगार आश्वासन स्कीम
7. जवाहर रोजगार योजना
8. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
9. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम
10. मरूभूमि विकास कार्यक्रम

(ग) **कृषि और सहकारिता मंत्रालय**

1. नदीघाटी के कैचमैंट में मृदा संरक्षण परियोजना स्कीम
2. बाढ़ ग्रस्त नदियों में कैचमेंटस में समन्वित जलसंभर प्रबंधन
3. विशिष्ट समस्या क्षेत्रों का सुधार और उत्पादकता सुधार
4. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से उत्तर प्रदेश और बिहार में अल्काली मृदा का सुधार और विकास
5. झूम खेती के लिए जल संभर प्रबंधन स्कीम
6. घाटी क्षेत्रों में समन्वित जल संभर प्रबंधन (चरण-II)
7. भारत-डच उत्तर बंगाल तराई विकास परियोजना (चरण-3)
8. वर्षा पर आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना
9. भारत-जर्मन द्विपक्षीय जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम
10. समन्वित जल संभर विकास परियोजना (पहाड़ी क्षेत्र)
11. समन्वित जल संभर विकास परियोजना (मैदानी क्षेत्र)

पक्षी पालन

1561. **जस्टिस गुमान मल लोढा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षी-पालन की आधुनिक पद्धति में चिड़ियों के साथ उनका दिन रात का चक्र अशांत करके, गर्म लोहे से उनकी चोंचों को काटकर, उनके पंजों को काटकर पिजंड़ों में उन्हें आजीवन पंगु बनाकर उन्हें अनावश्यक रूप से दर्द और भयानक निर्दयता से गुजरना पड़ता है;

(ख) क्या उक्त कारणों के परिणामस्वरूप पक्षी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पक्षी-पालन को प्राकृतिक पर्यावरण प्रदान करने के लिए तथा उन्हें यातनाओं से बचाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

श्रावणी मेले के लिए विशेष रेलगाड़ियां

1562. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रावणी मेले हेतु देश के विभिन्न भागों से प्रतिदिन सुल्तानगंज के लिए विशेष दैनिक रेलगाड़ियां चलाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो मेले के लिए शुरू की गई विशेष रेलगड़ियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर अतिथि गृह और अन्य ठहरने की सविधाएं नहीं हैं और बिजली पंखे, पेयजल और सफाई सुविधाओं का भी स्थाई अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, हां।

(ख) पटना-वैद्यनाथधाम और छपरा-जसीडीह के बीच प्रतिदिन एक विशेष रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, क्यूल जमालपुर पैसेंजर को सुल्तानगंज तक बढ़ाया जा रहा है।

(ग) और (घ). प्रतीक्षालय, रोशनदान की व्यवस्था, पानी और सफाई संबंधी सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

मदुरै से नई दिल्ली तक सीधी रेलगाड़ी

1563. **श्री ए.जी.एस. राम बाबू :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदुरै से नई दिल्ली और अन्य शहरों तक कोई सीधी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण।

तिलहन के रूप में नारियल

1564. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस तिथि को नारियल को तिलहन की श्रेणी में रखने हेतु घोषणा की गयी थी;

(ख) क्या तिलहनों की खेती के लिए दिए जाने वाले लाभ/प्रोत्साहन नारियल की खेती को भी दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, उन लाभों का ब्यौरा क्या है जो नारियल की खेती को दिए गए हैं.

(घ) क्या तिलहनों के लिए दिए जाने वाले सारे लाभ नारियल की खेती को नहीं दिए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) नारियल को दिनांक 15 अक्तूबर, 1992 को वृक्ष मूल की तिलहन घोषित किया गया।

(ख) नारियल से होने वाले लाभ, आयल पाम से होने वाले लाभ की तुलना में काफी अधिक हैं, जो वृक्ष मूल की तिलहन है और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन में सम्मिलित है।

(ग) नारियल एकमात्र तिलहन फसल है, जिसका आठवीं योजना के दौरान योजना आवंटन सर्वाधिक अर्थात 80 करोड़ रुपये है। नारियल की खेती करने वाले किसानों को आठवीं योजना के दौरान दिए गए प्रोत्साहनों/सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान तिलहन एवं दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के तहत आयल पाम के विकास के लिए तथा नारियल विकास, बोर्ड के अन्तर्गत नारियल विकास के लिए प्रोत्साहन दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

	आयल पाम	नारियल
बीजों/पौदों का उत्पादन तथा वितरण	(1) रोपण सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत (अधिकतम 3750 रु. प्रति हैक्टेयर)	(1) टीxडी संकर नारियल पौदों के उत्पादन तथा वितरण के लिए 50 प्रतिशत सहायता। (2) नारियल के लिए डी.एस.पी. फार्मों की स्थापना (43.05 लाख रुपये प्रति फार्म) हेतु 5 वर्ष के लिए 100 प्रतिशत सहायता। (3) डी.एस.पी. फार्मों पर क्वालिटी पौदों के उत्पादन तथा वितरण के लिए स्थापित नर्सरियों के लिए 100 प्रतिशत सहायता। (4) पुनः रोपण के लिए 5 रुपये प्रति पौद की सब्सीडी के लिए 100 प्रतिशत सहायता।
खेती		
(क) पौध संरक्षण		(1) पौध संरक्षण उपायों हेतु 3 रुपये प्रति पाम की सब्सीडी के लिए सहायता। (2) परजीवियों को पालने और छोड़ने द्वारा पत्ती खाने वाली सुण्डी के समेकित नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता। (3) किसानों द्वारा काटे तथा हटाए गए रोगग्रस्त/बेकार प्रत्येक पाम पर 200 रुपये के प्रोत्साहन के लिए सहायता।
(ख) क्षेत्र विस्तार	4 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए 12,500/- रुपये की सीमा के अध्यधीन खेती की लागत का 50 प्रतिशत	(1) परिपक्वता अवधि के प्रथम तीन वर्षों में 6000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से सब्सीडी के लिए 50 प्रतिशत सहायता।
(ग) सिंचाई	(1) 1995-96 के दौरान ड्रिप सिंचाई के लिए 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति कृषक की सीमा के अध्यधीन अनुमानित लागत (20000/- रुपये प्रति हेक्टेयर) की 50 प्रतिशत की सीमा तक सब्सीडी ऋण	(1) नारियल सहित सभी बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु 15,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर की सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत की दर से सहायता

	आयल पाम	नारियल
(घ) उर्वरक/खाद	–	(1) उर्वरक के लिए 5/- रुपये प्रति पाम की दर से सब्सीडी (2) बहुप्रजातीय फसलन को बढ़ावा देने के लिए (हरी खाद सहित 200/- रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से)
(ङ) कृषि उपस्कर		–
(च) प्रसंस्करण		(1) 1.00 लाख रुपये की सब्सीडी (अथवा नारियल प्रसंस्करण हेतु प्रत्येक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत का 25 प्रतिशत) (2) डेसीकेटेड नारियल में एगमार्क मानक लागू करने के लिए प्रयोगशाला ईकाई की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत सब्सीडी अथवा अधिकतम 35,000/- रुपये। (3) नारियल पाम के विभिन्न भागों पर आधारित हस्तशिल्प बनाने के लिए कलाकारों को अधिकतम 5000/- रुपये की सब्सीडी अथवा संयंत्र एवं मशीनरी लागत का 25 प्रतिशत। (4) एक्सपेलर यूनिट की खरीद तथा रोटरी तथा सिंगल एक्सपेलर यूनिट के पुर्जों के लिए 10.5 प्रतिशत ब्याज की रियायती दर पर 1.00 लाख रुपये का ऋण। (5) नारियल की खेती करने वाले किसानों को उन्नत खोपरा ड्रायर लगाने के लिए लागत की 50 प्रतिशत सब्सीडी अथवा 10,000/- रुपये।

[हिन्दी]

भोपाल में अस्पताल का निर्माण

1565. श्री सुशील चन्द्र : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार भोपाल में अस्पताल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके लिए कुल अनुमानित खर्च कितना था, इस संबंध में अब तक कितनी राशि खर्च की गई और इसके निर्माण कार्य पूरा करने के लिए वास्तव में कितनी राशि की आवश्यकता होगी;

(ग) अस्पताल के खर्च को पूरा करने के लिए यूनियन कार्बाइड के शेयरों को जब्त करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस तरह से प्राप्त धनराशि अस्पताल के खर्चे की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा शेष राशि किस तरह उपलब्ध कराये जाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार शिलान्यास किए जाने के बावजूद अस्पताल का निर्माण कार्य न किए जाने के लिए जिम्मेवारी निर्धारित करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ). भोपाल में 260 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण कार्य सितम्बर, 1995 में आरम्भ हो गया था और नियत समय नवम्बर, 1997 तक पूरा हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार भोपाल हास्पीटल ट्रस्ट की परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था यूनियन कार्बाइड के शेयर बेचकर उपलब्ध कराई जा रही है। 117 करोड़ रु. की राशि निर्माण कार्य उपस्करों और इसके पूर्ण होने के बाद 8 वर्ष की अवधि के लिए रख-रखाव के लिए उपलब्ध है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र को संरक्षण

1566. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान संगठित उत्पादन क्षेत्र की तुलना से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के औद्योगिक क्षेत्र को कुछ संरक्षण प्राप्त है जबकि कृषि क्षेत्र को कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो गत अनेक वर्षों से कृषि क्षेत्र की उपेक्षा के क्या कारण हैं; और

(घ) इस विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जी, हां। वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अद्यतन आकलन के अनुसार पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के 12.5 प्रतिशत की तुलना में 1980-81 के मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश 29.4 प्रतिशत था।

(ख) कृषि और औद्योगिक क्षेत्र, दोनों को ही अपने प्रवर्धन के लिए कुछ व्यापार संबंधी सुरक्षा, रियायत, सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कृषि क्षेत्र पर विकासात्मक कार्यक्रमों के जरिए तथा साथ ही न्यूनतम समर्थ मूल्य के जरिए लाभकारी मूल्य देकर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, कृषि उत्पादों में अधिकतम आंतरिक एवं बाहरी व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अधिकतम कृषि उत्पादों को मात्रात्मक सीमाओं और न्यूनतम निर्यात मूल्यों का उन्मूलन कर दिया गया है। हाल ही में, सरकार ने फास्फेट एवं पोटाशिक उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी की दरों में पर्याप्त वृद्धि की है।

मालडिब्बा निर्माण उद्योग

1567. डा. रमेश चेन्नितला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालडिब्बा उत्पादन में निजी क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) मालडिब्बा निर्माण में निजी क्षेत्र पहले से ही शामिल है।

(ख) निम्नलिखित निजी क्षेत्र की इकाइयां नियमित रूप से मालडिब्बों का निर्माण कर रही हैं :-

1. मैसर्स सिमको बिरला लि./भरतपुर
2. मैसर्स टैक्समको लि./कलकत्ता
3. मैसर्स हिंदुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज लि., नांगलाई, दिल्ली
4. मैसर्स माडर्न इंडस्ट्रीज/साहिबाबाद, गाजियाबाद
5. मैसर्स हिंदुस्तान डिवलपमेंट का. लि., कलकत्ता

इसके अलावा, निम्नलिखित निजी क्षेत्र की इकाइयां विकासात्मक चरण में है :-

1. मैसर्स बिन्नी, मद्रास,
2. मैसर्स श्रीरंगा, कोयम्बटूर
3. मैसर्स बेस्को, कलकत्ता,
4. मैसर्स टीटागढ़ स्टील, कलकत्ता

इंडियन एनक्लेव में भारतीय नागरिक

1568. श्री अमर राय प्रधान : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा बंग्लोदश में इंडियन एनक्लेव में भारतीय नागरिकों के मामले पर विचार किया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो मामले का अंतिम निष्कर्ष कब तक आ जाएगा;

(ग) क्या इस संबंध में कोई रिपोर्ट दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). श्री अमर राय प्रधान, संसद सदस्य ने अपनी दिनांक 3 जून, 1995 की शिकायत में, बंग्लादेश में भारतीय इन्कलेव्स में रह रहे भारतीय नागरिकों की समस्याओं को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ध्यान में लाया गया है। चूंकि, यह समस्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित थी, इसलिए आयोग ने मामले को सभी संबंधितों के साथ उठाया। आयोग ने भारत सरकार से सिफारिश की "कि संबंधित देशों को उनके अपने-अपने इन्कलेव्स सौंप दिये जाएं तथा सीमा को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए।

(घ) आयोग की सिफारिश विचाराधीन है।

उर्वरक एककों द्वारा क्षमता का उपयोग

1569. डा. टी.सुब्बारामी रेड्डी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक पर राजसहायता कम करने के एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय पर रोक लगाने की योजना बना रही है जिसे उर्वरक एकक सरकार से मूल्य धारण योजना के अंतर्गत प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्पादकों द्वारा क्षमता उपयोग बढ़ाकर दिखाने पर रोक लगाने हेतु संयंत्रों में उत्पादन की निगरानी भी कड़ाई से की है;

(ग) क्या सरकार की योजना इक्विटी पर अदायगी की दर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करके ऋण अदायगी को सरल बनाने का है ताकि उर्वरक विद्युत क्षेत्र में उत्पादकों को उनके समतुल्य उत्पादकों के बराबर लाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ). इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

माल भाड़े के कम्प्यूटरीकरण में कथित धांधली

1570. श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जून, 1996 के "पायनियर" में "रूपीज 121 करोड़ बंगलिंग इन रेलवे मिनिस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषज्ञों के पैनल ने सरकार से "फ्रेन्ट कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट" को तत्काल समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस घोटाले की जांच किए जाने का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की समिति ने, दिल्ली क्षेत्र में परीक्षणाधीन माल भाड़ा संचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) के सॉफ्टवेयर के अध्ययन करने के पश्चात् सॉफ्टवेयर में आने वाली समस्याओं और कमियों के कारणों की पहचान करते हुए अपनी रपट प्रस्तुत की है और उसमें कतिपय अल्पकालीन और दीर्घकालीन सिफारिशें की हैं ताकि एक कार्य योग्य एवं उपयोगी प्रणाली उपलब्ध हो सके, समिति ने योजना को बंद करने या छोड़ने का कोई सुझाव अथवा संकेत नहीं दिया है और न ही संबंधित अधिकारियों के लिए कोई कारण आरोपित किए हैं, जिसकी छानबीन की जा सके, जैसा कि समाचार पत्रों में उल्लेख किया गया है। यह रपट विचाराधीन है और शीघ्र आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

शताब्दी एक्सप्रेस का आगे बढ़ाया जाना

1571. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा-राउरकेला शताब्दी को झारसगुडा, सम्बलपुर, बरगढ़ तथा बरपाली होकर बोलनगीर तक आगे बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हावड़ा, मद्रास, बंबई तथा नई दिल्ली से पश्चिमी उड़ीसा को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1996-97 के दौरान 8301/8302 हजरत निजामुद्दीन-सबंलपुर हीराकुंड एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में तीन दिन से बढ़ाकर 4 दिन कर दिए जाएंगे।

मत्स्य उद्योग

1572. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या देश में मत्स्य को अपार क्षमता का अभी भी भारी मात्रा में दोहन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए मत्स्य उद्योग के ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) मछुआरों को कौन-कौन सी सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध कराये जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख). 1988-89 से देश में मत्स्य का उत्पादन इस प्रकार रहा है :—

वर्ष	मत्स्य उत्पादन (खाद्य मीटरी टन में)		
	समुद्री	अंतर्देशीय	कुल
1988-89	18.17	13.35	31.52
1989-90	22.75	14.02	36.77
1990-91	23.00	15.36	38.36
1991-92	24.47	17.10	41.57
1992-93	25.76	17.89	43.65
1993-94	26.49	19.95	46.44
1994-95	26.92	2097	47.89
1995-96 (अनन्तिम)	27.20	22.30	49.50

यह देखा जा सकता है कि उक्त अवधि के दौरान मत्स्य उत्पादन 2.47 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से महत्वपूर्ण वृद्धि रही है इस प्रकार देश में मात्स्यिकी क्षमता का अधिकाधिक दोहन किया जा रहा है। हालांकि, भारत सरकार ताजे व खारे जल में जल कृषि, समुद्र तटीय मात्स्यिकी के विकास, मत्स्य बन्दरगाहों और मत्स्य तटावरण केन्द्रों जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, पर्याप्त ऋण की व्यवस्था तथा मानव संसाधनों के विकास के माध्यम से मत्स्य उत्पादन तथा मछुआरों की उत्पादकता और मत्स्य उद्योग में वृद्धि करने के लिये लगातार प्रयास कर रही है।

पर्यावरण पर जल कृषि के किसी भी प्रकार के दुष्टकुप्रभाव को कम करने के लिए समुचित उपाय किये जा रहे हैं। श्रिम्प पालन सहित

जल कृषि का सम्पोषक, आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों के अनुरूप विकास करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

(ग) मछुआरों को दी जाने वाली प्रमुख सुविधायें तथा रियायतें इस प्रकार हैं :—

(1) मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों के माध्यम से ताजा जल कृषि के विकास के उद्देश्य से मछुआरों को नये तालाबों के निर्माण, पुराने पोखरों तथा टैंकों के सुधार/पुनरूद्धार, प्रथम वर्ष के मत्स्य पालन के लिए आदान, तथा बहते पानी में मत्स्य पालन आदि के लिए सब्सिडी के रूप में सहायता दी जाती है।

(2) खारा जल कृषि के विकास के लिए लघु क्षेत्रों के मत्स्य पालकों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार सहायता देना, किसानों को प्रशिक्षण देना, श्रिम्प हैचरियों, अर्ध गहन फार्मों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देना आदि।

(3) परम्परागत यानों का मोटरीकरण करने के लिए आउट बोर्ड मोटरों/इन बोर्ड मोटरों की लागत के 25% की सब्सिडी देना।

(4) 20 मीटर से कम लम्बी यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं को आपूर्ति किए गए एच.एस.डी. तेल पर लगे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति करना।

(5) मत्स्य बन्दरगाहों और मत्स्य तटावतरण केन्द्रों पर मत्स्य नौकाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(6) अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन के लिये बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किये जाने के वास्ते राज्यों को 100% सहायता देना

(7) सक्रिय मछुआरों को बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान करना

(8) आवास, पेयजल, और सामुदायिक हाल जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करके आदर्श मछुआरा गांवों का विकास करना।

पुआल का जलाया जाना

1573. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक यूरोपीय देशों में पुआल के जलाए जाने पर प्रतिबंध है, जबकि हमारे देश में लगभग 275 मिलियन टन पुआल को या तो जला दिया जाता है या सड़ने को छोड़ दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार पर्याप्त पुआल और अन्य चारे के अभाव को देखते हुए पशुओं की संख्या कम करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) मांग और आपूर्ति का अंतराल समाप्त करने के लिए पशुचारे को बर्बादी/अन्य प्रयोग को रोकने हेतु किन कदमों की योजना बनाई गई है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ). सूचना खाद्य एवं कृषि संगठन/यूरोपीय देशों/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बम विस्फोट

1574. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आतंकवादियों द्वारा देश में बम विस्फोट की कितनी घटनाएं हुई तथा इसके परिणामस्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए तथा कितने व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किए गए;

(ग) क्या इनमें से अधिकांश पाकिस्तान द्वारा उकसाए गए आतंकवादी हैं; और

(घ) इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत, "लोक व्यवस्था" तथा "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अतः यह संबंधित राज्य सरकारों का काम है कि वे इस संबंध में विभिन्न उपाय निकाले और ठोस कदम उठाए। विभिन्न राज्यों के आतंकवादी-विरोधी ऑपरेशनों के समन्वय में मदद देने तथा राज्यों में आतंकवादी/विद्रोही गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी सूचना के प्रवाह में सुधार लाने हेतु केन्द्रीय स्तर पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, राज्य सरकारों को उनकी पुलिस के आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म के हथियारों की आपूर्ति तथा अर्द्ध-सैनिक बलों इत्यादि की तैनाती के लिए वित्तीय सहायता के रूप में मदद दी जा रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली में प्राधिकरणों के बीच अधिकारों का विभाजन

1575. श्री जगमोहन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का प्रशासनिक तथा संस्थागत ढांचा लगभग द्विशासनिक है;

(ख) क्या विभिन्न प्राधिकरणों के बीच अधिकारों के वर्तमान विभाजन तथा उत्तरादायित्वों के फैलाव के कारण जनसामान्य को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारी उपाए किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग). संविधान (69वां संशोधन) अधिनियम, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के परिणामस्वरूप दिल्ली की अपनी विधानसभा है तथा इसके लिए मंत्री परिषद जवाबदेह है। राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में संघ की विशेष जिम्मेदारियों को देखते हुए, "लोक व्यवस्था" "पुलिस" और "भूमि" को विधान सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

तथापि, कुछ विशेष जनोपयोगी सेवाएं केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन है। दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली दुग्ध योजना और सुपर बाजार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तांतरित करने संबंधी एक प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, के प्रशासनिक नियंत्रण में लाने का भी एक प्रस्ताव है। इन संगठनों के हस्तांतरण से दिल्ली में नागरिक सुविधाओं की स्थिति में सुधार आएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे का विकेन्द्रीकरण करने के लिए नौ जिले बनाने का एक प्रस्ताव विचार-विमर्श के अन्तिम चरण में हैं। विकेन्द्रीयकरण का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, अपनी शिकायतों के निवारण हेतु आम नागरिक की प्रशासन तक सहज पहुंच और प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाना है।

वन्य पशुओं का मारा जाना

1576. क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, विशेषतः केरल के जंगलों में बंदरों, जंगली सुअरों, बाघों और अन्य जानवरों को बड़ी संख्या में मारे जाने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच/अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वन्य पशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, नहीं। तथापि, केरल सहित देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर वन्य पशुओं को अवैध रूप से मारे जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). वन्यजीवों को अवैध रूप से मारे जाने वाले मामलों की जांच संबंधित राज्य वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा की जाती है और उन पर कानून के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए क़िए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 से 4 में शामिल वन्य पशुओं के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध है।

(2) बाघ, हाथियों, गैंडों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं।

(3) वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए 1,48,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 441 वन्यजीव अभयारण्यों और 80 राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(4) वन्यजीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलने पर प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

(5) वन्य प्राणघात और वनस्पतिजति की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइटस) के उपबंधों के तहत संकटापन्न पशुओं की प्रजातियों और उनके उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित किया जाता है।

(6) वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए मुख्यतया देश के सभी बड़े निर्यात केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

(7) पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा-शुल्क, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षकों आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ अन्तर-विभागीय समन्वय बढ़ाया गया है। नई दिल्ली और देहरादून में 1995 के दौरान इन सभी संगठनों के लिए वन्यजीव प्रवर्तन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

[हिन्दी]

देवास और हारदा के बीच रेल लाइन

1577. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में देवास और हारदा के बीच से होकर कोई रेल लाइन नहीं जाती है;

(ख) यदि हां, तो वहां रेल लाइन बिछाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या देवास और हारदा के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या देश में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए आम जनता और रेलवे प्रशासन ने कुछ स्थानों में मिलकर कार्य किया है; और

(च) यदि हां, तो इस प्रणाली के अंतर्गत जनता से किस प्रकार का सहयोग मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) देवास और हारदा के बीच रेल लाइन बिछाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) इस प्रणाली में मिट्टी संबंधी कार्य का श्रमदान और कार्य स्थल पर सामान ले जाने और लाने जैसे काम है जिनके लिए जनता के सहयोग की आशा की जा सकती है।

[अनुवाद]

रेलवे में अस्थायी श्रमिक

1578. श्री रमेश चेन्निथला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में इस समय जोनवार कुल कितने अस्थायी श्रमिक हैं;

(ख) इन श्रमिकों को कब तक स्थायी बना दिए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) से (ग). यह माना गया है कि प्रश्न अस्थायी रेल कर्मचारियों के स्थायीकरण से संबंधित है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार अस्थायी रेल कर्मचारियों को सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूरी करने के पश्चात् सेवा में स्थायी किया जाता है इस प्रकार अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। अस्थायी रेल कर्मचारियों की वर्तमान संख्या जोनवार एकत्रित की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे को बजटीय सहायता

1579. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इसे कम से कम साठ प्रतिशत बजटीय सहायता फिर से प्रदान करने का है;

(ख) क्या उपर्युक्त सहायता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय न रेलवे के लिए कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों को उपलब्ध बजटीय संसाधनों के आवंटन का निर्णय योजना आयोग द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से किया जाता है।

(ख) और (ग). रेलें वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय योजना-आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके अधिक से अधिक बजटीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।

विदेशियों द्वारा नियत समय से अधिक ठहरना

1580. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैध पासपोर्ट अथवा किसी अन्य प्रकार से भारत आए काफी संख्या में विदेशी यहां नियत समय से अधिक दिनों तक रहे और उसके बाद उन्हें गुमशुदा घोषित किया गया;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से आज की तारीख तक तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से किसी को पकड़ा गया और उन्हें उनके देश वापस भेजा गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(च) विदेशियों के देश में नियत समय से अधिक ठहरने और गुम हो जाने जिसके कारण हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है, को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख). अपने वीसा अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले या अन्यथा गैर-कानूनी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित

क्षेत्र प्रशासनों को दी गयी है। पता लगाने और प्रत्यावर्तन संबंधी आंकड़े राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा रखे जाते हैं।

(ग) से (च). निर्धारित अवधि से अधिक समय तक देश में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना उन्हें वापस भेजना, उनके खिलाफ मुकदमा चलाना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देश में गैर-कानूनी रूप से ठहर रहे विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के लिए ठोस उपाय करने और विशेष अभियान चलाने हेतु राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

यात्री सुविधाएं

1581. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि नई दिल्ली-उड़ीसा की गाड़ियों में यात्री सुविधाएं निम्न स्तर की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) सवारी डिब्बों में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था यात्री सुविधा समिति की सिफारिश के अनुसार की जाती है। ये सुविधाएं नई दिल्ली से उड़ीसा की ओर जाने वाली गाड़ियों के सभी सवारी डिब्बों में प्रदान की गई है।

(ख) बहरहाल, रेलों को यह सुनिश्चित करने के संबंध में सूचित किया गया है कि नई दिल्ली से उड़ीसा की ओर जाने वाली गाड़ियों के सभी डिब्बों में यात्री सुविधा संबंधी सभी मदें चालू हालत में हों।

बाघों की संख्या

1582. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाया है जो बाघों के अस्तित्व के लिए खतरा बन रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में बाघों की संख्या के बारे में एक यथार्थ सर्वेक्षण कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार बाघों की राज्यवार संख्या कितनी है: और

(ङ) इस प्रजाति के संरक्षण हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं या करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) और (ख). देश में बाघों की आबादी को होने वाले खतरे के मुख्य कारण ये हैं :

- बाघ की हड्डियों और इसके शरीर के अन्य अंगों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए अवैध रूप से शिकार किया जाना।
- वास स्थल का विखंडन और गुणवत्ता अवक्रमण।

(ग) देश में बाघों की गणना प्रत्येक चार वर्ष में एक बार की जाती है और बाघ रिजर्व क्षेत्रों में बाघों की गणना प्रत्येक दो वर्षों में की जाती है।

(घ) अंतिम राज्यवार गणना 1993 में की गई थी और गणना के आंकड़े संलग्न हैं। विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे हैं :—

(1) मंत्रालय में "बाघ संकट प्रकोष्ठ" स्थापित किया गया है।

(2) राज्य सरकारों को सतर्कता बढ़ाने और गश्त तेज करने की सलाह दी गई है।

(3) राज्य सरकारों को क्षेत्रों की परि-विकास पर जैवीय दबाव को कम करने के लिए निधियां प्रदान की जा रही है।

(4) बाघों के अवैध शिकार को गतिविधियों को रोकने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों के समन्वय तथा तस्करी और बाघ की हड्डियों एवं उसके शरीर के अन्य भागों के अवैध व्यापार को संयुक्त रूप से रोकने के प्रयास हेतु चीन जनवादी गणराज्य सरकार के साथ एक प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(5) बाघों के अवैध शिकार को रोकने और रेंज देशों में बाघ और इसके वास-स्थल के संरक्षण के लिए प्रयासों को समन्वित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार द्वारा "विश्व बाघ मंच" की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं।

विवरण

देश में 1993 में की गई गणनानुसार, राज्यवार, बाघों की अनुमानित आबादी

क्र.सं.	राज्य का नाम	बाघों की अनुमानित संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	197
2.	दादरा एवं नागर हवेली	शून्य
3.	गोआ	3

1	2	3
4.	बिहार	137
5.	मिजोरम	28
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
7.	उड़ीसा	226
8.	राजस्थान	64
9.	गुजरात	5
10.	महाराष्ट्र	276
11.	कर्नाटक	305
12.	हरियाणा	शून्य
13.	मेघालय	53
14.	उत्तर प्रदेश	465
15.	अरुणाचल प्रदेश	180
16.	मध्य प्रदेश	912
17.	केरल	57
18.	तमिलनाडु	97
19.	पश्चिम बंगाल	335
20.	असम	325
21.	त्रिपुरा	शून्य
22.	नागालैंड	83
23.	सिक्किम	2
24.	मणिपुर	प्राप्त नहीं
		3750

पोयमकुट्टी पन बिजली परियोजना

1583. श्री ए.सी. जोस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 10 जुलाई के अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में पोयमकुट्ट पन बिजली परियोजना को अनुमति देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस योजना की समीक्षा करने के लिए राज्य से अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) से (ङ). केरल में पोयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 3001.8 हैक्टेयर वन भूमि अन्तरण के प्रस्ताव को इसके सम्भावित विपरीत पारिस्थितिकीय प्रभावों के कारण जनवरी, 1991 में गुण दोष के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया था। राज्य सरकार के तत्पश्चात् प्रस्ताव पर पुर्नविचार के लिए निवेदन किया था। प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा ध्यानपूर्वक पुर्नविचार किया गया और फिर से 28.06.96 को अस्वीकृत कर दिया गया। हाल ही में केरल के माननीय मुख्य मंत्री से इस योजना की स्वीकृति के लिए निवेदन करते हुए एक पत्र भी प्राप्त हुआ है। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि प्रस्ताव को स्वीकृति देना इस मंत्रालय के लिए संभव न होगा क्योंकि इस परियोजना से होने वाले संभावित लाभ पोयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के कारण पश्चिमी घाटों के प्राचीन वनों की बड़े पैमाने पर स्वीकृति के कारण पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय हानियों के अनुरूप नहीं होंगे।

गंगा कार्य योजना

1584. श्री राम कृपाल यादव :
प्रो. अजित मेहता :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्य योजना को शत प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान योजना के रूप में शुरू किया गया था;

(ख) क्या इस नीति को बदल कर केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बराबर की राशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है;

(ग) यदि हां, तो पूर्व नीति को बदलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका योजना के कार्यान्वयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए गंगा कार्य योजना का चरण-I शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के अन्तर्गत शुरू किया गया था। इसका प्रयोजन अन्य राज्यों में नदियों के प्रदूषण निवारण के लिए अपनाए जाने वाले एक माडल के रूप में भी प्रस्तुत करना था। संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से गंगा कार्य योजना, चरण-II तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों के रूप में शुरू किया गया जिसकी पूंजीगत लागत में केन्द्र एवं संबंधित राज्य सरकारों के बीच बराबर की भागीदारी होगी ताकि

संबंधित राज्य सरकारें राज्यों में कार्यक्रमों के प्रति वचनबद्धता एवं स्वामित्व महसूस कर सकें। लागत में भागीदारी के इस परिवर्तन से स्कीमों के कार्यान्वयन की गति तथा इसके अन्तर्गत निर्मित सुविधाओं के रख-रखाव में सुधार होने की संभावना है।

बाढ़ नियंत्रण उपाय

1585. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में वर्तमान मानसून के मौसम में भारी वर्षा और बाढ़ से जिला-वार कितना नुकसान हुआ;

(ख) क्या चेनाब और उझ नदियों से बहुत से क्षेत्रों को भारी खतरा पैदा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और गत दस वर्षों के दौरान इस संबंध में प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई और इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या हाल ही के वर्षों में बनाए गए बचाव बांध, विशेष रूप से परगवाल द्वीप क्षेत्रों में बचाव बांध गत वर्ष और हाल के मौसम में ढह गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप कितना नुकसान हुआ?

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग को छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) जम्मू व कश्मीर सरकार से मिले ज्ञापन के आधार पर मृत व्यक्तियों तथा क्षतिग्रस्त मकानों का जिला वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) चिनाब नदी में बाढ़ आ जाने से अखनूर तहसील में 100 एकड़ भूमि का अपरदन हुआ है। उझ में बाढ़ आने से कठुआ जिले के कुछ भागों में भी कहीं कम कहीं अधिक नुकसान हुआ है।

(ग) चिनाव तथा उझ नदियों में बाढ़ सुरक्षा उपायों के लिये जम्मू व कश्मीर सरकार ने निम्नलिखित धनराशि खर्च की है :—

वर्ष	चिनाव (लाख रु. में)	उझ (लाख रु. में)
1993-94	95.00	33.00
1994-95	139.56	54.89
1995-96	331.06	134.65

(घ) और (ङ). चिनाव नदी में हाल ही में आई बाढ़ के कारण परगवाल द्वीप क्षेत्रों में बनाये गये सुरक्षा बांधों को आंशिक क्षति पहुंची है जिससे अनुमानतः 135.90 लाख रु. का नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष बांधों को कुछ नुकसान हुआ था।

विवरण

क्र.सं.	प्रभावित जिले	मृतकों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकान
1.	श्रीनगर	12	9693
2.	बडगाम	3	7715
3.	बारामुला	8	12400
4.	कुपवाड़ा	2	37
5.	अनन्तनाग	5	235
6.	पुलवामा	4	1687
7.	डोडा	3	1
8.	ऊधमपुर	2	28
9.	कठुआ	1	—
10.	रजौड़ी	2	—
11.	जम्मू	3	12
	योग	45	31808

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

1586. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कई बार अपने संबद्ध क्षेत्रों में तैनाती हेतु मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में तैनात न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने क्षेत्रों में उनकी तैनाती सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ). केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारियों/कार्मिकों, दोनों की स्थानान्तरण नीति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कभी-कभी अधिकारियों/कार्मिकों से बिना पारी के उनके होम जोन में तैनात करने के अनुरोध प्राप्त होते हैं। प्रशासनिक और आपरेशनल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन अनुरोधों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों की स्थानांतरण नीति

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों के स्थानांन्तरण हेतु एक निश्चित नीति है जिसमें "होम जोन" और होम जोन के बाहर के रूप में निर्धारित क्षेत्रों में निश्चित अवधियों के लिए टैन्योर तैनाती संबंधी नीति है। तैनाती का यह चक्र इस तरह से बनाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस क्रम को नहीं तोड़ता है तो वह अपनी सेवा निवृत्ति की अवस्था आने पर स्वयं ही अपने होम जोन में तैनात हो जाता है। इस समय, अराजपत्रित रैंकों में महिला अधिकारियों और भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर, कांस्टेबल से निरीक्षक तक के अन्य सभी रैंकों का टैन्योर चक्र निम्न प्रकार है:—

(क)	प्रथम टैन्योर	होम जोन के बाहर	6 वर्ष
(ख)	होम जोन	12 वर्ष	
(ग)	होम जोन के बाहर	दूसरा टैन्योर	6 वर्ष
(घ)	होम जोन	अंतिम टैन्योर	सेवा काल के शेष बचे वर्षों की अवधि

2. अराजपत्रित महिला कार्मिकों को, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की अवधि के लिए होम जोन के बाहर तैनात किया जाता है, तत्पश्चात्, यदि रिक्तियां होती हैं तो उन्हें उनके होम जोन में ही तैनात रखा जाता है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त की गई विधवाओं को जहां तक संभव होता है उनकी नियुक्ति के समय से ही उनको होम जोन के अन्दर ही तैनात किया जाता है।

3. भूतपूर्व सैनिकों की टैन्योर तैनाती की क्रम निम्न प्रकार है :—

(क)	होम जोन	नियुक्ति पर	6 वर्ष का टैन्योर
(ख)	होम जोन के बाहर	6 वर्ष	
(ग)	होम जोन	अंतिम टैन्योर	सेवा की शेष अवधि

4. सबसे कम वेतन प्राप्तकर्ता फालोअर्स, अपनी तैनाती की पूरी अवधि के लिए अपनी नियुक्ति जोन में ही तैनात रहते हैं जब तक अनुकम्पा के आधार वाले मामले विचारार्थ न हो।

5. अनुसचिवीय स्टाफ को आमतौर पर 5 वर्ष के लिए एक ही स्थान पर तैनात रखा जाता है, जिस को कि जनहित में तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अनुसचिवीय स्टाफ की तैनाती रिक्तियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

6. देश के कुछ क्षेत्रों को दुर्गम अथवा संवेदनशील क्षेत्र की सूची में रखा गया है। ऐसे क्षेत्रों में, यूनिटों में तैनाती टैन्योर, जोनल तैनाती के चक्र के अन्दर, अधिक से अधिक दो वर्ष का रखा गया है। ऐसी यूनिटें जिनमें सीमित अवधि की तैनाती पर विचार किया जाता है, वे कश्मीर घाटी, सीतलपुर, सिंगरेंट और असम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में स्थित हैं।

7. यह एक नीति है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को उच्च रैंक में पदोन्नति के तीन वर्षों के दौरान उस यूनिट में तैनात किया जाए जहां वह पहले ही निम्न रैंक में सेवा कर चुका है। जी.ओ. की तैनाती के मामलों में यह केवल एक दिशानिर्देश हैं तथा सामान्यतः इसको अपनाया जाता है।

भरतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए, कमाडेंट के रैंक में टैन्योर की अवधि 4 वर्ष, उपनिरीक्षकों के लिए 5 वर्ष और महा-निरीक्षकों के मामले में तीन वर्ष की है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेवा करते समय एक रैंक से दूसरे रैंक में पदोन्नति प्राप्त करने पर भारतीय पुलिस सेवा का कोई भी अधिकारी पुलिस महानिदेशक के रैंक तक अधिक से अधिक आठ वर्ष की कुल सेवा कर सकता है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में जी ओ की पोस्टिंग किए जाते समय लगभग तीन वर्ष का टेन्योर देने का ध्यान रखा जाता है, फिर भी ऐसा कोई कड़ा नियम नहीं है और कभी-कभी जनहित और समय की तात्कालिकता को देखते हुए इससे कम अवधि में भी स्थानांतरण किया जाता है।

कर्मचारियों के बच्चों के नये स्टेशनों पर नये स्कूलों में दाखिले की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण और तैनाती की प्रक्रिया प्रत्येक कलैण्डर वर्ष फरवरी माह में शुरू की जाती है।

के.ओ.सु.बल. एक अखिल भारतीय संगठन है और इसका अधिकारी संवर्ग केन्द्रीय सेवाओं में श्रेणी "क" वर्ग में से एक है। तैनाती और स्थानांतरण के मामलों में, कार्मिक नीति में अखिल भारतीय स्वरूप बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।

देशी मवेशी प्रजातियां

1587. जस्टिस गुमान मल लोढा : क्या **पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशी मवेशी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कुछ और प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) क्या यह महसूस किया गया है कि जैव-विविधता महत्वपूर्ण और अत्यधिक बहुमूल्य है तथा विकसित देशों द्वारा प्रजनात्मक संसाधनों के संग्रह के लिए पूल बनाए जा रहे हैं और उनके जीनस को पेटेंट किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) प्रत्येक देशी मवेशी प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ). जानकारी सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है तथा जानकारी प्राप्त होते ही यह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे पुलिस पर खर्च

1588. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री राम नाईक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से रेलवे पुलिस पर किए गए खर्च की बकाया धन-राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1996 को रेलवे के पास कुल कितनी बकाया धनराशि थी;

(ग) बकाया राशि का पूरी तरह से आज तक भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा कब तक राज्य सरकार को बकाया राशि का भुगतान कर दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : (क) जी हां।

(ख) जुलाई, 1996 को रेलों पर कुल बकाया रकम 6.93 करोड़ रु. है। बहरहाल, इस रकम में वह 22.06 करोड़ रु. शामिल नहीं है जिसे रेलवे के अनुमोदन के बिना राजकीय रेलवे पुलिस के कार्मिकों के पदों के सृजन के लिए खर्च किया गया था और जिसे मध्य रेल ने अस्वीकार कर दिया था।

(ग) बकाया के कुछ कारण इस प्रकार हैं :—

(1) राज्य सरकार द्वारा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र का प्रस्तुत न करना;

(2) निधियों की अनुपलब्धता;

(3) रेल प्रशासन के अनुमोदन के बिना राज्य सरकार द्वारा राजकीय रेल पुलिस कर्मियों के पदों का एकतरफा सृजन।

(घ) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन 1996-97 में स्पष्टतः स्वीकार्य विधेयक पास किया जाएगा।

मध्यान्ह 12.00 बजे

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चांस आपको मिले।

आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि 2 जून 1995 को कुमारी मायावती जो उस समय सांसद थीं, बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो गई, उनके साथ उत्तर प्रदेश के गैस्ट हाउस में मारपीट की गई, उनके जीवन को खतरा हो गया और उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री मोतीलाल वोहरा ने श्री रमेश चन्द, तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश को घटना की रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया था।...**(व्यवधान)** ठीक है, आप बैठ जाइये। मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं उसके बाद रमेश चन्द्र कमेटी ने गवर्नर को रिपोर्ट दे दी है। उसमें यह तय किया है कि प्रभावशाली राजनैतिक नेताओं ने आपराधिक षडयंत्र की योजना बनाई और कुमारी मायावती को जान से मारने का षडयंत्र रचा गया।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजीव हत्याकांड मामले में हुई प्रगति के बारे में जानना चाहता हूं। मैंने अट्ठाइस दिन पहले नोटिस दिया था लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत आप बोलें।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : इतना ही नहीं, मैं अखबार की बात नहीं कह रहा हूं। मैं उस रिपोर्ट की बात कह रहा हूं जो श्री रमेश चन्द्र कमेटी ने राज्यपाल को पेश की है और कहा है कि उसके अन्दर अधिकारी भी मुख्यमंत्री और अन्य प्रशासनिक शासन से जुड़े हुए मंत्रियों के दबाव में आकर उस षडयंत्र में भागीदार थे और कुमारी मायावती की हत्या करने के षडयंत्र में उनकी स्वयं भागीदारी थी, उन्होंने उस षडयंत्र में बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया। उस समय श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव जो इस बात के लिए स्वयं इस्तीफा दें क्योंकि वहां के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री रमेश चन्द्र ने उनको दोषी ठहराया है। इतना ही नहीं, एक महिला का मामला था। जब वह एक महिला की रक्षा नहीं कर सके तो देश की रक्षा क्या करेंगे? मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रमेश चन्द्र कमेटी ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि इस सारे मामले की सी.बी.आई. जांच कराई जाए।...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष जी, यह मामला जो रावत जी ने उठाया है, उसके बारे में मैंने भी सूचना दी थी,

शायद आपको मिली नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है, हम सब उत्तरदायी हैं। उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर जनता में बड़ा आन्दोलन है कि पिछली दो जून को वहां के गैस्ट-हाउस में बसपा की नेत्री मायावती और उनके विधायक जब अपनी बैठक कर रहे थे तो उस बैठक पर संगठित हमला किया गया, कातिलाना हमला किया गया। उस समय मैंने लोक सभा में यह मामला उठाया था और श्री चव्हाण साहब गृह मंत्री थे। उन्होंने संरक्षण की कुछ व्यवस्था भी की थी। बाद में इस सारे कांड की जांच के लिए रेवेन्यु बोर्ड के जो पुराने चेयरमैन, श्री रमेश चन्द्र, की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी।

एक माननीय सदस्य : यह कमेटी किसने बनाई?...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार ने बनाई थी। उस कमेटी की 89 पेज की रिपोर्ट हैं और उसके अलग-अलग अंश को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी को निर्देश दिया जाए कि वे श्री रमेश चन्द की रिपोर्ट को इस सदन में प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट की सारे देश में चर्चा हो रही है। उस रिपोर्ट के उद्धरण समाचार पत्रों में भी छप रहे हैं, लेकिन संसद को अंधेरे में रखा जाए, विशेषकर जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है, तो यह संसद के साथ न्याय नहीं है। आप गृह मंत्री जी को निर्देश दें कि वे रिपोर्ट को लखनऊ से प्राप्त करें और सदन के पटल पर रखें। फिर हम देखेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या है। अभी तक जो अंश छपे हैं, वे बहुत ही आपत्तिजनक हैं। लोगों पर षडयन्त्र के आरोप की पुष्टि करते हैं और इस बात को भी पुष्ट करते हैं कि विधायकों का अपहरण किया गया और उन विधायकों को तत्कालीन मुख्य मंत्री के घर में रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्ताजी, इसमें अच्छा यह होगा कि आप इस रिपोर्ट को ले लें और रिपोर्ट लेकर उसको हाउस में रख दें।

[अनुवाद]

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे?

(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1992 की धारा 43 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (स्थापना)/94, जो 2 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बसर में उद्यान-कृषि और वानिकी महाविद्यालय की स्थापना और प्रबंध के लिए प्रथम अध्यादेश का अनुमोदन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या वीसी/सीएयू/14 (स्थापना)/94, जो 2 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के प्रथम प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 147/96]

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 150 के अधीन अधिसूचना राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 201 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 34/96, जो 22 मार्च, 1996 के अंडमान और निकोबार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त विनियम की धारा 150 के अधीन एक वर्ष की अवधि पूरी करने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचन कराने का उपबंध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 148/96]

(2) (एक) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 149/96]

औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : मैं औद्योगिक विवाद (संशोधन) तीसरा अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 150/96]

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 की वार्षिक प्रतिवेदन, कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 151/96]

माध्यस्थम् और सुलह (तीसरा) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : मैं माध्यस्थम् और सुलह (तीसरा) अध्यादेश, 1996 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 152/96]

अपराह्न 12.09 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 22 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित माध्यस्थम और सुलह विधेयक, 1996 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 22 जुलाई, 1996 को हुई अपनी बैठक में पारित औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1996 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

अपराह्न 12.09 1/2 बजे

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा 22 जुलाई, 1996 को पारित माध्यस्थम और सुलह विधेयक, 1996 और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1996 को सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सिवनी के सांसद, श्री प्रहलाद सिंह, जब वे यहां पर आ रहे थे, तो जानबूझ कर कलैक्टर और एसपी ने गिरफ्तार किया और जबलपुर जेल में भेज दिया। इसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है। इस प्रकार एक सासंद को जबरन उठाकर ले गए और गिरफ्तार किया। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच की जाए कि किस प्रकार सांसद के साथ दुरव्यवहार किया। उनको उठाकर ले गए और बन्द किया। जन प्रतिनिधि के साथ यह व्यवहार अच्छा नहीं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मनोरंजन भक्त का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का उत्पादन कम होने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सारे गांवों में भारी हाहाकार मच गया है। सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी और ऊर्जा मंत्रालय से अंडमान और निकोबार प्रशासन ने डीजल जेनरेटिंग सेट खरीदने के लिए परमिशन मांगी थी लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दी गई है। उसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बिजली की इतनी कमी हो गई है कि सारे स्कूल के बच्चों के लिए काफी कठिनाई हो रही है। इस कारण से वहां कल-कारखानों में तथा वहां पर जो छोटे-मोटे उद्योग लगे हैं उनमें

कोई काम नहीं हो सकता है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में बिजली का उत्पादन डीजल जेनरेटिंग सेट से होता है इसलिए आप वहां पर पर्याप्त मात्रा में डीजल जेनरेटिंग सेट खरीदने के लिए अनुमति दें।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कल्पम प्रोजेक्ट है उसका अभी तक काम शुरू नहीं किया गया है, पर्यावरण मंत्रालय से उसके लिए आधी रकम देने की अनुमति प्रदान की गई है और बाकी आधी नहीं दी गई है। यहां पर पर्यावरण मंत्री उपस्थित हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कल्पम हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण का जो क्लियरेंस है, उसके लिए अनुमति दी जाए ताकि वह काम तुरंत शुरू हो सके। मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि इतने दूरदराज इलाके के लिए मंत्री जी को सोचना पड़ेगा, केन्द्र शासित इलाका उनके दायरे में पड़ता है इसलिए उनको खास करके विशेष ध्यान देना पड़ेगा और जितनी रकम की जरूरत है वह देनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : गुप्ता जी, डॉ. लक्ष्मी नारायण पांडेय जी ने यह सवाल उठाया है कि प्रहलाद पटेल, एम.पी. को गिरफ्तार किया गया है।

(व्यवधान)

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : उनको जेल में रखा गया है, उनको जबरन ले गए। उन्होंने कहा कि मैं हाउस में जा रहा हूं लेकिन फिर भी उन्हें रोका गया और अब वह जबलपुर जेल में बंद है। ...**(व्यवधान)** यह विशेषाधिकार का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र जहानाबाद में घरेलू रसोई गैस वितरक की नियुक्ति करने के संबंध में दिलाना चाहता हूं। हमारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो अनुमंडल मसौढ़ी जिला पटना एवं अरवल जिला जहानाबाद है। मसौढ़ी अनुमंडल कई वर्षों से स्थापित है लेकिन अभी तक वहां एल.पी.जी. वितरक की नियुक्ति नहीं की गयी है। यद्यपि मसौढ़ी में वितरक की नियुक्ति हेतु आवेदन लिया गया है परंतु इसकी प्रक्रियाएं पूरी करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहे हैं।

महोदय, अरवल अनुमंडल में 23 पंचायतों का बड़ा प्रखंड था फिर भी आज तक वहां एल.पी.जी. वितरक की नियुक्ति करने हेतु विपणन योजना में नहीं लिया गया है। जहानाबाद जिले का ही घोसी, कुर्था, करपी एवं खिदरसराय थाना है जहां एल.पी.जी. वितरक की नियुक्ति आवश्यक है लेकिन अभी तक सरकार ने यहां वितरकों की नियुक्ति करने हेतु कोई कदम नहीं उठाया है। आज घरेलू रसोई गैस का उपयोग काफी आवश्यक है फिर भी इस देश के अनुमंडल स्तर पर एवं घनी आबादी वाले प्रखंडों में एल.पी.जी. वितरक की नियुक्ति नहीं की गयी है।

जहानाबाद शहर में मात्र एक ही एल.पी.जी. वितरक है, जिसको उपभोक्ता न्यायालय ने दंडित करने हेतु अनुशंसा पेट्रोलियम मंत्रालय से की है, लेकिन आज तक कार्रवाई शून्य है। इस वितरक पर हजारों उपभोक्ताओं की गंभीर शिकायत हैं। 30-40 कि.मी. की दूरी से उपभोक्ता गैस लेने आते हैं उन्हें बाद में गैस मिलता है। ऐसी स्थिति में बेहतर सुविधा प्रदान करने योग्य एजेंसी होनी चाहिए और इनकी संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए।

अतः केन्द्र सरकार से आग्रह है कि देश के प्रत्येक अनुमंडल एवं प्रमुख प्रखंडों में एल.पी.जी. वितरक की नियुक्ति की जाए जिसमें हमारे क्षेत्र के अनुमंडल मसौढ़ी एवं अरवल प्रखंड घोषी, अरवल, कुर्था एवं थाना काकों खिदरसराय एवं करपी आदि में एल.पी.जी. वितरक नियुक्त करने हेतु शीघ्र सार्थक कार्रवाई की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट पढ़ा नहीं जाता है, संक्षेप में दीजिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : वितरक पर कार्रवाई शीघ्र की जाए, यही मेरा कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको चांस दूंगा, आप बैठ जाइये। जब मैं आपको चांस दूंगा तभी बोलियेगा।

आपको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आप कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री अनन्त कुमार हेगड़े (कनारा) : 10 तारीख को वहां डा. चितरंजन जी की हत्या हो गयी और उसकी जांच सी.बी.आई. के हाथ में है।

उपाध्यक्ष महोदय : कहां पर हो गयी?

श्री अनन्त कुमार हेगड़े : कर्नाटक के भटकल में। 1993 में वहां पर बहुत बड़े दंगे हुए थे। उसमें 24 लोग मारे गए थे। डा. चितरंजन जी को भी मार दिया गया था। आज मेरी जान को भी खतरा है। उन्हीं तत्वों ने दिल्ली पहुंचकर इस महीने की 18-19 तारीख को मुझे मारने की धमकी दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कौन धमकी दे रहा है?

श्री अनन्त कुमार हेगड़े : कर्नाटक के अन्दुल रहमान ...**(व्यवधान)**

1993 से वहां पर टैरोरिज्म जारी है।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, कनारा के हमारे संसद सदस्य श्री अनन्तराम हेगड़े की जान को भारी खतरा है। 10 मई को हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधान सभा सदस्य की भटकल

में, जो कनारा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का एक हिस्सा है, कट्टरपंथियों और अपराधियों ने हत्या कर दी थी। उस दिन से लगातार कुछ कट्टरपंथी, अपराधी और असामाजिक तत्व कनारा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हमारे संसद सदस्य श्री अनन्त कुमार हेगड़े का पीछा कर रहे हैं और वही उनका अगला लक्ष्य है।

उस दिन, अर्थात् 10 मई से आज तक डा. चितरंजन की हत्या के सम्बन्ध में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। यद्यपि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच आरम्भ की गई थी लेकिन उसे रोक दिया गया है। हमारी सूचना के अनुसार ये तत्व भटकल से ही जुलाई के पहले सप्ताह से श्री अनन्त कुमार हेगड़े का पीछा कर रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में वे जब भटकल गये थे तो इन लोगों ने उनका कार में पीछा किया था। सी.बी.आई. ने कार को पकड़ लिया लेकिन वह लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। तब उसके पश्चात् ये लोग 8, 9, 10 और 12 तारीख को बंगलौर पहुंचे और यह सोच कर यादव स्मृति के सामने प्रतीक्षा करते रहे कि श्री अनन्त कुमार हेगड़े वहां होंगे। हमारे विधान सभा सदस्य श्री के नरहरि ने बंगलौर में शीशादरी पुरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि ये असामाजिक तत्व श्री अनन्त कुमार हेगड़े की हत्या करने आये हैं। लेकिन पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाये चोरी की शिकायत दर्ज की।

अब वही अपराधी दिल्ली पहुंच गये हैं और कर्नाटक भवन, एस.पी. मार्ग न्यू दिल्ली में ठहरे हुए हैं। कर्नाटक भवन हत्यारों और अपराधियों के ठहरने का अड्डा बन गया है। वे वहां ठहरे हुए हैं और लगातार श्री अनन्त कुमार हेगड़े की गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए हैं। अभी तक किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री अनन्त कुमार हेगड़े ने माननीय अध्यक्ष से भी 12 तारीख को भेंट की थी और उनसे शिकायत की थी जिसमें उन्होंने कार और उनका पीछा कर रहे लोगों का विस्तृत विवरण दिया था। माननीय अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उचित कार्यवाही की जायेगी और वे इस मामले पर गृह मंत्री श्री इन्द्रजीत गुप्त से बातचीत करेंगे। महोदय, 12 तारीख को गुजरे आज 12 दिन हो गये हैं। आज 23 जुलाई है। उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। श्री अनन्त कुमार हेगड़े को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है। श्री अनन्त कुमार हेगड़े का जीवन इस सदन के माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संरक्षण में हैं।

महोदय, कर्नाटक भी...*

उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी हम अनुरोध करते हैं कि श्री अनन्त कुमार हेगड़े के जीवन की रक्षा के लिये उन्हें तुरन्त संरक्षण दिया जाना चाहिये। गृह मंत्री को सदन में इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि वह श्री अनन्त कुमार हेगड़े के लिये पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ई. अहमद को अपना मामला उठाने के लिये कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने ऐसे वाक्य का उल्लेख किया था...

उसे आपने सभा की कार्यवाही से नहीं निकाला है। आप सभा को किस प्रकार लेते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : वे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं जिन्हें सभा की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये। आप चुप बैठे हैं। आपको हमारे अनुरोध को सुनना चाहिये...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण मैं किसी को भी सुन नहीं पाया

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको क्या हो गया है? ...**(व्यवधान)** वे इस प्रकार के वाक्यों का उल्लेख कर रहे हैं...आपने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाना चाहिये...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उस वाक्य को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं यह बात आपकी जानकारी में लाया हूं। अन्यथा आपकी आलोचना होगी...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उस वाक्य को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं गृह मंत्री और सभा के विचार के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूंगा...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी हमारी तरफ कभी निगाह नहीं जाती...**(व्यवधान)** आप उधर के माननीय सदस्यों को बुलाते हैं लेकिन इस तरफ आपकी निगाह नहीं जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का चांस मिलेगा अभी अहमद जी को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक-एक करके बोलिये।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप में से एक बोले।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर का कोई प्रोसीजर होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रक्रिया को चुनौती दी है। आप इसको फिर चुनौती दे रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरी बार प्रक्रिया को चुनौती दे रहे हैं मेरे पास सूची है। मुझे उसमें से चयन करना होता है। यह ही प्रक्रिया है। कृपया बैठ जायें।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्षपीठ प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री ई. अहमद को बोलने के लिये पुकार चुका हूं। वे पहले बोलें।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा कि आप विभिन्न दलों के नेताओं से मिलें और इस बात का पता करें कि शून्यकाल के दौरान क्या क्या हो रहा है।

यह सभा के लिये उचित होगा और इससे जनता के सम्मुख हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आप कृपया ऐसा करें क्योंकि अनेक प्रकार की बातें चल रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले आप मेरी बात सुनें। अभी तक का प्रोसीजर यह है कि लिस्ट बन जाती है, लिस्ट में 70 आदमी भी होते हैं, 50 आदमी भी होते हैं। उन में एम.पी. कौन-कौन हैं और देखना पड़ता है कि कौन कौम सा सब्जेक्ट इम्पारटेंट है उनमें से मुझे कुछ को चुनना होता है। इसके अलावा और कोई प्रसीजर अडप्ट नहीं करना है?

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सब दलों के नेता मेरे कक्ष में बैठकर इस बारे में निर्णय करें। अब तक इस प्रक्रिया का ही पालन होता रहा है। आप सब कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से सांसद के एक माननीय सदस्य की जान के खतरे के बारे में सूचना माननीय अध्यक्ष महोदय को पहुंचायी गयी है। मैं नहीं जानता कि शायद गृह मंत्री को इसकी सूचना है? यदि नहीं है तो मैं यही चाहता हूं कि इस मामले की जांच-पड़ताल कराई जाये और संसद के माननीय सदस्य को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिये, यही मेरा निवेदन है। यहां पर माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी बैठे हुये हैं, मैं उनसे भी यही निवेदन कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं...(व्यवधान) सब कोई बोल रहे हैं...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : महोदय, सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के मामले तो राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिये। यदि माननीय अध्यक्ष की जानकारी में कोई बात आई है तो उनके द्वारा दिये गये निर्देश का सरकार द्वारा पालन किया जायेगा। लेकिन इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये। इस मामले को जिस प्रकार राजनीतिक रंग, दिया जा रहा है वह सच नहीं है। मैं एक अन्य मामले के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जिस मामले पर जांच आयोग का गठन किया गया, वह मामला माननीय विपक्ष के नेता द्वारा उठाया गया था। अध्यक्षपीठ ने इस बारे में निर्देश दिया था। अध्यक्षपीठ के निर्देशों का साकार पालन करेगी। लेकिन, इसी प्रकार के अन्य अवसर होते है। राज्य में अनेक जांच की गई हैं। और यदि हम उन सबसे सम्बन्धित मामले उठाये अथवा कोई सदस्य उन सब मामलों को उठाये और यदि ऐसा कोई निर्देश होता है कि सभी रिपोर्टों को सभा पटल पर रखा जाये, तब इसकी कोई सीमा नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह सब नहीं पूछा है। मैंने केवल एक बात पूछी है।

श्री श्रीकान्त जेना : जी हां, महोदय यही विषय है। एक आयुक्त के पद का अधिकारी जांच कर रहा है और जांच रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध है। क्या उस रिपोर्ट को यहां लाकर सभा पटल पर रखना उचित होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री इसे मंगवाने की प्रयास करेंगे।

श्री ई. अहमद : मैं चिल्ला नहीं सकता।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह गृह मंत्री का दायित्व बनता है कि इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को यहां रखे। मैं काफी देर से चुप बैठा हुआ हूं...**(व्यवधान)** मैं जानना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट की वास्तविकता क्या है...**(व्यवधान)** उस रिपोर्ट को देश की जनता को जानने का अधिकार है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीश्रीकांत जेना : डा. मुरली मनोहर जोशी जी वह उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध है। वह एक खुला दस्तावेज है।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : यहां इस मामले पर चर्चा होनी चाहिये...**(व्यवधान)** लोग इस सदन में चर्चा करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री ई.अहमद : महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सम्मानीय सभा तथा माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन चल रहा है। इसलिये केन्द्र सरकार और सदन की जिम्मेदारी बनती है। इस रिपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी आन्दोलन हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिये कि इसके पहले उत्तराखंड के मामले में भी...**(व्यवधान)** नेता प्रतिपक्ष ने यह सामान्य मांग की है कि और बहुत जायज मांग है। आपको क्या दिक्कत है उस रिपोर्ट को यहां रखवाने में? मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिये। ...**(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि वह रिपोर्ट उत्तर पद्रेश राज्य में उपलब्ध है...**(व्यवधान)** वह रिपोर्ट संसद में उपलब्ध करानी चाहिये क्योंकि वह राज्य राष्ट्रपति के अधीन है...**(व्यवधान)** संसदीय कार्य मंत्री का दायित्व है कि वह रिपोर्ट उपलब्ध करायें...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम यह चाहते हैं कि मुम्बई के दंगों के बारे में श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी जानी चाहिये।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल एक रिपोर्ट के बारे में कहा है

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : वह रिपोर्ट भी सभा पटल पर रखी जानी चाहिये...**(व्यवधान)** कृपया वह रिपोर्ट भी लायें।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : उत्तर प्रदेश राज्य राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है।...**(व्यवधान)** यह रिपोर्ट सदन में आनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : पूर्ण रिपोर्ट यहां लाई जानी चाहिये। साम्प्रदायिक दंगों की भी जांच की जानी चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश कलमाडी (पुणे) : महोदय, हम 1992 के दंगों की रिपोर्ट चाहते हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : मंत्री जी का बयान बहुत मायने रखता है।...**(व्यवधान)** उन्होंने उत्तर प्रदेश का हवाला दिया है। इस मामले में बहुत से राजनैतिक नेता हैं जो इस तरह के कर्म में लिप्त हैं। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पूरा सदन जानना चाहेगा कि सरकारी स्तर पर एक बड़े नेता पर इस तरह का आपराधिक षडयंत्र उजागर हो गया है। उन्होंने कहा है कि सब जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लाम नहीं जानते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि वे कौन लोग हैं।...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है और राष्ट्रपति शासन में...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मेरे विचार से ऐसा पहली बार हुआ है कि एक रिपोर्ट को सभा में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और माननीय गृह मंत्री से रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। मेरे विचार से ऐसी परम्परा बिना पूरी तरह सोच विचार के नहीं डाली जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सी?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, शीघ्र अन्य आयोगों की रिपोर्टों की मांग की जाने लगेगी। क्या हम इस संसद को राज्य विधान सभाओं में परिवर्तित कर देंगे? डिवीजनल कमीश्नर की रिपोर्ट चाहते हैं ...**(व्यवधान)** कोई यह आरोप लगा रहा है।

आप महोदय, इसकी सीमा क्या होगी? श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग भी उचित है। उसे सभा में क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाये?...**(व्यवधान)** अतः मैं आप से सविनय अनुरोध करता हूं कि आप अपने इस विनिर्णय पर पुनः विचार करे। यह ऐसा मामला है। जिसके बारे में कोई पूर्व परम्परा नहीं है। कृपया इस बारे में विचार करें। यदि आवश्यक समझे तो नेताओं से विचार विमर्श करें क्योंकि ऐसा करने से एक बहुत खतरनाक परम्परा पड़ जायेगी।

मैं भी वाजपेयी और दूसरी और अपने मित्रों से भी अनुरोध करता हूं कि राजनैतिक प्रयोजनों के लिये संसद में ऐसी स्थिति उत्पन्न न करें जिसका दुरूपयोग किया जाये, जैसाकि अब किया जा रहा है। अतः इस बारे में पुनः विचार करें। यह मेरी आपसे सविनय अपील है ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विपक्ष के नेता ने शून्यकाल के दौरान एक संविधान सम्मत और उचित बात आपके सामने रखी। उन्होंने उस प्रदेश में हुई जांच की रिपोर्ट ले करने की बात की है कि जो प्रदेश राष्ट्रपति शासन के अधीन है, संसद जिसको डायरेक्टली देख रही है। वह प्रशासनिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट उपलब्ध है और अखबारों में छप रही है।

ऐसी रिपोर्ट को संसद में ले करने की मांग रखना कतई अनुचित नहीं है और उसको उचित मानते हुए आपने गृह मंत्री को निर्देश दिया कि यहां रिपोर्ट ले की जाए। बजाय इसके कि वह आपके निर्देश को स्वीकार करें, संसदीय कार्य मंत्री बहुमत के बल पर यह टिप्पणी करके इसको बुली करने की बात की जा रही है और आपके आदेश निर्देश को पलटने की बात की जा रही है। यह बहुत गलत परम्परा होगी। आप अपना निर्देश पुनः दोहरा दीजिए ताकि गृह मंत्री कल संसद के अंदर लाकर रिपोर्ट ले करें, बाकी कोई दूसरा पैरेलल या समानान्तर इस पर गौर नहीं किया जा सकता। बाकी तमाम जगह विधान सभाओं में ले हाती है जहां राष्ट्रपति शासन है वहां उसको संसद में रखने की मांग की गई है। आप अपना निर्देश बिना बुली हुए इनके सामने दोहरा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आपको इस बारे में क्या आपत्ति है?...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : महोदय, आपने इसकी अनुमति दी है! हम आपके विनिर्णय को मानने के लिये बाध्य हैं...**(व्यवधान)** महोदय, आपके द्वारा गृह मंत्री से मांगी गई जानकारी के बारे में कोई विवाद नहीं है। हमारा किसी आयोग की किसी भी रिपोर्ट के बारे में कोई विवाद या असहमति नहीं है। जो वे चाहते हैं उन्हें मिल जायेगा। वो जो उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं, वे वह जान सकते हैं. ..**(व्यवधान)** लेकिन महोदय, हमारा आपसे यह निवेदन है कि यदि आप किसी विशेष जानकारी अथवा जांच रिपोर्ट का पक्षपात करने के लिये सभा में प्रस्तुत करने का विशिष्ट विनिर्णय देते हैं, तो सदस्यों को आशंका होगी और वे इसी प्रकार की रिपोर्टों को सभापटल पर रखने की मांग करेंगे जो प्रस्तुत की जा चुकी हैं...**(व्यवधान)**

श्री प्रदीप भट्टाचार्य (सैरमपुर) **:** यह बात बिल्कुल ठीक है ...**(व्यवधान)**

श्री पी.आर. दासमुंशी : रमेश चन्द्र जांच समिति ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। सदस्यों को उन्हें जानने का पूरा अधिकार है। मैं भी सदस्य के रूप में यह महसूस करता हूं कि मुझे और सभा को इस बारे में जानने और इस पर चर्चा करने का पूरा अधिकार है कि उस समिति के निष्कर्ष क्या हैं और श्री कृष्ण आयोग के निष्कर्ष क्या हैं और साम्प्रदायिक दंगों के बारे में अन्य आयोगों की टिप्पणियां क्या हैं ...**(व्यवधान)** यदि आप ऐसा करते हैं, तो सब के बारे में करें ...**(व्यवधान)**

श्री सुरेश कलमाडी : महोदय, हम 1992 के दंगों के बारे में भी रिपोर्ट चाहते हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जब कभी ऐसी मांग होगी, मैं इसकी जांच करूंगा

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर पूर्व) **:** जिस रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं, उस श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट है ही नहीं...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा : राजीव गांधी हत्याकांड की जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके ऊपर इस सदन में बहस भी हुई थी तो उस पर क्यों नहीं हो सकती।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद अपना भाषण आरम्भ करें। मैं आपकी बात उनको सुनने के बाद सुनुंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मि. अहमद के बाद आप बोल लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई.अहमद : महोदय, मैं इस प्रकार कब तक खड़ा रहूंगा?. ..**(व्यवधान)** मैं भी सदस्य हूं। मुझे उपाध्यक्ष महोदय ने बोलने के लिये कहा है। वह और से पहले बोलने का प्रयास कर रहे हैं ...**(व्यवधान)** महोदय भारतीय जनता पार्टी आपका लाभ उठा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले श्री अहमद को सुनना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री ई. अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दस मिनट से सभा के समक्ष एक विषय के बारे में निवेदन करने के लिए खड़ा हूं। मैं एक ऐसा मामला उठा रहा हूं जिसका समर्थन अनेक सत्ता पक्ष के सदस्यों ने किया था, जब वे विपक्ष में थे। महोदय, 'टाडा अधिनियम' व्यपगत हो गया है। व्यवहार में अब 'टाडा' नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इसके अन्तर्गत बन्दी बना लिया गया था अथवा अपराधी मानकर जेल भेज दिया गया था वे सलाखों के पीछे यातनापूर्ण जीवन बिता रहे हैं। मुझे 'टाडा' अपराधियों से कोई सहानुभूति नहीं है। यदि उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिये। लेकिन कुछ निर्दोष तत्व और निर्दोष व्यक्ति ऐसे है कि जो संयोग से ही अपराधी बन गये हैं। उन्हें न्यांय मिलना चाहिये। उन्हें न्याय कब मिलेगा? उनके मामलों को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिये और यह पता लगाया जाना चाहिये कि क्या वे दोषी हैं अथवा नहीं; यदि उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, तो उनको छोड़ा जाना चाहिये।

एक देश, जो मानव अधिकारों के लिये संघर्ष करता रहा है और मानव अधिकारों के उल्लंघन का विरोध करता रहा है, उस देश में 'टाडा' के अन्तर्गत निर्दोष व्यक्ति यातनाएं सह रहे हैं। यह सरकार इसकी कैसे अनुमति दे सकती है? सरकार को यह मामला सम्बद्ध राज्य सरकारों से उठाना पड़ेगा।

यहां तक कि 18 अथवा 19 वर्ष के ऐसे बच्चों को जिन्होंने 'टाडा' के अपराधी को एक प्याला चाय दी है, उन्हें भी सह-अपराधी मान लिया गया है। अतः, भारत जैसे देश के लिये यह बहुत कलंक की बात है निर्दोष व्यक्तियों को 'टाडा' के अन्तर्गत जेलों में बन्द किया जाये। अतः मैं सरकार और माननीय गृह मंत्री से जो पिछली संसद में इस मामले का समर्थन कर रहे थे, अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर शीघ्रता से कार्यवाही की जाये और उनके साथ कानून के अनुसार न्यायोचित व्यवहार किया जाये। उनके साथ न्याय किया जाये और निर्दोष व्यक्तियों को छोड़ दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने फ्राइडे को भी इसी बाबत नोटिस दिया था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि जीरो-ऑवर जल्दी खत्म हो गया था। अभी जो बात अहमद साहब ने यहां उठाई है, उसे हमने पिछले सदन में उठाने की कोशिश की थी। उसकी वजह यही थी कि जब सभी सांसद महोदय और पूरे देश का रुख ऐसा बना तो टाडा कानून को फिर आगे नहीं बढ़ाया गया लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि टाडा तो खत्म हो गया लेकिन टाडा में जो 6 हजार लोग जेलों में बंद हैं, उनके मामलों में सुनवाई में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार कोई इस तरह का कानून लाए जिसके जरिए उन केसेज को फिर से देखा जाए, जो इन्नोसैंट लोग जेलों में बंद हैं। खास तौर से पिछले दिनों बाबरी मस्जिद की डिमौलीशन के बाद पूरे हिन्दुस्तान में जो रायट्स हुए, इसके अलावा बहुत से किसान जेलों में बंद हैं, पंजाब के लोग बंद हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई इस तरह का कानून लाए ताकि इन मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। भारत सरकार को सदन में बताना चाहिए कि इस मामले में वह क्या करने जा रही है ताकि उन लोगों को रिलीफ मिल सके तो बेमतलब जेलों में बंद हैं। तकरीबन 6000 लोग आज हिन्दुस्तान की विभिन्न जेलों में बंद हैं।

मैं यहां रैफरेंस देना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब मुलायम सिंह जी यादव यू.पी. के मुख्यमंत्री थे उन्होंने तमाम ऐसे केसैज को, जिनमें इन्नोसैंट लोग इन्वोल्व थे, विदड्रा कर लिया था। मेरा मतलब है कि बहुत सी स्टेट्स ने ऐसा किया है लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरे कंट्री के लेवल पर इस सवाल को लिया जाए। सरकार सदन को बताए कि लगभग 6000 लोग जो टाडा में बंद हैं, उनके मामलों में वह क्या कदम उठा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या तरीका है, कृपया बैठ जाइए, मैं आपको एलाव करूंगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यहां होम मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए ...**(व्यवधान)**

श्री लालमुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक आपराधिक मामला हुआ था, वह आपराधिक मामला क्या है, यह सदन को जानने का हक है ...**(व्यवधान)** नहीं तो मंत्री जी कहें कि मैंने गलतबयानी की है ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी एलाव करूंगा। पहले इनकी बात सुन लीजिए मुझे भी अपनी बात कहने दें। कृपया बैठ जाये। श्री फातमी कृपया बैठ जाये।

[हिन्दी]

यह कोई तरीका नहीं है...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस इस विषय पर नहीं था।

(व्यवधान)

श्री तारीक अनवर (कटिहार) **:** उपाध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर साहब सदन में बैठे हैं। उन्हें टाडा के मामले पर सदन में बताना चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मेरा नोटिस कल भी था। आज भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस 'सिंकिंग ऑफ ताजमहल' विषय पर है।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मैंने ताज महल के धस जाने के बारे में आज के लिये नोटिस दिया है। शुक्रवार को मैंने 'टाडा' के बारे में नोटिस दिया था।

[हिन्दी]

लेकिन यह मामला भी बहुत इम्पौर्टेंट है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन कुछ और चीजें भी छांटनी पड़ती है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री तारीक अनवर : उपाध्यक्ष जी, टाडा का मामला बहुत इम्पौर्टेंट है, होम मिनिस्टर साहब सदन में बैठे हैं, सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है, सदन इस बात को जानना चाहेगा ...**(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) **:** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये भारत सरकार के संज्ञान में एक मामला लाना चाहता हूं। मैं उत्तर-बिहार के सीतामढ़ी से आता हूं। पूरे उत्तर बिहार में कमला बलान, गंडक, बुढ़ी गंडक, कौसी, अदवारा समूह और बागमती की तमाम नदियों में, जो हिमालय से निकलती हैं, उनमें भयंकर बाढ़ आई हुई है। तमाम उत्तर बिहार में दो दर्जन लोग बहकर मर गए हैं। सीतामढ़ी के परिहार, सोन बरशा, सुर खंड, पुपरी, जानपुर बाडापट्टी और सीतामढ़ी, जो तमाम ब्लाक हैं सभी जलमग्न हैं। हमारे यहां कई लोग मर गए हैं। मेरे गांव में भी सावित्री नाम की बालिका कल डूबकर मर गई है। इस प्रकार से पूरे उत्तर बिहार में दो दर्जन लोग बाढ़ से मर गए हैं। वहां जन-जीवन अस्त-व्यस्त है, बसों का आना-जाना बंद हो गया है, रेलवे अस्त-व्यस्त है, रेल लाइनें टूट गई हैं तथा जो भी विकास के काम हुए हैं वे सब समाप्त हो गए हैं। वहां चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर जा नही पाते, क्योंकि रास्ते बंद हैं। स्वयं भारत के कृषि मंत्री मधुबनी के माननीय सांसद हैं और इनका एरिया भी बाढ़ में डूबा है। वे आधा सीतामढ़ी में आता है। मैं आपके जरिये संरक्षण चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उत्तर बिहार का दौरा करें और उत्तर बिहार के सभी सांसदों को साथ ले जाएं। माननीय प्रधान मंत्री जो भी दौरा करें और हमको भी साथ ले जाएं तथा राहत व्यवस्था कराएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर (श्री चतुरानन मिश्र) : जो बाढ़ का समाचार मिला है वह अत्यंत भयानक है, मैं इस बात से सहमत हूं। इसको जांच भी होगी, मैं भी जाऊंगा। मैं कल आसाम से लौटकर आता हूं, अगले सप्ताह में मैं वहां जाऊंगा।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री तारीक अनवर : बहुत से लोग टाडा में बंद हैं। ...**(व्यवधान)** जब ये विरोधी दल में थे तो इन्होंने टाडा का मसला उठाया था। आज हम यह जानना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार की टाडा के बारे में क्या पॉलिसी है और वह क्या चाहती है। क्योंकि बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग बंद हैं। इसलिए हम चाहेंगे और होम मिनिस्टर यहां मौजूद हैं, वे बताएं कि इस बारे में क्या हो रहा है।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : उपाध्यक्ष महोदय 'टाडा' मामले पर सरकार वक्तव्य देगी...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) **:** उपाध्यक्ष महोदय, टाडा में जो बंद हैं, टाडा कानून से यह प्रोविजन है कि जितने लोग पकड़े गए हैं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे स्टेटमेंट देंगे।

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : स्टेटमेंट देंगे, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं।...**(व्यवधान)***

जस्टिस गुमान मल लोढ़ा (पाली) **:** उपाध्यक्ष महोदय, टाडा के अंदर जो लोग बंद हैं...**(व्यवधान)** ऐसे अपराधियों को किसी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए।...**(व्यवधान)*** ये चाहते हैं कि देश के अपराधी लोगों को छोड़ दिया जाए। जिन लोगों ने देश के अंदर खून-खराबा किया है, जिन लोगों ने देश के अंदर हत्याएं की ...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय : सभा में एक माननीय सदस्य, जो न्यायपालिका में थे, इस मामले में गृह मंत्री और कुछ माननीय सदस्यों के बीच षडयंत्र होने का आरोप लगा रहे हैं और वे ये आरोप लगातार दोहरा रहे हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं? मैं यह जानना चाहूंगा कि हम किस दिशा में जा रहे है। क्या यह संसद है? ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यह शब्द रिकार्ड पर नहीं आएगा। इसको निकाल दीजिए।

[अनुवाद]

जस्टिस गुमान मल लोढा : महोदय, यह षडयंत्र है ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : लोढा जी, कृपया बैठ जायें।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सब जगह जो अपराधीकरण का माहौल बन रहा है, असुरक्षा का माहौल बन रहा है, मैं उसमें एक बहुत ही अच्छी बात उठाना चाहती हूं, जिससे सम्पूर्ण देश में कुछ अच्छे संस्कार आ सकते हैं। इस 11 सितम्बर को देवी अहिल्या बाई होलकर की 200वीं पुण्य तिथि आ रही है। गत साल मैंने यहीं मामला सदन में भी उठाया था, प्रधान मंत्री जी से भी बात हुई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी बात हुई थी। देवी अहिल्या बाई होलकर एक ऐसी महिला थी जो धार्मिक कार्यों के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में जानी जाती है।

लेकिन उसके साथ-साथ एक कुशल प्रशासक थी, एक अच्छी शासक थीं और रानी होने के बावजूद भी श्रद्धा से मां के नाम से जानी जाती हैं। इसलिए मैंने उस समय मांग की थी कि ऐसी महिला की 200वीं पुण्य तिथि मनाई जाए। जब देश में इस प्रकार का वातावरण बन रहा है, महिलाओं की असुरक्षा का वातावरण और आतंकवादियों का भय जब पूरे देश में फैल रहा है और अपराधीकरण बढ़ रहा है, तो यदि ऐसे वातावरण में उनकी 200वीं पुण्य तिथि सम्पूर्ण देश में मनाई जाए, तो ठीक रहेगा। मेरी इस मांग को मानते हुए पिछली सरकार में मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा एक समिति का भी गठन किया गया था। और उस समय यह मांग भी की गई थी कि अहिल्याबाई के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया जाए और इंदौर के एअरपोर्ट को अहिल्याबाई के नाम पर रखा जाए। इन बातों को माना गया और उसके लिए समिति का गठन भी किया गया और उस समय यह मांग भी की गई थी कि इस देश में ऐसी महिला या पुरूष को, जो कुशल प्रशासक हों, उसको अहिल्याबाई की याद में एक पुरस्कार हर वर्ष दिया जाए। जब इस समिति का गठन हुआ, तो वे सभी बातें इस प्रकार से सदन में भी मानी गई थीं और उसको एक साल हो गया और अब 11 सितम्बर को फिर अहिल्याबाई की जन्मतिथि आने वाली है, लेकिन महोदय अफसोस की बात है कि उस समिति को बने एक वर्ष हो गया है, लेकिन आज तक उस समिति ने कितनी बैठकें की या क्या काम किया, इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में हम हर प्रकार की चर्चा करते हैं, लेकिन एक अच्छे कार्य की चर्चा नहीं होती है और उस पर कोई काम नहीं होता है। समिति के गठन के बाद साल भर तक उस समिति की एक भी बैठक नहीं हुई हैं इसलिए मैं इस सदन में मांग करती हूं कि मंत्री महोदय बताएं कि उस समिति का क्या हुआ उसने क्या काम किया? मैं यह मांग भी करती हूं कि पूरे देश में अहिल्याबाई की 200वीं पुण्य तिथि मनाने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाए। उनकी याद में डाक विभाग डाक टिकट जारी करे और इन्दौर के एअरपोर्ट का नाम अहिल्याबाई के नाम पर रखा जाए तथा इस देश में कुशल प्रशासक महिला या पुरूष को प्रति वर्ष एक पुरस्कार देने की घोषणा की जाए और न सिर्फ घोषणा की जाए बल्कि उस पर अमल भी किया जाए।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक ऐसी रिपोर्ट लाना चाहता हूं जिसको सुनकर पढ़कर **हर जिन्दा जिस्म कांपने लगेगा।** आपने अखबारों में पढ़ा होगा और आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों माननीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्र शेखर जी ने 12 लाशों का मामला सदन में उठाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में 983 लाशें जला दी गई जिनके बारे में उनके पेरेंट्स को भी खबर नहीं दी गई और किसी भी किस्म की किसी को भी उसकी रिपोर्ट न मिल सके ऐसी बात इस देश में हो रही है। जिस देश की इज्जत और मानवाधिकार के लिए हमारे गुरू तेगबहादुर साहब ने चांदनी चौक में अपनी गर्दन कटवा दी, ऐसे लोगों को जो देश की इज्जत और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े पंजाब में उनकी लाशों को चोरी-छिपे जला दिया गया और उनके माता-पिता तक को खबर नहीं दी गई।

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के लोगों ने हिन्दुस्तान के बाजारों को गन्दा होने से रोकने के लिए अपनी कुरबानियां दी। पंजाब के बहादुर और शहीदों का नाम इतिहास में अमर है, लेकिन उसी पंजाब के लोगों को इस देश के अंदर उन शासकों के शासन काल में ऐसे कारनामे हुए और कुछ बोला नहीं गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स के जनरल सैक्रेट्री और शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के जनरल सैक्रेट्री को लापता दिखा दिया गया ओर अब सी.बी.आई. ने रिपोर्ट दी है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और यह और भी ज्यादा दुख की बात है कि सी.बी.आई. ने माना है कि पुलिस वाले उसमें शामिल थे। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह केस कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए इस विषय में यहां चर्चा करना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मेजर सिंह उबोक (तरन तारन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मामला कोर्ट में पेंडिंग है। हाइकोर्ट का फैसला हो जाने के बाद

(व्यवधान)

श्री मेजर सिंह उबोक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि होम मिनिस्टर साहब सी.बी.आई. की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें। इतने आदमियों को मार दिया गया और जला दिया गया।

लेकिन जो छोटी-मोटी बातें होती हैं, उनको हाउस में ले लिया जाता है।...**(व्यवधान)** जो अधिकार है।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत बड़ी बात है।

(व्यवधान)

श्री मेजर सिंह उबोक : यह तो हजारों आदमी की बात है। कोर्ट में जो रिपोर्ट दी है, उसके बारे में आप होम मिनिस्टर जी से कहिये कि वे उसे हाउस में पेश करे। यह कोई लुकी-छुपी बात नहीं है ...**(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : हम मंत्री जी से एश्योरेंस चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री मेजर सिंह उबोक : उपाध्यक्ष जी, होम मिनिस्टर साहब उस रिपोर्ट को पेश करें और जो आदमी कसूरवार हैं, वे उनके बारे में क्या करेंगे, उन पर क्या एक्शन लेंगे, यह भी इस हाउस में बतायें?... **(व्यवधान)** उनको यह बात उठानी चाहिए।...**(व्यवधान)** होम मिनिस्टर साहब को यह बात हाउस में कहनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : यह एक या दो लोगों की बात नहीं है। यह तो प्रिलिमनरी रिपोर्ट है। अभी तो फाईनल रिपोर्ट आनी है।...**(व्यवधान)**

श्री मेजर सिंह उबोक : वैसे तो पंजाब में कांग्रेस का राज है ...**(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अंत में मैं यह कहना चाहता हूं। नानक नाम चढ़दी कला,

तेरे भाणे सब दा भला।...**(व्यवधान)**

हमको ऐसे खूंखार दरिंदे बनाकर पेश किया गया...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यहां चर्चा हो रही है। यह ठीक है।

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : इन्होंने 984 को आईडेन्टीफाई किया हुआ है।...**(व्यवधान)**

श्री मेजर सिंह उबोक : होम मिनिस्टर साहब को यहां बयान देना चाहिए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला (संगरूर) : महोदय यह बहुत गंभीर मामला है। इसमें लगभग एकहजार व्यक्तियों को संदिग्ध परिस्थितियों में दफना दिया गया था। यह बहुत गंभीर मामला है और इसीलिये इसे सभा की जानकारी में लाया गया है। चूंकि इस प्रकार की रिपोर्ट आई है अतः माननीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे इस मामले में सक्त कार्यवाही करें।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : महोदय, अनेक मामले उठाये गये हैं, जिनमें कुछ राजनीतिक थे। मैं मानवीय उत्पीड़न का मामला उठाऊंगा। जैसाकि आपको विदित है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भारत सरकार के अधीन एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। देश के सभी भागों से यहां रोगी उपचार की आशा लेकर आते हैं। इस संस्थान के प्रबन्ध बोर्ड के अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस संस्थान में, गत एक सप्ताह से गतिरोध चल रहा है। आज छठा दिन है और इसके परिणामस्वरूप इसका कार्य अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ विवाद के कारण डाक्टर हड़ताल पर हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण कुछ डाक्टरों के विरूद्ध आपने कार्य में लापरवाही बरतने आदि का मामले दर्ज किया गये थे। कुछ दंगाइयों ने अस्पताल पर धावा भी बोला और डाक्टरों के साथ मारपीट भी की। डाक्टरों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है...**(व्यवधान)** चाहे जो कुछ भी हो डाक्टरों की हड़ताल जारी है। ओर सफदरजंग अस्पताल के डाक्टर भी हड़ताल में शामिल हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

डा. असीम बाला (नवद्वीप) : पहले भी हमने यह मामला उठाया था। हम चाहते हैं कि इस मामले में मंत्री महोदय वक्तव्य दें। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री तारीक अनवर : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को निर्देश देना चाहिये...**(व्यवधान)** सरकार को अविलम्ब हस्तक्षेप करना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : कुछ रोगियों को इन अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और संसद सदस्यों के घरों पर उन लोगों ने शरण ले ली है। गतिरोध बना हुआ है और हम इसका कारण तथा इस बारे में अन्तिम स्थिति जानना चाहते हैं। यह सरकारी अस्पताल है और स्वास्थ्य मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। स्वास्थ्य मंत्री को इस बारे में शीघ्र ही आज वक्तव्य देना चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री शरत पटनायक (बोलंगीर) : सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : महोदय, कृपया सरकार से स्थिति स्पष्ट करने तथा आज ही इस मामले में वक्तव्य देने को कहें।

डा. असीम बाला : मंत्री महोदय को आज ही वक्तव्य देना चाहिये।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : महोदय सरकार को इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करना चाहिये और उसे इस मामले में वक्तव्य देकर अद्यतन स्थिति से अवगत करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को इस मामले में कुछ कहने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन यदि वह मामले में स्वयं कुछ कहना चाहें तो वह कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही : महोदय, इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री को कुछ कहना चाहिये।...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस मामले को सौहर्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाना चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : स्वास्थ्य मंत्री, यदि सम्भव हुआ तो आज, अथवा कल इस मामले पर वक्तव्य देंगे। सरकार हड़ताल समाप्त करवाने के लिये यथा संभव प्रयास करेगी। दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करेगी...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 8 को लेंगे।

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

कृषि मंत्री (पशुपालन और डेयरी विभाग छोड़कर) (श्री चतुरानन मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं

> "कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 4 (सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियमों के नियम 4 (सात) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, इन नियमों के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

अपराह्न 2.08 बजे

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 1996*

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दूर-संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि दूर-संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिये भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री बेनी प्रसाद वर्मा : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 2.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बिहार के पलामू और गढ़वा जिलों में मोहम्मद गंज तथा मझिगांव में सोन नदी के तट के साथ-साथ पत्थर बिछाये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री बजमोहन राम (पलामू) : बिहार के पलामू एवम् गढ़वा जिले के मोहम्मदगंज में उत्तरी कोगल नदी से मजनियां कबरा कलां तक हुसैनाबाद प्रखंड में एक मझिगांव में एवं सोन नदी के किनारे लगातार हो रहे कटाव के कारण कई गांवों के उसमें विलीन हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया हैं हर वर्ष नदी खेती योग्य जमीन से रेत भर देती हैं

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-2 दिनांक 23 जुलाई, 1996 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

साथ साथ पलामू जैसे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जहां की मुख्य समस्या जमीन की ही है वहां हर साल नदी के कटाव के कारण जमीन घटती जा रही है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कोयल नदी से एवं सोन नदी के किनारे-किनारे कटाव को रोकने के लिए बोल्डर पोचिंग कराई जाए ताकि जान-माल एवम भूमि के नुकसान से बचा जा सके।

(दो) दिल्ली की गंदी बस्तियों के विकास के लिये एक योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक-दिल्ली) : दिल्ली में बड़ी तादाद में स्लम कटरें है और इन कटरों में जरूरी मूलभूत सुविधाएं जैसे-सीवर, बिजली, पानी का अभाव है तथा इनमें पर्यावरण की भी गंभीर समस्या है। इन सुविधाओं के अभाव में दिल्ली के स्लम कटरों में रहने वाले नागरिक अपना नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनमें रहने वाले गरीब लोगों की स्थिति तो और भी बदतर है, क्योंकि एक ही परिवार के कई-कई सदस्य छोटे मकानों में रहते हैं और उनमें मूलभूत सुविधाएं न होने कारण उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि दिल्ली के स्लम कटरों के विकास हेतु एवम् उनमें पानी, बिजली, सीवर तथा पर्यावरण सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु कोई योजना शीघ्र बनाकर उसे क्रियान्वित कराएं ताकि दिल्ली के स्लम कटरों में रहने वाले नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो सकें।

(तीन) बिहार के औरंगाबाद में "इफको और कृषको" के फुटकर बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष जी, बिहार का अधिकांश कृषक मध्य बिहार में पाये जाते हैं। मध्य बिहार में किसानों के लिए इफको एवं कृभको का एक भी बिक्री केन्द्र नहीं है। बिक्री केन्द्र नहीं होने के कारण किसानों को खाद दुगुनी कीमत पर लेनी पड़ती है।। कभी-कभी दुगुनी कीमत पर भी खाद उपलब्ध नहीं होती है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि मध्य बिहार के किसानों के व्यापक हित को देखते हुए औरंगाबाद में शीघ्रातिशीघ्र इफको एवं कृभको का बिक्री केन्द्र खोला जाए।

[अनुवाद]

(चार) कलकत्ता अगरतला और अगरतला दिल्ली के बीच इंडियन एयर लाइंस की उड़ानों की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता।

श्री बादल चौधरी (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, त्रिपुरा देश के शेष भागों से केवल वायु मार्ग से जुड़ा है। इंडियन एयर लाइंस और मोदी लुफ्त की उड़ाने अगरतला से कलकत्ता के बीच चल रही थी और इससे त्रिपुरा देश के शेष भागों से जुड़ा हुआ था। लेकिन मोदी लुफ्त ने पिछले एक महीने से अपनी उड़ाने बंद कर दी हैं जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों यात्रियों को जिनमें विद्यार्थी, व्यापारी रोगी, सामान्य व्यक्ति आदि शामिल हैं। भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन एयर लाइंस ने भी इस कमी को पूरा करने के लिये अपनी उड़ानों की संख्या में वृद्धि नहीं की है। अगरतला और कलकत्ता दोनों और के ही लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है चूंकि राज्य रेल सेवा से नहीं जुड़ा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की ओर ध्यान दे और यह सुनिश्चित करें कि इंडियन एयर लाइंस की दो नियमित उड़ाने कलकत्ता अगरतला के बीच आरम्भ की जायें ओर एक नियमित उड़ान अगरतला-दिल्ली के बीच शीघ्र आरम्भ की जाये ताकि इस सीमावर्ती राज्य की और उपेक्षा न हो और राज्य के लोग देश के शेष भाग से आसानी से संपर्क बनाये रख सकें।

[हिन्दी]

(पांच) देश में प्रतिबंधित कठिनाशकों के आयात को रोके जाने की आवश्यकता।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1992-94 में प्रमुख अमरीकी कम्पनियों ने लगभग 1050 टन प्रतिबंधित कीटनाशक भारत को बेचा है। ये कम्पनियों पिछले कई वर्षों से अमरीकी सरकार के नियमों का उल्लंघों कर हजारों टन प्रतिबंधित कीटनाशक दवाएं विकासशील एवं पिछड़े देशों को निर्यात करती हैं। ये प्रमुखतः आर्गनोफास फेट्स कार्वामेट्स आग्रनोक्लोराइन और विप्रीडियल ग्रुप की हैं। वैज्ञानिक अध्ययन से यह पता चला है कि आर्गनोफासफेट्स और कार्वामेट्स नर्व गैस के समान है और इनका सीधा हमला मस्तिष्क एवं स्नायुयों पर होता है। आग्रनोक्लोराइन भी मस्तिष्क और स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है तथा सीने का कैंसर हो जाता है। विप्रीडियल शारीरिक सेल्स को प्रभावित करता है जिससे मौत हो जाती है।

एफ.ए.एस.ई. संस्था ने अपने अध्ययन में बताया है कि पिछले पांच वर्षों में इन कम्पनियां में 114,600 टन कीटनाशक विकासशील देशों को निर्यात किया है। यह अति गंभीर मामला है और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब इस पर रोक लगाई जाए।

(छह) बारामती लोनद रेल लाइन को बरास्ता फाल्टन जोड़े जाने हेतु धन आबंटन की आवश्यकता।

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर (सातारा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष पुराने दौन्ड-बारामती छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया था। दक्षिण की ओर जाने वाले रेल यात्रियों तथा रेलवे द्वारा माल को गन्तव्य स्थानों पर पहुंचाने में आ रही परेशानियों एवं मुश्किलों को दृष्टिगत रखते हुए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि दौन्ड से दक्षिण की ओर जाने वाली (पूणा निरज-मंगलौर) मेन रेल लाइन से जोड़ दी जानी चाहिए। जिससे दक्षिण की ओर जाने के लिए पूना होकर जाना अनिवार्य नहीं होगा तथा यात्रियों को काफी हद तक

असुविधा तथा माल ढुलाई में समय-सीमा को कम किया जा सकेगा। मैं चाहूंगा कि रेल मंत्रालय बारामती-फल्टन होते हुए लोनद लाइन को जोड़ने पर अतिशीघ्र कार्यवाही करे, जिससे करीब 100 कि.मी. की दूरी में कमी लाकर यात्रियों और रेल द्वारा दक्षिण की ओर भेजे जाने वाले माल के समय में कटौती की जा सकेगी। माल ढुलाई के क्षेत्र में इस कदम में अभूतपूर्व प्रगति हो सकेगी तथा पूना होकर न आने के कारण पूरे एक दिन की बचत होगी।

ज्ञात हुआ है कि रेल मंत्रालय ने आवश्यक सर्वेक्षण कराकर इस कार्य के लिए मंजूरी भी दे दी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बारामती से लोनद वाया फल्टन रेल लाइन को जोड़ने पर आने वाले खर्च का प्रावधान सप्लीमेन्ट्री बजट से किया जाए।

[अनुवाद]

(सात) अहमदाबाद विमान पत्तन की हवाई पट्टी के विस्तार कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, गुजरात राज्य की राजधानी औद्योगिक नगर होने के कारण अहमदाबाद शहर के विमान पत्तन का दर्जा बढ़ाकर उसे अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन बनाया गया है ओर वहां से अन्तरराष्ट्रीय उड़ाने भी पहले ही आरम्भ कर दी गई हैं। केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आई. ए.ए.आई भारतीय अन्तराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण) की आवश्यकतानुसार राज्य ने हवाई पट्टी (रनवे) के विस्तार के लिये आवश्यक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और इसे हवाई पट्टी के विस्तार के लिये काफी पहले भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया है। इस सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह भारतीय अन्तरराष्ट्रीय विमान पत्तन को यथाशीघ्रकार्य कार्य आरम्भ करने के लिये निर्देश जारी करे।

(आठ) केरल के कोल्लम जिले में कोट्टाराक्कारा में एक वी.एच.एफ. एल.पी.टी. लगाये जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश कोडीकुनील (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल के कोल्लम जिले में कोट्टाराक्कारा एक महत्वपूर्ण तालुक मुख्यालय हैं, जो अडूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र का विस्तार अडूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तक है जो 100 किलोमीटर के दायरे में है। यह एक पहाड़ी और पिछड़ा क्षेत्र है। दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र इस तालुक में साफ नजर नहीं आते। दर्शकों को दूरदर्शन के कोई भी कार्यक्रम साफ नजर नहीं आते। लोग अपनी कठिनाइयां दूर करने के लिये कोट्टाकारा में वी.एच.एफ. एल पी.टी. की स्थापना की मांग कर रहे हैं। यह लम्बे समय से चली आ रही मांग है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करे और इस वित्तीय वर्ष में कोट्टरकारा में एक वी.एच.एल.पी.टी. की स्थापना को स्वीकृति दे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अगली मद पर विचार करेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप बुलेटिन में देखें, तो उसमें लिखा है कि 23, 24 और 25 तारीख को रेल बजट पर चर्चा होगी। आज 23 तारीख है, तो मैं जानना चाहता हूं, रेल कब दौड़ेगी? रेल लेट चलती है, तो रेल बजट भी देर से चलेगा। इस बारे में मालूम हो जाए, तो उसी हिसाब से काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय : जो लिस्ट-आफ-बिजनेस है, उसमें तो यही आइटम मेरे सामने है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : लेकिन जो बुलेटिन निकला है, उसमें दिया गया है कि 23, 24 और 25 को रेल बजट पर चर्चा होगी।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो मुझे एजेंडे के मुताबिक चलना है, इसे बाद में देखेंगे। एजेंडे में जो आइटम हैं अभी मैं उनको टेकअप कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, रेल कब चलेगी, इतना तो मालूम पड़ जाए। 6 बजे के बाद चलेगी, 7 बजे के बाद चलेगी या चलेगी ही नहीं, इतना तो बता दीजिए।... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देख कर आपको बता दूंगा।

[अनुवाद]

अपराह्न 2.20 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में चिकित्सकों द्वारा अपनी हड़ताल वापस लिया जाना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी : पिछले कुछ दिनों में अनेक माननीय सदस्यों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि हड़ताल समाप्त हो गई है।

17 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब कुछ रेजीडेंट डाक्टरों पर हमला किया गया। हमने मामले की जांच कराई थी। हमने घटना की तीव्र भर्त्सना की है। मैं यह मामला माननीय गृह मंत्री और दिल्ली के राज्यपाल से उठा रहा हूं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लेकिन, मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को, जिसने हड़ताल के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की थी, सूचित करना चाहता हूं कि आज सुबह हड़ताल समाप्त हो गई है...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : क्या किसी को गिरफ्तार किया गया? ...**(व्यवधान)**

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : जी हां, दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक, दिल्ली) : जिन लोगों की वजह से स्ट्राइक हुई थी उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेने वाले है और जो पोलिटीकल आदमी है,...**(व्यवधान)** जिन्होंने उस दिन गाली-गलोज की और जिन्होंने यह कहा कि इनके पास हथियार नहीं हैं लेकिन इनके पास हथियार थे। वहां जाकर उन्होंने डाक्टरों को डराया, धमकाया। चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, चाहे वह दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ही क्यों न हो, आप बताइए कि आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले है? अगर कोई ऑर्डीनरी आदमी होता तो क्या आप उसको जाने देते, उसके खिलाफ एक्शन न लेते...**(व्यवधान)** इसका कौन जिम्मेदार है।...**(व्यवधान)** हमारा कहना यह है कि जो लोग ऐसा करवा रहे है आप उन पर एकशन ले। ...**(व्यवधान)**

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि यह जो वारदात वहां हुई है उसको हम स्ट्रोंगली कंडम करते हैं ओर जो लोग उसमें इनवाल्वड होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मेरे हाथ में कार्यवाही नहीं है, हम सिर्फ पुलिस को ही कार्यवाही करने के लिए रिकवेस्ट कर सकते थे। मेरे पास एक पत्र मुख्य मंत्री का आया ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए.सी.जोस (इदुक्की) : हमने ऐसा कहा था। मुख्य मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये, राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। घटना में मुख्य मंत्री का नाम भी शामिल है। ऐसा एक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ है।

[हिन्दी]

श्री सलीम इकबाल शेरवानी : मैं बता रहा हूं कि मेरे पास दिल्ली के मुख्य मंत्री का एक पत्र भी आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनका नाम इस तरह गलत लगाया गया है उसकी जांच होनी चाहिए। हम उसकी भी जांच करवा रहे है और जो भी उसमें सच्ची बात निकलेगी, जो भी सही कार्यवाही होगी और जो भी लोग उसमें इनवाल्वड है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला अब यहीं समाप्त होता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष जी,...**(व्यवधान)** अब तक मेरी बारी नहीं आई है। नहीं आई तो हम अपने घर जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मैं चैक करके दस मिनट में बता दूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मालूम करके बतला दीजिये।

अपराह्न 2.25 बजे

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार विधेयक

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर)* : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं असंगठित क्षेत्र में सन्निर्माण कर्मकारों को विधान द्वारा संरक्षण देने संबंधी विधेयक का, जिसे सभा में पुरःस्थापित किया गया है, स्वागत करता हूं। इसका आशय अधिनियम के कुछ उपबंन्धों के माध्यम से, जिन्हें हम अब लागू करना चाहते हैं, उनकी सेवा शर्तों में संरक्षण की गारंटी देना है। मैं हृदय से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक, 1996 और इससे जुड़े अन्य विधेयक "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1996 के पुरःस्थापित किये जाने से बहुत प्रसन्नता है। यद्यपि वर्तमान कानून में विद्यमान उपबन्धों से उन्हें सहायता मिलेगी। तथापि इसके लिये पृथक कानून बनाना उपयोग समझा गया। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देता हूं। अन्ततः सन्निर्माण कर्मकारों के लाभ के लिये पृथक

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अधिनियम बनाने की बात को समझा गया। इस प्रयोजन के लिये कानून बनाने वाली सरकार से यह अपेक्षा है कि वह कर्मकारों के सामने आने वाली सभी समस्याओं की ओर ध्यान देगी। असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों में सन्निर्माण कर्मकार दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है। मेरे विचार से सरकार उनकी दयनीय स्थिति से पूर्णतया परिचित है। इसीलिये यह विधेयक अब पारित किये जाने की प्रक्रिया में है, जबकि तीन लगातार अध्यादेशों के कारण यह अप्रासंगिक हो गया था। अतः मैं सरकार की सराहना करता हूं और विधेयक को पुनः पुरःस्थापित करने का स्वागत करता हूं।

तेरह दलों की बनी संयुक्त सरकार का अपनी संचालन समिति के माध्यम से समान न्यूनतम कायक्रम के रूप में एक मार्गदर्शी नीति हैं उसने उनके लिये अच्छा कार्य करने का आश्वासन दिया है। उसने बताया है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिये कुछ कानून बनाये गये हैं। इन कानूनों को और मजबूत बनाया जायेगा और जहां कहीं आवश्यक होगा, श्रमिकों, विशेषकर, सन्निर्माण उद्योग में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये नये कानून बनाये जायेंगे। उनका ऐसी भावना और जिम्मेदारी को देखते हुए, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम स्वतन्त्रता के 50 वर्ष बाद उस कानून को व्यापक बना रहे हैं। लगभग सात वर्ष पूर्व यह विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। लेकिन याचिका समिति की सिफारिशों के अनुसार इसे बाद में वापिस ले लिया गया था। समिति ने एक नया विधेयक पुरःस्थापित करने की सिफारिश की थी जिससे कर्मकार वर्ग अर्थात् सन्निर्माण कर्मकारों की लम्बे समय से की जा रही मांगों की उपेक्षा को दूर किया जा सके। अब इस ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस सदन की समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है अथवा नहीं। इस विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए, माननीय श्रम मंत्री ने सभापटल पर रखे गये अपने वक्तव्य में बताया है कि विधेयक को 1989 में वापिस ले लिया गया था ताकि एक नया कानून बनाया जा सके जिसमें राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा दिये गये सुझावों और योजना को प्रस्तावित विधेयक में शामिल किया जा सके। उन्होंने राष्ट्रीय अभियान समिति के योगदान की ओर ध्यान दिलाया। जिसने सन्निर्माण कर्मकारों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच सम्पर्क का कार्य किया। जस्टिस श्री वी.आर.कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय अभियान समिति ने समस्त देश में लगभग 85 लाख सन्निर्माण कर्मकारों की समस्याओं को उजागर करने के लिये कड़े प्रयास किये। अब हमें स्वयं से यह पूछना है कि क्या वह समिति अब पुरःस्थापित विधेयक के स्वरूप से पूर्णतया संतुष्ट है। क्या वह प्रस्तावित कानून से वास्तव में संतुष्ट है? इस समिति की याचिका समिति ने क्या सिफारिशें की थी? क्या यह सही नहीं है कि समिति ने यही बात दोहरायी थी कि "सरकार यह सुनिश्चित करें कि अन्तिम रूप से बनाये जाने वाले कानून के सभी स्वरूप व्यवहारिक हों। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने वे सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। यदि नहीं, तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि राष्ट्रीय अभियान समिति के द्वारा तैयार किये गये विधेयक में शामिल सभी बातों को इसमें शामिल न करने के क्या कारण हैं। अनेक केन्द्रीय श्रम मंत्रियों ने इस विधेयक के बारे में सन्निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया था। श्री पी. ए. संगमा जो अब हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, ने भी विधेयक के बारे में कर्मकारों से विचार विमर्श किया था। पूर्व श्रम मंत्री श्री राम विलास पासवान और जी. वेंकटास्वामी ने भी सन्निर्माण कर्मकारों से बातचीत की थी। वे इस समय सदन के सदस्य हैं। श्री अरुणाचलम जो भूतपूर्व सरकार में, जिसने पहले यह विधेयक पुरः स्थापित किया था, में मंत्री थे, अब हमारे श्रम मंत्री हैं। आपने इस विधेयक को अब पारित करना उचित समझा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने सन्निर्माण कर्मकारों के प्रतिनिधियों से यह पता लगाया है कि वे इस विधेयक से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। सरकार को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिये कि सम्बद्ध कर्मकार इस विधेयक से वास्तव में संतुष्ट हैं। यदि नहीं, तो मैं इस बात सरकार पर छोड़ देता हूं कि वह एक ऐसा व्यापक विधान लाने पर विचार करें जिसमें सन्निर्माण कर्मकारों के संगठनों के सभी सुझाव शामिल किये जायें। सदन में तथा सदन के बाहर भी आलोचना के रूप में यह बात कही जा रही है कि वर्ष 1988 में पुरःस्थापित विधेयक को इसी स्वरूप में बिना कोई परिवर्तन किये फिर से पुरःस्थापित किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि विधेयक के बारे में उक्त आलोचना को स्पष्ट करें। ऐसा अधिनियम, जिसमें सन्निर्माण कर्मकारों के सुरक्षा की व्यवस्था होगी, में राज्य सरकारों को भी विधेयक में शामिल अधिकारों को पूरा करने की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बात का उल्लेख करेंगे कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों की भागीदारी क्या होगी जिससे सन्निर्माण कर्मकारों को उस विधेयक का लाभ मिल सके। मंत्री महोदय ने बताया है कि ऐसे विधायी अधिकारों का प्रत्यापण एक सामान्य बात है और प्रक्रिया का मामला है और इस बात की व्यवस्था विधेयक में करना बहुत कठिन होगा।

हमें सन्निर्माण कर्मकारों की दयनीय दशा पर अवश्य विचार करना चाहिये। उनके पास कोई नियमित कार्य नहीं है। उन्हें बिना समय सीमा के कार्य करना पड़ता हैं। उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें बीमा लाभ, आवास सुविधा और यहां तक की दुर्घटना बीमा जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं हैं उन्हें मृत्यु लाभ जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं हैं उनकी मजूरी भी निर्धारित नहीं है। उन्हें समान रूप से मजूरी नहीं दी जाती हैं। पुरूषों और महिला कर्मकारों में भेदभाव किया जाता है। उन्हें शिक्षा सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उनके बच्चों को सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध नहीं है। उनके लिये क्रैचिज अथवा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

इस असंगठित श्रमिक बल की कोई परवाहनही करता अतः स्वभावतया वे स्वयं को हर प्रकार से शोषित महसूस करते है। इन सब वर्षों में हम उनकी दयनीय स्थिति देखते रहे, और उसके बारे में पढ़ते रहे और केवल अब भी हमने उनके लिये कानून बनाने के कार्यवाही की है और इससे उन्हें लम्बे समय से आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। हमने उन्हें बहुत लम्बी अवधि के बाद कानूनी संरक्षण दिया है अब हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके लिये हर प्रकार के कल्याणकारी उपाय किये जाये। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा

कि वह सदस्यों द्वारा उल्लिखित सभी त्रुटियों की ओर ध्यान दें। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि विधेयक को पारित करते समय, यदि आवश्यक समझें तो इस बात पर पुनः विचार करें कि हम सब व्यापक और उद्देश्यपूर्ण विधेयक पारित कर सकें।

सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिये उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी के अलावा, राज्य सरकारों को और प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी जानी चाहिये। भवन निर्माण पर अनुमानित लागत पर कुल व्यय पर आधारित उपकर एक प्रतिशत की बजाये दो प्रतिशत वसूल किया जाना चाहिये। भवन निर्माताओं से उपकर वसूली में स्थानीय प्रशासन को शामिल किया जाना चाहिये। मैं भारत की संचित निधि में सब धनराशि का भुगतान करने के बारे में आपसे पुनः विचार करने का अनुरोध करूंगा। यदि धनराशि स्थानीय सरकारों के पास होगी, तो वे सन्निर्माण कर्मकारों की प्रभावी तरीके से और शीघ्रता से मदद कर सकेगी। जब कभी स्थानीय निकायों से भवन निर्माताओं को उनकी योजनाओं के बारे में स्वीकृति मिले, आप स्थानीय प्रशासन को उपकर वसूल करने का दायित्व सौंप सकते हैं। अब सभी जिला मुख्यालयों का कम्प्यूटर के माध्यम से राजधानी से सम्पर्क संभव हो गया है। अतः यह दावा करने की आवश्यकता नहीं कि उपकर वसूली को केन्द्रीयकृत करने की आवश्यकता है। मुझे आशंका है कि अफसरशाही अभी भी उसी पुराने तरीके से विचार कर रही है और सरकार को सलाह दे रही है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में विचार करे।

आरम्भ में ही, उस विधेयक की प्रारम्भिक पंक्तियों से हमारे मस्तिष्क में यह विचार उठता है कि क्या यह विधेयक सभी सन्निर्माण कर्मकारों के हितों को संरक्षण देता है। यह बताया गया है कि यह अधिनियम उन्हीं प्रतिष्ठानों में लागू होता है जिनमें किसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में 50 अथवा इससे अधिक भवन निर्माण कर्मकार नियुक्त हों। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि उन निर्माण कर्मकारों को पहचान पत्र जारी किये जायेंगे जिन्होंने 90 दिन अथवा इससे अधिक समय कार्य किया होगा। हम यह चाहते है कि फैक्टरी अधिनियम और अन्य श्रमिक कल्याण अधिनियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिये प्रस्तावित अधिनियम में भी कानून की उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। अतः इस अधिनियम में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान होना चाहिये जो निर्माण कर्मकारों को उन्हें दिये गये कानूनी अधिकारों को उन्हें देने से इंकार करते हैं। कुछ भवन निर्माता इस विधेयक की परिधि में आने से बचने के लिये यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने केवल 40 अथवा 49 कर्मकारों को नियुक्त किया हुआ है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस संख्या को 5 अथवा 10 तक सीमित रखे जिससे अधिक निर्माण कर्मकारों को उस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो सके।

यह अनुभव किया गया है कि सन्निर्माण कर्मकारों के लिये तमिलनाडु और केरल में विद्यमान वर्तमान कानून और योजना की तुलना में कहीं बेहतर हैं। मैं चाहूंगा कि तमिलनाडु में आरम्भ और लागू की गई समाज कल्याण योजनाएं आरम्भ की जायें।

तमिलनाडु के मुख्य मंत्री माननीय श्री एम. करूणानिधि कल्याण उपायों के लिये कानून बनाने वाली किसी भी महत्वाकांक्षी सरकार के लिये उदहारण स्थापित कर रहे है तथा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं।

मुझे शंका है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये कानून के परिणामस्वरूप भवन निर्माताओं अथवा कर्मकारों से उपकर की वसूली की जायेगी और यह वहीं तक ही सीमित रहेगी। सन्निर्माण कर्मकारों को दिये जाने वाले लाभ उन्हें पूर्ण रूप से मिलने चाहिये। इस मामले में कोई भी आशंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। मैं चाहता कि माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर देते समय इस आशंका को दूर करने का प्रयास करेंगे।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सन्निर्माण कर्मकारों के साथ कोई भी बाल श्रमिक न हो। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीयन अनिवार्य हो और उनके बारे में विस्तृत ब्यौरा हो। हम त्रिपक्षीय सन्निर्माण श्रमिक बोर्ड के माध्यम से नियुक्तियों को विनियमित करेंगे। सामाजिक कल्याण उपायों के एक भाग के रूप में इन कर्मकारों को चिकित्सा, आवास और बीमा सुविधाएं दी जानी चाहिये। वर्षा के मौसम में जब इन कर्मकारों के लिये जीविका अर्जित करना बहुत कठिन होता है, उन्हें जीविका भत्ता दिया जाना चाहिये। सरकार को इस असंगठित क्षेत्र के उन कर्मकारों को जिनकी देख रेख कोई नहीं करता, सभी सामाजिक कल्याण उपायों के लाभ देने चाहिये।

इस प्रशंसनीय विधेयक के ध्येय और उद्देश्य सन्निर्माण कर्मकारों और उनके परिवारों को प्राप्त होने चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इस बारे में यथा संभव कार्यवाही करेगी। सरकारी तरीके उत्तम इरादे की प्रशंसा करते हुए मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन दो विधानों पर बोलने के लिये उठा हूं जिन्हें बहुत पहले लाया जाना चाहिये था। स्वतन्त्रता के 50 वर्ष बाद भी बड़ी संख्या मं कर्मकार, जोकि कृषि मजदूरों के बाद सबसे बड़ी संख्या है, अपने अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिये अनेक दशकों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से, ये लोग कानूनी संरक्षण की परिधि से बाहर रहे। तीन दशक पूर्व श्रम मंत्रालय के त्रिपक्षीय सम्मेलन में यह बात सर्वप्रथम स्वीकार की गई कि इस प्रकार के अधिनियम की आवश्यकता है। 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी इस प्रकार का विधान अभी तक पारित नहीं हो सका है। हमारे देश में लगभग एक करोड़ सन्निर्माण कर्मकार ऐसे हैं जिनको संरक्षण प्राप्त नहीं है, जिनके लिये कल्याणकारी उपाय नहीं किये गये हैं, जिन्हें उनके कार्य स्थलों पर न्याय प्राप्त नहीं है, और जिन्हें अपना कार्य करने के लिये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वे निर्माण कार्य के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं लेकिन हमने उनकी सेवाओं को मान्यता नहीं दी है और हम उनके लिये व्यापक विधान बनाने में असफल रहे हैं। यद्यपि विलम्ब से, परन्तु यह विधेयक लाया गया है।

महोदय, आपको विदित है कि यह विधेयक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। इससे पूर्व अनेक बार त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया और इन सम्मेलनों के आधार पर, सिफारिशें की गई और अन्ततः पूर्व सरकार ने विधेयक का प्रारूप तैयार किया। वर्तमान विधेयक लगभग वही है जिसका प्रारूप भूतपूर्व सरकार ने तैयार किया था। विभिन्न परियोजनाओं के बारे में हमारे मतभेद थे।

आपको यह भी विदित होगा कि सन्निर्माण कर्मकार आन्दोलन और राष्ट्रीय अभियान समिति ने अपने अधिकारों के लिये संघर्ष किया और इसे व्यापक अधिनियम में शामिल करने के लिये कुछ उपायों का सुझाव दिया था लेकिन दुर्भाग्य से, उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। बारम्बार चर्चा के बावजूद, जस्टिस कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा दिये गये मुख्य सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया। कल हमारे भूतपूर्व माननीय मंत्री ने कुछ अच्छे सुझाव दिये थे। मैं इन सुझावों का स्वागत करता हूं। हम इन बातों के लिये संघर्ष कर रहे हैं और जब वे मंत्री थी, हमने ये सब मुद्दे उनके सामने रखे थे, लेकिन वे इन्हें विधेयक में शामिल नहीं कर सके।

अब, दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से वह मंत्री नहीं है और वह सच बोल रहे हैं...**(व्यवधान)** अतः, मैंने विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यदि हम इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेज सकते, तो वह इस पर चर्चा कर सकती और समिति एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर सकती। सम्बद्ध अधिकारियों से विचार विमर्श कर वह व्यापक विधेयक तैयार कर सकती। हमारा विचार है कि यह एक व्यापक विधेयक नहीं है।

महोदय, पहले याचिका समिति ने इस पर विचार किया। मैं याचिका समिति का सदस्य था। हमने उन सभी संगठनों से इस मामले पर विचार विमर्श किया जो सन्निमार्ण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके विचार जानने के बाद, हमने कुछ सुझाव दिये। लेकिन याचिका समिति के इन सुझावों का अनुपालन नहीं किया गया। इसी के आधार पर, मैंने सभा में एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया। कलकत्ता, दुर्गापुर, हैदराबाद और देश के विभिन्न भागों में इस मामले में विस्तृत चर्चा की गई। सन्निर्माण कर्मकार संगठनों ने भी इस विधेयक पर चर्चा की। उन्होंने यह सुझाव दिया कि विधेयक की मुख्य बातों को सरकार को विधेयक में शामिल किया गया जाना चाहिये। लेकिन, दुर्भाग्य से इन बातों को स्वीकार नहीं किया गया।

महोदय, मैं सभा का ध्यान विधेयक में विद्यमान कुछ त्रुटियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अच्छा होता यदि सरकार इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने का सुझाव स्वीकार कर लेती।

लेकिन यदि सरकार को इस बारे में कुछ अन्य कठिनाइयां हैं, और वह इस विधेयक को पारित करना चाहती हैं, तो मैंने इस विधेयक के बारे में जिन त्रुटियों का उल्लेख किया है कम से कम इनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और इस विधेयक को सभा में पारित करने से पूर्व सरकार को इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करने चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपके संशोधन भी स्वीकार किये जा सकते थे।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने अपने संशोधन प्रस्तुत कर दिये हैं और जब उन्हें लिया जायेगा तब हम देखेंगे।

महोदय, विधेयक में एक मुख्य कमी और सन्निर्माण कर्मकारों की मुख्य मांग है कि सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण और प्रशासन के लिये एक उचित प्राधिकरण होना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये एक सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये। बोर्ड राष्ट्रीय और राज्य स्तर का होना चाहिये और इसका सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीयन कर सकता है। इसका गठन 'डाक लेवर बोर्ड' की भांति किया जा सकता है। सन्निर्माण कर्मकारों की यही मुख्य मांग है। लेकिन यह मांग स्वीकार नहीं की गई है। मै। सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि तथाकथित कल्याण बोर्ड के स्थान पर सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये जो सन्निर्माण कर्मकारों की समस्याओं का उचित रूप से समाधान कर सकता है।

दूसरे, विधेयक में कर्मकारों के पंजीयन के लिये जो प्रावधान किया गया है-कर्मकार ऐसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हों जिसमें 50 या इससे अधिक कर्मकार नियुक्त हों-स्वीकार्य नहीं है। यदि विधेयक में निहित इस खंड को स्वीकार कर लिया जाता है तो 75 प्रतिशत कर्मकार इससे वंचित रह जायेंगे और केवल 25 प्रतिशत सन्निर्माण कर्मकार ही पंजीकृत हो पायेंगे। ऐसा इसलिये होगा क्योंकि अधिकांश कर्मकार छोटे ठेकेदारों के अधीन कार्य करते हैं। मैंने उस सम्बन्ध में अपने संशोधन भी दिये हैं जिनमें यह निहित है कि सभी एक करोड़ सन्निर्माण कर्मकारों को इसकी परिधि के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। वर्तमान खंड के अन्तर्गत केवल 25 लाख सन्निर्माण कर्मकारों को शामिल किया जायेगा और 75 लाख सन्निर्माण इस विधेयक का लाभ उठाने से वंचित रह जायेंगे। यह तो केवल मात्र दिखावा होगा और इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी संख्या में सन्निर्माण कर्मकारों को पंजीयन किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में 50 कर्मकारों जैसा कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये।

यह कहा गया है कि जब तक एक कर्मकार ने किसी प्रतिष्ठान में कम से कम तीन महीने काम न किया हो, उसका नाम पंजीकृत नहीं किया जायेगा। मैं यह कहूंगा कि इस खंड को उठाया जाना चाहिये क्योंकि इससे कर्मकार इस अधिनियम का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे। यदि विधेयक में कर्मकारों को हटाने सम्बन्धी ऐसा खंड होता है तो मुझे आशंका है कि हम बड़ी संख्या में कर्मकारों का पंजीयन कर पायेंगे। विधेयक में यह भी कहा गया है यदि कर्मकार ने एक वर्ष में न्यूनतम 90 दिन कार्य नहीं किया हो तो उसे सन्निर्माण कर्मकार नहीं कहा जायेगा।

अतः विधेयक में अनेक ऐसे खंड हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिये, यदि उन्हें विधेयक में रखा जाता है तो ऐसा करना सन्निर्माण कर्मकारों के हित में नहीं होगा। अतः मेरा यह कहना है कि विधेयक को इसके वर्तमान रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिये।

विधेयक के एक खंड में यह कहा गया है कि यदि कोई कर्मकार एक वर्ष तक अपना अंशदान जमा नहीं करता है तो वह सन्निर्माण कर्मकार नहीं कहलायेगा और वह सब लाभों से वंचित रह जायेगा। एक गरीब कर्मकार एक प्रतिष्ठान में 10 दिन तक काम करने के बाद अपनी नौकरी खो देगा और इसके बाद उसे काम की तलाश में अन्य जिलों में जाना पड़ेगा। यदि वह अपना अंशदान जमा करने में विफल रहता है तो वह सन्निर्माण कर्मकार नहीं कहलायेगा। यदि हम ऐसा किये जाने की अनुमति देते हैं, तो मुझे आशंका है कि इस समय कार्य कर रहे 25 लाख कर्मकारों का कर्मकारों की सूची में नाम नहीं होगा। इस विधेयक से केवल एक चौथाई कर्मकारों को ही लाभ प्राप्त होगा और अन्य दो तिहाई कर्मकारों को इस अधिनियम का लाभ नहीं मिलेगा। मेरे विचार से इस विधेयक में यही मुख्य कमी है। और इस कमी को दूर किया जाना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि यदि कोई कर्मकार किसी ऐसे व्यक्ति के निजी भुवन के निर्माण में कार्य करता है तो उसे सन्निर्माण कर्मकार के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिये। एक बड़े भवन के निर्माण में बड़ी संख्या में कर्मकारों की नियुक्ति होती है। लोग लगभग 10 लाख से 15 लाख रुपये तक भवन निर्माण पर खर्च करते हैं। यदि इस प्रकार की छूट दी जाती है तो ऐसे सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या कम हो जायेगी जिन्हें इस विधेयक के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो सकेगा। अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि लाभार्थियों की सूची में सभी सन्निर्माण कर्मकारों को शामिल किया जाना चाहिये ऐसा नहीं किया जाना सन्निर्माण कर्मकारों के हित में नहीं होगा।

मेरा सुझाव है कि कर्मकारों के लिये कोई कल्याणकारी योजना होनी चाहिये और वह कल्याणकारी योजना सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम का एक भाग होनी चाहिये, अन्यथा उनको दिये जाने वाले लाभ उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। कर्मकारों की अनेक समस्याएँ हैं; उनकी आर्थिक समस्याएं हैं, शैक्षिक समस्याएं हैं, आवास समस्या हैं, पेयजल सम्बन्धी समस्याएं हैं, चिकित्सा समस्या तथा अनेक अन्य समस्याएं हैं। मेरा सुझाव है कि विधेयक में एक व्यापक खंड जोड़ा जाना चाहिये जिसमें इन सब लाभों को व्यक्त किया जाना चाहिये ताकि एक व्यापक कल्याणकारी योजना विधेयक का अंग बन सके। इसे अफसरशाही के हाथ में नहीं छोड़ा जाना चाहिये जो यह कहते हैं कि ऐसा नियमानुसार किया जाना चाहिये-लेकिन ऐसा सांविधिक तरीके से किया जाना चाहिये। अतः मैं जोरदार शब्दों में मांग करता हूं कि एक व्यापक कल्याणकारी योजना विधेयक की अंग बननी चाहिये। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाना चाहिये। क्योंकि इसके बिना लोगों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब मैं उपकर का उल्लेख करूंगा। नियोजक एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो 50 और इससे अधिक कर्मकारों की नियुक्ति करता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने लिये मकानों का निर्माण करते हैं, वे उपकर विधेयक में अंशदान नहीं करते। विधेयक में ऐसे लोगों को छूट का प्रावधान है। हमारे देश में ऐसी संस्कृति का विकास हुआ है कि यदि विधेयक में कोई त्रुटि रह जाती है, तो प्रत्येक व्यक्ति उस त्रुटि का लाभ उठायेगा और इस प्रकार गरीब लोगों को धोखा देगा। मेरे विचार से यदि इस खंड को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सन्निर्माण कर्मकारों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः विधेयक में छूट देने वाला यह खंड नहीं होना चाहिये। भवन निर्माताओं को भी निधि में अंशदान करना चाहिये। एकत्रित राशि सीधे कल्याण निधि में जानी चाहिये। इसे संचित निधि में, जहां इसका कोई पता ही नहीं लगेगा, नहीं जाना चाहिये क्योंकि यह उन लोगों तक नहीं पहुंच पायेगी जिनके लिये यह राशि एकत्रित की गई है।

मैं इस क्षेत्र में गत 15 वर्ष से कार्य कर रहा हूं। हमने यह आन्दोलन आरम्भ किया है और हम वर्षों से इन लोगों के लिये संघर्ष कर रहे हैं। अब जब यह विधेयक लाया गया है, इसमें अनेक कमियां है। यह व्यापक विधेयक नहीं है।

जहां तक कल्याण निधि में अंशदान का सम्बन्ध है, एक सन्निर्माण कर्मकार को इसमें अंशदान क्यों करना चाहिये? हम सब यह जानते हैं कि मोती कर्मकार, डोलोमाइट कर्मकार, अभ्रक खान कर्मकार, चूनापत्थर कर्मकार, क्रोम खान कर्मकार आदि से कोई अधिभार वसूल नहीं किया जाता है। इन में कोई भी कर्मकार किसी भी कल्याण निधि में अंशदान नहीं करते। केवल सन्निर्माण कर्मकार ही इसमें अंशदान क्यों करें? मैं यह नहीं समझता कि यदि भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और अन्य अधिकारी अपने कल्याण निधि के लिये अंशदान करते हैं, तो इन गरीब लोगों को अंशदान के लिये मजबूर क्यों किया जाये? विधेयक में यही एक मुख्य कमी है।

विधेयक कर्मकारों को सहायक होने की बजाये उनके लिये एक भार हो जायेगा अतः विधेयक के खंड 16 में उचित संशोधन किया जाना चहिये।

विधेयक में शामिल पेंशन सम्बन्धी खंड के परिणामस्वरूप सन्निर्माण कर्मकारों को पेंशन मिलनी लगभग बन्द हो जायेगी। पेंशन के लिये यह शर्त है कि यदि एक कर्मकार 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से ठीक पूर्व लगातार पांच वर्ष तक कार्य नहीं करता है, तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन का हकदार होने के लिये एक कर्मकार को किसी विशेष सन्निर्माण कम्पनी में लगातार 55 से 60 वर्ष की आयु तक अवश्य कार्यरत होगा। यदि वह अन्तिम वर्षों में कार्य नहीं करता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह खंड एक धोखा है और इसे विधेयक से निकाल दिया जाना चाहिये। कोई कर्मकार, जिसे सन्निर्माण कर्मकार के रूप में पंजीकृत किया गया और जो 60 वर्ष का हो जात्ता है, उसे पेंशन के उपबन्ध के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये।

मुझे उपकर के बारे में भी कुछ आपत्तियां हैं। विधेयक में केवल एक प्रतिशत उपकर का प्रस्ताव है, इससे बहुत कम राशि एकत्रित होगी। पर्याप्त निधि संचित करने के लिए न्यूनतम दो प्रतिशत उपकर लगाया जाना चाहिये जिससे सन्निर्माण कर्मकारों के हितों की रक्षा की जा सके।

विधेयक में यही मुख्य कमियां हैं। मेरा यह अनुरोध है कि या तो सरकार को उन सब मुद्दों पर सहमत हो जाना चाहिये जिनको

विधेयक में शामिल करने के लिये सन्निर्माण कर्मकार संघ संघर्ष कर रहे हैं अथवा इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये ताकि इन सुझावों को स्वीकार करने के बाद एक व्यापक विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जा सके।

कृषि कर्मकार विधेयक लम्बित पड़ा है। यद्यपि सभी पूर्व सरकारों ने यह आश्वासन दिया था कि इसे सभा में प्रस्तुत किया जायेगा, लेकिन ऐसा नही हुआ। मुझे आशा है कि विधेयक को शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा। मुझे यह भी आशा है कि जब इस विधेयक को सभा में प्रस्तुत किया जायेगा तो इसमें ऐसी कमियां नहीं होंगी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उन सभी संशोधनों को स्वीकार करें जिन्हें अभी प्रस्तुत किया जाना है।

श्री पी. उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : प्रवर समिति को सौंपने का सुझाव न दें, नहीं तो इसे वापिस लौटने में दो वर्ष का समय लगेगा। मंत्री महोदय एक बैठक बुलाने का अनुरोध करें।

श्री हन्नान मोल्लाह : सीमित समय में आप उन जिम्मेवार व्यक्तियों और यूनियनों के सुझाव विधेयक में शामिल कर सकते हैं ताकि विधेयक वास्तव में एक व्यापक विधेयक बन सके।

इन शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री समस्त देश के लोगों की भावनाओं की आदर करेंगे, सन्निर्माण कर्मकारों के संघर्ष की ओर ध्यान देंगे और वे देश के सबसे बड़े दूसरे नम्बर के सबसे गरीब कर्मकारों के हित में वास्तव में एक व्यापक विधेयक सभा में प्रस्तुत करेंगे।

श्री ए.जी.जोस : (इदुक्की) : मैं बोलने का अवसर दिये जाने के लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री को दो विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं-एक कर्मकारों की सेवाशर्तों को नियमित करने और कल्याणकारी उपायों से सम्बन्धित हैं तथा दूसरा कल्याण सम्बन्धी उपायों के लिये उपकर एकत्रित करने सम्बन्धी है।

यदि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हों तो मुझे इस बात में कुछ शंका है क्योंकि सन्निर्माण कर्मकार विधेयक हमेशा ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं अथवा अधिकांश को प्रस्तुत ही नहीं किया जाता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक सम्बन्धी कार्यवाही वर्ष 1975 में आरम्भ हुई थी, लेकिन आठ वर्ष पूर्व कम से कम याचिका समिति ने सन्निर्माण कर्मकारों की समस्याओं को समस्या पर विस्तार से विचार किया। इस बीच, विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। यह जानकर कि इस सभा की याचिका समिति इसी विधेयक पर विचार कर रही है, राज्य सभा ने इस वापिस लोक सभा को भेज दिया। लेकिन यहां भी इसका यह परिणाम रहा।

वर्ष 1995 में एक अध्यादेश पारित किया गया और उसके बाद कुछ कार्यवाही नहीं हुई। माननीय रेलवे मंत्री श्री राम विलास पासवान, श्री वेंकटास्वामी और हमारे माननीय अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रम मंत्री रहे, और उन्होंने इस बारे में प्रयास किये, लेकिन इन में से कोई सफल नहीं हो सका। जैसे भी समझे। इस सम्बन्ध में प्रयास सफल नहीं रहे। यह चौथा अध्यादेश है जिसे विधेयक के रूप में सभा में प्रस्तुत किया गया है। मेरे विचार से भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है जब एक ही अध्यादेश को एक ही वर्ष में दुबारा प्रख्यापित किया गया हो और इसीलिये कल जब मेरे विद्वान सहयोगी श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कुछ तकनीकी समस्या उठाई थी तो मैंने इस पर आपत्ति की थी। मेरा भी विश्वास है कि इस बारे में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं, लेकिन मैंने उनसे समझौता इसलिये किया कि किसी प्रकार इस विधेयक को सभा में चर्चा के लिये लाया जाये।

यदि आप 'कानून पुस्तिका' का इतिहास देखें तो पता लगेगा कि गत 50 वर्षों में श्रमिक कानूनों की कोई कमी नहीं थी। हमें संख्या में श्रमिक कानूनों के लिये गर्व था। वर्ष 1947 से ही औद्योगिक विवाद अधिनियम श्रमिक अधिनियम सम्बन्धी जैसे अनेक कानून थे जिनमें सेवा शर्तों को विनियमित करने, बोनस, उपदान प्रदान करने और सेवा समाप्त होने का लाभ मातृत्व आदि जैसी बातों की व्यवस्था थी। यद्यपि श्रमिक विषय अनुवर्ती सूची में है, प्रत्येक सरकार, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में काफी विधान बनाये हैं। लेकिन ये कानून किस के लिये बनाये गये हैं?

ये सभी कानून बहुत अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों जैसे विमान चालकों, बैंक कर्मचारियों, औद्योगिक कर्मचारियों और सभी संगठित मजदूरों को लाभ पहुंचाने वाले हैं जिनका प्रतिशत देश के समूचे श्रमिक वर्ग का केवल 10 प्रतिशत है। इनके लिये हमने हजारों कानून बनाये हैं। 10 प्रतिशत लोगों के लिये हमने सब कुछ किया लेकिन दुर्भाग्य से 80 प्रतिशत जनसंख्या अर्थात् 90 प्रतिशत कर्मकार दल, कृषि और सन्निर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

आज भी, शायद केरल और एक दो राज्यों को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों ने कृषि क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं किया है। कृषि श्रमिकों में अभी भी अनुशासन का अभाव हैं सबसे अधिक सन्निर्माण क्षेत्र, जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, की उपेक्षा की गई है। आज जब हम इस वर्ष स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती बना रहे हैं, इस वर्ष सन्निर्माण कर्मकारों के लिये विधान लाने में सफल हुए हैं।

मैं उसे सन्निर्माण कर्मकारों के लिये कानून की संज्ञा नहीं दूंगा। किसी टिप्पण में मैने पढ़ा है कि देश में 87 लाख सन्निर्माण कर्मकार उपलब्ध है। यह सही नहीं है। यह कैसे हो सकता है? यदि आप यह मानते हैं कि सन्निर्माण कर्मकार देश का दूसरा सबसे बड़ा कार्यबल है, तो उनकी संख्या कभी भी 87 लाख नहीं हो सकती। हमारे देश में शेरों की संख्या गणना की जाती है, चीतों की गणना की जाती है, देश को यह विदित है कि देश में हाथियों की संख्या कितनी है, देश में हर चीज की गणना की जाती है, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आज श्रम विभाग ने देश में सन्निर्माण कर्मकारों की गणना नहीं की।

(श्री पी.एम.सईद पीठासीन हुए)

अपराह्न 3.01 बजे

योजना आयोग के अनुसार सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या लगभग 5 से 6 करोड़ है। सन्निर्माण उद्योग देश का सबसे बड़ा उद्योग है। आठवीं योजना के लिये निर्धारित कुल राशि का 48 प्रतिशत भाग सन्निर्माण गतिविधियों के लिये निर्धारित किया गया है। अतः इसका अर्थ है कि इस कार्य के लिये बहुत अधिक राशि का निर्धारण किया गया है। शायद कृषि क्षेत्र में भी इतनी बड़ी राशि का निवेश नहीं किया गया होगा। लेकिन, अधिकतम निवेश, यदि किसी एक उद्योग अथवा गतिविधियों में किया गया है तो वह सन्निर्माण उद्योग है और इसके बारे आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

अतः सभा में मेरा यही विनम्र अनुरोध है माननीय मंत्री को यह निर्देश देने चाहिये कि सन्निर्माण कर्मकारों की गणना की जानी चाहिये। वे भी मानव हैं। यदि मैं अपनी बात दोहराऊं, तो आपके पास पालतू कुत्तों की संख्या है, जानवरों की संख्या है, लेकिन सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या नहीं है?

मेरे अनुमान के अनुसार 2.07 करोड़ कर्मकार प्रत्यक्ष रूप से सन्निर्माण उद्योग से सम्बद्ध हैं। क्या वे लोग जो लकड़ी काटते हैं, सन्निर्माण उद्योग का हिस्सा नहीं है? क्या वे लोग जो 'ग्रेनाइट' का कार्य करते हैं सन्निर्माण उद्योग का हिस्सा नहीं है? अतः यदि आप इन सबको मिलाकर देखें तो, ग्रामीण जनसंख्या का दूसरा मुख्य भाग, जो लगभग 6 करोड़ से 7 करोड़ है, सन्निर्माण कर्मकार हैं। स्वयावतया जब हम इन बातों पर विचार करते हैं, तो उनके लिये विधेयक लाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

आज मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जो लोग आज श्रमिकों की बात करते हैं। जिनमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियन नेता भी सम्मिलित हैं, ने सन्निर्माण कर्मकारों के लिये कुछ भी नहीं किया विमान चालक उन विमानों को रोक सकते हैं जिनमें विशिष्ट वर्ग यात्रा करता हैं, बैंक कर्मचारी बैकिंक सम्बन्धी विशिष्ट लोगों की लेन-देन की गतिविधियों को रोक सकते हैं-उन्हें संरक्षण दिया गया है लेकिन सन्निर्माण कर्मकारों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया है।

अतः मैं इस बात पर फिर जोर देता हूं कि विधेयक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसे पारित किया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि यह विधेयक सर्वोपरि है लेकिन चूंकि कानून पुस्तिका में सन्निर्माण कर्मकारों के बारे में कुछ शामिल किया जाना चाहिये, इसलिये मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो केरल का क्या भविष्य होगा?...**(व्यवधान)**

श्री ए.सी. जोस : मैं इस बात पर आ रहा हूं। केरल, अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी अग्रणी है। यद्यपि तमिलनाडु ने वर्ष 1994 तक इसे लागू नहीं किया था। उनकी श्रमिक अधिनियम पुस्तिका हैं। उन्होंने इसको वर्ष 1994 में लागू किया है। लेकिन सौभाग्य से केरल विधान सभा ने एक विधेयक वर्ष 1989 में पारित किया और इसे 1989 में ही लागू कर दिया।

वर्तमान विधेयक की कमी यह है कि यद्यपि परिभाषा में सब कुछ है, लेकिन अभी तक परिभाषा में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इसमें किन-किन श्रेणियों को शामिल किया गया है। केरल में तालिका है। इसमें हमने 26 श्रेणियों के कर्मकारों को शामिल किया है। मैं सूची में शामिल श्रेणियों का, सभा का अधिक समय न लेते हुए, उल्लेख करूंगा। वे है, राज, नक्कासी करने वाले, स्थानीय ईंटों से कार्य करने वाले राज, ईंट निर्माण कर्मकार, बढ़ई, लोहार, फिटर, नलसाज, आरा मिल कर्मकार, बार-बेंडर्स, सन्निर्माण कार्य में सहायक, सन्निर्माण उद्योग के लिये रेत एकत्र करने वाले कर्मकार, ग्रेनाइट कर्मकार, इलेक्ट्रिशियन, कन्क्रीट कर्मकार, छोटे मकानों पर छप्पर डालने वाले कर्मकार, मार्बल कर्मकार, सड़क कर्मकार, सन्निर्माण कार्य से सम्बद्ध अन्य कर्मकार, चूना-पत्थर कर्मकार, सन्निर्माण उद्योग से सम्बद्ध बैल्डर, यहां तक कि समुद्र-कटाव रोकने वाले कर्मकार।

इसीलिये, मेरा यह सुझाव है कि विधेयक में एक बड़े वर्ग को शामिल किया जाना चाहिये। मेरा यह अनुरोध है कि विधेयक की वैधानिकता में जाने से पूर्व, माननीय मंत्री को इस विधेयक में एक खंड शामिल करना चाहिये जिसमें राज्य सरकार को सन्निर्माण कार्य से सम्बद्ध किसी भी श्रेणी के कर्मकारों को इसमें शामिल करने का पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिये।

मैंने वैधता का उल्लेख किया है। मुझे एक प्रश्न पूछना है कि सरकार को इस विधेयक को 'भवन और सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम' के नाम से क्यों पुकारना चाहिये? मेरी यह बात समझ में नहीं आती। इसे मात्र सन्निर्माण कर्मकार विधेयक पुकारे जाने से काम नहीं चलेगा।

यदि भवन सन्निर्माण कार्य है, तो इसमें सन्निर्माण कर्मकार शामिल हैं। पहले, इस विधयेक का नाम बदला जाना चाहिये, इस विधेयक का नाम बदलकर "सन्निर्माण कर्मकार विधेयक" रखा जाना चाहिये। माननीय मंत्री का नाम इतिहास में ऐसे व्यक्ति के नाम से जाना जायेगा जिसने समस्त सन्निर्माण कर्मकारों के लिये यह विधेयक पारित कराया। यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाती है तो मैं यह कहंगा कि नौकरशाही "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार" से इंकार कर रहे हैं। वे अभी भी इससे दूर नहीं है, यदि कोई कर्मकार बांध के निर्माण में कार्यरत है तो उसे भी सन्निर्माण कर्मकार कहा जायेगा। यदि कोई कर्मकार भवन निर्माण में लगा है, तो वह भी सन्निर्माण कर्मकार है। यहां तक कि यदि कोई कर्मकार एक छोटे भवन का निर्माण करने में कार्यरत है, तो उसे भी सन्निर्माण कर्मकार कहा जाता है। तब "भवन और सन्निर्माण कर्मकार विधेयक" के नाम से विधेयक को पुकारने का क्या अभिप्राय है? मुझे इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। इसीलिये हमने केरल में यही बात करी और इस विधयेक का नाम "सन्निर्माण कर्मकार" विधेयक रख दिया।

दूसरे, मैंने परिभाषा के बारे में उल्लेख किया है। मेरा यह मत है कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो राज्य सरकार का

पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिये कि वह किसी भी श्रेणी के कर्मकार को इसमें शामिल कर लें, क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है और यहां विभिन्न राज्यों में अनेक श्रेणियों के कर्मकार कार्य करते हैं। जो बात केरल पर लागू होती है वह बिहार में लागू न हो। अतः राज्य सरकार को यह अधिकार दिये जाने चाहिये कि वह अधिनियम में यथा सम्भव श्रेणियों के कर्मकारों को शामिल कर सके।

जैसाकि मेरे विद्वान सहयोगी ने सुझाव दिया है कि विधेयक में बहुत गम्भीर समस्या विद्यमान है। क्या यह वैधानिक रूप से सम्भव है? वर्तमान विधेयक के अनुसार एकत्रित धनराशि को भारत के संचित निधि में जमा किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में केरल अधिनियम का क्या होगा? केरल कल्याण अधिनियम का सुचारू रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पांच वर्ष की अवधि में केरल राज्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पास 35 करोड़ रुपये की धनराशि जमा हो चुकी है।

आगामी पांच वर्षों में एक ऐसा दिन आयेगा जब केरल में कर्मकारों को किसी को न उपकर देना होगा और न ही इसकी वसूली करनी होगी। यह राशि 100 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगी और इसके ब्याज से, केरल में कर्मकारों को पेंशन और अन्य लाभ आसानी से दिये जा सकेंगे।

वर्तमान विधेयक में यह व्यवस्था है कि धन भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जायेगा, मेरा प्रश्न यह है कि तब हम क्या करेंगे? धनराशि अभी एकत्र की गई है और केरल और तमिलनाडु में धनराशि एकत्र करनी है जहां बोर्ड सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और सब उसकी सराहना कर रहे हैं। इस प्रकार वहां एकत्र धनराशि को भी 'भारत की संचित निधि में जमा करना होगा।'

इस बारे में मेरा एक मध्यवर्ग है। मुझे उसे बताने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरे विचार से विधेयक में एक खंड जोड़ा जाना चाहिये जिसके अनुसार जो भी राज्य सरकार चाहे वह धनराशि स्वयं एकत्रित कर सकती है और इस राशि को भारत की संचित निधि में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। दक्षिण भाग से धनराशि एकत्रित करें उसे भारत की संचित निधि में जमा करें, और वह पुनः धनराशि वापिस भेजें।

मुझे पता लगा है कि आयकर विभाग यह कर रहा है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा है। सन्निर्माण का कार्य ऐसा है जो प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक गांव में किया जाता है। अतः यह धनराशि भारत की संचित निधि में जमा कर दी जाती है तो यह राशि बहुत बड़ी होगी-और इस राशि का वितरण और निर्धारण आबंटन किस आधार पर किया जायेगा? इसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। अब वे कहते हैं कि भारत की संचित निधि में धनराशि के जमा किये जाने बाद, अधिनियम में यह व्यवस्था है "कि बोर्ड की बैठक होगी और कोई ऐसा तरीका निकाला जायेगा जिसके अनुसार धनराशि का वितरण किया जा सके।" उसका आधार क्या है? आयकर के लिये इसका आधार है। उत्पाद-शुल्क के लिये इसका आधार है। प्रत्येक पांच-वर्ष बाद वित्तीय आयोग अतित्व में आयेगा। वह धनराशि का निर्धारण करेगा यह बात माननीय मंत्री पता लगायेंगे। तब वितरण का क्या आधार है?

यदि मेरे राज्य में सन्निर्माण का कार्य अधिकतम है अथवा मुम्बई नगर में सन्निर्माण का कार्य अधिकतम है, तो आप इसका वितरण किस प्रकार करेंगे? इस समय इस बारे में कोई फार्मूला नहीं है। अतः इसका कार्यान्वयन रूक जायेगा।

एक बार धनराशि एकत्रित करने के बाद इससे सन्निर्माण कर्मकारों का कोई कल्याण नहीं होगा। मेरा यह कहना है कि धनराशि को एकत्रित करना तथा इसे भारत की संचित निधि में जमा करना-यदि मैं ऐसा कहूं तो यह व्यवहारिक नहीं होगा। यह असम्भव होगा और यह अवैध भी होगा। आपको इस बारे में परीक्षण करना होगा और ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक होगी। इससे ठेकेदारों के साथ मुकदमों में वृद्धि हो जायेगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है। मुझे यह नहीं पता कि इस बारे में राज्यों में कोई तकनीक विद्यमान है। यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो आप ऐसा उपबन्ध बना सकते हैं। जिसमें यह व्यवस्था कर सकते हैं कि जो राज्य धनाराशि एकत्र करना चाहें, वे एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि श्रमिकों का मामला अनुवर्ती विषय है, आपको पर्याप्त स्वतन्त्रता है और आपको पर्याप्त छूट है। महोदय, अन्य कठिनाई यह है कि यदि धनराशि को भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाता है, तो इसे इससे निकालने में कठिनाई होगी। अतः इसके बजाये मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि यह धनराशि कल्याण बोर्ड में जमा की जानी चाहिये। कल्याण बोर्ड में पर्याप्त जांच की व्यवस्था है। मैंने इस संशोधन का सुझाव दिया है कि यह राशि कल्याण बोर्ड को मिलनी चाहिए। महालेखा परीक्षा के अधीन न होकर एक स्वतन्त्र लेखा परीक्षा का कार्य करेगा।

अतः जहां तक सम्भव हो मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इसे नौकरशाही और सरकार के नियंत्रण से मुक्त रखें। मैं नौकरशाही का विरोधी नहीं हूं। लेकिन मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि क्योंकि यदि एक बार यह धनराशि भारत की संचित निधि में जमा हो जायेगी तो सरकार को वित्तीय कठिनाइयां हो जायेंगी और सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिये एकत्रित धनराशि रूक जायेगी। तब आप क्या करेंगे? अतः जो धनराशि और उपकर आप एकत्र कर रहे हैं उसे कल्याण बोर्ड में जमा किया जाना चाहिये, जो मेरे अनुसार, एक स्वायत्त संस्था होनी चाहिये और वह सरकार के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिये। वह निकाय उस जिले का प्रबंध और प्रशासन संभालेगा।

महोदय मेरे मित्र श्री हन्नान मोल्लाह ने कल्याण सम्बन्धी कुछ उपायों का उल्लेख किया है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि यदि आप सम्बद्ध राज्यों के कल्याण बोर्ड को स्वतन्त्रता देंगे तो वे अपने कल्याण सम्बन्धी उपाय स्वयं निर्धारित करेंगे, जो प्रत्येक राज्य में विद्यमान स्थिति के अनुसार होंगे। मेरे राज्य केरल में बीमा की

व्यवस्था नहीं है क्योंकि बीमे की अपने कमियां है। इसलिये हमने बीमे के लिये स्वीकृति नहीं दी थी। यदि कोई विशेष राज्य दुर्घटना बीमे की व्यवस्था करना चाहे, तो वे ऐसा कर सकते हैं।

मेरा तीसरा सुझाव यह कि कल्याण बोर्ड गठन किया जाना चाहिये। इसमें सम्मानीय सदन् के दो सदस्य चुनाव अथवा मनोनयन द्वारा केन्द्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य नियुक्त किये जा सकते हैं। मैं यह विकल्प माननीय मंत्री पर छोड़ता हूं। इसी प्रकार राज्य सरकार अथवा राज्य विधानसभा के दो प्रतिनिधि सम्बद्ध बोर्ड में शामिल किये जाने चाहिये...**(व्यवधान)**। आप ऐसे नियोजकों का पंजीकरण अनिवार्य करना क्यों चाहते हैं, जो 50 अथवा इससे अधिक कर्मकारों को नियुक्त करते हैं? हम कर्मचारियों के पंजीकरण में रूचि नहीं रखते हैं।

महोदय, केरल में हमने व्यक्तिगत कर्मकारों को तालुक अथवा जिले में पंजीकरण की अनुमति दी है। मेरे मित्र श्री हन्नान मोल्लाह ने भी इस बात का उल्लेख किया है।

इंडियन नेशनल बिल्डिंग कन्स्टर्कशन वर्क्स कांग्रेस ने माननीय मंत्री को दिये अपने ज्ञापन में यह भी लिखा है कि खंड 11 और 17 के अन्तर्गत पंजीकृत ट्रेड यूनियन अथवा केन्द्रीय यूनियन की ओर से एक प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। जहां तक व्यक्तिगत कर्मकार का सम्बन्ध है वह अपने पंजीकरण का स्वयं नवीकरण कर सकता है। वह कल्याण बोर्ड का सदस्य भी हो सकता है।

अब यह उल्लेख किया गया है कि एक ठेकेदार जो 50 अथवा इससे अधिक कर्मकारों को नियुक्त करता है, वह पंजीयन करवा सकता है। मेरा सुझाव है कि एक व्यक्तिगत कर्मकार को पंजीयन की अनुमति होनी चाहिये। यदि आप ठेकेदार का पंजीकरण चाहते हैं तो कर्मचारियों का भी पंजीकरण होना चाहिये। तब सीमा को कम किया जाना चाहिये क्योंकि विधेयक की परिधि से बचने के लिये वे 20 अथवा 30 व्यक्तियों का विभिन्न समय पर पंजीकरण करेंगे। इसके बजाये आप इसकी संख्या 15 तक कर दें। कोई भी व्यक्ति जो 15 व्यक्तियों से अधिक नियुक्ति करता है उसको पंजीकरण अवश्य कराना होगा।...**(व्यवधान)** यह संख्या 10 भी हो सकती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। अन्त में विधेयक में यह कहा गया है कि उपकर 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह बहुत खतरनाक खंड है। इसका अर्थ हुआ यह 0.25 प्रतिशत हो सकता है। यह बहुत खतरनाक है।

मैं एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उपकर एक प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। विधायी विंग कार्यालय का यह कथन है कि इसके लिये राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। मेरे सहयोगियों ने भी इस बात का उल्लेख किया है। मेरा यह दृढ़ मत है कि यह निश्चित रूप से एक प्रतिशत होनी चाहिये।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ए.सी. जोस : जी, हां। छूट खंड की आवश्यकता नहीं है। यदि छूट खंड की व्यवस्था होगी तो बहुत दवाब पड़ेगा और अनेक अपवाद के मामले सामने आयेंगे। अतः आपको छूट खंड को समाप्त करना चाहिये। अन्यथा एक प्रतिशत उपकर का कोई लाभ नहीं होगा।

ऐसा करने से विधेयक का कोई उपयोग नहीं रह जायेगा।

महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मैं सभा में अपना पहला भाषण दे रहा हूं और वह भी सन्निर्माण कर्मकारों के बारे में है जिनके लिये मैं गत दो दशकों से कार्य कर रहा हूं। फिर भी मैं प्रसन्न हूं कि विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। अभी तक कोई भी अध्यादेश और विधेयक पुरःस्थापित नहीं किया गया है। यह विधेयक भी अभी पुरःस्थापित करने की प्रक्रिया में है। सौभाग्य से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया उनके भाषण में बाधा न डालें। वे इस सभा में अपना पहला भाषण दे रहे हैं।

श्री ए.सी. जोस : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक अभी पुरःस्थापित किया जाना है। मैं नहीं चाहता कि यह पुरःस्थापित करने से पूर्व ही यह विधेयक स्थगित हो जाये। अतः मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के.वी. सुरेन्द्रनाथ (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि जब से मैं लोक सभा में आया हूं मैंने पहली बार ऐसे विधेयक के समर्थन में अपनी बात कही है जिसका सम्बन्ध एक ऐसे वर्ग के जीवन और भविष्य से है-यदि मैं यह लोकप्रिय मुहावरा प्रयोग करूं-'धरती के अभागों से है,' जिसके जन्मदाता हर्बट हरक्यूस हैं। वास्तव में भारत में धरती के अभागे यदि मैं इनकी संख्या 8 करोड़ अथवा 12 करोड़ कहूं तो आप विवाद करेंगे। उनकी संख्या चाहे जो भी कुछ हो, वे भारत के कर्मकार वर्ग के सबसे अभागे व्यक्ति हैं। उसके बाद ग्रामों में कार्य कर रहे कृषि श्रमिको तथा फिर नगरों में कार्य कर रहे औद्योगिक कर्मकारों का स्थान है। इनमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की है और अन्य बड़ी संख्या किशोरों की है। मैंने उन्हें किशोर कहा वास्तव में वे बच्चे हैं। वे सब हमेशा बिखरे रहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होते रहते हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि अगले दिन उन्हें कहां जाना है। वे एक जगह एकत्रित नहीं रहते जैसे कि मिल कर्मकार अथवा अन्य कर्मकार रहते हैं। यह उनकी विशेषता है। इस विशेषता के बावजूद, हमारे एक कर्मकार वर्ग को कानून बनाते समय सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी। ऐसा नहीं किया गया है।

मेरे विचार से यह आठवां प्रयास है। हम 1986 में कानून बनाने की सोच रहे थे। वर्ष 1982 में तमिलनाडु ने अपना कानून बना लिया। तब से भवन निर्माण कर्मकारों को जिनकी संख्या बहुत अधिक है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्ष 1989 में केन्द्र में विधेयक लाये जाने की प्रतीक्षा किये बिना, केरल ने कानून बनाया और इसको लागू किया। ऐसा बहुत पहले ही किया जाना चाहिये था। अभी भी, इतने परिवर्तनों के बाद, विधेयक को दिया गया नाम उचित प्रतीत नहीं होता। इसे 'भवन और सन्निर्माण कर्मकार' नाम दिया गया है। इसका क्या अर्थ होता है? आपको बच्चे को उसके वास्तविक नाम से क्यों पुकारना चाहिये? मेरी यह बात समझ में नहीं आती।

आज सन्निर्माण का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस उद्योग में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब एक सामान्य व्यक्ति ही नहीं है जो किसी से ऋण लेता है और मकानों का निर्माण करता है। उद्योग का यह एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। निर्माण गतिविधियों का एक बड़ा भाग बड़े-बड़े धनवानों के हाथ में पहुंच गया है।

हमारी केरल में एक कम्पनी है। मैं उसका नाम बताना नहीं चाहता। उसने विद्युत, सिंचाई और अन्य क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार कर इतनी अधिक धन अर्जित कर लिया है कि यदि वह चाहे तो वह समस्त राज्य को खरीद सकती है। केरल के लोग उस कम्पनी का नाम जानते हैं। आज इतने अधिक धनवान व्यक्ति पैदा हो गये हैं। उद्योग आज भी वहां है। ऐसा केवल आवासीय निर्माण क्षेत्र में नहीं है। यहां तक कि पिछड़े नगर त्रिवेन्द्रम जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं में भी बड़ी-बड़ी शानदार बहुमंजिला इमारतों ने अपना स्थान बना लिया है। और उनकी संख्या बहुत अधिक है।

1000 वर्ग फीट के मकानों का अब चलन नहीं रहा है और वे अब लोकप्रिय नहीं रहे हैं।

बड़ी बहु-मंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। आज बांध, सिंचाई कार्य, विद्युत परियोजनाएं और अन्य अनेक बड़ी-बड़ी परियोजनाएं, जो मुख्यातया सरकारी संस्थानों तथा विभागों द्वारा चलाई जाती थीं, का निर्माण कार्य में बहुत बड़ा योगदान है।

इस बारे में बहुत विवाद हुआ है कि क्या ऐसे शतप्रतिशत असंगठित क्षेत्र में उद्योग में ऐसा कानून बनाना सम्भव होगा। यह अभी असंगठित है। हमें दक्षिण में दो बातों का अनुभव हुआ है। एक गोदियों और कोचीन पत्तन पर कर्मकारों के लिये प्रबन्ध में कुव्यवस्था। यदि ऐसा कानून समय पर बन जाता तो यह उनके लिये भी बहुत लाभदायक होता। कुछ समय तक कुव्यवस्था चलती रही और अन्ततः हमने यह कानून बनाया। दूसरी बात, जिसके बारे में काफी विवाद भी हो चुका है, वह है सिरपर भार ढोने वाले कर्मकार। वे राज्य भर में फैले हुए हैं। हमने उनको कानून बनाकर किसी प्रकार संगठित करने का प्रयास किया है। इससे बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध हुआ है। इस विधान का बहुत विरोध नहीं हुआ यह विधान अन्ततः कर्मकारों के लिये काफी उपयोगी रहा।

यह विधान सन्निर्माण गतिविधियों में आई भारी तेजी से सम्बन्धित है। केरल जैसे निर्धन राज्य में भी भवन सन्निर्माण उद्योग बहुत पनप रहा है। अतः जब तक हम इस क्षेत्र में कर्मकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं करते तब तक हम कर्मकार वर्ग के प्रति वास्तविक रूप में अपनी वचनबद्धता को पूरा नहीं कर पायेंगे।

विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि कर्मकार को एक वर्ष में न्यूनतम 90 दिन काम करना चाहिये। इससे अभिप्राय है कि यह कार्य निरन्तर रूप से न चलने वाला भी हो सकता है। दूसरे, एक नियोजक के पास न्यूनतम 50 कर्मकार पंजीकृत होने चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना होगा कि इस कानून के अन्तर्गत सन्निर्माण कार्य में लगे कितने प्रतिशत कर्मकारों को लाभ मिलेगा। मेरे विचार से यदि आप ये दो शर्तें रखते हैं तो इससे 5 प्रतिशत से अधिक कर्मकारों को लाभ नहीं मिलेगा। और 95 प्रतिशत कर्मकार इस विधान के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। छोटे नियोजक के लिये यह कहना आसान हो जाता है कि उसने 10 व्यक्तियों से अधिक को नियोजित नहीं किया है। इस बारे में सच का कौन पता करेगा। इसका पता लगने की सम्भावना नहीं है। न्यूनतम 90 दिन तक कार्य और 50 व्यक्तियों को नियुक्त करने सम्बन्धी इन दो शर्तों के कारण, इस उद्योग में निर्माण क्षेत्र में लगे बड़ी संख्या में कर्मकार को विधान से लाभ मिलना सम्भव नहीं होगा और बड़ी संख्या में निर्माण कर्मकार इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर हो जायेंगे। अतः इन दो शर्तों को समाप्त किया जाना चाहिये। अन्यथा लोक सभा अथवा अन्य विधायी संस्थाओं को समय बर्बाद करने का कोई लाभ नहीं है। मैं इस मुद्दे की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : (दमदम) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बाहर टेलीविजन पर वक्ता का नाम नहीं दिखाया जा रहा है। यह उल्लेख किया जा रहा है कि आप पीठासीन हैं लेकिन वक्ता के नाम का उल्लेख नहीं है।

सभापति महोदय : इसे दिखाया जायेगा।

श्री के.वी. सुरेन्द्रनाथ : इस प्रकार के विधान में सबसे महत्वपूर्ण बात इसको लागू करने की है। यही मुख्य बात है। विधेयक में इसके कार्यान्वयन के बारे में क्या व्यवस्था की गई है? इसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली में एक विशेषज्ञ समिति होगी। एक सलाहकार बोर्ड होगा। वे सामान्य सलाह देंगे। राज्यों में भी विशेष समितियां और सलाहकार बोर्ड होंगे। क्या उनके पास ऐसा कोई तन्त्र है जो केन्द्र और राज्यों के बीच गतिविधियों में समन्वय स्थापित कर सके? क्या उनके पास कोई ऐसा संगठन है जो जिला स्तर और राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर सके? मेरे विचार से उन्होंने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है।

यह बताया गया है कि पंजीकरण के लिये केन्द्र और राज्यों में राजपत्रित अधिकारियों को मनोनीत किया जायेगा। उन अधिकारियों की संख्या और अर्हता के बारे में नियम निर्धारण सम्बन्धी निकाय निर्णय लेगा। इससे आगे वह केन्द्र और राज्यों के बीच कैसे समन्वय स्थापित करेंगे? यहां जो केवल एक बात बताई गई है वह यह कि राज्य बोर्डों के लिये केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष को मनोनीत करेगी। केन्द्रीय सरकार केरल बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड और सब 25 राज्य बोर्डों के लिये अध्यक्षों को मनोनीत करेगी।

यह कहा गया है कि निरीक्षकों को शक्तियां प्रदान की जायेंगी जिनकी नियुक्ति विधान के अन्तर्गत की जायेगी। लेकिन आरोप पत्र कौन तैयार करेगा और कौन इसे मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करेगा। इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह सब अच्छी बातें लिखी गई हैं। लेकिन उपबन्धों के कार्यान्वयन के बारे में उल्लेख नहीं है। कार्यान्वयन की व्यवस्था न होने पर उपबन्धों का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जायेगा?

मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि सरकार लाखों 'सन्निर्माण कर्मकारों' के कल्याण और उनकी स्थिति में सुधार के लिये पंचायत राज संस्थाओं को शामिल क्यों नहीं करती? आप इस कार्य में जिला पंचायतों, ब्लाक पंयायतों, और ग्राम पंचायतों को क्यों शामिल नहीं करते? उन्हें क्रियान्वयन में शामिल किया जा सकता है। अतः कार्यान्वयन के लिये किसी तंत्र की व्यवस्था की जानी चाहिये। सबसे अच्छी बात त्रिपक्षीय निकाय की होगी। बोर्ड को 'कल्याण बोर्ड' का नाम दिया गया है, जैसे इसका सम्बन्ध केवल कल्याण गतिविधियों से हो।

वे पेंशन की बात करते हैं। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि वे किस प्रकार की पेंशन की बात कर रहे हैं। वे अन्य बातें जैसे भविष्य निधि और जीवन बीमा की भी बातें करते हैं। वे बीमे की बातें कर रहे हैं जो पहले से ही सबके लिये लागू हैं। मैं स्वयं समूह बीमा योजना के अन्तर्गत अपना बीमा करा सकता हूं। यह पहले ही से लागू है। इसके अलावा विधेयक में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। फिर भी इसे कल्याणकारी विधेयक कहा जाता है। इसमें अधिक कल्याणकारी गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है।

विधेयक में कल्याण बोर्ड का प्रावधान है। मेरे विचार से यह खंड 21 में है। कल्याण बोर्ड काम के घंटों, मजूरी के भुगतान के बारे में निर्णय लेगा। ये सब बातें राज्य बोर्डों और कल्याण बोर्डों पर छोड़ दी गई है। यह स्वयं में विरोधाभास है। यदि इन बातों को सफलता पूर्वक लागू करना है तो इसका एक मात्र उपाय जो मेरे जैसा व्यक्ति ट्रेड यूनियन नेता विचार करना चाहेगा वह है एक त्रिपक्षीय तंत्र की स्थापना इस विधेयक के माध्यम से त्रिपक्षीय तंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इस त्रिपक्षीय तंत्र में श्रमिकों, नियोजकों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। यदि इस प्रकार के त्रिपक्षीय तंत्र की स्थापना की जाती है तभी इस विधान के उद्देश्यों को आंशिक रूप से पूरा किया जा सकता है। अन्यथा यह मात्र पवित्र इच्छा रहेगी। यदि आप इस विधेयक को इसी रूप में बिना किसी परिवर्तन के पारित करेंगे तो वही सब बातें सामने आयेंगी जिनका मैंने उल्लेख किया है।

10 अथवा 12 वर्ष के आयु के बच्चों के बारे में क्या किया जायेगा? वे अभी किशोर नहीं हैं। यदि आप उनके लिये कुछ नहीं करेंगे तो वे बेरोजगार हो जायेंगे और भूखे मर जायेंगे। यदि आप उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो कार्मिक संघ इस बारे में हमसे जबाव मांगेगी। इस बारे में निर्णय लेना बहुत कठिन है। लेकिन यह तथ्य है कि निर्माण कार्य में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे लगे हुए हैं। दिल्ली में भी जब सुबह मैं अपनी खिड़की खोलता हूं तो 10 वर्ष की आयु के बच्चों को केरल हाऊस के सामने खुले में सोता हुआ देखता हूं। अतः इस बारे में अवश्य कुछ न कुछ किया जाना चाहिये।

जैसाकि मेरे से पूर्व वक्ता श्री जोस ने उल्लेख किया है कि विधान में ऐसे खंड की क्या आवश्यकता है कि सरकार के पास कुछ कर्मचारियों का सेवाकाल बढ़ाने की शक्ति होगी? यह बहुत कठिन बात है। इस प्रकार के खंड की प्रावधान होना बहुत खतरनाक बात है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य बोर्डों के चेयरमैन के मनोनयन का सम्बन्ध है, मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है। वे एक पैनल की गठन कर सकते हैं और केन्द्र सरकार उस पैनल में से चयन कर सकती है। अथवा वे इस बात का निर्णय लेने के लिये कि बोर्ड का चेयरमैन कौन हो, केन्द्र की पूर्व अनुमति ले सकते हैं। यह पर्याप्त होगा।

यह ही मुख्य बातें हैं जो मैं सभा की जानकारी में लाना चाहता था। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अन्नासाहिब एम.के. पाटिल : (इरन्दोल) : सभापति महोदय, यह विधेयक जल्दी में लाया गया है। यद्यपि यह विधेयक उन कर्मकारों के लिये उपयोगी होगा जो भवन और सन्निर्माण कार्य में लगे हैं। मैंने इस बात का उल्लेख इसलिये किया है कि विधेयक में अनेक कमियां हैं। जहां तक कार्य का सम्बन्ध है काम पर लगे कर्मकारों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। कर्मकारों का भारी सामग्री जैसे पत्थर, लोहा सीमेन्ट को ढोना होता है। विधेयक में इस कार्य में लगे कर्मकारों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त प्रावधान नहीं है। जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि कर्मकारों की कोई आयु सीमा नही होती है। आप पायेंगे कि निर्माण कार्य में लगे अनेक कर्मकारों की आयु 18 वर्ष से कम होती है। अतः यह विधेयक उन पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा वे इस विधेयक की परिधि से बाहर हो जायेंगे। इस विधेयक से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा

मैं यह अनुभव करता हूं कि विधेयक में सिफारिश किये गये उपकर से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। मेरे विचार से इसे एक प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत किया जाना चाहिये। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है धनराशि भारत की संचित निधि में जमा नहीं की जानी चाहिये। इस मामले पर निश्चित रूप से राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर पर कल्याण निकायों से समन्वय स्थापित किया जाना चाहिये राज्य कल्याण बोर्डों को इस मामले में अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये क्योंकि उनके द्वारा उपकर के रूप में एकत्रित धनराशि की कीमत प्रत्येक राज्य में समान नहीं होगी अतः राज्य बोर्ड को उसके द्वारा एकत्र की गई धनराशि के अनुसार ही उन्हें महत्व दिये। जाना चाहिये।

निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के लिये कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। कर्मकारों के बच्चों को काम दने का कोई उपबन्ध नहीं है। उन्हें इस विधेयक से लाभ तभी मिल सकता है जब विधेयक उनके लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की व्यवस्था का उपबन्ध हो। विधेयक की धारा में यह उल्लेख किया गया है कि जहां निर्माण कार्य में महिला कर्मकारों की संख्या 50 होगी, उन्हें सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। उनके बच्चों और शिशुओं के लिये आवास स्थल की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है और अनुभव है इस प्रकार का कार्य करने वाली महिला कर्मकारों के लिये इस बारे में कुछ भी नहीं

किया गया है। अतः इस विधेयक, जिसके अन्तर्गत विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया, में प्रत्येक कर्मकार, पुरूष और महिलाओं के लिये आवश्यक पेयजल, आवास, बिजली तथा अन्य सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान देने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। इसके अलावा, इस विधेयक में कर्मकारों की जीवन रक्षा के लिये, जब वे विभिन्न प्रकार की सामग्री ले जाकर अत्यधिक श्रम करते हैं कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके जीवन की निश्चित रूप से इसकी जानी चाहिये, जैसाकि अनेक माननीय सदस्यों ने भी उल्लेख किया है। विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे इस्पात आदि से अधिक ऊंचाई पर काम करते समय उनके लिये आश्रय शैल्टर की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ता विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर पहले ही काफी कुछ कह चुके हैं।

विधेयक को बहुत विलम्ब से लाया गया है। विलम्ब से लाये जाने के बावजूद इसमें विशेष रूप से देश के निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के लिये लाभ के लिये कुछ अधिक नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कर्मकारों की संख्या 22 करोड़ और कुछ ने इनकी संख्या इससे कुछ कम बतलाई है। लेकिन मेरा कहना है कि उनकी संख्या करोड़ों में तो है ही। यदि हमें पिछड़े और उपेक्षितों को न्याय दिलाना है, तो हमें सर्वप्रथम निर्माण कर्मकारों की ओर ध्यान देना होगा। यदि सरकार पिछड़े, उपेक्षित और समाज के निम्नवर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने को कृतसंकल्प है, तो उसे सर्वप्रथम निर्माण कर्मकारों की ओर ध्यान देना होगा। कम से कम अब सरकार को समाज में उनकी उपस्थिति का बोध तो हुआ और उसने विश्व में मानव सभ्यता में उनके योगदान की बात तो स्वीकार की।

इस विधेयक में कुछ मूल कमियां हैं। यह विधेयक न तो कर्मकारों के और न ही नियोजकों के हितों की रक्षा करता है। इस विधेयक में कार्मिक संघों का वर्षों का अनुभव है, यदि दशकों का नहीं।

विधेयक में सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। सलाहकार समिति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य स्तर पर। इसके सब सदस्य मनोनीत होंगे। इसमें चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें न तो कर्मचारियों और न ही नियोजकों की ओर से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। इसमें जो भी प्रतिनिधित्व होगा, उसका निर्णय सरकार या तो राज्य स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। कार्मिक संघ में प्रतिनिधिमण्डल का बहुत महत्व है। कार्मिक संघों के अधिकारों की रक्षा इन्हें बनाये रखने तथा इनके विस्तार के लिये इसकी आवश्यकता है। विधेयक इस पहलू पर पूर्णतया खामोश हैं।

विधेयक में समझौता करवाने वाले तंत्र की व्यवस्था नहीं हैं। कर्मकारों का अपना हित है। नियोजकों के अपने हित हैं। निश्चित तौर पर हितों के लिये संघर्ष होगा यह कार्मिक संघों का अन्य मूल सिद्धांत है। कर्मकारों के हितों से सम्बन्धित कानून में शिकायतों को दूर करने अथवा दो वर्गों के बीच उत्पन्न हुए विवादों को दूर करने के लिये किसी समझौता तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिये। इसमें समझौता तंत्र की व्यवस्था नहीं है। यदि आप इसे कल्याण विधेयक कहते हैं, तो ये कल्याणकारी उपाय बोर्ड द्वारा किये जायेंगे। लेकिन वह मौजूद नहीं है। भविष्य में कोई राज्य सलाहकार बोर्ड यह निर्णय लेगा कि यह राज्य बोर्ड किस प्रकार के कल्याण उपाय निर्धारित करता है। कल्याण बोर्ड के बारे में मेरी यह पवित्र इच्छा वाक्य के अलावा कुछ भी उल्लिखित नहीं किया है। यह भी इसमें नहीं है... **(व्यवधान)**

मुझे प्रसन्नता है कि आप में वास्तव में मेरी बात समझी है।

मैं विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना अन्याय होगा। विधेयक का सम्बन्ध समाज के उन करोड़ों कर्मकारों से है जिन्हें कानून पुस्तिका का हिस्सा बनना है। इसका कानून पुस्तिका में स्थान होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इस कार्य का इस सभा अथवा मंत्री को श्रेय दिया जा सकता है। सन्निर्माण कर्मकारों का उल्लेख देश की कानून पुस्तिका में होगा। अतः इसमें और संशोधन करने की आवश्यकता है इसे और विस्तृत करने की आवश्यकता है इसमें और शुद्धिकरण की आवश्यकता है; इसमें असंगतियों और कमियों को दूर किया जाना चाहिये और इसे और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

जहां तक विधेयक के नकारात्मक पहलुओं के सम्बन्ध हैं, वह इसमें दी गई छूट व्यवस्था है। इसके द्वारा विधेयक में दी गई शक्तियों को वापिस ले लिया गया है। जहां तक उपकर को भारत की संचित निधि में जमा करने का प्रश्न है, यह केन्द्र के हाथ में शक्तियों के विकेन्द्रीकरण का उदाहरण है। इससे संघ के प्रति सम्मान की कमी का बोध होता है। राज्य सरकार निर्धनतम व्यक्ति से उपकर की वसूली करेगी और यह आशा की जाती है कि यह धनराशि की कर्मकारों के कल्याण के लिये खर्च की जायेगी।

इस धनराशि को भारत की संचित निधि में जमा किया जायेगा। मुझे यह नहीं पता कि इस धनराशि का वितरण कैसे तथा किस प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा। भारत की संचित निधि से सदन की स्वीकृति के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह बजट प्रक्रिया का एक हिस्सा हो जाती है। बजट के पास करने में यह एक प्रक्रिया बन जाती है। यह अनावश्यक है इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

एक प्रतिशत से अधिक उपकर न एकत्र करने का प्रश्न है। इसके पीछे क्या तर्क है? यह 1.5 प्रतिशत क्यों नहीं है? इसके कुछ अन्य कारण हो सकते हैं; बड़े ठेकेदार, छोटे ठेकेदार आदि। इसमें कुछ अन्तर हो सकता है। लेकिन आप इसे 1.5 प्रतिशत अथवा दो प्रतिशत अथवा तीन प्रतिशत क्यों नहीं रखते? इसकी क्या कसौटी है? माननीय मंत्री को इसकी कसौटी के बारे में उल्लेख करना चाहिये। अतः मैं विधेयक के सिद्धांत का समर्थन करता हूं और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि विधेयक सभा द्वारा पारित किया जाये, लेकिन यह अच्छा होगा कि इसकी त्रुटियों को दूर किया जाये तथा इसमें सुधार लाया जायें।

यदि विधेयक आज भी पारित हो जाता है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि विधेयक का संयुक्त समिति को सौंप दिया जाता

है और समिति से अपनी रिपोर्ट एक महीने में देने को कहा जाता है, तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। इस प्रकार की अनेक परम्पराएं हैं जबकि सदन ने एक विशेष विधेयक को-एक महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय विधेयक को उसमें सुधार लाने के लिए संयुक्त समिति को सौंपा, जबकि विधेयक के सिद्धान्तों को सदन में स्वीकार कर लिया था। विधेयक के मूल सिद्धान्तों की सभी ने सराहना की है। लेकिन इसमें और सुधार लाये जाने की आवश्यकता है? इसे और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है इसकी कमजोरियां और असंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है।

अतः इस विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिये और समिति से यह अनुरोध किया जाना चाहिये कि वह अपनी रिपोर्ट एक महीने के अन्दर दे दे, ताकि सदन इसे कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ स्वीकार कर ले। विधेयक की संयुक्त समिति को भेजे जाने के बारे में एक प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.58 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू और कश्मीर में विकास कार्य

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं माननीय प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूं।

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : कश्मीर में विकास कार्यों के बारे में मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देने में युवकों में व्याप्त भारी बेरोजगारी का हाथ रहा है। इसी प्रकार राज्य में विद्युत की कमी है जोकि उद्योग तथा पर्यटन के विकास हेतु एक आवश्यक आधार है। इसलिए सरकार का कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करने तथा चालू परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का विचार है।

सरकार ऊधमपुर से बारामूला तक की 290 कि.मी. रेल लाइन का रेल योजना के बाहर भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण करेगी। परियोजना पर 2500 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है तथा यह कश्मीर को शेष भारत के साथ जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी इसके पूरा होने यह राज्य में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के अलावा रेल संपर्क राज्य के लोगों को रोजगार शिक्षा, व्यापार, आदि हेतु देश के अन्य भागों में आवागमन में यह परियोजना में सहायक होगी। ऊधमपुर से बनिहाल का सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा बारामूला तक सर्वेक्षण कार्य मार्च, 1997 तक पूरा हो जाएगा। यह लाइन कटरा-रियासी-बनिहाल-काजीगंद-श्रीनगर से होकर जाएगी।

अपराह्न 4.00 बजे

चार वर्षों में पूरा होने वाले ऊधमपुर-कटरा खंड के निर्माण कार्य को रेलवे तुरंत प्रारंभ करेगी। सरकार इस कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए उपलब्ध करायेगी। पर्याप्त धनराशि से बारामुला तक की सम्पूर्ण रेल लाइन 8-10 वर्षों में पूरी हो सकेगी।

मुगल रोड

जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच एकमात्र कड़ी रूप जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय भूस्खलन तथा हिमपात के परिणामस्वरूप अवरूद्ध, की समस्या से ग्रस्त रहता है। राज्य के दोनों क्षेत्रों के बीच वैकल्पिक कड़ी के रूप में "आर्थिक महत्व की सड़कें" केन्द्रीय-प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकार मुगल रोड परियोजना को प्रारंभ करेगी। 85 कि.मी. लंबी इस परियोजना पर 77.40 करोड़ रुपये (1994-95 की लागत) खर्च होने का अनुमान है। परियोजना लागत केन्द्र और राज्य द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाएगी। जम्मू से श्रीनगर-बरास्ता राजौरी-शोपीयां तथा पुलवामा को जोड़ने वाली और छह वर्ष में पूरा होने वाला तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरने वाला मार्ग पर्याप्त रूप से रोजगार अवसरों का सृजन करेगा। पूरा होने पर यह मार्ग आर्थिक क्रियाकलापों के सृजन के अलावा कश्मीर के लोगों से अलगाववादकी भावना को दूर करने में मदद करेगा। तीव्र क्रियान्वयन हेतु इसे सीमा सड़क संगठन को सौंपा जाएगा।

माननीय सदस्यों को विदित है कि फ्रेंच सिविल कंट्रेक्टरों के हटने से दुल्हास्ती पनबिजली परियोजना (3x130 मेघावाट) का कार्य 1992 में रुक गया था। जुलाई, 1995 में फ्रेंच कंपनी के साथ समझौते में संशोधन किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप जबकि मशीनें फ्रेंच कंपनी द्वारा भेजी जा रही हैं। शेष कार्य अन्य ठेकेदारों द्वारा किया जा सकता है। शेष कार्य हेतु निविदाएं मंगवा ली गई हैं और जांच की गई है तथा ठेका देने हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि सिविल कार्य शीघ्र शुरू किए जाएं और शेष कार्य हेतु सरकारी सहायता और बाजार ऋणों समेत विभिन्न स्रोतों से धन जुटाया जाए।

माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य में उरी पनबिजली परियोजना (4x120 मे.वा.) नामक एक अन्य प्रमुख पन-बिजली परियोजना निर्माणाधीन है। निर्धारित समयनुसार, इस पर कार्य चल रहा है तथा पहले चरण का कार्य दिसम्बर, 1996 में शुरू होने की संभावना है। इससे विद्युत की कमी वाले इस राज्य को राहत मिलेगी।

मैंने पहले ही इस सभा में आश्वासन दिया है कि राज्य में शीघ्र ही चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे विचार से एक या दो दिन के भीतर चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। इसीलिए मैं. ..यह...वक्तव्य दे रहा हूं। जब मैं वहां गया था लगभग सभी राजनीतिक दलों ने वहां इन कार्यों को करने पर बल दिया था। अतः सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि इनमें से कुछ कार्य चालू वर्ष में ही प्रारंभ किए जाएं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : महोदय, हम माननीय प्रधान मंत्री को इस घोषणा के लिए बधाई देते हैं। इससे राज्य मे शांति स्थापित करने में काफी सहायता मिलेगी।

अपराह्न 4.04 बजे

सदस्य की गिरफ्तारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से 22 जुलाई, 1995 को प्राप्त निम्नलिखित फैक्स संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

> "मुझे आपको सादर सूचित करना है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा कि लोक सभा सदस्य श्री प्रहलाद सिंह को शांति भंग होने की आशंका में गिरफ्तार किया जाये।
>
> तदनुसार श्री प्रहलाद सिंह, संसद सदस्य को 22 जुलाई, 1996 को सायं 6.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेट, गोटेगांव द्वारा उन्हें जबलपुर सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया।"

अपराह्न 4.05 बजे

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार विधेयक

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक—जारी

[अनुवाद]

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर) : सभापति महोदय, मैं इस सम्मानीय सदन में दोनों विधेयकों का, जिनका उद्देश्य देश के सन्निर्माण उद्योग में लगे करोड़ों कर्मकारों के हितों और कल्याण की रक्षा करना है समर्थन करता हूं।

अपराह्न 4.05 1/2 बजे

(प्रो. रीतावर्मा पीठासीन हुईं)

यह क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जैसाकि सभा में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि रोजगार उपलब्ध कराने में इस क्षेत्र का कृषि के बाद दूसरा स्थान है। इस क्षेत्र में करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है अथवा जैसे एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है लगभग दो से तीन करोड़ लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मिला हुआ है। लेकिन इस क्षेत्र के बारे में जो बात सबसे अधिक असमंजस में डालने वाली है वह है हमारी योजनाओं में योजना के बाहर और निजी क्षेत्र में इस क्षेत्र के लिये निर्धारित परिव्यय। मेरे विचार से हमारे देश में निर्माण कार्य के लिये निर्धारित वार्षिक पूंजी परिव्यय लगभग पचास हजार करोड़ होगा। यह आंकड़े बहुत अधिक हैं और वर्तमान विधेयक के संदर्भ में इनका बहुत महत्व है। यदि इस राशि में से पचास प्रतिशत राशि भी उपकर विधेयक के अन्तर्गत आती हैं तो एक प्रतिशत प्रतिवर्ष उपकर कर वसूली लगभग 250 से 300 करोड़ रुपये के बीच होगी। मुझे विश्वास है कि इस उद्योग में लगे करोड़ों व्यक्तियों का लम्बे समय से हो रही कठिनाइयों को दूर करने में बहुत अधिक समय लगेगा।

इस उद्योग की अपनी ही विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम परियोजनाओं की चिरस्थायी न होने की प्रवृत्ति। दूसरे श्रमिकों और नियोजकों की भी देशान्तरगामी होने की आदत। इसके अतिरिक्त पहाड़ी इलाकों में भी निर्माणकर्ताओं को निर्माण कार्य करना होता है।

इस क्षेत्र को उद्योग के रूप में मान्यता न दिया जाना भी एक विशेषता है। इस उद्योग में कर्मकार की ठेकेदारों द्वारा सप्लाई की गई वस्तु माना जाता है। इस क्षेत्र की यही विशेषताएं हैं और इन्हीं के कारण यह क्षेत्र अनियमित और असंगठित रहा है। यहां तक कि हमारे राष्ट्रीय कार्मिक संघ भी अपनी गतिविधियां शहरी क्षेत्रों में और सम्पत्ति औरे निर्माण कार्य तक ही सीमित रखते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के दो श्रम मंत्रियों ने दो अध्यादेश प्रख्यापित किये जिसके परिणामस्वरूप हमारी कानून पुस्तिका में पहली बार असंगठित निर्माण क्षेत्र में कर्मकारों को कल्याण लाभ और संरक्षण देने के लिये प्रावधान की व्यवस्था की गई।

ये विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पूर्वशासन के दौरान प्रख्यापित अध्यादेशों का स्थान लेंगें, जो इस योजना को 1 मार्च, 1996 से प्रभावी बनाने के लिये जारी किये गये थे। यह बात सराहनीय है कि वर्तमान साकार के पास इतना समय नहीं था। कि वह विधेयक में कांट-छांट करती अथवा इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार करती अथवा विधेयक के सम्बन्ध में अन्य कोई कार्यवाही करती। संविधान की धारा 123 के अन्तर्गत सांविधिक अनिवार्यता के कारण विधेयक को इस सभा में पुरःस्थापित करना होगा और सत्र के आरम्भ होने के छः सप्ताह के भीतर इस विधेयक का पारित करना होगा। मेरे विचार से इसी

अनिवार्यता के कारण वर्तमान सरकार अपनी इच्छा होने के बावजूद भी पूर्व विधेयक के उपबन्धों में सुधार करने में असमर्थ रही। मैं नहीं समझता कि इसका कोई कारण है कि इस विधेयक को व्ययगत कर दिया जाये।

सन्निर्माण कर्मकारों ने इस प्रकार के विधेयक की पिछले तीन दशकों से प्रतीक्षा की है। वर्ष 1995 में भारत सरकार ने औद्योगिक समिति का गठन किया और उस सन्निर्माण कर्मकारों सम्बन्धी समस्याओं के लिये व्यापक विधान तैयार करने का दायित्व सौंपा। तीन दशक की लम्बी प्रतीक्षा के बाद अन्ततः इस अधिनियम को कानून पुस्तिका में शामिल किया गया। इसलिये मेरा विचार है कि इन विधेयकों को अस्वीकार करने की बजाये हम दोनों विधेयकों को उनकी कमियों के साथ किसी प्रकार पारित कर दें।

इस प्रकार के विधान को पूर्णतय सक्षम होने में समय लगता है। हमें इस बात की सराहना करनी चाहिये कि निर्माण कर्मकारों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिये निश्चित रूप से कुछ सक्रिय कार्यवाही की गई। अतः हमें इन उपायों की प्रशंसा करनी चाहिये और इन विधेयकों को पारित कर कानून पुस्तिका में शामिल करना चाहिये। इस समय इनके बारे में अधिक विचार विमर्श करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा क्योंकि इससे बड़ी संख्या में निर्माण कर्मकारों का भविष्य जुड़ा है।

यह सच है कि विधेयक के अन्तर्गत कर्मकारों के कल्याण की योजना में, खामियां, कमियां, त्रुटियां हैं। यह सच है कि विधेयक को इसकी वर्तमान स्थिति में लागू करना कठिन होगा। मुझे शंका है कि यह विधेयक कानून पुस्तिका में केवल सजावट की वस्तु बनकर रह जायेगा। लेकिन अब चूंकि इसे प्रस्तुत कर दिया गया, मेरे विचार से इस भावना का स्वागत करते हुए हमें कुछ आवश्यक संशोधनों सहित इसे पारित करना चाहिये। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अनुमति दिये गये समय के दौरान कुछ संशोधनों पर जिनका माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है, गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। यदि सम्भव हो तो उन संशोधनों को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये। अन्यथा सरकार इस सदन में यह आश्वासन दे कि वह यथासम्भव तीन महीने के अन्दर एक व्यापक विधान लायेगी जिसमें राष्ट्रीय अभियान समिति और सन्निर्माण कर्मकारों से सम्बद्ध अन्य निकायों द्वारा दिये गये अधिक से अधिक सुझावों को शामिल किया जायेगा।

विधेयक को लागू करने में सबसे अधिक कठिनाई उपकर से सम्बन्धित हैं। उपकर को विधेयक में निर्माण लागत को उगाही की आधार बताया गया है। इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस आधार पर निर्माण लागत का निर्धारण किया जायेगा। अब तक विधान में इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं की जायेगी इससे मुकदमेबाजी को बल मिलेगा और अधिकारी कर्मकारों की कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को लागू करने की बजाये मुकदमे को हल करने व्यस्त हो जायेंगे। धनराशि आबंटित करने का क्या आधार होगा? यदि धनराशि राज्य द्वारा एकत्रित की जाती है, इसमें इस बात उल्लेख नहीं है कि राज्य सरकार का कौनसा प्राधिकरण अथवा एजेंसी धनराशि एकत्रित करेगी। क्या यह कार्य बिक्रीकर विभाग द्वारा किया जायेगा। अथवा वाणिज्यिक कर विभागों द्वारा? उपकर के भुगतान की अवधि क्या होगी? इसमें इन सब बातों का उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम विधेयक का इसलिये समर्थन कर रहे हैं क्योंकि हम भूखे श्रम कर रहे कर्मकारों से उनकी आधी रोटी छीनना नहीं चाहते। हम गत 50 वर्षों के दौरान उनको रोटी का टुकड़ा उपलब्ध करवाने में असफल रहे हैं। अतः प्रगतिशील विचार रखते हुए हमें यह समझकर विधेयक को पारित करना चाहिये कि बिना रोटी से आधी रोटी अच्छी है और विधेयक में न्यूनतम सम्भव समय में यथा सम्भव संशोधन कर अधिकतम सुधार लाने चाहिये।

सभापति महोदय : इस विषय पर चर्चा के कुल दो घंटे का समय निर्धारित किया गया था। एक घंटे से अधिक समय पहले ही समाप्त हो चुका है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि...**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : कृपया समय बढ़ा दें ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब श्री एम.ए. फातमी अपना भाषण आरम्भ करें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

जो दो बिल सरकार द्वारा लाए गए हैं, उनके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इनमें से एक बिल तो सैस के लिए लाया गया है जिसके अंदर प्रावीजन रखा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन कास्ट होगी, उसका एक प्रतिशत धन सैस में जाएगा। दूसरा बिल मजदूरों के कल्याण के लिए लाया गया है। यदि आप आज अनआर्गेनाइज्ड वर्कर के इतिहास को देखें, तो आपको मालूम होगा कि दुनिया के जितने बड़े-बड़े काम हुए हैं और जो हमें आज नजर आते हैं, उनको अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने करने का काम किया है और यह भी बड़े अफसोस की बात है कि आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है और उन मुल्कों में जहां पर ये बड़े-बड़े कार्य हुए, जैसे चाइना वाल बनी थी या दुनिया के अंदर और बड़े काम हुए या अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स ने या गुलामों ने जो पिरमिड बनाए थे, उन मुमालिग के अंदर भी आज अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन अपने डैमोक्रेटिक कंट्री और पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी के मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं था। इसलिए अब इस सरकार द्वारा जो यह बिल लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि आज हिन्दुस्तान में किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाइए, वहां पर मजदूरों के जो हालात आपको देखने को मिलेंगे वे अच्छे नहीं होंगे, बल्कि उनको

देखकर आपको शर्म आएगी। चाहे कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो, या रोड कंस्ट्रक्ट हो रही हो, या दूसरा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, वहां पर मजदूरों के रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। उनके मेडीकल का कोई इंतजाम नहीं है। यदि उनको साइट पर कोई चोट लग जाए, तो उसको दवा आदि का कोई इंतजाम नहीं है। इस बिल के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि साइट के ऊपर ही मजदूर के रहने का इंतजाम होगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो बड़े शहर हैं, मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली जैसे शहरों में आज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सड़कों पर सो रहे हैं। उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं है। ये जो आज जगह-जगह झुग्गी झोंपड़ियां देखने को मिलती हैं, मजदूर लोग इनमें रहते हैं। चाहे कलकत्ता हो, मुम्बई हो या दिल्ली झुग्गियों में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही रहते हैं। इस बिल के अंदर जो प्रावीजन किया गया है उसके अनुसार इन मजदूरों को रहने के लिए साइट पर ही व्यवस्था की जाएगी। उनके पीने के पानी का इंतजाम होगा। उनकी हैल्थ का, उनके लिए कंपेन्सेशन का इंतजाम किया जाएगा। ये सब सराहनीय काम हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो बोर्ड बनाने की बात रखी गई है और जिस में यह बात कही गई है कि एम्प्लायर के यहां से सेस का पैसा काटा जाएगा तथा बेनीफिशियरी को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा तथा इसमें जो 50 मजदूरों का रिस्ट्रिक्शन रखा गया है तथा उस कम्पनी में जिसमें 50 मजदूर काम करते हों और जिसका ड्यूरेशन 12 महीने का हो, उसके ऊपर ही यह कानून लागू होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि फिर क्या होगा कि बड़े-बड़े कांट्रेक्टर छोटे-छोटे कांट्रेक्टरों को रख लेंगे और काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट देंगे जिसके कारण आपके बिल की जो भावना है, उसकी पूर्ति नहीं होगी। एक दूसरी बात यह है कि मजदूर 5-6 मंजिला, बिल्डिंगों में चौथी या पांचवीं मंजिल पर छोटा सा काम वुड का या लोहे का कर रहे होंगे, जो एक साल का न होकर कुछ ही दिन का होगा, आप उन लोगों को इसके द्वारा किस तरह से बेनिफिट देंगे?

इस बिल के अंदर इसका जिक्र जरूरी है। अगर कांट्रेक्टर तीन महीने का कांट्रेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर वह कवर नहीं होगा। इसलिए इन चीजों को इस बिल के अंदर लाने की कोशिश की जाये। वह कम्पनी जो एम्प्लायमेंट करती है, उसकी रिस्पौन्सिबिलटी हो जायेगी कि इस तरह से वर्कर्स की देखभाल, आपने जो स्कीम चलाई है, उसके जरिये हो। आपने कहा कि वेल्फेयर बोर्ड बनेगा। वेल्फेयर बोर्ड के अंदर कुछ सरकारी मुलाजिम होने चाहिए। कुछ बिल्डिंग्स वर्कर्स यूनियन के लोग होने चाहिए। साथ ही आपने कहा कि वूमेन इसमें होंगी। कंस्ट्रक्शन के अंदर काफी वूमेन्स काम करती हैं। मैं चाहूंगा कि जो काम करने वाले लोग हैं, जिसमें 95 प्रतिशत शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। उस बोर्ड के अंदर जहां पर आपने वूमेन्स को रखा है उसके लिए मेरी सरकार से निवेदन है कि जो बोर्ड बनने वाला है, उसके अंदर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास का रिप्रजेंटेशन होना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि जो बोर्ड बनेगा, उसके मेम्बर, उसके चेयरपर्सन और जो एम्पलाई होंगे, उनका पूरा खर्चा यह बोर्ड वहन करेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पैसा आने वाला है, जिसका जिक्र हुआ कि 250 करोड़ रुपये या जितने भी आएगा वह मुख्तलिफ राज्यों को जायेगा। मुझे एक चीज का शक होता है कि कहीं इस चीज का पैसा आफिसर्स और मेनजमेंट पर न खर्च हो जाये। जो बेनेफिट हम लोग लेना चाहते हैं, उसको लिमिट में रखा जाये। जो भी एम्पलाई हो, उसमें लिमिटेशन जरूरी होगा। बगैर इसके जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको फायदा नहीं पहुंच पायेगा। इसके अंदर जो जिक्र किया गया है रिटेंचमेंट या फिर जैसे कोई लेबर को हमने हायर किया। हायर करने के बाद जो ट्वैल मंथ चलते हैं, वही लोग इसमें कवर होंगे। वे लोग जो डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं, आप उनमें से किसी की भी सेलरी देख लीजिये, 30 से 35 रुपये प्रतिदिन है। उनसे एक सप्ताह 30 से 35 रुपये में काम लिया और उसके बाद कहा कि आप रास्ता नाप लीजिये नहीं तो तीन महीने के बाद किसी एम्पलाई को नोटिस दे दिया।

एम्पलाई को इसकी गारंटी किस तरह से हो। एम्पलाई होने के बाद उसकी सिक्योरिटी हो जाये, इसके लिए जरूरी है कि कम से कम जब कोई एम्पलायर एम्पलाई करता है तो उसे तीन महीने के बाद एक महीने का नोटिस दे कि हम आपको एक महीने के बाद निकालने जा रहे हैं। आप कहीं और नौकरी तलाश कर लीजिये और कम से कम उनको एक महीने की सेलरी मिलनी चाहिए। आज इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि संडे होगा, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी दी जायेगी लेकिन इसके अंदर जो नेशनल होलीडे या दूसरे होलीडे हैं, लेबर की छुट्टी का प्रोविजन विथ सेलरी होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस का मामला है, वह भी लेबर का करवाना चाहिए।

मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं। जैसा कि हमारे साथी ने कहा कि यह न चिकन है और न फिश है, यह तो मटन है। इसके अंदर फैट भी है और प्रोटीन भी है। मैं इसका इसलिए स्वागत करता हूं कि आजादी के बाद पहली बार अनऑर्गेनाईज्ड लेबर या कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए एक बिल पार्लियामेंट में आया है। इसके अंदर फ्यूचर में अमेंडमेंट आ सकते हैं लेकिन मैं इस सदन से और इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल जिस तरह से आया है, इसको वेल्फेयर के लिए पास किया जाये और कोई अमेंडमेंट आना है तो बाद में आये। मैं यह समझता हूं कि जो कंस्ट्रक्शन लेबर्स हैं, जो सड़कों पर रह रहे हैं, उनको यह बिल फायदा का काम करेगा।

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द मेहता (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक, 1996 पर मैं अपने कुछ विचार यहां पर रखना चाहती हूं। सच पूछें तो यह बिल पुरानी सरकार द्वारा 1 दिसम्बर, 1995 को लाया गया था। लेकिन उसके पश्चात् भी हम इसे पारित नहीं कर पाए और आज इस पर चर्चा करके इसको अमल में लाना चाहते हैं। मैं यह चाहती हूं कि 'देर आयद दुरुस्त आयद' के हिसाब से भी इस बिल को तुरन्त पारित करके श्रमिकों के फायदे के

लिए निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। आने वाले अगस्त की 15 तारीख को आजादी की स्वर्ण जयन्ती के वर्ष में हम आगे जा रहे हैं। ऐसे स्वर्ण जयन्ती के महोत्सव पर हम अपने देश के श्रमिक कर्मचारियों को यदि एक भेंट दें तो मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा काम होगा। उन श्रमिकों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कई प्रकार का काम करती हैं। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक भवन निर्माण के कार्य से जुड़े रहते हैं। लेकिन आज तक महिला मजदूरों पर किसी ने योग्य प्रकार से ध्यान नहीं दिया। जहां कहीं भी बिल्डिंग बन रही होती है, वहां पर महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को किसी पेड़ के नीचे झोली बनाकर उनमें रखकर सारा दिन मजदूरी करती रहती हैं। महिलाओं को मजबूरन यह काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनमें ज्यादातर संख्या विधवा और परित्यक्ताओं की होती है। उन महिलाओं के बच्चों के लिए वहां पर किसी प्रकार के क्रचेज वगैरह की व्यवस्था नहीं होती। इतना ही नहीं, पीने के पानी, शौचालयों या फर्स्ट ऐड मेडिकल की भी व्यवस्था कभी उपलब्ध नहीं होती।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगी कि विदेशों में जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तब से लेकर बच्चे को जन्म देने के बाद भी उन्हें चाईल्ड केयर के लिए कम से कम चालीस दिन तक वेतन देकर भी छुट्टी दी जाती है। लेकिन हमारे गरीब हिन्दुस्तान में जब महिलाएं मजदूरी का काम करती हैं तो गर्भवती अवस्था में भी उनके पोषण के लिए, उनके आहार के लिए किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं की जाती। मैं चाहती हूं कि इस वैल्फेयर बोर्ड के माध्यम से गर्भवती स्त्री जब काम करती है तो उसकी चिकित्सा और आहार के लिए भी योग्य प्रकार की व्यवस्था हो तथा प्रसूति की जो छुट्टी उसे मिलनी चाहिए, वह भी वेतन के साथ प्राप्त हो। बच्चे की परवरिश करने के लिए कम से कम चालीस दिन तक उसे मजदूरी मिले ताकि वह अपने बच्चे और अपने जीवन को ठीक से संवार सके। इस प्रकार की योजना इस वैल्फेयर बोर्ड में लाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानती हूं। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मकान की कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। बड़ा उद्योग बनने के कारण इसमें प्राईवेट और पब्लिक सैक्टरों में अलग-अलग प्रकार से करोड़ों रुपये की लागत होती है। लेकिन इसके पश्चात् भी श्रमिकों को कुछ नहीं मिलता। यदि मैं यह बात कहूं तो इसके कई उदाहरण आपके सामने रख सकती हूं। हमारे मुम्बई शहर में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से घरदुरुस्ती महामंडल की स्थापना की गई है जिसमें पुराने मकानों की मरम्मत की जाती है। शासन के माध्यम से उन मकानों की रिपेयरिंग करने के लिए पैसा दिया जाता है। उसमें कॉनट्रैक्टर काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है लेकिन मजदूरों को नहीं मिलता। मुम्बई, दिल्ली में राज्य के बाहर से भी ऐसे कर्मचारी आते हैं जो वहां पर काम करके अपना पेट भरने और मजदूरी कमाने के लिए आते हैं। कई लोग गांवों में अपने परिवारों-पत्नी, माता-पिता बच्चों को छोड़कर आते हैं।

और जब कभी वह ऐसे पुराने मकानों की मरम्मत का काम करते हैं, उस समय काम करते-करते बिल्डिंग का कोई भी भाग, हिस्सा टूटकर गिर जाय तो उसके नीचे उनके प्राण भी चले जाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर सम्बन्धित कांट्रैक्टर लोग वहां पर पुलिस को बुलाकर गलत बातें लिखवाकर पंचनामा कराते हैं। जैसे कि यह कहा जाता है कि वह अपने आप गिरकर उसके नीचे दब गय। किसी भी प्रकार से 5-6 दिन तक उसके परिवार के स्वजनों को भी इन्फोर्म नहीं किया जाता और बताया तक नहीं जाता कि उनके स्वजन की यहां पर मृत्यु हो गई है, इस प्रकार का अन्याय उन पर होता है। जब उनके परिवार के लोग मुंबई या दिल्ली कभी आते हैं, तब तक सारा खेल खत्म हो चुका होता है। उनको कुछ मुआवजा तक भी योग्य प्रमाण में मिलता नहीं है, क्योंकि कानून इस प्रकार से बने हुए हैं कि जिसकी वजह से उनके परिवार के लोगों को, बच्चों को उसमें से कुछ अनुदान प्राप्त नहीं हो सकता। यह एक बहुत गम्भीर समस्या है।

हम आज आजादी के 50 साल के बाद जब ऐसे बिल के ऊपर विचार कर रहे हैं तो मैं यह बात भी बताना चाहूंगी कि इन मजदूरों ने कभी अपनी आवाज ऊंची नहीं उठाई, कभी संगठित होने का प्रयास तक नहीं किया और दिन-रात, सुबह से लेकर रात तक कड़ी धूप में, पसीना बहाते हुए, बरसती हुई बारिश में काम करते हुए सिर्फ एक दिन की रोटी के लिए वह चिन्ता करते हैं। अपने भविष्य के स्वर्णिम स्वप्नों की तरफ वह कभी देखते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि यह बिल हम यहां पर पारित कर देते हैं तो मुझे यह कहना होगा कि ऐसी महिलाओं के बच्चों के लिए, ऐसे मजदूरों के बच्चों के लिए बोर्डिंग टाइप के स्कूल बनाए जाएं और वैसे स्कूलों में उनकी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय, ताकि उनको भी अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के कारण वह देश के एक अच्छे नागरिक बन सकें।

उसी के साथ-साथ इंश्योरेंस का, प्रोविडेंट फंड का प्रावधान होना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसे मजदूरों के लिए 60 वर्ष के पश्चात् पेंशन योजना भी लागू कर दी जानी चाहिए, इसकी बहुत ही आवश्यकता है। उसके लिए कंस्ट्रक्शन कम्पनियों के माध्यम से धन जुटाना कोई अशक्य और असंभव बात नहीं है। यह संभव बात है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि उनके भविष्य के लिए भी इस प्रकार की योजना बनाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानती हूं।

आज जब हम नये मकानों में और नई बिल्डिंगों में बैठते हैं और आधुनिकतम सुविधाओं के साथ हर प्रकार के आराम को हम अनुभव करते हैं, लेकिन हर प्रकार के आराम को अनुभव करते हुए मैं यह बताना चाहूंगी कि उसकी मिट्टी, उसके अन्दर लगे हुए रोड़े, ईंटें, स्टील, यह सारी चीजें तो हमें याद रहती हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि श्रमिकों का पसीना भी इसमें मिला हुआ है। यह बात हमारे ध्यान से निश्चित रूप से निकल जाती है। हमारी संस्कृति में, हमारे देश में हमेशा ऐसा होता रहा है। निश्चित रूप से यदि आप ज्वैलरी की दुकान के ऊपर चले जाएं तो वहां ज्वैलरी में सोने की कीमत अधिक होती है, लेकिन स्वर्णकारों को उनके श्रम की कीमत कभी नहीं मिलती। उसी तरह से यदि मैं कहूं कि चीनी का कारखाना लगाने वालों को तो करोड़ों रुपया मिल सकता है, लेकिन गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को, मजदूरी करने वाले किसानों को और मजदूरों को उसका कोई पैसा नहीं मिलता। तीसरी तरफ अगर हम कहें कि कपड़े के दाम दिन-प्रतिदिन महंगे होते चले जा रहे हैं, कपड़ा महंगा हो रहा है,

लेकिन उसके लिए श्रम करने वाले मजदूरों को उसके श्रमिक के नाते महंगाई के रूप में कोई वेतन नहीं मिल रहा है। उसको हमेशा अपने काम की गारंटी भी नहीं होती है और कितने दिन वह काम पर रहेगा और कितने दिन उसको मजदूरी के ऊपर काम नहीं होगा, इस प्रकार की स्थिति आज इन श्रमिक मजदूरों की बनी हुई है।

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस देश के अन्दर हम इन श्रमिकों को यदि ऊपर उठाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार को बिल्कुल इच्छा-शक्ति के साथ इस बिल के प्रावधानों को लागू करना चाहिए, सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए बिल नहीं लाना चाहिए और उसका सारा धन कोई और लोग खा जाएं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने भी इस प्रकार की बात कही थी कि मैं तो गरीबों को पैसा देना चाहता हूं, उनके लिए योजना बनाना चाहता हूं, लेकिन 100 रुपया अगर सरकार प्रदान करती है तो उसमें से 15 प्रतिशत तक वहां पहुंचता है और बाकी का 85 प्रतिशत पैसा बीच में ही हजम हो जाता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि इस बिल की वास्तविकता को देखकर, इस विधेयक की गरिमा को देखकर, श्रमिक के पसीने को ध्यान में रखकर यदि हम इस विधेयक के बारे में काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार की कोई योजना हो कि जिससे बीच के लोगों को खाने का अवसर न हो।

न कि इस तरह से हो कि उनके पसीने की कमाई का जो पैसा है, उसका दुरुपयोग हो। अगर यह बिल इस विश्वास के बिना पास हो जाता है कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, तब यह ऊपर-ऊपर से मरहम लगाने वाली बात ही होगी।

मैं कहना चाहती हूं कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं उनके अंदर श्रमिकों की मृत्यु होती है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन और रिकार्ड होना चाहिए। उसके आधार पर उनके परिवार वालों को, यदि वे वहां उपस्थित न हों तो ढूंढ़कर उसकी पत्नी, बच्चे या बूढ़ी मां को मुआवजा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। अगर इस तरह से केन्द्र सरकार ने इस विधेयक को पारित किया तो राज्य सरकारों के माध्यम से भी इसकी योग्य व्यवस्था होकर इसके लिए नीचे के स्तर पर, तालुका स्तर पर श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छी योजना बनेगी।

यह जो विधेयक यहां लाया गया है इसमें काफी सुधारों की गुंजाइश है। उन सुधारों के अभाव में श्रमिकों तक पैसा पहुंचाने में यह कामयाब नहीं हो सकता। मैं सरकार से आश्वासन चाहती हूं कि श्रमिकों के लिए इस पैसे का और इस प्रकार की योजना का उपयोग होगा। ऐसा विश्वास दिलाकर ही इस विधेयक को पारित करेंगे तो यह एक अच्छी बात होगी।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

डा. बी.एन. रेड्डी (मिरयालगुडा) : भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त) विनियमन विधयेक, 1996 बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक से निर्माण कर्मकारों को चाहे वे भवन निर्माण कार्य क्षेत्र में हों अथवा परियोजना क्षेत्र में हों अथवा अन्य किसी निर्माण कार्य में हों, जहां उनकी उपेक्षा की जाती है, वास्तव में सहायता मिलेगी। कर्मकारों के कार्य के घंटों तथा आवास के बारे में कोई विनियम नहीं है। उनकी आवास स्थिति, सफाई की स्थिति, पेयजल स्थिति, बिजली की स्थिति बहुत खराब है। अतः मैं समझता हूं कि इस विधेयक से देश में निर्माण कार्य में लगे करोड़ों कर्मकारों को निश्चित रूप से उनकी कार्य की स्थिति में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

कल्याण निधि के लिये एक प्रतिशत उपकर वसूली की सीमा रखी गई है। इस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिये तथा इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिये ताकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में इनकी दशा में सुधार हो सके। हमें नियोजकों से एकत्र की जाने वाली एक प्रतिशत राशि के बारे में विचार करना चाहिये। मेरे विचार से यह राशि पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन मैं यह अभी भी कहूंगा कि इस बात को देखने के लिये एक प्रयास किया जाना चाहिये कि कुछ राशि एकत्र कर कल्याण निधि में जमा कर दी जाये और उसका उपयोग कर्मकारों के कल्याण के लिये किया जाये।

एक महत्वपूर्ण पहलू जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वह यह है कि बड़ी संख्या में ऐसे निर्माण कर्मकार हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। हम इस उद्योग में दस अथवा बारह साल के लड़के लड़कियों को काम करते देखते हैं। इस बारे में कोई नियंत्रण नहीं है, कोई विनियमन नहीं है। उनकी शिक्षा, कल्याण और विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हम यह देख रहे हैं कि किन स्थितियों में उन्हें भवन निर्माण और अन्य परियोजनाओं के दौरान रखा जाता है। उनके लिये उचित आवास की व्यवस्था नहीं होती। उनके रहन-सहन की स्थिति उचित नहीं होती। अतः मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक से निश्चित रूप में सन्निर्माण कर्मकारों की रहन-सहन की स्थिति में सुधार होगा।

मुझे मान्य सदस्यों से यह पता लगा है कि अनेक राज्यों, विशेषकर केरल में, कुछ कल्याणकारी उपाय किये गये हैं। इस दिशा में कुछ कार्य किया गया है, यद्यपि ऐसा करने में असाधारण विलम्ब हुआ। एक बार प्रयास करने के बाद, इसमें कुछ समय बाद और विकास और संशोधन किये जा सकते हैं।

अतः मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि विधेयक पर गम्भीरता से विचार कर और इसे पारित करे ताकि हम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को न्याय दिला सकें और उनकी दशा में सुधार ला सकें। अतः मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति, इस विधेयक के बारे में बोलने के लिए हम बहुत परेशानी से खड़े हुए हैं। चूंकि कई सवाल इस विधेयक से उठते हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है जैसे वेंकट स्वामी नाम का विधेयक हे जो भूतपूर्व श्रम मंत्री रहे हैं, उनके नाम

पर यह विधेयक पेश हुआ है जिसका उनके समर्थन को जो सरकार चल रही है, वह लेकर आई है। कल वेंकट स्वामी जी का यहां पर अत्यंत भाव पूर्ण भाषण हुआ। वह अपने दिल की पीड़ा और मजदूर आन्दोलन का जो 40-50 सालों का अनुभव इस क्षेत्र में रहा है, इस अनुभव को यहां पर व्यक्त कर रहे थे। जहां तक हम समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बिल में सुधार होना चाहिए, यह बात भी बड़े आग्रह के साथ अपने भाषण में कही और यह भी कहा कि मंत्री जी इसको सदन में पास करने के पहले ही प्रस्ताव लायें, सुधार लायें, लोगों को साथ लेकर बैठें और उसको सुधारें। अब जिस बिल को उन्होंने स्वयं अपने दस्तखत से पेश किया था, इसका मतलब है कि वह बिल पेश करते समय उन्हें मंजूर नहीं था। कल यहां पर विवाद चला कि यह बिल क्यों आया, कैसे आया और यहां पर राम विलास पासवान जो बैठे हैं, उनका भी इस बिल को बनाने में एक अर्से से प्रयास रहा है। इसमें सुधार होना चाहिए, यह उनकी राय भी थी और जिस दल के वह नेता हैं, तो उस दल ने इस बिल के बारे में अपने घोषणा-पत्र में यह लिखा है, जिसको कल मैंने पढ़कर यहां पर रखा और बताया कि यह मजदूर विरोधी बिल है, इसमें मजदूर विरोधी बातें हैं जिनको सुधारने के बाद ही यहां पर इस बिल को लाना चाहिए। लेकिन कल उनको इतना टोकने के बावजूद भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। मैं स्पीकर साहब का नाम नहीं लूंगा। अगर पीठासीन होते तो मैं कह देता।

लेकिन वह भी श्रम मंत्री थे, ऐसे कानून को लेकर उनकी भी ऐसी सोच रही है और मेरी यह मान्यता है कि भी इस विधेयक में सुधार चाहते हैं। जितने भी श्रम मंत्री रहे हैं, जिनके नाम पर यह बिल आया है, सभी लोग इसमें सुधार चाहते हैं। सी.पी.आई. और सी.पी.आई. एम. दोनों के सदस्य इस बिल में सुधार करने के लिए सदन में बोले। उन लोगों ने भी अपने-अपने संशोधन यहां पर दिए हैं। लेकिन जो बिल लाए हैं, उसको नहीं लाना चाहिए था। कल जब मैं खड़ा होकर चिल्लाने लगा तो मुझको बिठाने के लिए टोकने लगे। इस बिल में ऐसी कौन सी बात है जिसमें लोगों की राय एक है। इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ के लोगों की एक राय है कि यह बिल ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए। वह किसका हाथ है? वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहां पर छिपी है जो इस विधेयक को सही रूप में इस सदन में आने से रोक रही है। इसका जवाब नहीं मिल रहा है।

इसलिए मैं पीड़ा से बोल रहा हूं। चूंकि हम लोग भी इस सदन में हैं। पक्ष है, विपक्ष है, अलग-अलग राय है। इस बारे में व्यक्त करने के भी अपने-अपने ढंग हैं। लेकिन कोई एक ताकत है जो इस सदन के अन्दर नहीं है। लेकिन उसकी इतनी पकड़ है कि सब लोग जो चीज करना चाहते हैं, वह ताकत उनको करने से हाथ पकड़कर रोक रही है। यह बात हम संसद में बैठे जो अलग-अलग दलों के लोग हैं, अति वाम पंथ से लेकर चाहे किसी भी दल का नाम लीजिए, हम लोगों को वह मालूम नहीं है। बात कुछ और आगे जाती है और वह यह है कि जब 1988 में यह बिल पहली बार राज्य सभा में पेटीशन कमेटी में लाया गया, जस्टिस कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में जो कमेटी है, नेशनल कैम्पेन कमेटी फॉर कंस्ट्रक्शन लेबर एन.सी. सी.सी.एल., इसकी ओर से एक याचिका आ गई। उस याचिका पर उस कमेटी में दो साल बहस चली। उस कमेटी के सामने श्रम विभाग के सचिव ने गवाही दी। अन्य सरकारी अधिकारियों ने गवाही दी। मजदूर नेताओं ने जाकर गवाही दी। सब लोगों की गवाही होने के बाद उस कमेटी की रिपोर्ट आई। वह रिपोर्ट 31 मई 1989 को आई। अब इस कमेटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं, उसमें से एक-दो सदन के सामने रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सदन स्वयं अपने ऊपर कितना अन्याय कर रहा है। कंस्ट्रक्शन मजदूरों के ऊपर जो अन्याय है, उसे तो छोड़ दीजिए लेकिन स्वयं अपने ऊपर कितना अन्याय कर रहा है, यह सदन जरा इस बात को जान ले। इस सदन की गरिमा क्या बची है, यह सदन इस बात को भी जरा जान ले। मैं सब कुछ पढ़ रहा हूं। उसकी जो सिफारिशें हैं, उनमें से दो-तीन जुमले पढ़ूंगा। यह कमेटी कहती है :

[अनुवाद]

> "सन्निर्माण कर्मकार सम्बन्धी केन्द्रीय विधान के लिये गठित राष्ट्रीय अभियान समिति ने भी विधान का प्रारूपी तैयार किया है, यदि वह लागू हो जाता है, तो इससे निर्माण कर्मकारों के हितों की रक्षा होगी। तैयार किये गये मसौदे में समिति ने सब मालिकों और कर्मकारों के लिये अनिवार्य पंजीकरण, एक स्वायत्तशासी निकाय द्वारा मजूरी निर्धारण और वितरण का दायित्व सौंपना और त्रिपक्षीय श्रमिक बोर्ड का गठन, जिसमें मालिक, सन्निर्माण कर्मकार और सरकारी एजेंसिया शामिल हैं। का सुझाव दिया है और यह निर्माण कर्मकारों की सेवा शर्तों की ओर ध्यान दें और उन्हें विनियमित करें।"

इसने इसको लागू किये जाने के पहलु पर भी विशेष जोर दिया है क्योंकि देश में सब सामाजिक विधानों को लागू किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। यह पेटीशन कमेटी की राय है, यह सर्वानुमति की राय है। आगे जाकर यह कमेटी कहती है :—

> "अभियान समिति द्वारा प्रस्तावित लाभों को ध्यान में न रखते हुए, याचिका समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि श्रम मंत्रालय अभियान समिति द्वारा दिये गये सुझावों की ओर ध्यान दें और यह देखें कि राज्य सभा में पहले ही पुरःस्थापित विधेयक में इन सुझावों को कहां तक शामिल किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

इसमें सीधी सिफारिश की गई है। जो विधेयक का प्रारूप है और जो कम्पैन कमेटी ने बनाया है। जो विधेयक पत्र प्रारूप है और जो कम्पैन कमेटी ने बनाया है, तथा जो बिल इस समय राज्य सभा में पेश था, इसमें इसको कैसे जोड़ा जाये, यह सिफारिश की गई है।

> "विधेयक को पारित करने के उपरान्त भी और विधेयक के उपबन्धों के क्रियान्वयन के लिये विस्तृत नियम तैयार

करते समय, अभियान समिति परामर्श की प्रक्रिया में संलग्न होगी ताकि सुझाये गये उपायों को शब्दशः क्रियान्वित किया जा सके।"

समिति की अन्तिम सिफारिश यह है :—

"लोकसभा में पुरःस्थापित विधेयक के उद्देश्यों सम्बन्धी **विवरण से समिति** को यह पता लगता है कि वर्तमान विधेयक केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जिनमें किसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में 50 अथवा इससे अधिक भवन **निर्माण** कर्मकार नियुक्त हों"

[हिन्दी]

सन् 1988 का यह विधेयक और सारा मामला पेटिशन कमेटी के सामने आता है, जो सभी के विचारों को सुनती है। सारे के सारे अधिकारी अपनी गवाही देते हैं। कमेटी कहती है कि पचास से अधिक जो कर्मचारी हैं, उन्हीं के लिये विधेयक लागू हो रहा है।

[अनुवाद]

"अतः 50 से कम कर्मकार नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठान वर्तमान विधेयक के क्षेत्र से बाहर हो जायेंगे। इसी प्रकार उन गैर सरकारी व्यक्तियों और संस्थाओं को इस अधिनियम के लाभ प्राप्त नहीं होंगे जिन्होंने निर्माण कार्य के लिये 50 से कम कर्मकारों की नियुक्ति की होगी। इसके विपरीत अभियान समिति द्वारा तैयार की गई योजना के अन्तर्गत उन सभी निर्माण कर्मकारों को शामिल किया जायेगा चाहे वे कहीं भी नियुक्त हों। अतः अभियान समिति द्वारा तैयार किया विधान, अधिक व्यापक प्रतीत होता है। इसी संदर्भ में याचिका समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि याचिका समिति द्वारा प्रस्तावित विधान की जांच की जाये और इस पर विचार किया जाये और इसकी सब अच्छाइयों को सरकारी विधेयक में शामिल किया जायें।"

[हिन्दी]

यह उस समिति की सिफारिश है, जो सरकार के हाथों में रही है। इससे इन्कार करने का आपको अधिकार नहीं है। सदन की समिति है। अन्त में समिति ने लिखा है :—

[अनुवाद]

"अतः समिति यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा में लम्बित विधेयक वापिस ले लिया जाये और एक नया व्यापक विधेयक पुरःस्थापित किया जाये ताकि उपेक्षित कार्यकारी वर्ग की लम्बे समय से चली आ रही मांगों को पूरा किया जा सके।"

[हिन्दी]

समिति की दो सिफारिशें हैं। मेरे विचार से नेशनल कम्पैन कमेटी के सारे जुमले इस विधेयक में आने चाहिए और पचास की जो सीमा बांधी है, वह सीमा नहीं रहनी चाहिए। राज्य सभा में जो विधेयक पेश है, उसको वापिस लेना चाहिए और एक कम्प्रिहेंसिव विधेयक सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। महोदय, अब यदि यहां पर कोई कहे कि यह तो पेटिशन कमेटी है और अगर कोई पेटिशन कमेटी की अवहेलना करता है, तो इस का मतलब है कि वह इस सदन की अवहेलना करता है। वह सदन का अपमान करता है और इसके अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है। कौल-एंड-शकधर की किताब को लेकर हर रोज सदन में विवाद होता है, इस किताब के पेज-730, 1991 का एडिशन, में कहा गया है :

[अनुवाद]

"जनहित याचिका पर, समिति ने सभा को सूचित किया है कि जिसमें याचिकाकर्त्ता द्वारा दिये गये तथ्यों की जानकारी दी गई है। उन पर सम्बद्ध मंत्रालय की टिप्पणियां तथा इसके निष्कर्ष अथवा सिफारिश प्राप्त की गई है। समिति की सिफारिशें यह हो सकती हैं कि याचिकाकर्त्ता के सुझाव पूर्णतया लागू किये जायें अथवा समिति द्वारा संशोधित अथवा स्वीकृत स्वरूप में याचिकाकर्ता के सुझाव लागू किये जायें"

[हिन्दी]

महोदय, इसको किस तरह से स्वीकार करना है, किस तरह से अमल करना है, कैसे विधेयक को वापिस लेना है, कैसे सुधारे हुए विधेयक को, काम्प्रिहेंसिव विधेयक को इस सदन में लाना है, लेकिन हुआ यह है कि आप उसी को ले आए हैं। सात साल बीत गए, तीन चार श्रम मंत्री हो गए, लेकिन आप उसी विधेयक को ले आए हैं। मैं पूछता हूं, क्या इस सदन की यही गरिमा है, क्या हम लोग इस सदन की एक समिति की यही इज्जत कर रहे हैं?

अगर इस सदन की कमेटी की राय, यानी इस सदन की राय इस सदन को ही मंजूर न हो तो फिर देश में इस सदन की बड़ी गरिमा बनी रह सकेगी, ऐसे स्वर अनेक बार दोनों तरफ से आ जाते हैं इनका क्या अर्थ है? हम लोग अपनी इज्जत करना नहीं जानते हैं तो दुनिया क्यों हमारी इज्जत करे। इसलिए इस विधेयक को लेकर हम लोग कहां आ कर पहुंचे हैं, मुझे इस बात से बड़ी पीड़ा है। यह मामला हल्के ढंग से इस सदन में नहीं लेना चाहिए। जो सबसे निराधार मजदूर हैं केवल उनका सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए मैंने सबसे पहले इस सवाल को छेड़ा है कि कौन वहां पेटीशन को पकड़ रखता है, इस सदन को पकड़कर रखता है, सदन के हर बाजू को पकड़कर रखता है और जो सब के मन की इच्छा है वह इच्छा पूरी नहीं होती है। वह कौन सी ताकत है? क्या हिन्दुस्तान के बिल्डर्स की लॉबी है, जो अरबपति नहीं हैं बल्कि खरबपति हैं, क्या उनकी लॉबी है? वह कौन सी ताकत है, इसकी खोज अगर यह सदन किसी रूप से करे, चाहे

व्यक्तिगत तौर पर करे या सामूहिक तौर पर करे कि वह कौन सी ताकत है जो इन मजदूरों को इंसाफ देने से रोक रही है तो हम समझते हैं कि यह जो आज यहां हम लोग बहस कर रहे हैं यह सार्थक होगी वरना इसका कोई अर्थ नहीं होगा।

इस विधेयक में संशोधन करें या इसको सलैक्ट कमेटी के पास भेजें आदि-आदि सवाल हैं और ये बातें भी यहां पर आई हैं कि कौन से संशोधनों को स्वीकार किया जाए या इस बिल को किस तरह से यहां से पास करके फिर इसको सुधारा जाए, ऐसी कई बातें आई हैं। लेकिन मैं एक-दो बातें इस विधेयक को लेकर साफ कहना चाहता हूं। यह जो विधेयक है, सेस के साथ जुड़ा हुआ जो विधेयक है, इसमें हम एक सुधार चाहेंगे, अगर मंत्री जी इस विधेयक का पास कराना चाहते हैं। हम से हमारे कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि जैसे कल हाउस डिवाइड किया था, आज फिर इस विधेयक पर विरोध करना है, डिवाइड करना है। मुझे कुछ बातों पर लगता है कि डिवाइड करना ही पड़ेगा या तो विरोध करना पड़ेगा और उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा। चूंकि एक रुपया और वह भी एक रुपया नहीं है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं सब लोग एक रुपया कह रहे हैं। इसमें लिखा है,

[अनुवाद]

एक प्रतिशत से अधिक नहीं।

[हिन्दी]

वह जो हाथ है, जो इस विधेयक में असलियत को लाने से रोक रहा है कल वह हाथ काम नहीं करेगा, इसका क्या भरोसा है?

[अनुवाद]

यह एक प्रतिशत, चौथाई प्रतिशत हो सकता है।

[हिन्दी]

अगर मैं इस देश की व्यवस्था को जानता हूं,

[अनुवाद]

एक प्रतिशत से अधिक नहीं। यह आधा प्रतिशत हो सकता है।

[हिन्दी]

लेकिन बाद में हम लोग जो भी चिल्लाएं वह बाहर का चिल्लाना होगा उससे कोई फर्क किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। आज जो इस विधेयक को आप इस रूप में ही पास करना चाहते हैं, इसमें सुधार लाने से रोक रहे हैं। बाकी क्या संशोधन होंगे या इस विधेयक को किस रूप में अंत में पास करना चाहेंगे, वह आप तय कर लीजिए।

[अनुवाद]

यह चौथाई प्रतिशत होगा। आप इस बारे में गलती न करें।

एक प्रतिशत से अधिक नहीं, दो प्रतिशत से कम नहीं।

[हिन्दी]

यानी तीन-पांच हो सकता है, अगर मार्ग खुला हो लेकिन दो से कम कतई नहीं हो सकता है इस निर्णय पर आप आइए। औरों के मन में जो भी बात हो लेकिन हमारा मन इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए हमें नहीं छोड़ेगा। सौ रुपए में एक एक रुपया, एक सम्मानीय सदस्य ने हमसे सुबह बात की वह हमसे बोले कि आप कल इस विधेयक के बारे में इतना उत्तेजित थे लेकिन यह जो एक परसैंट आएगा तो यह मकान बनाने का दाम बहुत बढ़ाएगा, यानी सौ रुपया आपका लगेगा उसमें एक रुपया देना है। हजार रुपया लगेगा तो दस रुपए देने हैं, दस हजार रुपए में सौ रुपए के तौर पर देने हैं, जिससे उस गरीब मजदूर को कहीं चोट लग जाए, मर जाए तो उसके जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ इंतजाम होगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं होना और उसके लिए भी रोना है।

[अनुवाद]

एक प्रतिशत से अधिक नहीं।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

सभापति महोदय, एक परसेंट यानि सौ रुपए पर एक रुपये का प्रावधान किया गया है। जब आदमी सौ रुपए का खाना खा सकता है तो वह एक रुपया बैरे के हाथ में भी दे सकता है लेकिन आजकल एक रुपया बैरा भी नहीं लेगा। लेकिन एक रुपया वह दे सकता है। श्री चागला बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस चागला के सामने जब मजदूरों को बोनस देने न देने, कारखाना चलाने न चलाने के संबंध में केस आया था तो उनका जजमेंट है कि जो 8.11 परसेंट बोनस नहीं दे सकता है वह अपना कारखाना या मिल बंद करके चला जाए। उसको कारखाना चलाना नहीं आता है। हम दो परसेंट की मांग कर रहे हैं लेकिन उससे ज्यादा संभव हो तो वह भी देना चाहिए। दो परसेंट हम मांगते हैं, इस पर समझौता नहीं हो सकता है।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : आपने अमेंडमेंट दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमने अमेंडमेंट नहीं दिया है।

[अनुवाद]

विधेयक का खंड 6 कहता है और मैं उद्धृत करता हूं :—

> "अधिनियम में निहित इस बात को ध्यान में रखते हुए, यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जन हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा उपयुक्त है, तो वह सरकारी राजपत्र में ऐसी शर्तों के साथ अधिसूचना जारी कर सकती है, यदि कोई, जैसाकि उसमें निर्दिष्ट है, किसी भी नियोजक अथवा नियोजक वर्ग को इस अधिनियम में देय उपकर का भुगतान न करने की छूट दे सकती है..."

मंत्री महोदय आप 'जनहित' शब्द को रेखांकित करें।

[हिन्दी]

यानि आपने यह भी अधिकार ले लिया कि सरकार के मन में, अधिकारी के मन में यह बात आ जाए क्योंकि आखिर में नीचे का कोई सुपरवाइजर या इंस्पेक्टर ही इसको चलाने वाला है, मंत्री थोड़े ही निगरानी रखने वाले हैं।

[अनुवाद]

अधिनियम में निहित इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम को अनावश्यक घोषित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

यह बहुत सरल है। सीधी बात है कि बिल्डिंग मजदूरों से ज्यादा पब्लिक इंट्रेस्ट भारत में और किसका हो सकता है। आज हम सभी दल इस बिल के सम्बन्ध में बहस कर रहे हैं।

[अनुवाद]

यह किसके हित में है? वह जनहित क्या हैं जिसके हित में भवन कर्मकारों को एक प्रतिशत से भी कम उपकर से वंचित रखना चाहते हैं। यदि विधेयक पारित हो जाता है तो आप अन्ततः इसे वर्तमान रूप में लागू करने का निर्णय लेंगे।

अपराह्न 5.03 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी (पेदापल्ली) : यह एक परसेंट के बारे में जो बहस कर रहे हैं इसमें 99 परसेंट बिल्डिंग मजदूर गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इसमें सरकार का क्या योगदान है, क्या परसेंट है? मेरा सुझाव श्री जार्ज फर्नान्डीज से यह है कि केस के अंदर दो परसेंट का योगदान सरकार का भी होना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे मंजूर है। आप यहां पर नहीं थे। मैंने आपसे ही बात शुरू की थी। आपके इतना चाहते हुए भी यह सब नहीं हो पाया है क्योंकि कोई ताकत इसके पीछे है जो यह नहीं करने दे रहा है। यदि फिर आप उस जगह पर बैठ जाएंगे और यदि यह कानून तब तक पास नहीं होगा, तो आपको भी इसे ऐसे ही छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि कोई हाथ है जो सबको रोक रहा है।

श्री जी. वेंकटस्वामी : मिनिस्टर बोलने वाले हैं, आप मेरी बात तो सुनें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अरुणाचलम जी को मैं क्यों दोष दूं। अब जब सी.पी.आई, सी.पी.एम. की यह हालत है तो औरों की बात क्या कहूं। इस विधेयक को पढ़ते समय मुझे यह लगा कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। यह यहां पर आर्डिनेंस के तौर पर लाया गया है। आर्डिनेंस के तौर पर लाते समय कहा गया है कि

[अनुवाद]

चूंकि संसद का सत्र नहीं था और इस विधान को लम्बे समय से की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह आवश्यक...

[हिन्दी]

यह स्टेटमेंट ऑफ आवजेक्टस और रीजन में लिखा है और इस पर आपके दस्तखत हैं।

[अनुवाद]

उपरोक्त विधान की लम्बे समय से की जा रही मांग को देखते हुए सरकार ने यह आवश्यक समझा... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी : 20 साल हो गये हैं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : ऐसा बीस वर्षों से चल रहा था और इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई।

[हिन्दी]

1988 में राज्य सभा में आ गया। इस पर कमेटी में सारी बहस हो गई। कमेटी ने सिफारिशें की। सात साल सिफरिश कर सब सो गये। अब एकाएक यहां पहुंच गया।

[अनुवाद]

उपरोक्त विधान की लम्बे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए सरकार ने यह अत्यन्त आवश्यक समझा।

[हिन्दी]

नीयत के सामने प्रश्न चिन्ह लगता है। जो कहा जाता है और किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा अन्तर दिखायी देता है। ऐसा दिखायी देने का मुख्य कारण यह है कि स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जैक्ट्स ऐंड रीजन्स में बहुत भारी मजदूरों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। यह संवेदना 25-30 साल कहां थी? अगर इतनी चिन्ता आज हो गई तो जिन लोगों ने इसे ड्राफ्ट किया और आग्रह के साथ यहां लाए, वे 25-30 साल से कहां थे।

[अनुवाद]

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार भारत में असंगठित श्रमिक का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों को अपने जीवन और अंगों का खतरा हमेशा बना रहता है। कर्मकारों का कार्य अनियमित है, इसमें मालिक और कर्मकार के बीच अस्थायी सम्बन्ध होता है, कार्य के अनिश्चित घंटे होते हैं और मूल और कल्याण सुविधाओं का अभाव है

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी : इसमें क्या गलत है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : बिल्कुल सही है लेकिन कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। जब यह बात मन में थी तो फिर सात साल इसको क्यों कबर्ड में बंद रखा गया, क्यों नहीं लाए। इसलिये ये केवल शब्द हैं, उनका सार नहीं है। ये शब्द दिल से नहीं आ रहे हैं, जुबान से आ रहे हैं, हमें यह परेशानी है। हमारी परेशानी इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसका अमल भी इसी तरह से होगा। यहां कथनी और करनी में अन्तर दिखायी देता है। मुझे ऐसा लगता है कि वही अन्तर अमल में नजर आयेगा।

मैं 1-2 क्लॉसेज पर आपत्ति उठाते हुए श्रम मंत्री जी से कुछ ठोस सवाल भी करना चाहता हूं। पहला यह है कि

[अनुवाद]

कृपया अधिनियम की धारा 2(घ) को देखें जिसमें भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य को परिभाषित किया गया है : इसमें कहा है।

> "...लेकिन इसमें भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य को शामिल नहीं किया गया है, जिस पर कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा खान अधिनियम, 1952 के उपबन्ध लागू होते हैं। आप इनको अलग रखना क्यों चाहते हैं?"

[हिन्दी]

आज माइनिंग का निजीकरण हो रहा है। अगर सरलीकरण भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। सरकार कौन सी दयालु मालिक है। वह तो सबसे खतरनाक मालिक है।

[अनुवाद]

आप भवन और सन्निर्माण कार्य को इससे अलग रखना क्यों चाहते है, जिसपर कारखाना अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं।

[हिन्दी]

इसमें किन को बचाने की कोशिश है? कानून में एसी चीजों का सुधार न हो तो इसका विरोध होगा। हम इसमें आपको साथ नहीं दे पायेंगे।

[अनुवाद]

हम यहां शक्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं। मूल कानून में भी आपने उन निर्माण कर्मकारों को शामिल नहीं किया है जो निर्माण कार्य में लगे हैं और जिन पर कारखाना अधिनियम अथवा खान अधिनियम लागू होता है। कृपया इसे हटाइये। इसके अलावा धारा 2(1)(ज) में 'प्रतिष्ठान' को परिभाषित किया गया है।

> "प्रतिष्ठान" का अर्थ है कोई भी प्रतिष्ठान जो किसी का भी हो...लेकिन इसमें ऐसे वैयक्तिक को शामिल नहीं किया गया है जो अपने आवास से सम्बन्धित कार्य में भवन अथवा निर्माण कार्य में एसे कर्मकारों को नियुक्त करता है

[हिन्दी]

अब मुझे उसमें आपत्ति इसलिये है कि आजकल रेजीडेंस का मतलब 5, 5 करोड़ रुपये के मकान पटना में दर्जनों खड़े हो रहे हैं। इसमें सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। दिल्ली में एसे दर्जनों नहीं, सैकड़ों मकान खड़े हो रहे हैं। यहां पर एक-एक सेठ का मकान महल की तरह है। फार्म हाउस हमने कभी देखा नहीं, इसलिये इस बारे में नहीं कह सकते। दिल्ली की महा कालोनियों में लोगों के जो मकान हैं, वे वकील, डाक्टर्स इंजीनियर्स, राजनैतिक नेता के भी हो सकते हैं। इनके मकान क्या हैं? एक करोड़ रुपया तो उनके लिये कुछ नहीं है। जब करोड़ रुपये का मकान बनायेगा तो एक लाख रुपया असैस में नहीं निकलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

एक लाख रुपया तो असैस का उनसे निकालेंगे नहीं। वह जिस तरह से लूट के पैसे से मकान बनाकर प्रापर्टी खड़ी करने जा रहा है तो गरीब को उसका हक दिया जाये और वह हक चोरी का नहीं, उसकी मेहनत और पसीने का है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस चीज को आपको हटाना होगा वरना हिन्दुस्तान में जो मालिक हैं, वे इस प्रकार का तिकड़म करेंगे जिससे कि आधे को, जो प्राविजो आपने इसमें दिया है, उससे हटा देंगे। कुछ लोगों को फैक्ट्रीज एंड माइन्स एक्ट के आधार पर हटा देंगे और जो 50 की सीमा लगाई है, उसको आप हटाईये। कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एक चीज को जान लीजिये। आप जानते है कि मैं छत्तीसगढ़ के कारखानेदारों को जानता हूं जहां पर मैंने लड़ाइयां लड़ी है। उस लड़ाई में हमारा एक साथी शंकर नियोगी मारा गया, अनेक मजदूर मारे गये। शराब का धंधा करने वाले बड़े बड़े सेठ हैं। देश में गरीबी कैसे हटाई जाय, आज बड़े बड़े बैनर्स सड़कों पर लगाते हैं लेकिन अपने कारखानों में कैसे मजदूरों का शोषण करते हैं, इसका हमें अनुभव है कि कैसे उनका अनुचित शोषण होता है। हर मजदूर ठेकेदार है।

[अनुवाद]

प्रत्येक कर्मचारी को ठेकेदार के रूप में माना जाता है। उसका रोजगार के लिये वैयक्तिक ठेका है। इनको कौन रोकता है* ऐसा करने से? ठेकेदार को कौन रोकता है* ऐसा करने से?

* अध्यक्ष पीठ के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

इसलिये कोई लूपहोल मत छोड़िये। एक एक मजदूर कांट्रैक्टर होगा मकान पर आने से पहले एक बांड पर साईन करना पड़ेगा। मैं ठेका कर्मचारी हूं। मैं स्पैसिफिक कांट्रैक्टर हूं, एम्पलाई नहीं हूं। मैं अमुक काम कर दूंगा और शाम को 100 रुपये या 50 रुपये ले जाऊंगा।

श्री रमेश चेन्नितला : अन पार्लियामेंटरी तो नहीं है?

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज* : यह सहानुभूति और सम्मान में आपको अच्छा* क्या मैंने आपको नहीं कहा अनेक बार, रमेश?

[हिन्दी]

तो इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुधार करना होगा। यह 50 की सीमा बांधकर यह कानून पास नहीं हो सकता। कल श्री वेंकट स्वामी जी ने जो बात यहां रखी, उसमें सुधार करने के लिये कहा तो यह बिल अभी पास मत करिये। बहस चलाईये। यह समाप्त होने के बाद शाम को सब लोगों को बैठाकर बात करिये। यदि आज कुछ लोगों का प्रोग्राम हो तो कल सुबह नौ बजे सब को बुलाकर आदेशानुसार बैठाईये। इसमें सभी लोग बैठकर तय करेंगे कि बिल में क्या सुधार हो सकता है। इसके बाद ही इस बिल को पास करिये। यदि मंत्री जी नहीं कर पायेंगे तो विवाद बने रहेंगे। तो नतीजा निकालना होगा, वह नहीं निकल पायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी एक बात कह कर समाप्त करना।

[अनुवाद]

अधिनियम की धारा 16 के विहित है :

> "एक निर्माण कर्मकार, जिसे उस अधिनियम के अन्तर्गत लाभकारी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जब तक कि 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता... मंत्री महोदय इन शब्दों को रेखांकित करें
>
> "...निधि में ऐसी दर पर प्रतिमाह अंशदान करना है, जिस पर राज्य सरकार ने सरकारी राजपत्र में जारी अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया है और विभिन्न वर्गों के निर्माण कर्मकारों के लिये विभिन्न दरों पर अंशदान निर्दिष्ट होगा"

[हिन्दी]

मेरा जवाब है इसके लिए - नहीं।

[अनुवाद]

कर्मकार अंशदान क्यों करें? उसको इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होता।

** अध्यक्ष पीठ के कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

कोई भी सुविधा आज उसको नहीं है। वह सड़क पर सो रहा है। आपकी जो आर्थिक नीति है और जो बजट आया है, भले ही उधर के लोगों ने बजट का समर्थन किया हो, लेकिन उससे आने वाले दस सालों में भी उसका मकान बनाकर आप नहीं दे सकते हैं। उसके बच्चे सड़क पर मिट्टी खाकर मरते हैं और आप उससे पैसा लेंगे।

[अनुवाद]

एक प्रतिशत से अधिक नहीं।

[हिन्दी]

और उनके ऊपर भी सैस लगाकर उनसे भी पैसा वसूल हो गया। यह नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

उपकर नियोजकों से वसूल किया जायेगा।

[हिन्दी]

अगर आपके मन में आज के दिन भी उनसे 1 प्रतिशत लेने की बात हो तो किसी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से सरकार अपना हिस्सा देने का काम करे, लेकिन इन मजदूरों के पास 10-20 वर्षों में अगर मोटरगाड़ी या मारूति का इंतजाम करने में आपकी नयी व्यवस्था कामयाब हो गई तो वह भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, लेकिन आज के दिन उनसे कंट्रीब्यूशन लेना संभव नहीं होगा। मैंने तीन-चार संशोधन रखे हैं। अगर मंत्री जी किसी भी रूप में इनको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम इस विधेयक का संपूर्ण विरोध करेंगे। इस समय इस विधेयक का न तो मैं समर्थन कर रहा हूं और न विरोध कर रहा हूं। मंत्री जी पर इस बात को छोड़ रहा हूं कि हम समर्थन करें या न करें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, अनेक सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिये है। अतः उन पर चर्चा की जानी चाहिये। विधेयक का पारित करना स्थगित किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिये और उनसे चर्चा करनी चाहिये। कुछ अच्छे सुझावों को विधेयक में शामिल किया जा सकता है और इसे एक मत से पारित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकटस्वामी : उपाध्यक्ष जी, कल मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि इस बिल को मैंने इंट्रोडयूस किया था। उस वक्त मैंने ऑफिशियल्स से मीटिंग की कि इसमें बहुत खामियां हैं और इनको सुधारना चाहिए और सही बिल पेश करना चाहिए। उस वक्त

ऑफिशियल्स का सुझाव था कि 20 साल हो गए है इस बिल को लाते हुए और अगर इसमें कुछ भी अमेंडमेंट आप लाएंगे तो फिर सारी मिनिस्ट्रीज को सर्कुलेट करेंगे, फिर बिल आने तक 20 साल और हो जाएंगे। अगर कुछ करना है तो यहां जब बहस होगी, बिल आएगा तो उस वक्त ऑफिशयली अमेंडमेंट लाने के लिए तय हुआ था। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से यह सजेशन आया था। मैं श्रम मंत्री को सजेस्ट करता हूं कि यहां पर ऐक्सपर्ट्स हैं, लेबर लीडर्स हैं। आप सभी पार्टियों के मैम्बर्स को बुलाएं और बातचीत करें। इस बिल को सुधारें और तब पास करें।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, मैं भी इस तर्क का समर्थन करता हूं। अनेक माननीय सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं। अतः माननीय मंत्री को कम से कम ऐसे सदस्यों को बैठक के लिये आमंत्रित करना चाहिये जिन्होंने चर्चा के लिये संशोधन प्रस्तुत किये हैं। महोदय, वह चाहें, तो अन्य नेताओं को भी आमंत्रित कर सकते है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं। ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी इसका समर्थन करते हैं। इसमें जो खामियां हैं उनको दूर किया जाए और एक कंप्रिहेन्सिव बिल लाया जाए।...**(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : जब तक माननीय मंत्री जी इन संशोधनों पर विचार न कर लें तब तक इसे पास न करें। इस बिल को सुधार करके ही पास किया जाए।...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : महोदय, इस विधेयक को इस महीने के अन्त तक पारित करना है क्योंकि अन्य सदन द्वारा भी इसे पारित करना है...**(व्यवधान)**

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, यह अध्यादेश 2 अगस्त, 1996 को व्यपगत होगा। इसीलिये इसे 2 अगस्त, 1996 से पूर्व पारित हुआ है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम आज अथवा कल बातचीत कर सकते है। माननीय मंत्री कल सुबह बैठक बुला सकते हैं।

श्री एम. अरुणाचलम : हम इस पर कल चर्चा कर सकते हैं।

श्री जी.वेंकटस्वामी : माननीय मंत्री सुझाव पर सहमत हो गये हैं।...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

महोदय, इसको डिस्कस करके फिर पास करे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : इसे स्थगित किया जाना चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : माननीय मंत्री को सदस्यों से वार्ता कर सहमत संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री रमेश चेन्नितला : चर्चा समाप्त होने दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी, हां। पहले चर्चा समाप्त होने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

श्री एम. अरुणाचलम : मेरा विचार है कि हमें असंगठित क्षेत्र में इस दिशा में प्रयास आरम्भ करने चाहिये। मैं खुले दिमाग से उस मामले में माननीय सदस्यों से चर्चा कर सकता हूं। मैं कल शाम सदन में उपस्थित रह सकता हूं; हम इस पर चर्चा कर इसे पारित कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम इस पर चर्चा जारी रखें?

श्री एम. अरुणाचलम : हम इस पर कल शाम चर्चा कर सकते हैं और इसे पारित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, इस पर पहले बहस समाप्त हो जाये, मिनिस्टर का उत्तर और अमेंडमेंट एक साथ हो जायेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री एम. अरुणाचलम : आपको उन विशेष सदस्यों का नाम बताना होगा जिन्हें बैठक में भाग लेने के लिये बुलाया जायेगा। क्या ये वही सदस्य होंगे जिन्होंने संशोधन दिये हैं अथवा अन्य सदस्य भी होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल उन्हीं सदस्यों को बुला सकते हैं जिन्होंने अपने नाम दिये हैं।

[हिन्दी]

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मजदूर मंत्री मजदूरों के बारे में यहां पर एक विधेयक लाये हैं दि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन आफ अमेंडमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसिज) बिल, 1996 मैं सबसे पहले हमारे लेबर मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिर किसी को इन मजदूरों को याद तो आ गई। 1988 में पहला एक ऑर्डीनेंस लाये थे और उसके बाद में उस ऑर्डीनेंस को दोहराया गया। अभी वह समय आ गया कि अगर दो तारीख से पहले यह ऑर्डीनेंस पास नहीं हो जाए, बिल विधेयक में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तो शायद यह बिल लैप्स हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन आ गई है। यह जो बिल लाये हैं वह ऐसे मजदूरों के लिए लाए हैं।

[अनुवाद]

जो उत्पीड़ित हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, और देश में सबसे अधिक उपेक्षित हैं।

[हिन्दी]

ऐसी हालत में ये लोग काम कर रहे हैं कि हम सब कहते हैं।

[अनुवाद]

हम मानव के लिये कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

लेकिन हमें देखते हुए शर्म आती है कि 50 सालों में इस देश के अंदर इनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। इन 50 सालों के अंदर हमने इस देश के अंदर बहुत सारे इनेक्टमेंट कर दियें, विधेयक लाकर पास कर दिये, अमेंडमेंट भी कर दिये। लेकिन इन मजदूरों का ख्याल किसी ने नहीं किया। इनको क्या तनख्वाह मिलती है, इनको कौन सा मकान दिया जाता है जिसमें ये रहते है, इनके खाने-पीने का क्या बंदोबस्त है और इनको कपड़ा मिलता है या नहीं, उनका मकान किस हालत में है, यह देखने को परवाह किसी ने नहीं की। जिसने इस देश के अंदर बहुत सारी इमारतें खड़ी कर दी, अपनी जान की बाजी लगाकर जो काम करते हैं, उनके प्रति समाज कोई ख्याल नहीं करता।

हमारे मुम्बई शहर में ऐसी ऐसी बिल्डिंग बन रही हैं, जिनमें मालाओं की कोई सीमा नहीं है। उनमें अगर कोई ऊपर से नीचे देखने की कोशिश करे तो शायद चक्कर आने की वजह से वह गिर जाएगा। जिन बिल्डिंग को स्काई स्कैपर कहते हैं, ऐसी इमारतें वहां बन रही हैं। उनमें कंस्ट्रक्शन मजदूर ही काम कर रहे हैं जो खासकर आन्ध्र प्रदेश से आते हैं। यदि आप उनकी हालत को देखें- जहां खाड़ी या कीचड़ होती है, ऐसी जगहों पर वे अपने झोंपड़ें बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क में वे अकेले काम नहीं करते, उनके छोटे बच्चे, पत्नी, बहन और बाप सभी काम करते हैं और पूरा परिवार कान्ट्रैक्टर के साथ काम करता है। मिट्टी में उन्हें रहना पड़ता है, सीमेंट से उनका रिश्ता है और आरोग्य रहने के लिये उनके पास कुछ नहीं है - ऐसी हालत में ये लोग काम करते हैं। जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाता है तो उनके झोंपड़े वहीं रहते हैं जबकि मालिक कोई दूसरा कांट्रेक्ट लेकर, इन मजदूरों को वहीं छोड़कर दूसरी जगह भाग जाता है और वहां नए लोगों को लेबर के रूप में रख लेता है ताकि किसी तरह की लायबिलिटी न रहे।

पूरे मुम्बई शहर के अंदर अनगिनत झोपड़ियां बन गई है। हम लोगों ने अभी यह फैसला किया है कि जो लोग झोपड़ियों में रहते है उन्हें पक्का मकान बनाकर दिया जाए ताकि उन्हें कीचड़ से बाहर निकाला जा सके लेकिन इस काम में भी हमें लोगों की कोआपरेशन नहीं मिलती। मुम्बई शहर में बिल्डिंग बनाने वाले इतने रिच लोग रहते है कि शायद वे पूरे देश को खरीद सकते हैं - इतने रिच बिल्डर्स वहां बैठे हैं।

इस समय सदन में मंत्री जी नहीं है लेकिन मैं उन्हें बोलना चाहता था कि इस विधेयक में जिस कानून का आपने प्रावधान किया है, उस पर अमल कौन करेगा। इसके अलावा जो मशीनरी प्रोवाइड की गई है, क्या वह काम में आ जाएगी, उसके अनुसार काम होगा या इसकी गारंटी सैन्ट्रल गवर्नमेंट देगी? मैं इस बिल की एक-एक क्लॉज के पीछे जाना चाहता हूं। इसमें मजदूर डैफिनीशन के बारे में जो कुछ कहा गया है, उस पर हमारे साथी जार्ज फर्नान्डीस ने काफी बोल दिया है। इसमें जो डैफिनीशन है क्या वह कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए है क्योंकि जहां इसमें बहुत से मजदूरों को लिया गया है लेकिन वहीं साथ साथ सुपरवाईजर तथा टैक्निकल ऑफिसर को भी ले लिया गया है।

[अनुवाद]

जो इस कार्य में लगे हैं, उन्हें इस विशेष मजदूर की परिभाषा में शामिल किया गया है"

[हिन्दी]

मैं पूछना चाहता हूं कि कंस्ट्रक्शन मजदूरों के साथ इस बिल में अन्य लोगों को क्यों लगा दिया गया है। इसमें तो मात्र कंस्ट्रक्शन मजदूरों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनके लिये ही कानून बनना था, अन्य लोगों के लिए कोई दूसरा कानून बन सकता था।

लास्ट पैराग्राफ में जिस मशीनरी का जिक्र किया गया है, जैसा इन्होंने भी कहा, मैंने उसे बराबर मार्क करके रखा है जिसमें अपाइंट करने के बारे में बताया गया है -

[अनुवाद]

> "लेकिन इसमें ऐसे किसी भवन अथवा निर्माण कार्य को शामिल नहीं किया गया है जिस पर कारखाना अधिनियम 1948 अथवा अधिनियम, 1952 लागू होता हो"

[हिन्दी]

उन लोगों को छोड़ दिया - मैं पूछना चाहता हूं कि अगर किसी फैक्टरी की बिल्डिंग बनती है तो क्या उसमें फैक्टरी वर्कर्स ही काम करते है, क्या फैक्टरी वर्कर्स कंस्ट्रक्शन का काम करते है? अगर फैक्टरी वर्कर्स कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करते और सिविल वर्क करने वाले मजदूर ये ही है तो -

[अनुवाद]

आप उन कर्मकारों को छोड़ना क्यों चाहते हैं? आप उन्हें अधिनियम के उपबन्ध ये अलग क्यों रखना चाहते हैं? मेरा सम्बद्ध माननीय मंत्री से यही सीधा प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब फैक्टरी बनाने में थे कंस्ट्रक्शन मजदूर ही काम करते है तो उन्हें क्यों एक्सक्लूड कर दिया गया?

[अनुवाद]

उसके बाद जो मशीनरी प्रोवाइड की गई है, उसमें प्रावधान किया है -

> "उपधारा (1) के अंतर्गत अपील किये जाने पर, अपीलीय अधिकारी अपील करने वाले को सुनने का अवसर देने के बाद, निरसन आदेश की पुष्टि, संशोधन तथा बदलने की यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा।"

[हिन्दी]

क्या इसकी कोई मर्यादा है 6 महीने, एक साल या 6 साल या उन्हें कभी छोड़ा जा सकता है? हमारे यहां महाराष्ट्र में एक एक्ट बना है एमआर.टी.यू. एण्ड पल्प एक्ट जिसे महाराष्ट्र रिकअनीशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स एण्ड प्रिवनशन अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज एक्ट, 1971 कहते है। उसमें यह प्रावधान है

[अनुवाद]

> "जहां तक संभव हो, मान्यता छः महीने की अवधि के भीतर हो जानी चाहिये"

[हिन्दी]

छह-छह साल लग जाते हैं, फिर भी रिकोग्नाइज नहीं होता है इस बीच यूनियन बदल जाती है। लेकिन वहां पर कैसे चलती रहती है। इसलिए यहां पर कुछ स्पैसिफिक क्लोज होनी चाहिए, उनको डाइरेक्टिव देना चाहिए कि ऐसी अपील होगी तो

[अनुवाद]

उक्त अवधि के भीतर, जो निर्धारित हो, यथा संभव नहीं। यह बहुत खतरनाक है, जहां तक निर्धन कर्मकार का सम्बन्ध है।

खंड 9 (1) में यह कहा गया है :

कोई भी व्यक्ति धारा 8 के अन्तर्गत आदेश से प्रभावित, जिस तारीख को उसे आदेश प्राप्त हुए हैं, उससे तीस दिन के भीतर, अपीलीय अधिकारी से अपील कर सकता हैं, वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सम्बद्ध सरकार द्वारा इस कार्य के लिये मनोनीत किया जायेगा।

[हिन्दी]

यहां पर यह एक और मशीनरी बनाई, जहां पर हम लोगों को और डिले हो जाएगा। आज देश का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर विलम्ब सी प्रवृत्ति है। कोई भी काम हो तो कोर्ट में जाइए। कोई कॉसिलिएशन मशीनरी में जाइए, किसी भी मजदूर को समय पर न्याय नहीं मिलता और इसके लिए ऐसा प्रोविजन है -

[अनुवाद]

यह देश के विभिन्न अधिनियमों से नकल किया गया है

[हिन्दी]

यह मजदूरों के लिए नहीं है, उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया।

[अनुवाद]

क्या हम इस देश में नकल करने की अनुमति है। अथवा, हम अधिनियम में कोई नई बात शामिल नहीं कर रहे है? क्या यह आवश्यक है कि हम श्रमिकों के सम्बन्ध में अन्य अधिनियमों में शामिल सब बातों का आंख मींच कर अनुसरण करें?

[हिन्दी]

50 सालों के बाद हमारे देश के अंदर नया कानून, नया प्रोविजन, नया रिलीफ अगर हम लोग मजदूरों को नहीं दे पाते हैं।

[अनुवाद]

हमें इस बारे में अपना दिमाग उचित रूप से अपनाना चाहिये और गरीब लोग के प्रति न्याय करना चाहिये।

[हिन्दी]

इस बिल के अंदर पुअर लोगों को जस्टिस देने का सजेस्ट नहीं किया है। आपने पहले का जो है उसको कॉपी करके इनकारपोरेट कर दिया है। अपील के प्रोविजन के लिए मैंने कहा

[अनुवाद]

कृपया खंड 12(5) को को देखें, उसमें कहा गया है :

> "उप धारा (4) के अंतर्गत निर्णय से प्रभावित व्यक्ति इस निर्णय के तीस दिन के भीतर बोर्ड के सचिव अथवा अन्य अधिकारी, जिसे बोर्ड ने इस कार्य के लिये निर्दिष्ट किया हो, इस निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है और सचिव अथवा अन्य अधिकारी का इस अपील के बारे में निर्णय अंतिम होगा" -

[हिन्दी]

वहां पर इसको जाने के लिये कोई स्कोप नहीं है।

[अनुवाद]

वहां पर वे जो बोलेंगे

[हिन्दी]

जो भी वह कहेगा वह शब्द अन्तिम होगा। उसे निश्चित रूप से कहना चाहिये, और आगे कार्यवाही करनी चाहिये।

मुंडी नीचे करके उसको वहां से निकल जाना चाहिए या फिर उसको उधर जाना ही नहीं चाहिए। यह जो मशीनरी है यह बहुत डिफेक्टिव मशीनरी है। इसलिए मैं अरुणाचलम जी से अपील करना चाहता हूं कि इसके ऊपर आप ख्याल कर लीजिए।

[अनुवाद]

खंड 16(2) को देखें, उसमें कहा गया है :

> "एक लाभ प्राप्तकर्ता अपने मालिक को अपनी मासिक मंजूरी से अपना अंशदान काटने को अधिकृत कर सकता है और इस कटौती के 15 दिन के भीतर बोर्ड को भेज सकता है।"

[हिन्दी]

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि कोई भी एम्पलॉयर वह कॉंट्रीब्यूशन-डिडक्ट करने के बाद नहीं भरेगा तो क्या प्रॉविजन है? ई.एस.आई. का कॉंट्रीब्यूशन मजदूरों की तनख्वाह से सीधा काटा जाता है। यदि मालिक नहीं भरता तो गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। वह कहती है कि आप स्वयं ही केस करो। उनको जो दवाइयां मिलनी चाहिए वह भी बंद हो जाती है और उनको डॉक्टर कहते हैं कि आपके मालिक ने ई.एस.आई. का कॉंट्रीब्यूशन नहीं भरा इसलिए आपको यह बैनेफिट नहीं मिलेगा। इस प्रॉविजन का भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। अगर मालिक बोर्ड को पैसा नहीं भरेगा तो बोर्ड क्या करने वाला है।

[अनुवाद]

बोर्ड क्या वैकल्पिक प्रबन्ध कर रहा है? इसके लिये अनिवार्य उपबन्ध क्या है? ये सब बातें स्पष्ट की जानी चाहियें।

[हिन्दी]

यह बिल पास होने से पहले यह आपकी जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

> जब एक लाभ प्राप्तकर्ता धारा 16 की उप धारा (1) के अन्तर्गत अपना अंशदान निरन्तर एक वर्ष से कम अवधि तक नहीं, करता तो वह लाभ प्राप्तकर्ता नहीं रहता"

[हिन्दी]

मजदूर के लिए आपने प्रॉविजन किया। अगर मजदूर कॉंट्रीब्यूशन नहीं भरेगा, अगर वह काम पर नहीं है, कॉंट्रीब्यूशन नहीं भर पाता -

[अनुवाद]

वह लाभ प्राप्तकर्ता नहीं रहेगा

[हिन्दी]

ऐसा आप बोलते हैं, लेकिन मालिक पैसा बोर्ड को नहीं भरेगा, तो उसके लिए आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं, इसके लिए आपने कोई क्लरीफिकेशन नहीं दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय, वैकेंसीज के बारे में बजिटरी प्रावीजन दिया गया है। बजट के लिये भी यही उपलब्ध है। यह बजट बोर्ड बनाएगा और जहां तक बजट के प्रावधान का सम्बन्ध है। अन्य सब लाभों को लाभ प्राप्तकर्ताओं को वितरित कर देगा।

[हिन्दी]

ऐसा उसका मतलब हो जाता है। इसलिए मेरे हिसाब से इस विधेयक के ऊपर ठीक ढंग से सोचने के बाद ही सदन के सामने लाना चाहिए। विधेयक बहुत अच्छा है।

[अनुवाद]

इसको कहीं से नकल की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

[हिन्दी]

इसके रूल्स बने नहीं है। सब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिए गए हैं। अच्छी बात है ओवरटाइम की बात आपने लिख दी है। आपको मालूम है जहां पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू है, वहां पर अगर ओवर टाइम देना पड़ता है, तो उनको सवा टका या डेढ़ टका दिया जाता है। नहीं तो बोला जाता है कि आपको कम्पलसरी काम करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस ओवरटाइम के प्रावीजन को कौन इम्पलीमेंट करने वाला है?

[अनुवाद]

इस विशेष उपबन्ध के बारे में क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिये? यही मेरा प्रश्न है।

[हिन्दी]

आप जो बोल रहे हैं कि दुगुना पैसा दे देंगे, यह प्रावीजन कौन इम्पलीमेंट करेगा? क्या इसके लिए कोई इलाज है? आज भी वे लोग 12 12 घंटे काम करते हैं। उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि आपको यह काम दिया गया है, यदि करना है तो करो, नहीं तो हमारे पास दूसरे आदमी तैयार है। इसका कारण यह है कि हमारे देश के अंदर बहुत बेरोजगारी है। लोग काम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन काम नहीं मिलता है। इसलिए ओवरटाइम के लिए कोई दूसरा प्रावीजन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि इंसपैक्टर जाएगा। यदि इंसपैक्टर जाएगा, तो वह मालिक से पैसा खा लेगा। हमारे देश के अंदर हम जितने कानून बनाते है, जितने ज्यादा प्रावधान करते है, इतना ही करप्शन ज्यादा बढ़ा रहे है। इंसपैक्टर जाएगा। उसके ऊपर चीफ इंसपैक्टर जाएगा। वह भी मालिक के साथ हाथ मिलाएंगे और मजदूरों को कुचलने का काम करेगा। इसलिए मेरा कहना है कि हमारे देश के अंदर जो हालात है, उनको देखते हुए मजदूरों के लिए ठीक काम करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस बिल में अच्छे प्रावधान रखे हैं। लैट्रीन्स और यूरिनल्स की की बात आपने लिखी है। कितनी बड़ी सुविधा आप इनको दे रहे है। आपने क्या कभी हमारे देश के अंदर के देहात या ग्रामों का सर्वेक्षण किया है, यदि किया है, तो क्या आपने देखा है कि उनमें कितने लैट्रीन्स और यूरिनल्स है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वे वहां नहीं है, तो क्या कंस्ट्रक्शन मजदूरी को कांट्रेक्टर बनाकर देने वाले है? आपने इसमें प्रावीजन कर दिया, लेकिन इस प्रावधान को कौन इम्प्लीमेंट करेगा? आपने प्रावधान तो कर दिया, लेकिन क्या राज्य सरकारें इनको इम्प्लीमेंट करवा सकेंगी?

आपने इसमें प्रावधान किया है कि कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को साइट पर एकोमोडेशन दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज के हालात में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरी को कौन मकान बनाकर देगा?

[अनुवाद]

उपधारा (1) के अन्तर्गत पृथक खाना पकाने, नहाने और शौचालय की सुविधा की अस्थायी व्यवस्था का प्रावधान है।

[हिन्दी]

भाषा तो बहुत अच्छी है, मगर अमल में कौन लाएगा? क्या आप लाएंगे? क्या इसको यह गवर्नमेंट अमल में ला सकती है? अगर आप नहीं कर सकते है, तो कौन करेगा?

[अनुवाद]

आप इस अधिनियम में यह उपबन्ध शामिल करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

आपका सिर्फ इतना ही मतलब है कि इस प्रावीजन को इसमें इनकार्पोरेट कर दिया जाए और कल टी.वी. पर, अखबारों में आ जाए कि अरुणाचलम ने, युनाइटेड फ्रंट सरकार के मंत्री ने कंस्ट्रक्शन मजदूरो को बहुत सुविधाएं दे दी और अब मजदूरों को इतनी सुविधाएं मिलेगी।

[अनुवाद]

आप इस अधिनियम में यह उपबन्ध क्यों शामिल करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

आप सिर्फ अपना और अपनी सरकार का प्रचार करने के लिए ही यह करना चाहते है।

[अनुवाद]

आप यह उपबन्ध क्यों शामिल करना चाहते हैं? यदि आप इसे कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो उस उपबन्ध में इस उपबन्ध को रखने का क्या लाभ?

[हिन्दी]

मैं पीने के पानी के बारे में बोलता हूं। आज कल घर में पीने का पानी मिलना मुश्किल है। केवल एक घंटा पानी मिलता है। उन लोगों को एक घंटा पानी कौन देने वाला है? कहां से उनको पीने का पानी देंगे? आप बोलते है कि प्रोविजन करके देंगे। एक मटका रखा गया और वह भी पता नहीं कहां से भरा जाता है। आप जाकर स्वयं देखें तो आपको पता लगेगा कि वे कहां से मटका भरकर लाते हैं। उन लोगों की क्या हालत है? आप प्रोविजन करते है लेकिन जहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहां पर आप जाकर उन लोगों की हालत क्या है? उनकी बहुत बुरी हालत है। जो इंसान पानी नहीं पी सकता, वह पानी उनको पीने के लिए दिया जाता है। बेचारे गर्म करते है। पता नहीं कहां से उबाल के लाते है और उनका कुकिंग का अरेंजमेंट करने जाते है। यह कौन देगा? यह बिल्डर जो उनका आज खून चूसते है, उनको ये सब सुविधायें देने वाले हैं? एक्ट के अंदर प्रोविजन करके उनको ज्यादा ह्रास किया जायेगा। कल यह मजदूर बोलेगा कि जब यह कानून हमारे लिए नहीं था तो हम ज्यादा सुखी थे। कानून आ गया तो हम फंस गये, हम मर गये, अब केवल भगवान हमारा सहारा है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो कुछ प्रोविजन करना है, हकीकत को देख कर करना।

एक और क्लाज है डेमोलिशन की। अगर यह डेमोलिशन होता तो मुंबई शहर के अंदर इतनी झोपड़ियां नहीं बनती। हमारे मुंबई शहर की आबादी करीबन 1 करोड़ 25 लाख है। इसके अंदर मेरे हिसाब से झोपड़ पट्टी में रहने वाले लोग कम से कम 60 प्रतिशत होंगे। अगर यह डेमोलिशन हो जाता तो जहां-जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गयी वहां जो झोपड़ी को लगाता, काम खत्म होने के तुरन्त बाद निकाल दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हो गया तो वह झोपड़ी वाला चला जाता है। वह अन्य जगह पर झोपड़ी लगा देते हैं यह मालूम पड़ता था वहां झोपड़ी नहीं थी। लेकिन वह झोपड़ी बांधकर वहां से चला जाता है।

[अनुवाद]

ये सब बातें जारी हैं और सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिये। निर्माणकर्ता इसका उपयोग करते हैं और उन्हें निकाल देते हैं। निर्माणकर्ताओं की यह प्रवृत्ति है। आप निर्माणकर्ताओं के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिये कानूनी उपबन्ध बना रहे हैं, जिनको लागू नहीं किया जायेगा। मेरा प्रश्न यह है कि ऐसे मामलों में आप क्या करेंगे।

[हिन्दी]

आपने फर्स्ट-एड का प्रावधान किया है। हमारे महाराष्ट्र के अंदर एम्पलाईज गारंटी स्कीम है। इसके अंदर शासन लोगों ने ऐसा प्रोविजन किया है। आप आकर देखिये वहां फर्स्ट ऐड नहीं है, बेबी क्रेचज नहीं है। उन लोगों को पेड़ के नीचे या कुछ सहारा लेकर बच्चों को रखना पड़ता है। कानून में प्रोविजन है लेकिन इम्पलीमेंट नहीं होता। इम्पलीमेंट करने वाली जो मशीनरी है, वह करप्शन करती है। इसका भी पूरा ख्याल नहीं करते। कानून में जो प्रोविजन है, वह असल में नहीं आता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

[अनुवाद]

क्या यह सरकार का दायित्व नहीं है कि वह ऐसी कार्यवाही करे और यह देखें कि अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये सभी उपबन्धों का वास्तव में कार्यान्वयन हो?

[हिन्दी]

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह किसकी जिम्मेदारी है, कौन देगा? दूसरा इसमें सबसे बड़ा जोक है कैंटीन। कैंटीन की क्या जरूरत है? उनको खाने के लिए कौन कैंटीन देने वाला है?

[अनुवाद]

क्या आपने विधेयक के सब व्यावहारिक पहलुओं की ओर ध्यान दिया है? विधेयक का प्रश्न किसने तैयार किया? मेरा सम्बद्ध व्यक्ति को यह सुझाव है कि वह समस्त देश में यह जाकर देखें और स्वयं पता लगाये कि उन उपबंधों को कहां से तैयार किया गया है, जहां निर्माता द्वारा 3000 व्यक्ति नियुक्त किये गये है।

[हिन्दी]

खाने के लिए कुछ कैंटीन का प्रबन्ध किया है? आप बोलते हैं कि जहां कम से कम 200 वर्कर्स होगे वहां उनको कैटीन की सुविधा देनी पड़ेगी। ऐसा आपने इस विधेयक के अंदर रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 200 को छोड़े दें। अगर 2000 मजदूर भी कही पर काम करते हैं तो उन लोगों के लिए आज कोई सुविधा नहीं है। अगर नहीं है तो

[अनुवाद]

इस उपबन्ध को अधिनियम में शामिल कर, आप उनके लिये किस चीज की व्यवस्था करना चाहते है?

[हिन्दी]

मुझे याद है कि आप तो अभी मिनिस्टर बने है। श्री अरूणाचलम मैं आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा।

[अनुवाद]

आप आइये। कोई बात नहीं। ब्यूरोकैटेस ने बिल बनाया, किसी और ने

[हिन्दी]

बनाया और आपके सामने पेश किया?

[अनुवाद]

विधेयक के व्यावहारिक पहलुओं की ओर कौन ध्यान देगा? विधेयक के विस्तृत पहलू की ओर कौन ध्यान देगा और तंत्र को लागू कौन करेगा? अधिनियम के उपबन्धों का लागू न किये जाने के लिये कौन जिम्मेवार होगा? उपबन्ध क्या है? आप इस बात की ओर कैसे ध्यान देंगे कि अधिनियम के उपबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है?

[हिन्दी]

आपसे यह सवाल है। इसके अंदर लिखा है कि सेफ्टी एंड अदर्स के लिए सेफ्टी ऑफिसर का प्रोवीजन किया है। वहां ऐक्सीडेंट हो जाता है, कोई व्यक्ति ऊपर से गिरकर मर जाता है तो उसका ख्याल करने वाला भी कोई नहीं है। हमारे देश में इंसानियत पीछे हट गई है। पैसे की कीमत बढ़ गई है। सब लोग पैसे के पीछे पड़े है, इसलिए ढूंढना पड़ता है कि क्या देश में कहीं इंसानियत है। जिनका ऐक्सीडेंट हो जाता है, हमने उनकी हालत अपनी आंखों से देखी है। ऐक्सीडेंट की बात छोड़िए, यदि आपको कोई बीमारी भी हो जाती है तो उसका ख्याल करने वाला भी कोई नही है। उनको जो मजदूरी मिलती है, उससे डाक्टर का इलाज करना मुमकिन नहीं है। इसलिए उनको बहुत कठिनाई से बीमारी का मुकाबला करना पड़ता है।

आपने रूल्स के बारे में बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंटस रूल बनाने वाले है। वे कभी नहीं बना पाएंगे। उनको मालूम है

[अनुवाद]

विधेयक में अनेक त्रुटियां है।

अरुणाचलम जी से मेरी विनती है, उस दिन आप यहां पर नहीं थे, उठकर जा रहे थे। मैं आपको दोषी नहीं कहूंगा। यह आपकी इच्छा नहीं है। विषय अवश्य आपके ध्यान में होंगे। विधेयक आपके पास आया होगा और आपको बताया गया होगा कि इसे निर्धारित अवधि में अवश्य पास किया जाना चाहिये क्योंकि अध्यादेश को प्रख्यापित किये पहले ही तीन महीने हो चुके हैं।

[हिन्दी]

रिजैक्ट हो गया, नया आर्डिनेंस लाना पड़ा। अभी आर्डिनेंस की तारीख दो अगस्त तक है। तब तक विधेयक मंजूर नहीं होगा तो फिर दुबारा राष्ट्रपति के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि परिस्थितियां उत्पन्न हुई इसलिए हमको और एक आर्डिनेंस निकालना पड़ता है। आप ऐसी हाल में बिल लाए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कहते है कि चाय नहीं, खाने का बंदोबस्त करेंगे लेकिन देर तक बैठकर इस बिल को पास करना है। हम शायद खाना खाएंगे लेकिन भूखे लोगों के लिए प्रोवीजन नहीं कर पाएंगे।

[अनुवाद]

हम जो भी करें वह निर्धनों के कल्याण के लिये हो। हम यह विधेयक दलित वर्गों और गरीबी की रेखा से रह रहे लोगों के लाभ के लिये पारित कर रहे हैं। श्री अरुणाचलम हमें इस सम्बन्ध में बड़ा सावधान होना चाहिये। ऐसा सब आवश्यक संशोधनों को अधिनियम में शामिल कर इसे त्रुटिहीन बना कर किया जा सकता है। सब निर्धन व्यक्तियों को लाभ मिले, संसद सदस्यों को नहीं। यदी हमें इसका श्रेय नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। हमें इसे सहन करेंगे। हम गरीबों के लिये कार्य कर रहे हैं और हमें यह देखना चाहिए कि अधिनियम जो भी उपबन्ध शामिल किये जायें वे सब निर्माण कार्य में लगे सब कर्मकारों के लिये लाभकारी हों।

[हिन्दी]

इस दृष्टि से एक्ट को तरफ देखें और जैसा जार्ज साहब ने कहा, उसके ऊपर ध्यान दें।

[अनुवाद]

इस विशेष विधेयक पर कुछ ध्यान दें। यदि आवश्यक हुआ, तो हम साथ बैठकर इस पर बातचीत करेंगे। हम कुछ और उपचारों का पता लगाने का भी प्रयास करेंगे। हम एक दूसरे से तालमेल करने की कोशिश करेंगे और संशोधनों का सुझाव देंगे। हम जो भी स्वीकार करें, हमें यह देखना है कि वह सब सम्बद्ध व्यक्ति के लिये लाभकारी हो।

[हिन्दी]

हमारे देश में यह जो बहुत नैगलैक्टेड क्लास ऑफ वर्कर्स है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए शेष एक प्रतिशत की जो बात बताई गई है,

[अनुवाद]

एक प्रतिशत पर्याप्त नहीं है, जैसा श्री वेंकट स्वामी ने कहा।

[हिन्दी]

यदि सरकार देती है तो बहुत अच्छी बात है। मालिक से नहीं लेना गवर्नमेंट से लेना है, गवर्नमेंट से ले लो। लेकिन गवर्नमेंट से लेने का मतलब पब्लिक एमाउंट से पैसा देना है, मालिक से लेने का मतलब उसके प्रॉफिट से पैसा लेना है। प्रॉफिट बहुत कुछ है। हमारे देश में आजकल वह इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बैनीफिशियल है जो बिल्डिंग कंसट्रक्शन के काम में है। अन्य कोई भी धंधा जो इस देश में चल रहा है,

[अनुवाद]

उन्हें लाभ नहीं हो तो। बड़े बड़े भवनों का निर्माण हो रहा है और इन भवनों पर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

[हिन्दी]

इस कैटगरी में बहुत सारे अन्य लोग हैं।

[अनुवाद]

उनकी उपेक्षा की गई है... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

खाली मजदूर नहीं हैं, उनके साथ प्लम्बर भी हैं, कारपेन्टर्स भी है, अन्य लोग जो रोजाना मदद करते हैं जैसे सुपरवाईजर कैटेगरी के लोग, वे भी हैं। उनके साथ बहुत सारे पढ़े लिखे इंजीनियर,

[अनुवाद]

वे इस क्षेत्र में आ रहे हैं क्योंकि यह लाभप्रद है। जो लोग अनुभव के लिये आ रहे हैं उनका शोषण हो रहा है।

[हिन्दी]

जो मालिक है, वह एक जगह नहीं, दस जगह बिल्डिंग बना देते हैं, उनके एक नहीं दस फ्लैटस हमारे मुम्बई शहर में, दिल्ली शहर में और बहुत सारे शहरों में हैं, लेकिन जो मजदूर हैं, उनके लिए रहने का ठिकाना नहीं है। इसलिए जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन डालकर जो कुछ करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको चार पैसे ज्यादा दिलाने चाहिए।

इसमें एक और प्रोवीजन आपने बोनस का किया है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने यह बिल ड्राफ्ट किया, उनमें से किसी को यह मालूम है क्या कि बोनस आज तक कितने लोगों को कौन से मालिक ने दिया? मेरे हिसाब से इस लाइन में बोनस कभी भी नहीं दिया जाता।

[अनुवाद]

संगठित क्षेत्र के कर्मकारों को बोनस मिल रहा है 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस देने का उपबन्ध किया गया है। यह उनके लिये सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

[हिन्दी]

इतना तो इंश्योर्ड है, पक्का है, अगर इंडस्ट्री प्रॉफिट में चले, नहीं तो लॉस में कोई इंडस्ट्री चली जाय,

[अनुवाद]

उन्हें बोनस प्राप्त करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

लेकिन इन लोगों का क्या है, आपने तो प्रोवीजन किया है, लेकिन इनको बोनस मिलने वाला है क्या? चूंकि मिलने वाला नहीं है, इसे शामिल कर लें। यह बिल के अंदर लाना चाहिए और मजदूर के लिए जितना हो सकता है, उतना हम लोग अच्छा काम करें और अच्छा बिल पास करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि

[अनुवाद]

अरुणाचलम जी, चूंकि आप श्रम मंत्री है, श्रेय आपको जाना चाहिये। इस प्रयोजन के लिये खुला दिमाग, खुला हृदय, खुली चर्चा और खुले विचार बहुत आवश्यक हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके सहयोगी, प्रधान मंत्री सहित, इस ओर ध्यान देंगे। और यह देखेंगे कि विधेयक में आवश्यक संशोधन किये जायें और तभी इस विधेयक को सदन में पारित करने के लिये लाया जाय।

श्री रमेश चेन्नितला : सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्री को विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये बधाई देता हूं। विधेयक से देश के लाखों गरीब कर्मकारों को लाभ होगा। वास्तव में, यह विधेयक भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री जी.वेंकटस्वामी द्वारा पुरःस्थापित किया गया था। लेकिन विधेयक पारित नहीं हो सका।

गत 22 वर्षों से विधेयक पर विभिन्न संस्थानों में चर्चा की गई है। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी ऐसा विधेयक तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई जो समाज के दलित और निर्धन लोगों को लाभकारी हो। ये कर्मकार हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं वास्तव में, इन लोगों की ओर और ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। हमें इनकी ओर और ध्यान देना चाहिये। उनके लिये कल्याणकारी उपाय और प्रभावकारी ढंग से लागू किये जाने चाहिये। यह विधेयक माननीय मंत्री द्वारा इन बातों को ध्यान में रखते हुए पुरःस्थापित किया गया था।

हमारे देश में कुशल कर्मकारों की कमी है। यह बहुत रूचिकर है। आपको कुशल शिल्पकार और बढ़ई नहीं मिलते। वे सब विदेशों में जा रहे हैं। उन्हें विदेशों में अधिक मंजूरी ओर सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, विशेषकर खाड़ी देशों में। उनकी विदेशों में भारी मांग है। अब देश में कुशल कर्मकारों की कमी हो गई है। यह वास्तविकता है कि हम उनके लिये उत्तम जीवन की व्यवस्था करने में असमर्थ है।

इसके अतिरिक्त, मालिक और कर्मचारियों के बीच सम्बन्ध स्थायी नहीं हैं। उनके सम्बन्ध अनियमित और अस्थायी हैं। उनके बीच अस्थायी सम्बन्ध होने के कारण, मालिक उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कार्य के घन्टे भी अनिश्चित हैं। चूंकि यह कार्य अस्थायी प्रवृत्ति का है, मालिक सामान्यता इन कर्मकारों के लिये कल्याणकारी उपाय नहीं अपना रहे हैं। कर्मकारों के लिये काम करने के लिये घंटे सुनिश्चित नहीं हैं। उन्हें मूल सुविधाओं से वंचित रखा जाता हैं असंगठित क्षेत्र में कर्मकारों को इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है। मैं माननीय सदस्यों के उन विचारों से सहमत हूं कि इस विधेयक पर और विचार किया जाना चाहिये। उस विधेयक में अनेक खामियां हैं। वास्तव में, यह एक व्यापक विधान है। अतः हमें समाज के दलित वर्गों और निर्धनों को कल्याणकारी सुविधाएं देने के लिये इस विधेयक पर और विचार करना चाहिये। मेरे विचार से कल होने वाली चर्चा में इस विषय पर निश्चित रूप से विस्तार से चर्चा की जायेगी और जब इस विधेयक पर खंडवार चर्चा की जायेगी तो हम इस मामले में अपने विचार विस्तार से रख सकेंगे।

यह जानने के लिये यह पहला प्रयास है कि समाज के निर्धन वर्ग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, किन स्थितियों में वे काम कर रहे हैं और उनके कल्याण के लिये हमारा क्या उपाय अपनाने का विचार है। यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां है और इसके लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई दूंगा।

मैं कुछ विशेष मुद्दों पर बल देना चाहूंगा। विधेयक का खंड 4 उसी प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसमें 50 या इससे कर्मकार काम करते होंगे । यह उपबन्ध मालिक को 50 से कम कर्मकार दिखाने में सक्षम है। इस तरह, कोई भी मालिक यह कह सकता है कि वह 50 से कम कर्मचारी नियुक्त किये हुए ताकि वह इस विधेयक के उपबन्धों से बच सके।

पंजीकरण की भी समस्या है। विधेयक यह कहता है कि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। अतः कोई भी मालिक कर्मचारी को पंजीकरण न करने के लिये बाध्य कर सकता है। वास्तव में उपबन्ध अनिवार्य पंजीकरण के लिये होना चाहिये था। अनिवार्य पंजीकरण के बिना उसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि मालिक हमेशा कर्मचारियों को पंजीकरण न करने के लिये बाध्य अथवा दबाव डालते हैं और इस प्रकार वह इस उपबन्ध से बच सकता है। यदि पंजीकरण अनिवार्य होता है तो कोई भी मालिक प्रतिष्ठान में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम नहीं दिखा सकेगा। अतः यदि अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था नहीं होगी तो इस बात की संभावना होगी कि वह विधेयक के अन्तर्गत न आये। अतः इस संबंध में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिये। अन्यथा इस विधेयक में उल्लिखित लाभों से कर्मचारी वंचित रहे जायेंगे।

दूसरे, अन्य खंड इस विधेयक से कर्मकारों को प्राप्त होने वाले लाभ की पात्रता से सम्बन्धित हैं। इसमें यह कहा गया है कि पिछले 12 महीने के दौरान कर्मकार ने 90 दिन की सेवा पूरी हो हो। मैं नहीं समझता कि क्या मंत्री महोदय ने इस उपबन्ध पर विचार किया है। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या एक व्यक्ति को निरन्तर 90 दिन तक कार्य करना चाहिये अथवा क्या यह पर्याप्त है कि विधेयक में निर्धारित कुल केवल 90 दिन तक सेवा में रहता है। इस विधेयक से यह स्पष्ट नहीं है।

अतः इस अनिश्चितता को समाप्त किया जाना चाहिये। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि यदि एक कर्मकार लगातार एक समय तक 45 दिन काम करता है, तो क्या यह पर्याप्त है। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या इस प्रकार 90 दिन का गिना जाना उचित है। यह मुद्दा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस बात को स्पष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में कोई अस्पष्टता न बनी रहे।

दूसरी बात पंजीकरण फीस के बारे में है। कुछ शिल्पकार निर्धारित फीस अदा करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते है उनकी स्थिति बहुत खराब होती है और वो 50 रुपये पंजीकरण फीस देने में समर्थ नहीं होते। दैनिक मंजूरी करने वाले के लिये यह फीस बहुत अधिक है। अतः मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है कि इस फीस को घटाकर 10 रुपये कर दिया जाये ताकि कर्मकार उसका भुगतान कर सकें।

खंड 17 अंशदान का भुगतान न करने के बारे में है। इसमें यह कहा गया है कि यदि एक कर्मकार बकाया राशि का भुगतान करने के लिये तैयार है तो वह लाभ का अधिकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रमेश चेन्नितला : मैं दो या तीन और मुद्दों का उल्लेख करूंगा। बकाया राशि के बारे में मेरा यह कहना है कि इसकी वसूली सरल किश्तों में होनी चाहिये। यदि इसकी वसूली सरल किश्तों में की जाती है तो कोई भी व्यक्ति इसका भुगतान करने में समर्थ हो सकता

है। यदि किसी व्यक्ति को एक मुश्त किश्त में भुगतान करने को बाध्य किया जाता है तो वह इसका भुगतान करने में समर्थ नहीं होगा। अन्ततः होगा यह कि वह योजना से बाहर हो जायेगा।

अपराह्न 6.00 बजे

सरल किश्तों में भुगतान करना हमेशा अच्छा रहता है। वह धनराशि का भुगतान कर सकता है और अधिनियम के उपबन्धों का भी पालन करता है। प्रयास यह होना चाहिये कि कर्मकारों को लाभ प्राप्त हो और उनके ऊपर भार न डाला जाये। विधेयक का उद्देश्य गरीब लोगों को सहायता और लाभ देना है। यदि सरल किश्तों में भुगतान की व्यवस्था होगी तो, तो कर्मकार इसका भुगतान करने में समर्थ होंगे और उनका भार न्यूनतम रह जायेगा।

अन्य बात, मैं विधेयक में निहित खंड 7 के बारे में कहना चाहूंगा। यह सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों के बारे में है। यह बहुत अनावश्यक मामला है। हमारे सभी विद्वानों मित्रों ने, जिन्होंने विधेयक पर सामान्य चर्चा में भाग लिया, विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक और जिन परिस्थितियों में कर्मकार काम कर रहे हैं उसके बारे में उल्लेख किया।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको धन्यवाद दूं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय इस बात पर सहमति हो गई थी कि सदस्य विधेयक पर चर्चा में आज भाग ले सकते हैं। माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे और फिर उस पर मतदान होगा। अतः मैंने यह सुझाव दिया था कि हम एक घंटे का समय बढ़ा सकते हैं।...**(व्यवधान)** आपके नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि हम आज चर्चा समाप्त कर देंगे और माननीय मंत्री कल उत्तर देंगे।

हमारे पास रेलवे बजट के लिये समय नहीं है। इसे आज लिया जाना चाहिये। अब हम कल भी बैठ रहे हैं। रेलवे बजट के लिये कोई समय नहीं होगा। एक अन्य विधेयक भी है। अतः, हम एक घंटा और बैठ सकते हैं।...**(व्यवधान)**

इस बारे में बातचीत अध्यक्ष के कक्ष में की गई थी। सब नेता इस पर सहमत थे। अतः, हम एक घंटा और बैठ कर यह चर्चा आज समाप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी हाउस में कंसेसस था कि कल कुछ लीडर्स बोलेंगे। मंत्री जी ने कहा था।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : इस बात पर भी सहमति हुई थी। माननीय मंत्री और अन्य नेताओं की कल सुबह 10 बजे बैठक हो रही हैं। लेकिन जो भी मुद्दे माननीय सदस्य उठाना चाहे वह उठा सकते हैं। हम एक घंटे और बैठ रहे है...**(व्यवधान)**

नेताओं की कल सुबह 10 बजे बैठक हो रही है। उस बैठक के बाद मंत्री महोदय उस बैठक में किये गये संशोधनों के बारे में बतायेंगे। लेकिन हम चर्चा आज समाप्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यों से संशोधन आज प्राप्त हो सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक घंटा और बैठेंगे।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी जेना जी ने यह कहा था कि लीडर्स के साथ बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। जो विचार यहां पर आ रहे हैं, उनके अनुसार अमेंडमेंट करेंगे। लेकिन इसमें कई ऐसे सदस्य हो सकते हैं, जिनके सुझाव नहीं आ पाएंगे। मंत्री जी अमेंडमेंट बिल लाएंगे, क्या उसके ऊपर सदन चर्चा करने से वंचित रहेगा?

श्री श्रीकांत जेना : ऐसा नहीं है...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

हमें कल्पना से काम नहीं लेना चाहिये...**(व्यवधान)**

श्री सत्यदेव सिंह : क्या उपाध्यक्ष के कक्ष में कोई बैठक होगी और वे सदन में हुए सब वाद-विवाद को देखेंगे?...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : ऐसा नहीं है माननीय जेना जी। बहुत से सुझाव ऐसे है जो सदस्य देना चाहते हैं।

श्री श्रीकांत जेना : इसीलिए मैं कहता हूं कि हाउस का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए जिससे जिसके जो सुझाव हैं, वे दे सकते हैं। एक घंटा सदन का समय बढ़ाकर जिसके जो भी सुझाव आएंगे, वह इसमें आ जाएंगे।

श्री काशीराम राणा : और भी सदस्य हैं जो इस पर बोलना चाहते हैं। एक घंटे में कैसे होगा?

श्री श्रीकांत जेना : अगर एक घंटे में नहीं होगा तो दो घंटे में भी नहीं हो पाएगा।

श्री काशीराम राणा : बिल ही ऐसा है कि इसमें और सुझाव आते रहेंगे।

श्री श्रीकांत जेना : ठीक है, आने दीजिए। एक घंटा बैठ लीजिए।

श्री काशीराम राणा : अमेंडेड बिल लेकर आए हैं और यह बिल इतना महत्वपूर्ण है। इसका इम्पेक्ट भी बड़ा भारी होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक घंटे के बाद सोच लेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैंने इस बिल को, इस आर्डिनेंस को निरस्त करने का प्रस्ताव रखा है। मुझे बोलना है। मुझे बता दीजिए जेना साहब कि पहले जब आप इधर थे तो ठीक-ठीक बोलते थे, अब आज आप वहां से गलत बोल रहे हैं। मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो मैं कब बोलूंगा? आज बोलूंगा या कल बोलूंगा?

श्री श्रीकांत जेना : आप कल बोलेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसमें जल्दी कौन सी है?

श्री श्रीकांत जेना : आपका रिजोल्यूशन है। आपका तो बोलने का राइट है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा राइट है। मंत्री महोदय जब सारे अमेंडमेंट मान लेंगे, कुछ बोलेंगे, उसके बाद ही तो मैं बोलूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें जल्दी मत कीजिए। अभी छः बजकर पांच मिनट हो गए है। सात बजे तक पूरा नहीं होने वाला है।

श्री श्रीकांत जेना : इसलिए मैं कहता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा लीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं सुन लीजिए, अगर और भी एक घंटा बढ़ाने के लिए कहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूं कि एक घंटा बहस कर लीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक घंटा बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप सात के बाद आठ के बाद फिर नौ बजायेंगे।

श्री श्रीकांत जेना : एक घंटे के बाद देखेंगे कि क्या होगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मुझे निवेदन करना है कि कल जब यह बिल पास होने वाला है, तो कल ही इसको कर लिया जाए। आप व्यवस्था से नहीं चल रहे हैं। आपने जो परिपत्र भेजा है, उसमें 23, 24 और 25 तारीख को रेल बजट पर चर्चा लिखी है। रेल तो आई नहीं, लेकिन आज घर बस में जाना पड़ेगा। मंत्री जी भी चले गए हैं। ...**(व्यवधान)** मेरा निवेदन है कि कल जब इस बिल को पास करना है, तो कल ही कर लीजिए। आप व्यवस्था से नहीं चल रहे हैं। आपने 23, 24 और 25 को रेल बजट पर चर्चा के लिए लिखा है, फिर आपने इस बिल पर चर्चा शुरू कर दी। इस एक घंटे में कुछ नहीं होने वाला है। मेरा बोलने का अधिकार है, मैं तो कल बोल लूंगा।...**(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जेना : आपके जो भी सुझाव है, आप एक, दो, तीन पाइंट में सुझाव दे दीजिए, फिर एक घंटे में समाप्त हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसका मतलब कि सात बजे तक हो जाएगा।...**(व्यवधान)** अगर आज सात बजे तक नहीं हुआ, तो फिर कल चर्चा होगी। देखिए, हम जैनी भाई है। दीया-बती जलने के बाद हम भोजन नहीं कर सकते हैं। सुबह से भूखे हैं। हम जैन धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। जब दीप जल जाते हैं, तो उसके बाद भोजन नहीं कर सकते हैं। साथ ही मंगलवार का व्रत है और जैन भाई हम अलग से हैं, आप हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप हमारे धर्म के खिलाफ बात कह रहे हैं। जैन भाई हैं, शाम को मच्छर आ जाते हैं, तो मुंह में मच्छर जाते हैं। आप जैन धर्म पर हमला कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन नमाज के लिए तो कर देंगे और आज आप जैन धर्म को नुकसान पहुंचायेंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : हम चर्चा जारी रखते हैं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हम यह कह रहे हैं कि छः बजे का समय पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, किसी हल के बिना बात करने का कोई लाभ नहीं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : महोदय, मेरा एक निवेदन है, सब को समय सीमा में बांध दिया जाए। कोई एक घंटे तक बोल रहे हैं और कोई दो मिनट में अपनी बात कह रहे हैं। समय सीमा में बांध दिया जाए और उसके अनुसार लोगों को बोलने का मौका दिया जाए। सब लोग अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं, इस लिए सब लोगों को समय चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक तरीका हो सकता है कि केवल सुझाव दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव सिंह : जेना जी, उधर जाने के बाद यह बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप इधर थे, तो सदन से जाने में आप सबसे आगे थे। पटना के माननीय सांसद ने इस बात का सुझाव दिया कि पाइंट में अपनी बात कह दीजिए। बिल इतना महत्वपूर्ण है और एक बहुत बड़े सैक्शन के बारे में विचार हो रहा है। तीन-तीन आर्डिनेंस निकल चुके हैं और आप इस बिल को कैलस मैनर में ट्रीट कर रहे हैं। सारी बातों को समय की सीमा में बांध रहे हैं। ऐसा करने से आप उन लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे, जिनके बारे में यह सदन इस बिल पर विचार कर रहा है। पाइंट में दे दीजिए, थोड़े में दे दीजिए, समय की सीमा में बांध दीजिए - ऐसा करने से कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मुझे अपने विचार सदन में रखने की अनुमति दें। खंड 8 के बारे में है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : एक बात की सहमति तो है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए, फिर सात बजे के बाद देख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हम जैन धर्म के लोगों का क्या होगा ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुने।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 24 जुलाई, 1996 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिये स्थगित होती हैं।

अपराह्न 6.09 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 24 जुलाई, 1996/2 श्रावण, 1918 (शक) तक के लिये स्थगित हुई